खण्ड-410, अंक-4
शुक्रवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(18 मार्च, 1994 ई0)

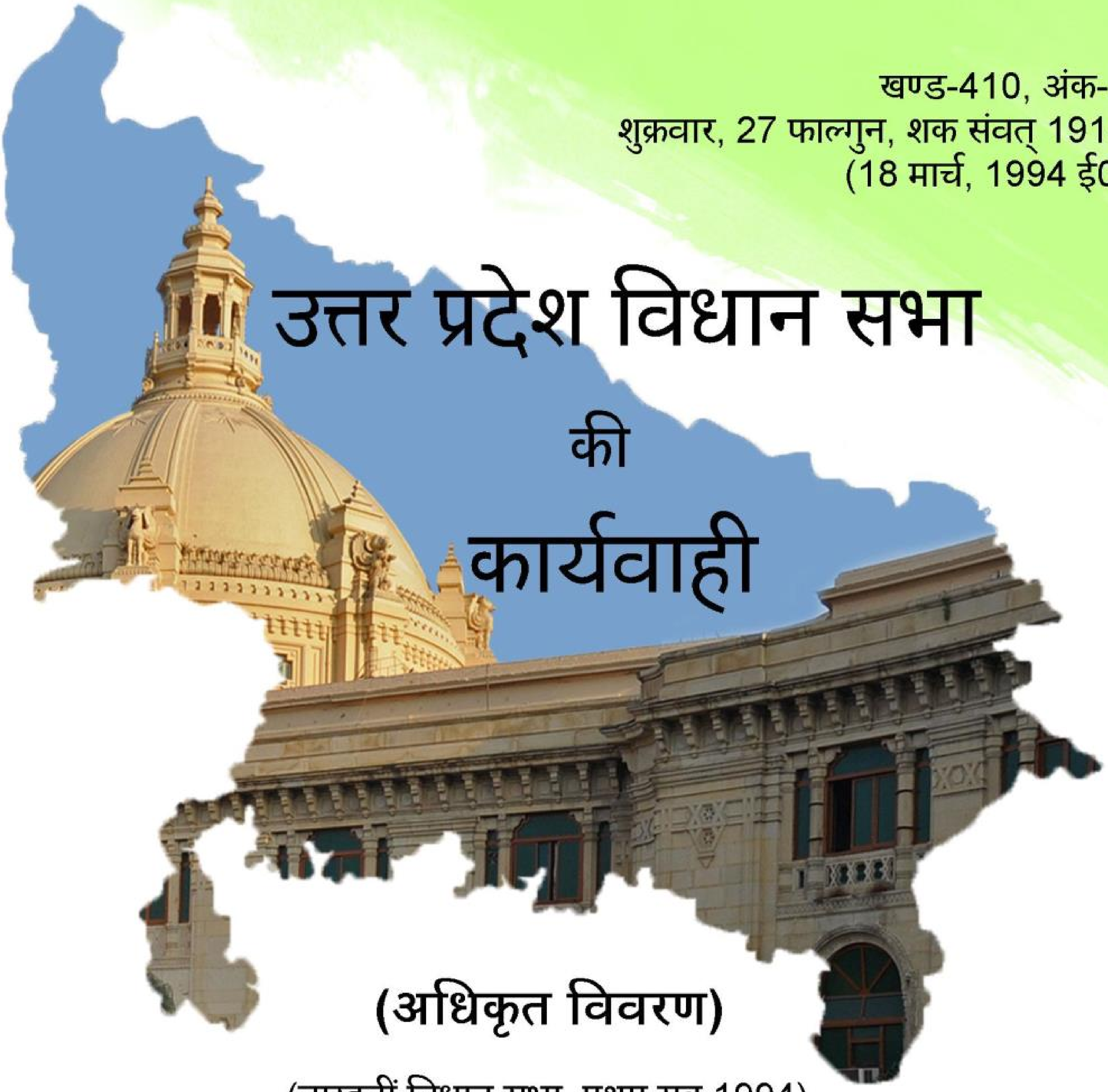

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 410 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
चम्पावत जिला बनाने के संबंध में श्री महेन्द्र सिंह माहरा स० वि० स० की गिरफ्तारी का मामला उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर (जारी)	1–2
प्रश्नोत्तर काल में मंत्रियों के सदन में उपस्थित न रहने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	2–8
प्रश्नोत्तर	8–106
प्रश्नकाल के दौरान परिवहन मंत्री द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति आरोपात्मक टिप्पणी को कार्यवाही से निकाले जाने की मांग	106–107
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	107
गंगा ऐक्शन प्लान के तहत वाराणसी में जल निगम की लापरवाही से भूमिगत जलस्रोत के विषैला होने से जनजीवन के लिए उत्पन्न खतरे के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107–108
नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी द्वारा गृह तथा जल कर असेसमेन्ट में की गयी धांधली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	108
ग्राम सभा हरनामपुर, जिला गोरखपुर में हरिजन उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
गाजियाबाद के गांधीनगर स्थित कम्युनिटी सेण्टर को सामुदायिक कार्यों हेतु नागरिकों को उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109–110
बांदा जिले के चित्रकूट धाम कर्वी नगरपालिका द्वारा पड़ाव टैक्स वसूल करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद लखनऊ में बन्थरा थानान्तर्गत पुलिस द्वारा अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के लोगों को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110–111
दक्षिणी वन प्रभाग गोण्डा में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बकाया वेतन न देने तथा नियमित न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें	111
जनपद लखनऊ, थाना इटौंजा, ग्राम पलिया की हरिजन महिला श्रीमती रामवती के साथ कथित बलात्कार संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	111–112
पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाये जाने की घोषणा कर दिये जाने और नये जिलों एवं तहसीलों की घोषणा न किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ..	112–121
वाराणसी जनपद में नौगढ़ के भा०ज०पा० ब्लाक अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र पाण्डेय की गोली मारकर हत्या किये जाने और जनपद में अपराधिक घटनाओं की वृद्धि के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	121–124

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम 311 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	124–126
कतिपय सदस्यों के ही औचित्य के प्रश्न स्वीकृत किये जाने पर आपत्ति ..	127
प्रदेश में बिक्रीकर समाप्त किये जाने पर तत्संबंधी वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	127
नियम 311 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर व्यवस्था का प्रश्न	127–130
प्रदेश में बिक्रीकर समाप्त होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी के संबंध में औचित्य का प्रश्न	130–133
पीलीभीत जिले में नेपाली महिलाओं की नसबन्दी के नाम पर की जाने वाली नीलामी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न	133–143
डंकल प्रस्ताव से संबंधित संकल्प को स्थगित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	144–145
ऊर्जा सलाहकार समितियों में विधायकों की भागीदारी बहाल किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	146–147
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	147–148
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्डों पर कार्य करने के लिए प्रत्येक के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के नाम-निर्देशन करने के लिए मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	148
भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री ए० सी० ग्राइस के निधन पर शोक व्यक्त न किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	149
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 (पुरःस्थापित)	149
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	150–161
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	161–166
कार्य-मंत्रणा समिति के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)– ..	166–169
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ..	169–185
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	185–186
जिला गाजियाबाद में आवासीय आबादी वाले क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा पशुओं को अनाधिकृत रूप से काटे जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	186–188
प्रदेश के समस्त राजकीय अस्पतालों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	188–189
नस्थियां	190–204

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
इरशाद, श्री	आजमगढ़
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गया चरण दिनकर, श्री	बांदा
गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री	अल्मोड़ा
चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
दीनानाथ भास्कर, श्री	वाराणसी
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना", श्री	खीरी
नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री	बहराइच
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई), श्री	पिथौरागढ़
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मीर मजहर अली उर्फ नन्हें मियां, श्री	बदायूं
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
रंगनाथ, श्री	वाराणसी
रघुराज प्रताप सिंह कुंवर उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	देवरिया
राम पाल सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राम प्रसाद टम्टा, श्री	अल्मोड़ा
राम स्वरूप, श्री	मथुरा
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती	सहारनपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिवेन्द्र, श्री	महराजगंज
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्रीराम सिंह, श्री	गोण्डा
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
समई, श्री	आजमगढ़
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हरेन्द्र सिंह, श्री	रामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

चम्पावत जिला बनाने के संबंध में श्री महेन्द्र सिंह माहरा स० वि० सभा की गिरफ्तारी का मामला उठाने का प्रयास

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, चम्पावत जिला बनाने के संबंध में हमारे दल के विधायक श्री महेन्द्र सिंह माहरा गिरफ्तार हो गये हैं,...

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद आपकी बात सुनी जायेगी ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों को भवन/भूखण्ड क्रय करने हेतु शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग

**1–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान समय में राज्य कर्मचारियों हेतु भवन/भूखण्ड क्रय करने हेतु जो अग्रिम धनराशि शासनादेश द्वारा स्वीकृत है वह विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद् द्वारा निर्धारित भवन/भूखण्ड की वास्तविक कीमत से अत्यधिक कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि को दो गुना किये जाने की स्पष्ट घोषणा सदन में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

राज्य कर्मचारियों को उनके वेतन, अवशेष सेवाकाल तथा अग्रिम की वसूली हेतु उनकी प्रतिदान क्षमता के आधार पर भवन निर्माण अग्रिम अनुमन्य होता है । राज्य कर्मचारियों को नियमानुसार अनुमन्य भवन निर्माण अग्रिम की धनराशि की कोई सम्बद्धता विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् द्वारा निर्धारित भूखण्ड/भवन के मूल्यों से नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन अधिनियम लागू होने के कारण जनपद अल्मोड़ा प्रभावित सड़कों को बनाने की कार्यवाही किये जाने की मांग

**2–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन-अधिनियम लागू होने के कारण विकास कार्यों में बाधा आई है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अधिनियम से अल्मोड़ा जनपद की कितनी सड़कें प्रभावित हुई हैं तथा सरकार प्रभावित सड़कों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? उक्त सड़कों को स्वीकृति कब तक मिलेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण की लम्बी और जटिल प्रक्रियाओं के कारण अत्यधिक समय लगता है ।

उक्त के कारण 71 सड़कें प्रभावित हुई हैं । अधिनियम से प्रभावित सड़कों की वनभूमि प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव लम्बित होने के कारण समय सीमा का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्नोत्तर काल में मंत्रियों के सदन में उपस्थित न रहने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री अध्यक्ष द्वारा ता० प्र० सं०–1 पुकारे जाने पर)

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें रुचि है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री जी उपस्थित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं शासन को निर्देशित करता हूं .....

(व्यवधान)

मेरी बात आप सुन लें । मैं कह रहा हूं । मुझे सुन तो लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने माननीय मंत्री जी को बुलाया, लेकिन वह उपस्थित नहीं थे और न उसके कोई सहयोगी मंत्री ही उपस्थित थे । यह सदन का अवमान है । आप शासन को निर्देशित करें ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मंत्री जी आ गये और उत्तर देने लगे हैं ।

श्री सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपने उत्तर देने के लिये पुकारा लेकिन कोई उपस्थित नहीं था । यह सदन का अवमान है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा यह सदन का अवमान किया गया है । आप शासन को निर्देशित करें ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आ गये हैं और उत्तर देंगे । अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात सुनें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आपसे पहले ही मैं शासन को निर्देशित करने के लिये कहने वाला था और कह रहा था लेकिन आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं । अब स्थिति बदल गयी है और माननीय मंत्री जी आ गये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा हू कि वे उत्तर पढ़े ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, गलती सबसे हो सकती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाय और उसी पर निर्देश हों, जब मैं कह रहा था तब आप मेरी बात को सुन नहीं रहे थे ।

(व्यवधान)

मैं स्थिति के अनुकूल जो परिस्थिति थी उसके अनुकूल कह रहा था लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते थे । अब स्थिति बदल गयी है, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं ।

[सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के स्थान पर किसी अन्य प्रश्न का उत्तर पढ़ देने पर व्यवधान]

श्री अध्यक्ष–

कृपया भविष्य में याद रखें । (घोर व्यवधान)

मैं कह रहा हूं, मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि अगर कोई माननीय मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं और आपको अधिकृत किया गया है तो कृपा करके यह देख लीजियेगा कि कौन सा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न पुकारा गया है, कौन सा उत्तर दे रहे हैं, इस पर सतर्क रहियेगा भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी तारांकित प्रश्न संख्या एक का उत्तर पढ़ियेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, है ही नहीं ।

(घोर व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यहां नगर विकास मंत्री उत्तर देते थे लेकिन कोई अपरिहार्य कारण होगा, आप प्रश्न को स्थगित कर दीजिये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अपरिहार्य कारणों के लिए सदन में क्षमा नहीं किया जा सकता है, आपको निर्देश देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्देश दे दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं सुन नहीं पाया हूं फिर से बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्देश यह दे दिया है कि अगर कोई माननीय मंत्री जी उपस्थित नहीं है और किन्हीं दूसरे माननीय मंत्री जी को अधिकृत किया गया है, उनको समय पर उपस्थित रहकर उत्तर देना चाहिए, भविष्य में इस तरह की कोई असावधानी नहीं होनी चाहिए । इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–2 (नत्थी 'ख') पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब मैंने प्रश्न स्थगित कर दिया है और निर्देशित कर दिया तो अब क्या बात रह गयी है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री को सम्मानित सदन से खेद प्रकट करना चाहिए । यह सदन के सम्मान का विषय है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने कृपापूर्वक इस प्रश्न को स्थगित कर दिया । इसकी विधिक प्रक्रिया यह हुई कि यह 15 दिन के बाद फिर लग जायेगा । यह पेयजल की समस्या के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल था, यह अब 15 दिन तक लम्बित रहेगा ।

(व्यवधान)

(नगर विकास राज्य मंत्री श्री सन्त बक्स रावत के सदन में आ जाने पर)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय नगर विकास राज्य मंत्री आ गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब तो इसे स्थगित कर दिया है, अब आने का क्या औचित्य रहा, समय से आना चाहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जैसा कि पाल साहब ने भी कहा, प्रश्न स्थगित होता या नहीं होता, सवाल अध्यक्ष पीठ की अवमानना का है । मंत्री जी किसी अपरिहार्य कारण से अनुपस्थित थे, उन्हें अपनी अनुपस्थिति के संबंध में आपको सूचित करना चाहिये था । आपने जो एक व्यवस्था दी, उस पर सरकारी पक्ष की प्रतिक्रिया पता नहीं लगी । मान्यवर, जैसा कि पाल जी ने भी कहा, संसदीय कार्य मंत्री जी को उन मंत्री की तरफ से क्षमा याचना करनी चाहिये और सदन को आश्वासन देना चाहिये कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी । अध्यक्ष पीठ के सम्मान के लिये यह आवश्यक है कि इस तरह की व्यवस्था करायें कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सदन के सभी माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा कि यदि उनकी राय हो तो इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उत्तर दिलवा दीजिये ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपकी पीठ की अवमानना हुई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ की अवमानना के बारे में आपने क्या व्यवस्था दी है, आपके सम्मान के खिलाफ जो यह काम हुआ है, उसमें आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है, कृपया उसके बारे में व्यवस्था दे दें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मंत्री जी के अनुपस्थित रहने पर आप निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा मेरी बात भी तो सुन लीजिये, नहीं तो प्रश्नकाल ऐसे ही समाप्त हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों की सूची का प्रश्न संख्या–2 जो उत्तराखण्ड से संबंधित था, महत्वपूर्ण सवाल था, हमने रुचि भी प्रकट की थी, नियमों में भी ऐसा है कि अगर सदस्य रुचि रखते हैं तो उसे लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी उसमें रुचि है तो वह बाद में आयेगा । नियम तो आप पढ़ते नहीं हैं, बिना नियम के पढ़े आप शोर मचाना शुरू कर देते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने प्रश्न को स्थगित कर दिया । इस प्रश्न को पुनः ले लिया जाय, इसके बारे में आपने प्रश्न उपस्थित किया है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गलत परम्परा यहां पर न डाली जाय....

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये मैंने सदन से राय ली, अगर अकेले आप कहते हैं कि इसे स्थगित कर दें तो फिर माननीय सदन की भावना का कोई महत्व नहीं रह जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि स्थगित कर दिया जाय..

श्री अध्यक्ष–

सदन सर्वोपरि है, अगर सर्वसम्मति से कहेंगे वह मैं मानूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि स्थगित किये हुये प्रश्न को न लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय सदन से राय ली ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमें दुख है, जो चीज मैं कह रहा हूं, क्षमा करें, आपको जो सूट करे आप मान लें, यह पूरा सदन पूरा प्रतिपक्ष इस बात के लिये एकमत है कि इसके लिये संसदीय कार्य मंत्री को क्षमा याचना करनी चाहिये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री क्षमा याचना मांगें, यह आप निर्देश दें । मैंने यह कहा कि इस प्रश्न को ले लें लेकिन यह परिपाटी न बने, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को ले लें । मान्यवर, सदन की मंशा, पूरे प्रतिपक्ष की मंशा यह है कि संसदीय कार्य मंत्री को क्षमा याचना करनी चाहिये ।

आपके सम्मान की रक्षा के लिये अपनी ओर से एवं पूरे विपक्ष की ओर से मैं शासन की निन्दा करता हूं ।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने एवं बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, कोई अपरिहार्य कारण होंगे जिस कारण नगर विकास राज्य मंत्री उपस्थित नहीं हो सके । अब यह उपस्थित हो गये हैं अगर आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कारण है कि जो वह विलम्ब से आये । मान्यवर, प्रश्न प्रहर विपक्ष के लिए अति महत्वपूर्ण होता है । अतः इसमें ज्यादा समय नष्ट न किया जाय और क्षमा याचना करने वाले कोई और संसदीय कार्य मंत्री रहे होंगे । हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह सरकार गल्ती भी कर रही है और क्षमा भी नहीं मांग रही है और उद्दंड व्यवहार भी कर रही है ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह पूरे विपक्ष के भागीदार नहीं हैं, नही ठेकेदार हैं । यह प्रतिगामी शक्तियां हैं अपने साथ दूसरों को न जोड़ें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायं । आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं । नहीं सुनते हैं तो बोलते रहिये । यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी को उत्तर देने के लिये पुकार रहा हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह बड़े ही खेद का विषय है और यहां पर सदन की परम्परा का निर्वाह नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने सरकार को निर्देश दे दिया । आप लोग अव्यवस्था फैला रहे हैं । अगर अव्यवस्था ही फैलानी है तो फैलाते रहिये । नुकसान तो आप ही लोगों का होगा । यह सदन नियमों से चलेगा, बिना नियमों के यह सदन नहीं चल सकता है । माननीय बदन सिंह जी आप बैठ जायें । मैंने माननीय मंत्री जी को उत्तर देने के लिये पुकार लिया है । आप कृपया उन्हें उत्तर देने दें ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री संतबख्श रावत)–

मान्यवर, सबसे पहले तो मुझे इस बात का खेद है कि मैं विलम्ब से यहां पर उपस्थित हुआ क्योंकि मेरी लिफ्ट खराब हो गयी थी । माननीय मंत्री जी द्वारा नत्थी (ख) का प्रश्न संख्या–2 पढ़ने पर ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इनसे पूछ लें कौन सी लिफ्ट से यह आये हैं ?

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, पहले यह तो बतायें कि प्रश्न संख्या–1 स्थगित हुआ है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी जब सदन की राय थी और प्रश्न सं०-1 पढ़ने को कहा गया था तो फिर आप प्रश्न संख्या–2 क्यों पढ़ने लगे ? कृपया ध्यान रखा करें और अपने बगल में बैठे हुए साथियों से भी पूछ लिया करें ।

श्री संत बख्श रावत–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी खड़े थे इसलिये मैंने प्रश्न संख्या–2 पढ़ना शुरू कर दिया था क्योंकि यह प्रश्न उन्हीं का था।

श्री अध्यक्ष–

आप आरोप लगा रहे हैं। मैं इस पर सदन से पुनः आग्रह करूंगा। आप कहते हैं कि सदन ने कोई आज्ञा नहीं दी है। मैं कहना चाहता हूं कि सदन की आज्ञा सर्वोपरि है। मैं माननीय सदन से यह राय लेना चाहूंगा कि क्या प्रश्न संख्या–1 लिया जाय या नहीं ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात को तोड़-मरोड़कर नहीं लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप सदन का पूरा समय नष्ट करते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

और जो कुछ बाकी हो, वह भी कह दीजिये। आप अनावश्यक टीका-टीप्पणी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप चाहें तो मत विभाजन की मांग कीजिये। आप जो कहते रहे, वही होता रहे, यह नहीं होगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

(प्रश्न संख्या–1 का माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़े जाने पर)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लखनऊ पश्चिम में हैण्ड पम्प लगाने की विचाराधीन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की बस्तियों में हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग

*1–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि गांवों में अनुसूचित जाति की बस्तियों में विशेष रूप से इंडिया मार्क–II हैण्ड पम्प लगाने की योजना है तथा लखनऊ जनपद के लगभग सभी अनुसूचित जाति की बस्तियों में हैण्ड पम्प लगा भी दिये हैं ? यदि हां, तो लखनऊ पश्चिम में स्थित लगभग 100 अनुसूचित जाति की बस्तियों में पेयजल की समस्या को देखते हुए क्या अतिरिक्त हैण्ड पम्प लगाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह हैण्ड पम्प कब तक लगा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सन्त बख्श रावत)–

जी हां।

लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 90% अनुसूचित जाति बस्तियों में हैण्ड पम्प लगा दिए गये है ।

लखनऊ नगर (पश्चिम) में अनुसूचित जाति बस्तियों में अतिरिक्त हैण्ड पम्प लगाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है न ही अनुसूचित जाति बस्तियों में हैण्ड पम्प लगाने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम ही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, पूरे प्रदेश की नगरीय दलित और मलिन बस्तियों की नारकीय स्थिति है । उनको जितनी सुविधा मिलनी चाहिये, उसका एक अंश भी नहीं मिल रहा है । लखनऊ पश्चिम और लखनऊ पूरब में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके घरों में पाइप की टोटी नहीं है, कोई साधन नहीं है, यह लोग एक कमरे या झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं । यह सरकार कहती है कि दलितों-पिछड़ों की सरकार है .....

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, जनता को इनसे बड़ी उम्मीदें है कि दलितों, हरिजनों के लिये कोई विशेष व्यवस्था होगी । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार दलितों–पिछड़ों की मलिन बस्तियों के समग्र विकास हेतु विचार करेगी, यदि हां तो इस तरह की बस्तियों में नये तरीके से हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था करेगी ?

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह परम्परा सही नहीं है, आप लोग बैठ जायें ।

श्री संत बख्श रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों को ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये पूरी तरह से तत्पर है और इस दिशा में निरन्तर प्रयास किया जा रहा है । माननीय सदस्य ने जैसा कि प्रश्न में पूछा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि लखनऊ पश्चिम में जो अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं, उन बस्तियों में 18 इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प स्थापित किये जा चुके हैं ।

श्री स्वयंम्वर चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने लखनऊ में हैण्ड पम्प लगाने की बात कही है । मैं अपने जनपद सिद्धार्थ-नगर की बात कहना चाहता हूं कि वहां पर जो हैण्ड पम्प लगे हैं उनमें से 50 प्रतिशत हैण्ड पम्प दो-तीन वर्षों से खराब पड़े हुये हैं, उनको बनवाने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है । जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के हरिजन, दलित और सभी लोग हमें घेरते हैं और बिगड़े हुये हैण्ड

पम्पों को बनवाने की बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन बिगड़े हुये हैण्ड पम्पों को बनवाने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री संत बख्श रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न बड़ा व्यापक है, इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री दल बहादुर कोरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने केवल बिगड़े हुये हैण्ड पम्पों को बनवाने के बारे में जानकारी चाही है कि क्या सरकार इनको बनवाने की व्यवस्था करेगी, इसमें सूचना की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसमें हां, ना का जवाब दें।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शुक्ल जी, मैंने नरेश अग्रवाल जी को बुला लिया है। आप पुनः पूछ लीजिऐगा।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि शासन के पास योजना विचाराधीन है और अतिशीघ्र पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि शासन की नीति के अनुसार कितनी अनुसूचित जाति की आबादी पर आप एक हैण्ड पाइप देने की व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय शुक्ल जी ने समस्या केवल लखनऊ तक ही सीमित रखा है, लेकिन यह समस्या पूरे प्रदेश में है और इस समस्या के समाधान के लिये शासन ने कितने रुपये की व्यवस्था की है और कब तक पीने का पानी मुहैया करा देंगे ?

श्री संत बख्श रावत–

अध्यक्ष जी, शासन की जो पेयजल उपलब्ध कराने की नीति है, उसके अनुसार 250 की आबादी पर एक इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प स्थापित किया जाता है और प्रदेश की आवश्यकतानुसार हमारी सरकार तीन वर्षों में पूरे प्रदेश की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्ध है। यह जो हमारा बजट आ रहा है उसमें इसका प्राविधान है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, ने जो उत्तर दिया है, उसका संबंध शासन की नीति से है। एक तो माननीय मंत्री जी यह बता दें कि इस वित्तीय वर्ष में पेयजल की भीषण संकट को देखते हुये मलिन-बस्तियों के लिये कितने रुपये का प्राविधान किया गया है, दूसरे मान्यवर, यह बता दें कि प्रदेश में जो जगह-जगह पर हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं, उनके बारे में शासन का आदेश है कि स्थल चयन क्षेत्रीय विधायकों द्वारा कराया जाये, इसको अब न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी के प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं यह कह देना चाहूंगा कि अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कह दिया है कि सारे प्रदेश की पेयजल की संकट का निराकरण तीन वर्ष के अन्दर

तक कर दिया जायेगा, अब आप इस वर्ष कुछ प्रायरिटी के बारे में पूछ लीजिये कि प्रायरिटी के आधार पर क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दें कि शासन ने यह निर्णय लिया था ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दिलवा रहा हूं, आप अपना उत्तर नहीं चाहते है, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो मैंने निवेदन किया था, उसे आप सुन लें मामला बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे प्रदेश भर में इसकी वजह से तरह-तरह की बातें पैदा हो रही हैं । शासन ने निर्णय लिया था और इसी सदन में घोषणा भी की गयी थी कि क्षेत्रीय विधायक ही हैण्ड पम्पों के स्थल चयन का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । माननीय मंत्री जी इसको प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिये क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, स्थल चयन के सम्बन्ध में अपनी जानकारी दे दीजिए, अगर आपने कोई आदेश दिये हैं तो बता दीजिये ।

श्री संत बख्श रावत–

श्रीमन्, हम आदेश दे देंगे कि माननीय विधायक ही स्थल का चयन कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने गुप्त जी को बुला लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि प्रदेश में 250 की आबादी वाले गांवों में एक हैण्ड पम्प देना सम्भव नहीं है, यह एक विसंगति है, इस हेतु कोई योजना तैयार करके इसका निदान किया जाना चाहिए । बड़े पैमाने पर इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़े पड़े हैं । क्या नगरपालिका द्वारा इनमें सुधार किया जायगा । इस हेतु कोई फण्ड भी नहीं है । इन्हें ब्लाक स्तर पर या जल निगम द्वारा ठीक कराया जायगा । आदरणीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि बिगड़े हुये हैण्ड पम्पों को ठीक कराये जाने का उनके पास कोई प्राविधान नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या शासन कोई इस संबंध में नीति घोषित करेगी । ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़े पड़े हुये हैण्ड पम्पों को जल्दी ही ठीक कराये जाने की आवश्यकता होगी क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और पानी की जरूरत पड़ेगी । इस संबंध में युद्धस्तर से कार्य कराये जाने का कोई निर्णय लिया जायगा ? इस समय जो हैण्ड पम्प बिगड़े हुये पड़े हैं उन्हें तत्काल 15–20 दिन में ठीक कराने के लिये युद्धस्तर पर सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री सन्त बख्श रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे जो हैण्ड पम्प बिगड़े पड़े हैं उनको ठीक कराने के लिये जल निगम ने प्रत्येक विकास खण्ड में एक यूनिट बना रखी है और उसी के माध्यम से जहां-जहां खराब होने की सूचना मिल रही है, वहां पर ठीक करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहां की सूचनायें आयेंगी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ठीक करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में अगर अन्तिम प्रश्न पूछना चाहें तो पूछिये।

(व्यवधान)

मैं आगे का प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश के खारा पानी को मीठे पानी में बदलने हेतु कतिपय जनपदों में प्लान्ट लगाये जाने की मांग

*2–श्री बदन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के खारा पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने हेतु वाटर टेक्नोलोजिकल मिशन सेन्टर जनपद आगरा, उन्नाव, रायबरेली, मिर्जापुर में स्थापित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उन जनपदों में खारा पानी को मीठा पानी में बदलने के प्लान्ट लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्त बख्श रावत–

भारत सरकार के टैक्नालाजी मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 4 जनपद क्रमशः मिर्जापुर, आगरा, सुल्तानपुर एवं उन्नाव सम्मिलित हैं। जनपद रायबरेली टैक्नालाजी मिशन के अन्तर्गत नहीं आता है।

जी नहीं।

इन जनपदों में किसी भी स्थान पर खारे पानी को मीठे पानी में बदलने हेतु कोई संयंत्र नहीं लगाया गया है क्योंकि जनपद रायबरेली एवं मिर्जापुर में खारे पानी की कोई समस्या नहीं है। जनपद आगरा एवं उन्नाव में जहां खारे पानी की समस्या है वहां पर गहरे हैण्ड पम्प अथवा पाइप पेयजल योजना का प्रयोग कर समस्या का हल किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आपने प्रश्न संख्या–2 को पढ़ा।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। यह उत्तर असंगत और अर्थहीन है। मेरी मूल भावना यह थी कि प्रदेश में खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने हेतु वाटर टैक्नोलोजिकल मिशन सेण्टर के अन्तर्गत कोई प्लान्ट्स लगाया गया है। अगर प्लान्ट नहीं लगाया गया है तो इसके न लगाये जाने के क्या कारण हैं ? मान्यवर, प्रदेश के अधिकांश जिलों में खारा पानी है उसको मीठे पानी में परिवर्तित करने के लिये क्या गहरे हैण्ड पम्प या पाइप पेयजल योजना लगायी जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह यह बता दें कि वाटर

टैक्नोलोजिकल मिशन सेण्टर के लिये धन आवंटित हो गया है ? गहरे हैण्ड पम्प अथवा पाइप पेयजल योजना लगाने के लिये कितना समय लगेगा या इसके अन्तर्गत और भी कोई योजना लगा दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

क्या इस संबंध में बजट में कोई प्राविधान हुआ है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरे जिले से भी संबंधित है यह प्रश्न ।

श्री सन्त बख्श सिंह–

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, अब मैं माननीय मंत्री जी से एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसमें सूचना एकत्र करने की जरूरत नहीं है । जिन गहरे हैण्ड पम्पों व पाइप लाइन योजनाओं को लगवाने का इन्तजाम किया जा रहा है, उन गहरे हैण्ड पम्पों व पाइप लाइनों में आगरा में पानी खारा हो गया है । इसलिए उस खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने के लिये क्या यह सरकार प्लान्ट लगवायेगी ?

श्री सन्त बख्श रावत–

मान्यवर, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है ?

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–3 लिये जाने पर)

(श्री बदन सिंह व डा० सरजीत सिंह डंग के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय मंत्री जी ने गलत बयानी की है और मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा रही है । इसलिए इसके विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(डा० सरजीत सिंह डंग सदन त्याग कर चले गये)

(परिवहन मंत्री द्वारा प्रश्न संख्या–3 का उत्तर पढ़े जाने के मध्य)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, यदि आप प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो मैं इसे नियम–49 में दे रहा हूं । इस पर आप चर्चा करवा दें ।

उ० प्र० रा० स० प० निगम में घाटे को पूर्ण करने के लिए 'ऐक्शन प्लान' बनाये जाने की मांग

*3–श्री हृदय नरायण, श्री मित्रसेन यादव तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम इस समय घाटे में है ? यदि हां, तो कितने घाटे में है और इस घाटे के प्रमुख कारण क्या हैं ? सरकार ने बस सेवाओं को जनोपयोगी बनाने व घाटे को कम करने की दृष्टि से क्या कोई "ऐक्शन प्लान" बनाया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

जी हां ।

निगम की स्थापना से लेकर अब तक उसे रु० 303.75 करोड़ की वर्तमान हानि हुई है ।

परिवहन निगम में घाटे के प्रमुख कारण निम्नवत् हैं:–

1–कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के साथ-साथ निगम द्वारा प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों तथा कलपूर्जों, टायर, ट्यूब्स एवं फ्लैप्स, एल्यूमीनियम, पेट्रोल, डीजल एवं लुब्रीकेन्ट्स के मूल्यों में वृद्धि होना ।

2–परिवहन निगम की संचालन लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में निगम बसों के किराये में वृद्धि न होना

3–राष्ट्रीयकृत निगम के मार्गों पर निजी वाहनों के अनधिकृत संचालन से निगम को राजस्व की हानि होना ।

4–समय-समय पर प्रदेश में हुए विभिन्न जन आन्दोलनों के कारण भी निगम को हानि उठानी पड़ती है ।

5–निगम द्वारा कुछ ऐसे मार्गों पर बसों का संचालन किया जाता है जहां निगम को हानि होती है, परन्तु जनोपयोगी सेवा होने के कारण ऐसे मार्गों पर बसों का संचालन बन्द नहीं किया गया, जैसे पर्वतीय संचालन ।

जी हां ।

बस सेवाओं को जनोपयोगी बनाने व घाटे को कम कर ने की दृष्टि से जो "ऐक्शन प्लान" बनाया है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं:–

1–आय में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं । इसके अन्तर्गत निगम की बस उपयोगिता तथा लोड फेक्टर में वृद्धि एवं नियमित व समय-बद्ध संचालन पर बल दिया जा रहा है ।

2–निगम द्वारा संचालित प्रत्येक मार्ग के प्रतिफलों की गहन विश्लेषण कर अलाभकारी मार्गों पर संचालित सेवाओं की री-शेड्यूलिंग का कार्य कराया जा रहा है ।

3–निगम की बसों का सभी निर्धारित स्टापेजों में रुकना तथा वहां से यात्रियों का उठना सुनश्चित किया जा रहा है ।

4–किराये की चोरी रोकने के ध्येय से मार्गों पर संचालित सेवाओं की सघन व आकस्मिक चेकिंग कराई जा रही है ।

5–राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के अनाधिकृत संचालन की रोकथाम हेतु पुलिस व जिला प्रशासन के सहयोग से चेकिंग अभियान विभिन्न जनपदों में चलाया जा रहा है ।

6–व्यय को कम करने हेतु व्यय नियंत्रण की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । जैसे शासन द्वारा मितव्ययता के संबंध में दिये गये निर्देशों को कड़ाई से पालन किया जा रहा है, वैश-फलो के माध्यम से क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जा रहा है । ईंधन बचाओ अभियान के माध्यम से ईंधन पर हो रहे व्यय पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है आदि ।

7–यात्रियों को और अधिक बस सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से तथा अनधिकृत संचालन को रोकने की दृष्टि से निगम द्वारा अनुबन्धित बसों का संचालन प्रारम्भ किया गया है।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, प्रश्न बहुत बड़ा है और उत्तर भी दो पेज में आया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के घाटे को पूरा करने के लिए जो उत्तर दिया गया है, उसमें पेज नम्बर–2 पर एक खास बात कही गई है कि "राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के अनाधिकृत संचालन की रोकथाम हेतु पुलिस व जिला प्रशासन के सहयोग से चेकिंग अभियान विभिन्न जनपदों में चलाया जा रहा है।"

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से भी इस प्रकार का कोई अभियान चलाया जा रहा है जिससे अनधिकृत बसों का संचालन रोका जा सके।

दूसरी बात बसों का करटेलमेंट बहुत होता है, बिना आदेश के करटेलमेंट हो जाता है। तो बसों के सुचारुरूप से संचालन के लिये क्या उपाय किये हैं ?

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, कई सप्लीमेंट्री सवाल हैं जिसमें एक यह है कि बसों का सुचारुरूप से चालन हो, तो उसके लिये मीटिंग होती हैं और आदेश दिये जा चुके हैं, पहले व्यवस्था बहुत खराब थी उसको सुधारने में थोड़ा समय लग गया। आने वाले कम समय में बसें समय से पहुंचेंगी। जहां तक रुकने का प्रश्न है जहां उन्हें रुकना चाहिये वहां रुकेंगी और जहां नहीं रुकना चाहिये वहां नहीं रुकेंगी।

श्री हृदय नारायण–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

दुबारा पूंछ लीजियेगा, समय मिलेगा।

श्री हृदय नारायण–

दुबारा दूसरा प्रश्न करूंगा। मैंने इसमें सवाल किया था कि क्या उपाय किये हैं, तो वह बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

हृदय नारायण जी ने जो प्रश्न किया है क्या आप सूचना दे सकेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, समय ज्यादा लगेगा क्योंकि विभाग ने 11 उपाय किये हैं सब को पढ़ने में काफी समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय दीक्षित जी 11 उपाय हैं उनको पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा मित्रसेन जी को पूछ लेने दीजिये।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय दीक्षित जी और पाल साहब और मैंने प्रश्न जो पूछा था कि घाटे के क्या कारण है और उसको रोकने के क्या उपाय हैं ? तो उत्तर में 7 उपाय बतायें हैं । घाटे के कारण में नम्बर दो में बताया है कि परिवहन निगम की संचालन लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में निगम बसों के किराये में वृद्धि न होना । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वृद्धि का प्रस्ताव है ? आपने कहा है कि खर्चे के अनुपात में किराये में वृद्धि नहीं हुई है तो क्या सरकार किराये में वृद्धि करने जा रही है ?

दूसरा यह बता दें जैसा उत्तर के पहले भाग में लिखा है कल पुर्जों, टायर, ट्यूब में वृद्धि और चोरी से नुकसान हुआ है, तो बता दें कि चोरी से कितना नुकसान हुआ है उसको कैसे पूरा करेंगे ?

श्री आर० के० चौधरी–

घाटा जो हुआ है उसका जबाब हमने स्पष्ट दिया है और हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आइंदा इसे घाटा न हो । जहां तक चोरी का सवाल है उसके लिये हमने विशेष चैकिंग अभियान चलाया है । जहां तक भाड़े में वृद्धि की बात है वृद्धि नहीं की है इस समय यह विचाराधीन है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

कृपा पूर्वक मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी बाहर जैसा वक्तव्य दे रहे हैं समाचार पत्रों में अपने विभाग के बारे में (व्यवधान)

श्री राम तेज यादव–

आप प्रश्न पूछें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आपने अनुमति दी है मैं प्रश्न कर रहा हूं । कृपापूर्वक इनको नियंत्रित करें जो इनके सहयोगी हैं । इनकी ओथ करवा दें । माननीय दीक्षित जी और माननीय मित्रसेन यादव जी ने प्रश्न किये उनका उत्तर कृपापूर्वक दे दें ।

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्नों को पूछने का मा० सदस्यों को अधिकार है लेकिन उनके उत्तर आयेंगे कि घाटा भविष्य में नहीं होगा, भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जायेगी, जबकि इन सारी चीजों का खुलासा सदन में मंत्री जी को करना चाहिए कि यदि घाटा है तो क्यों है और उसको दूर करने की क्या व्यवस्था, क्या उपाय किये जा रहे हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर मंत्री जी स्पष्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप इसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दी है, इसलिये प्रश्न पूछें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने घाटे के कई कारण बताये हैं और उपाय 7 बताये हैं लेकिन कुछ तथ्य इन्होंने छिपाये हैं । मेरा मुख्य प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम में इस समय कुल कितनी बसें हैं और उनमें कितनी बसें खराब हैं और वह कितने समय से खराब हैं तथा इन्हें ठीक करने की जो कार्यशालायें हैं उनमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

दूसरा प्रश्न है कि घाटे के प्रमुख कारणों में हड़ताल का कारण मुख्य रहा है जबकि आवश्यक सेवाओं में प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, इसलिये विगत तीन वर्षों में कितने दिन हड़ताल हुई जिसके कारण कितना घाटा हुआ ?

तीसरा प्रश्न है नई सरकार ने व्यवस्था किया है कि बसों की चेकिंग पुलिस नहीं करेगी जबकि उसके सहयोग से अनएथराइज्ड बसों की चेकिंग जारी है, तो इसमें विरोधाभास क्यों है ?

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, श्री पाल जी ने कई सवाल एक साथ पूछे हैं । अन्तिम सवाल का जवाब है कि हमने आदेश दिया है कि गाड़ियों के परमिट, रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन के पेपर पुलिस नहीं चेक करेगी और अब चेक करना बन्द कर दिया है लेकिन यदि माननीय सदस्यों को खबर हो तो सूचना देंगे तो हम कार्यवाही करेंगे ।

इसके साथ ही जो अभियान अभी चल रहा है प्रशासन और पुलिस के सहारे पूरे प्रदेश में एक साथ अभियान चेकिंग का चला जिससे अनाधिकृत गाड़ियां न चलें जिसमें डी० एम० 'और दूसरे अधिकारियों का सहयोग लिया गया है लेकिन गाड़ियों के पेपर चेक करने की पावर आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० को है । पुलिस अपने आप कोई पेपर चेक नहीं करेगी ।

मान्यवर, बसों की कुल संख्या 8,020 है जिसमें 80 प्रतिशत बसें आन-रोड हैं । और जहां तक हड़ताल की बात है, घाटे के तमाम कारण हैं, उसमें से ढेर सारे कारण के जवाब लिखित आए हैं । कुछ कारण ऐसे भी हैं, जो हो सकता है कि माननीय सदस्य के दिमाग में हों कि मैंने उन्हें बताया नहीं है तो मैंने कोई कारण छिपाया नहीं है । एक कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी [x x x] है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं ।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो गये ।)

गुप्त जी, आप अपने सदस्यों से बैठने के लिए कहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप पहले मेरी बात सुन लें । (पार्टी के सदस्यों के बैठ जाने पर) माननीय मंत्री जी के उत्तर में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना उत्तर से अप्रासंगिक नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु यदि अनर्गल है तो कृपा कर इसको कार्यवाही से निकाल दें और उनको टोंके कि भविष्य में वह इस प्रकार की अप्रासंगिक बातें न कहा करें । उनका आरोप उत्तर से संगत था तो हमें स्वीकार है, और संगत नहीं था तो यह शब्द कार्यवाही से निकाल देने चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने स्वयं मना कर दिया था कि इस तरह की बात नहीं होंगी ।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, यदि इस तरह के लांछन किसी भी दल की ओर से आएंगे तो सबको ही कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने आपत्ति कर दी, अगर यह आरोप लगाना प्रश्नों के उत्तर से संगत है तो कार्यवाही में रहना चाहिए, लेकिन यदि बिना मतलब अनर्गल रूप से किसी पार्टी को साम्प्रदायिक या जातिवादी कहेंगे, तो .....

(घोर व्यवधान)

इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह बात एक बार नहीं कई बार मैंने कही है... (व्यवधान) कई बार आरोप हुए हैं यहां....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आरोप की चिन्ता नहीं करता हूं । यदि यह आरोप प्रश्न के उत्तर से संगत था .....(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण–

माननीय गुप्त जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, किन्तु प्रश्नों के समय में व्यवस्था के प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं, नहीं उठते रहे हैं । माननीय गुप्त जी तो संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, उनके समय में जब कभी हमने व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो उन्होंने यही कहा है । उन्होंने तो हमें मार्ग दर्शन दिया है–प्रश्नों के समय में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाते हैं । यहां अगर उनको कोई कष्ट हुआ है तो इस प्रश्न प्रहर के बाद उसको उठावें तो ठीक रहेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने इस व्यवस्था में उठाया ही नहीं है... (व्यवधान) तब तक कार्यवाही नहीं चलेगी, जब तक यह शब्द कार्यवाही से नहीं निकाला जाएगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह लोग उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इस तरह से प्रश्नों के बीच में व्यवस्था का प्रश्न उठाना हम समझते हैं अच्छा नहीं है । उत्तर कोई आता है और उससे आपकी भावनाओं को कोई कष्ट पहुंचता है तो अनुपूरक प्रश्न के माध्यम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

से दूसरा सवाल करना चाहिए । क्या ऐसा नहीं है कि 1992 में साम्प्रदायिक दंगों के कारण 1 करोड़ 60 लाख रुपये का घाटा हुआ था । यह किन लोगों के कारण हुआ, किस पार्टी के कारण हुआ, कहने की जरूरत नहीं है । दुनिया खुद जानती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

दंगें हमने कराये ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

चोर की दाड़ी में तिनका । हम तो यह कह रहे हैं कि उस समय साम्प्रदायिक दंगों के कारण 1 करोड़ 60 लाख रुपये का घाटा हुआ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उत्तर में यह हम मान लेते हैं कि उस समय घाटा हुआ है परन्तु यह तो कह रहे हैं कि बी०जे०पी० साम्प्रदायिक पार्टी है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन मंत्री से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं । आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

बाद में आप कह लें ।

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री अमरजीत सिंह जनसेवक, डा० रामबाबू हरित, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया और अन्य कई सदस्य सदन के वेल में आ गये और "तानाशाही नहीं चलेगी," इस तरह से सदन नहीं चलेगा के नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 12.20 तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

शुक्रवार दि० 18-3-94 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न–†

*श्री राम कुमार शुक्ल–

[दि० 4-3-94 को अता० प्र० सं० 27 द्वारा उत्तरित]

---

† उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी शेष प्रश्न उत्तरित माने गये ।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक खुटार के ग्राम सुल्तानपुर में आंधी से गिरे खम्भों की पुर्नस्थापना कर विद्युत व्यवस्था किये जाने की मांग

*2–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक खुटार के ग्राम सुल्तानपुर में मई, 1992 में आंधी से गिरे 17 खम्भों की पुनर्स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है ? क्या यह सही है कि यह क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित है ? यदि हां, तो वहां पर विद्युत की व्यवस्था न किये जाने के कारण क्या हैं ? खम्भों की पुनस्थापना वहां पर कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शाहजहांपुर के ब्लाक खुटार के ग्राम सुल्तानपुर में मई, 92 में आंधी से गिरे 17 खम्भों की पुनः स्थापना अभी तक इस कारण नहीं हुई है कि उपरोक्त ग्राम में किसी भी ग्रामवासी ने घरेलू बत्ती, पंखों हेतु कोई कनेक्शन नहीं लिया है । यह क्षेत्र सामान्य तौर पर आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित है । बिना कनेक्शन के सामग्री चोरी होने की सम्भावना है । विद्युत आपूर्ति पर्याप्त संख्या में कनेक्शन प्राप्त होने पर निर्भर है ।

वाराणसी जल संस्थान द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जल कनेक्शन दिया जाना एवं जल की आवश्यकता

*3–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जल संस्थान द्वारा किन श्रेणियों के अन्तर्गत कितने-कितने जल कनेक्शन दिये गये हैं ? इनके अनुसार कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता है और कितनी मात्रा में जलापूर्ति की जा रही है ? दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हाईजोन वाले कौन से मोहल्ले हैं जहां की जनता वर्षों से घोर जल कष्ट भोग रही है ? क्या जल विहीन क्षेत्रों की जनता को जलकर अदा करने से मुक्ति देना सम्भव होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)–

वाराणसी जल संस्थान द्वारा श्रेणीवार निम्न अनुसार जल संयोजन दिये गये हैं :––

(1) घरेलू		
(अ) मीटर्ड	...	27196
(ब) अनमीटर्ड	...	27096
(2) अघरेलू	...	9654

वाराणसी नगर की वर्तमान में लगभग 12 लाख की आबादी के लिये 324 मिलियन लीटर प्रति दिन पानी की आवश्यकता है । वर्तमान में 220 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जा रही है ।

वाराणसी शहर के दक्षिणी विधान सभा के हाईजोन वाले सर्वाधिक प्रभावित मोहल्लों–सतटोला, दूध, विनायक, नारायण दीक्षित लेन, गणेश दीक्षित लेन, मीरघाट, त्रिपुरा भैरवी, लाहौरीटोला, रानी भवानी, सकरकन्दगली, टेढ़ीनीम, राणामहाल व सरस्वती फाटक आदि में नगर में अन्य क्षेत्रों की तुलना में ऊचें-नीचे बसे होने के कारण कम दबाव पर जलापूर्ति हो रही है ।

जलकर अदा करने से मुक्ति देना सम्भव नहीं है, क्योंकि उ० प्र० जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत ऐसे सभी भवनों पर जलकर देय है, जो जल संस्थान के जल श्रोतों-यथा स्टैण्ड पोस्ट, हैण्ड पम्प एवं पाइप लाइनों से 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आते हैं एवं इन क्षेत्रों में नगर के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम दबाव पर जल उपलब्ध हो रहा है । अतः उल्लिखित मुहल्ले इस टैक्स की परिधि में आते हैं ।

जनपद बरेली शहर में स्वीकृत ट्रान्सपोर्ट नगर को क्रियान्वयन किये जाने की मांग

*4–कुं० सर्वराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली शहर में ट्रान्सपोर्ट नगर बनाने की योजना शासन द्वारा स्वीकृत है । यदि हां, तो अब तक इस योजना का क्रियान्वयन न किये जाने का क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रस्तावित योजना हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है ।

जी हां, निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र वीरापुर में विकास खण्ड शिवगढ़ व पट्टी के गांवों के खारे पानी को शुद्ध करने की योजना

*5–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र वीरापुर प्रतापगढ़ में विकास खण्ड शिवगढ़ व वि० ख० पट्टी के तमाम गांवों के खारे पानी को शुद्ध करने संबंधी कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

सम्भावित खारे पानी वाले ग्रामों का रसायनिक परीक्षण कराया गया जिसके परिणाम फरवरी, 94 में प्राप्त हुए हैं जिनमें 12 ग्रामों में खारा पानी पाया गया । वित्तीय संसाधन एवं शासन की नीति के अनुसार इनके बारे में निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की विषम परिस्थितियों की जांच हेतु समिति गठित किये जाने की मांग

*6–इन्जीनियर राम लोटन सिंह पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री प्रदेश के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की विषम परिस्थितियों की जांच हेतु कोई समिति गठित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उस समिति की रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु अलग से रणनीति बनायेगी । यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रदेश की पेयजल आपूर्ति जिनमें पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र शामिल हैं, की जांच हेतु विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया जाता है । विगत सर्वेक्षण वर्ष 1991-92 में कराया गया है । तथ्योक्ति परिस्थिति में इस

हेतु अलग से समिति गठित किये जाने की अथवा अलग से रणनीति निर्धारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है । सर्वेक्षण आख्या पर कार्यवाही धन की उपलब्धता पर की जाती है ।

मेरठ नगर पालिका द्वारा विज्ञापन एजेन्सीज से विज्ञापन कर लेकर विज्ञापन पट्ट लगाने की आज्ञा प्रदान करके अतिक्रमण के नाम पर उन्हें हटाया जाने एवं करदाताओं के हितों की रक्षा हेतु कदम उठाये जाने की मांग

*7–श्री अमित अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मेरठ नगर महापालिका द्वारा विज्ञापन एजेन्सीज से विज्ञापन कर/शुल्क लेकर होर्डिंग्स (विज्ञापन पट्ट) लगाने की आज्ञा प्रदान की जाती है और फिर अतिक्रमण के नाम पर उनके खम्भों को काटकर धरती से अलग कर विज्ञापन पट्टों को गोदामों मे डाल दिया जाता है ? क्या सरकार द्वारा ऐसे करदाताओं के हितों की रक्षा हेतु कोई कदम उठाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

नगर महापालिका मेरठ द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के अन्तर्गत महापालिका के मुख्य मार्गों पर केवल उन होर्डिंग्स/ विज्ञापन पटों को हटाया जाता है जो विज्ञापन एजेन्सीज द्वारा बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करने या गलत स्थानों पर इस प्रकार से लगा दिये जाते हैं जिससे सामान्य यातायात में बाधा उत्पन्न होती है ।

जी हां, नगर महापालिका द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

ऐसी एजेन्सियों से समझौता शुल्क लेकर विज्ञापन पट्ट लगाने की अनुमति नगर महापालिका द्वारा दी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वर्ष 93-94 के दौरान गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य एवं उस पर हुये परिव्यय की जानकारी

*8–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 93-94 के दौरान प्रदेश के कितने गांव का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य बनाया गया है ? अभी तक इस वर्ष के कितने गांवें में लक्ष्य के विपरीत विद्युतीकरण हो गया तथा इस पर कुल परिव्यय कितना निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1993-94 में 650 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

वर्ष 1993-94 में माह फरवरी, 1994 तक 382 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है । 650 ग्रामों के लिए रु० 18.45 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास एवं विकास परिषद् की गाजियाबाद में वसुन्धरा योजना के लिए अधिगृहीत भूमि का घोषित अवार्ड एवं योजना में शामिल कृषकों का मुआवजा

*9–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या आवास एवं विकास परिषद् की गाजियाबाद में वसुंधरा योजना (हिन्डन कर) के लिये, अधिगृहीत भूमि का अवार्ड घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त योजना में शामिल किन-किन ग्रामों के किसानों का प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ऐसे अवार्डों से संबंधित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किये जाने की शासन की क्या

योजना है जिनका अवार्ड के समय प्रतिकर का सम्पूर्ण धन जिलाधिकारी कार्यालय में संबंधित विभाग ने जमा नहीं किया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

योजना में शामिल प्रहलादगढ़ी मकनपुर, अर्थला, झंडापुर, साहिबाबाद के किसानों को प्रतिकर वितरण हुआ है ।

अधिग्रहण से मुक्त किए जाने की कोई योजना नहीं है ।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत पिलखुआ नगर में पावर हैण्डलूम उद्योग को विद्युत सप्लाई करने की अवधि एवं निर्धारित विद्युत सप्लाई किये जाने की मांग

*10–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत पिलखुआ नगर में पावर हैन्डलूम उद्योग को विद्युत सप्लाई कितने घंटे दी जाती है ? क्या यह सही है कि विद्युत संबंधी अनियमितताओं के कारण पर्याप्त घंटे विद्युत सप्लाई नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर कब तक निर्धारित विद्युत सप्लाई कर दी जायेगी ? क्या रात्रि में पावर लूम, हैण्डलूम की दुकानों के लिए विद्युत सप्लाई के संबंध में कोई योजना शासन के विचाराधीन हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत पिलखुआ नगर में पावर हैन्डलूम उद्योग को औसतन 17-0 घंटे प्रतिदिन विद्युत सप्लाई की जाती है ।

जी नहीं । विद्युत सप्लाई पर्याप्त घंटे दी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पावरलूम व हैण्डलूम को रात्रि में पावर उपलब्ध करायी जाती है इसलिये इस प्रकार की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

उत्तरांचल क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर लगे मीटरों की रीडिंग किये बिना ही बिल भेजा जाना

*11–श्री बची सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल क्षेत्र में मीटर रीडरों के पर्याप्त पद न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर लगे मीटरों की रीडिंग किये बिना ही मनमाने आधार पर अधिक धनराशि के बिल उ० प्र० रा० वि० परिषद् द्वारा भेजे जा रहे हैं ? क्या सरकार सही मीटर रीडिंग के उपरान्त ही विद्युत बिल दिये जाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । उत्तरांचल क्षेत्र के दुर्गम मार्गों एवं भोगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पंखा बत्ती के बिलों को चार माह में रीडिंग के आधार पर बनाने का प्राविधान किया गया है चूंकि यह बिल काफी कम धनराशि के हैं और रीडिंग लेने में पर्याप्त समय एवं अधिष्ठान व्यय होता है । उपभोक्ता की सुविधा के लिये उस पर अधिक भार भी न पड़े इस हेतु 2 माह का एक बिल प्रोवीजनल, पिछले विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर, तथा दूसरा दो माह का बिल 4 माह की रीडिंग के आधार पर पूर्व निर्गत बिल की धनराशि समायोजन करते हुये भेजा जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता । चार माह में मीटर रीडिंग के आधार पर बिल दिये जा रहे हैं ।

संबंधित नहीं है ।

*12–श्री राजेश अग्रवाल–

[विभिन्न विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद महराजगंज की फरेन्दा टाउन एरिया को नगर पालिका एवं बानी व बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव

*13–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के फरेन्दा टाउन एरिया को नगरपालिका एवं बानी व बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रश्नगत स्थानों को नगरपालिका एवं टाउन एरिया बनाने की घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जनपद महराजगंज की फरेन्दा टाउन एरिया (अभिलेखों में आनन्दनगर टाउन एरिया अंकित) को नगरपालिका तथा धानी व बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाने के प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया परन्तु यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जा सके ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा की पेयजल योजना भगोसा तहसील मथुरा में नलकूप संख्या-प्रथम का पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की शिकायत

*14–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल योजना भगोसा तह० व जिला–मथुरा के नलकूप संख्या-प्रथम का पानी मीठा तथा स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है ? यदि हां, तो आम जनता को उस पानी की पूर्ति किए जाने का क्या कारण है ? यदि हां, तो अन्य नलकूप निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत समस्त खण्डों/प्रदेश उपक्रमों (अन्डर टेकिंग) द्वारा दी गई आडिट रिपोर्ट की जांच की मांग

*15–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत समस्त खण्डों/प्रदेश उपक्रमों (अन्डर टेकिंग) का पिछले 5 वर्षों में (1-4-88 से) कम्प्यूटर बिलिंग से संबंधित कम्प्यूटर [illegible] तैयार किया गया रिपोर्ट सं०–03, 04, 05 एवं 06 का आडिट किया गया है ? यदि हां, तो क्या आडिट करने वाले अधिकारियों ने रिपोर्ट सं०-03 में दर्शाई गई एवं घटाई गई धनराशियों के जोड़ व [illegible] से मिलान कराया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन समस्त अभिलेखों को सील करके ए० जी० आडिट इलाहाबाद से कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कार्यकारी अध्यक्ष नगर पालिका भदोही को गलत नाम से लड़ने के कारण कार्यवाही किये जाने की मांग

*16–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यकारी अध्यक्ष नगर पालिका भदोही, जिला वाराणसी ने नगर पालिका भदोही का चुनाव गलत नाम से लड़ा था ? क्या इसकी जांच आयुक्त वाराणसी ने करायी है और फर्जी नाम से चुनाव लड़ने के लिए दोषी पाये गये हैं ? क्या कार्यकारी अध्यक्ष नगरपालिका भदोही सलाउद्दीन अंसारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है ? क्या सरकार इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही कर उनकी सदस्यता समाप्त कर मुकदमा चलाने का आदेश आयुक्त वाराणसी को देगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

अधिसूचना संख्या–83/सत्रह–वि०–1–2(क) 3-1994, दिनांक 18-1-94 द्वारा नगरपालिका बोर्ड भदोही को विघटित किया जा चुका है । अतः कार्यकारी अध्यक्ष की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो गयी है । आयुक्त वाराणसी मण्डल के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष के विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा–171 एफ० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीतापुर रोड महायोजना स्थित जानकीपुरम् के सेक्टर "एफ" के पार्कों को विकसित किये जाने की मांग

*17–श्री छोटे लाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीतापुर रोड महायोजना स्थित जानकीपुरम् के सेक्टर "एफ" में कितने पार्क ऐसे हैं, जो विकसित नहीं हैं और जिनमें बड़े-बड़े गड्ढे हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त सेक्टर में कितने भूखण्ड ऐसे हैं, जिनमें गड्ढे हैं ? क्या उपरोक्त सेक्टर में सीवर एवं पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त पार्कों एवं भूखण्डों को पूर्ण रूप से कब तक विकसित किया जायेगा और सीवर एवं पानी की व्यवस्था कब से सुचारू रूप से चलेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दो पार्क ।

किसी भी भूखण्ड में गड्ढे नहीं हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निजी क्षेत्र की नगर बस सेवाओं को पूर्व की भांति रूटों तक चलाये जाने की मांग

*18–श्री उदयभान सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि परिवहन निगम द्वारा नगर बस सेवा बन्द किये जाने के बाद निजी क्षेत्र की जो नगर बस सेवायें चल रही हैं उनमें कई बसें उस रूट तक नहीं जाती हैं जहां इससे पहले निगम की बसें जाती थीं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन बस सेवाओं को पूर्व की भांति उन्हीं रूटों तक चलाये जाने की व्यवस्था हेतु आदेश प्रसारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

निजी क्षेत्र द्वारा संचालित नगर सेवा के लिये मार्गों का निर्धारण नेट पैक संस्था द्वारा किये गये अध्ययन एवं सम्बन्धित संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जनता की आवश्यकताओं को देखते हुये लिये गये निर्णयों के आधार पर किया गया है । इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि वे सभी मार्ग यथा संभव आच्छादित हो जायं जहां पर पहले परिवहन निगम की नगर बसें संचालित हो रही थीं । समय-समय पर जनता की मांग को देखते हुए आवश्यकतानुसार नये मार्गों का निर्धारण किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*19–श्री बदन सिंह–

[6ठे बुध में ता० प्र० सं०–6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लेसू में खण्डीय/मण्डलीय कार्यालयों में मुख्य अभियन्ता संवर्ग के किसी कर्मचारी का कार्यरत न होना

*20–श्री राम मूर्ति सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के मुख्य अभियन्ता संवर्ग के कितने कर्मचारी लेसू में खण्डीय व मण्डलीय कार्यालय में कार्यरत हैं ? कितने कर्मचारियों के पद उक्त कार्यालयों में स्वीकृत हैं ? क्या स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लेसू में खण्डीय/मण्डलीय कार्यालयों में मुख्य अभियन्ता संवर्ग का कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है ।

खण्डीय/मण्डलीय कार्यालयों में कर्मचारियों के कुल 3700 पद स्वीकृत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परियोजनाओं की मशीनों की ओवर हालिंग का मामला

1–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परियोजनाओं की मशीनों की ओवर हालिंग के लिये परियोजना स्तर पर निविदा काल किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? ओवर हालिंग के लिये किसको-किसको ठेके एक पक्षीय दिये जाते हैं तथा उसके क्या कारण हैं ? क्या यह सत्य है कि इस प्रकार का कार्य कर्मचारियों द्वारा भी लिया जा सकता है ? यदि हां, तो उनसे इस कार्य को न लेने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार द्वारा मशीनों के ओवर हालिंग के लिये परियोजना स्तर पर कर्मचारियों/अधिकारियों को यह दायित्व सौंपा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परियोजनाओं की मशीनों की ओवरहालिंग के लिये परियोजना स्तर पर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं । परन्तु कुछ विशेष कार्यों के निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की जाती हैं क्योंकि इन कार्यों को इनके उत्पादनकर्ता जैसे कि मै० बी०एच०ई०एल०/आई०एल०के० आदि ही सक्षम हैं । अतः ओवरहालिंग के ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु मै० बी०एच०ई०एल० को एकपक्षीय ठेके दिये जाते हैं । इसका कारण यही है कि मै० बी०एच०ई०एल० इन मशीनों के भारत में एकमात्र उत्पादनकर्ता हैं तथा इनको कल-पुर्जों की आपूर्ति एवं कार्य निष्पादन में विशेषज्ञता हासिल है जो कि किसी भी अन्य के पास उपलब्ध नहीं है ।

यह सत्य है कि ओवरहालिंग के कुछ कार्य कर्मचारियों के द्वारा भी कराये जा सकते हैं परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में दक्ष एवं विशेषज्ञ कर्मचारियों की उतनी संख्या में उपलब्धता नहीं है जितनी कि समय से ओवरहालिंग पूर्ण करने के लिये आवश्यक है, जिससे कि मशीन को त्रुटिरहित पुनः चालू किया जा सके । अब तक इस कार्य को कर्मचारियों द्वारा न कराने पर अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता ।

मशीनों के ओवरहालिंग के लिए परियोजना स्तर पर यह दायित्व कर्मचारियों/अधिकारियों को तब तक नहीं सौंपा जा सकता जब तक कि उचित संख्या में तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो जाते जो कि ओवरहालिंग की निश्चित अवधि में कार्य सम्पादन कर सकें ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (सिविल), ए–539, इन्दिरानगर ,लखनऊ कार्यालय में भविष्य निर्वाह निधि, समयबद्ध वेतनमान सम्बन्धी लम्बित मामले एवं अनियमिततायें बरतने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

2–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (सिविल), ए–539, इन्दिरा नगर, लखनऊ कार्यालय में नवम्बर, 93 तक भविष्य निधि (चिकित्सा उपचार हेतु) अग्रिम एवं समय बद्ध वेतनमान के कितने मामले, कब से लम्बित हैं तथा इसके क्या कारण

हैं ? क्या यह सत्य है कि संबंधित सहायक अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण खण्ड द्वितीय लखनऊ एवं क्षेत्रीय उप मुख्य लेखाधिकारी पारेषण मध्य द्वारा अनियमिततायें बरती गई हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मुख्य अभियन्ता (सिविल), ए–539, इन्दिरानगर, लखनऊ के कार्यालय में नवम्बर, 93 तक भविष्य निर्वाह निधि (चिकित्सा उपचार हेतु) अग्रिम का कोई मामला लम्बित नहीं था । समयबद्ध वेतनमान हेतु केवल श्री नन्द लाल जायसवाल, कनिष्ठ आलेख्यक का मामला मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), लखनऊ से स्वीकृति उपरान्त मुख्य अभियन्ता (सिविल), लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 26-10-93 को प्राप्त हुआ था जिस पर आवश्यक कार्यवाही उपरान्त समुचित आदेश दिनांक 28-1-94 को निर्गत कर दिये गये थे । अवशेष वेतन बीजक में कुछ आपत्तियां थी जिन्हें दूर करा कर सत्यापित करा दिया गया है तथा शीघ्र भुगतान हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शहरी विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ आगरा में लिपिकों के विरुद्ध मजिस्ट्रीयल जांच सम्बन्धी विधायक श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल का पत्र एवं कार्यवाही

3–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शहरी विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ, आगरा में पिछले दो वर्षों में कितने लिपिकों के विरुद्ध मजिस्ट्रीयल जांच की गई तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या इस संबंध में श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 30-12-93 जो कि अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

केवल एक लिपिक के विरुद्ध मजिस्ट्रीयल जांच की गयी । यह जांच नगर मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा उक्त लिपिक के स्थानान्तरण के संबंध में की गयी थी । मजिस्ट्रीयल जांच में लिपिक के विरुद्ध कोई जन शिकायत किसी स्रोत से प्राप्त न होने की पुष्टि तथा उसका आचरण सन्तोषजनक बताते हुए यह निष्कर्षित किया गया है कि लिपिक का स्थानान्तरण उपयुक्त नहीं था ।

जी हां ।

उक्त पत्र जिसमें श्री दिनेश चन्द्र शर्मा के स्थानान्तरण आदेश को मजिस्ट्रीयल जांच के आधार पर निरस्त करने की बात की गयी थी, को मु०क्षे०अ०, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया । आयुक्त, आगरा की संस्तुति के आधार पर उक्त लिपिक का आगरा से झांसी का स्थानान्तरण, निरस्त कर दिया गया । तदोपरान्त प्रशासनिक कारणो से उक्त लिपिक को नगर विद्युत वितरण मण्डल, आगरा

से आगरा क्षेत्र के अन्य मंडल/खण्ड में स्थानानतरित करने के आदेश मु०क्षे०अ०, आगरा को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ नगर में बढ़ती आबादी के कारण विद्युत व्यय को नियंत्रित करने हेतु ट्रांसफार्मरों की सुव्यवस्था किये जाने की मांग

4-श्री कृष्ण कुमार नवमान-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ नगर की आबादी के पिछले दिनों के भारी विस्तार से विद्युत तारों तथा ट्रांसफार्मरों पर काफी भार बढ़ गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि पिछले दिनों विभाग ने उपभोक्ताओं से लोड बढ़ाने की स्वीकृति के नाम पर भारी धन वसूल किया है ? यदि हां, तो क्या विभाग ने लोड के अनुसार तार तथा ट्रान्सफार्मर बढ़ाये हैं ? क्या यह सत्य है कि वहां पर आये दिन दुर्घटनायें तथा ट्रान्सफार्मरों का जलना जारी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी लोड के अनुसार ट्रांसफार्मर तथा तार बढ़ाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

अलीगढ़ नगर के विद्युत भार में गत तीन वर्षों 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में लगभग 17 मे० वाट विद्युत भार बढ़ा है।

जी नहीं।

उपभोक्ताओं के लोड बढ़ाने की स्वीकृति के बाद सिस्टिम लोडिंग चार्जेज, सर्विस कनेक्शन चार्जेज तथा जमानत धनराशि परिषद् के नियमानुसार ली गई है।

जी नहीं।

उपरोक्त इंगित अवधि में 33/11 केवी० स्तर में लगभग 12 एम०वी०ए० की क्षमता वृद्धि की गई है जो कि लोड में वृद्धि की तुलना में कम है। क्षमता वृद्धि के कार्यों का विवरण निम्न है :-

1-33/11 के०वी० मेडिकल उपसंस्थान की क्षमता बढ़ोत्तरी 2×3 एम०वी०ए० से 1×3+1×5 एम०वी०ए०

2-नया 33/11 के०वी० उपसंस्थान गांधी पार्क का निर्माण 1×5 एम०वी०ए०

3-नया 33/11 के०वी० औद्योगिक क्षेत्र उपसंस्थान का निर्माण 1×5 एस०वी०ए०

जी नहीं।

कभी कभी स्टेवायर में करेन्ट आने, तार टूटने, विभागीय कार्य करते समय चोट लग जाने के कारण गत तीन वर्षों में 27 विद्युत दुर्घटनायें हुई हैं। कभी-कभी अधिक भारित होने, शार्ट सर्किट होने आदि के कारण ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। गत तीन वर्षों में 41 नं० ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुये हैं।

नगर की विद्युत प्रणाली के सुधार के लिये नये उपसंस्थानों तथा लाइनों के निर्माण के लिये 5 करोड़ रुपये की एक स्कीम बनाई गई है जिसका क्रियान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

अलीगढ़ नगर की सड़कों के दोनों किनारों पर नालियों का निर्माण किये जाने की मांग

5–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ नगर की अधिकांश सड़कों के दोनों ओर गन्दे पानी के बहाव के लिये नाली नहीं है तथा क्या यह भी सत्य है कि नगर की सीमा के अन्दर के प्रमुख राज्य मार्गों तथा राष्ट्रीय मार्गों के दोनों ओर भी नाले न होने के कारण पानी सड़कों पर बहता है तथा सड़कों की मरम्मत पर करोड़ों रुपया व्यय होता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सड़कों के दोनों ओर नाले, नालियों का निर्माण कराने की कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

अलीगढ़ नगर की अधिकांश सड़कों के दोनों ओर नालियां तो बनी हैं, लेकिन निकासी हेतु बड़े नाले एवं नालियों की व्यवस्था नहीं है । नगर के समीप कोई वृहत्त नाला अथवा नदी नहीं है । नगर पालिका सीमान्तर्गत राष्ट्रीय मार्ग जी०टी० रोड तथा प्रमुख राज्य मार्ग आगरा रोड, रामघाट रोड और अनूपशहर रोड आदि पर नाले न होने के कारण बरसात के पानी की समुचित निकासी नहीं हो पाती है जिससे कि बरसात के दिनों में पानी सड़कों पर एकत्र हो जाता है फलस्वरूप सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनकी अनुरक्षा हेतु मरम्मत एवं निर्माण पर पालिका को काफी धनराशि व्यय करनी पड़ती है ।

धनाभाव के कारण सड़कों के दोनों ओर नाले व नालियों के निर्माण की कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) में भूतपूर्व लाइसेंसी संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को उनके समकक्ष संवर्गीय पदों की भांति प्रोन्नति, प्रथम, द्वितीय, तृतीय समयबद्ध वेतनमान दिये जाने की जानकारी

6–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा समस्त कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान 9, 16 व 21 वर्षों की सेवा पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयबद्ध वेतनमान की सुविधा अनुमन्य की गयी है ? यदि हां, तो लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) लखनऊ में भूतपूर्व लाईसेंसी संवर्ग में किन-किन पदों के कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके संवर्गीय पद क्या हैं तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में कौन-कौन वेतनमान देय हैं ? क्या लेसू में कार्यरत उक्त कर्मियों को भी प्रोन्नति पद के वेतनमान समयबद्ध वेतनमान के रूप में स्वीकृत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? देय समयबद्ध वेतनमान किस तिथि तक स्वीकृत कर दिए जायेंगे ? दिनांक 1-12-87 को इन कर्मचारियों के संवर्गीय पद क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) लखनऊ में दिनांक 1-1-94 को कार्यरत भूतपूर्व लाइसेंसी से अधिग्रहीत कर्मचारियों के 33 पदों की सूची संलग्न है ।

दिनांक 1-1-94 को भूतपूर्व लाइसेंसी से अधिग्रहीत किये गये 178 कर्मचारी लेसू में कार्यरत थे । इन कर्मचारियों का परिषदीय संवर्ग के मानक सेवा शर्तों में पूर्व में सज्जीकरण न हो सकने के कारण उनका परिषदीय संवर्ग के पदों पर वर्गीकरण नहीं हो सका था । अतः उन्हें एकल पद की परिभाषा में आवरित करते हुए परिषद के विद्यमान नियमों के अनुपालन में अगले उच्च वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप अनुमन्य कराये गये थे ।

(देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ आगे पृष्ठ 190-191 पर)

जी नहीं ।

परिषद् की मानक सेवा शर्तों में भूतपूर्व लाइसेंसी कर्मचारियों के सज्जीकरण/वर्गीकरण का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण उन्हें एकल पद की परिभाषा में आवरित करते हुए परिषद् के विद्यमान नियमों के अनुपालन में पूर्व में उन्हें अगला उच्च वेतनमान समयबद्ध वेतनमान के रूप में अनुमन्य किया गया था ।

परिषद द्वारा मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) की अध्यक्षता में भूतपूर्व लाइसेंसी कर्मचारियों के सज्जीकरण/वर्गीकरण हेतु संगठित समिति की अनुशंसा के अनुसार लेसू में दिनांक 1-1-94 को कार्यरत 178 भूतपूर्व लाइसेंसी कर्मचारियों में से 136 कर्मचारियों के वर्गीकरण/सज्जीकरण के आदेश दिनांक 31-1-94 को निर्गत किये जा चुके हैं । सज्जीकृत/वर्गीकृत भूतपूर्व लाइसेंसी कर्मचारियों से परिषदीय संवर्ग के अन्तर्गत मानक/सेवा शर्तों के लिए विकल्प पत्र प्राप्त होने के उपरान्त इन कर्मचारियों को देय समयबद्ध वेतनमान की समीक्षा परिषद के विद्यमान नियमों के अन्तर्गत की जायेगी इन कर्मचारियों से विकल्प पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31-3-94 है ।

शेष कर्मचारियों का सज्जीकरण/वर्गीकरण का प्रकरण अभी विचाराधीन है ।

जिन 136 भूतपूर्व लाइसेंसी कर्मचारियों के वर्गीकरण/सज्जीकरण के आदेश दिनांक 31-1-94 को निर्गत किये जा चुके हैं वह कर्मचारी 1-12-87 को उन्हीं पदों पर विद्यमान रहेंगे जो उनको 1-12-78 से प्रस्तावित है ।

शेष कर्मचारियों के सज्जीकरण/वर्गीकरण के पश्चात् उनके परिषदीय सम्वर्ग में प्रस्तावित पदों का चिन्हन किया जायेगा ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन सचिवालय में अधिकारियों के पदों एवं सुविधाओं का सृजन

7–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्ष 1984 के पश्चात् शक्ति भवन सचिवालय (मिनिस्ट्रीयल) में अनुसचिव/उप सचिव/अतिरिक्त सचिव/अन्य अधिकारियों के कितने नये पद कब-कब सृजित किये गये हैं ? क्या इसका अनुमोदन परिषद् द्वारा कराया गया था ?

यदि नहीं, तो क्यों ? परिषद् में अलग-अलग पदवार कितने पद स्वीकृत हैं ? इनको जो सुविधायें दी जा रही हैं क्या उसका भी अनुमोदन परिषद् द्वारा करा लिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों में ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्ष 1984 के पश्चात् शक्ति भवन सचिवालय (मिनिस्टीरियल) में निम्न पद स्वीकृत किये गये :–

पद नाम	पद सं०	दिनांक	
1–अपर सचिव	1	3-2-86	6 माह के लिए जो कि समाप्त हो गया ।
	1	18-10-88	
2–संयुक्त सचिव	1	6-10-86	
3–उप सचिव	1	5-10-87	
4–अनु सचिव	1	23-4-87	
	4	5-10-87	
	1	19-3-88	
5–अनुभाग अधिकारी	1	15-5-85	
	1	26-5-86	
	5	20-10-86	
	1	5-10-87	
	2		18-4-88 पूर्व से स्वीकृत ओ० एण्ड एम० अधिकारी के पद परिवर्तन से ।

अनुमोदन हेतु प्रस्ताव परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है ।

परिषदीय हित को दृष्टिगत करते हुए अपरिहार्य एवं त्वरित आवश्यकता हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति प्रबन्ध समिति एवं अध्यक्ष द्वारा प्रदान की गयी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् (मिनिस्टीरियल) संवर्ग के निम्नांकित पद स्वीकृत है :–

पद नाम	पद संख्या
1–अपर सचिव	1
2–संयुक्त सचिव	3
3–उप सचिव	5
4–अनु सचिव	15
5–अनुभाग अधिकारी	36

जी हां, निम्नलिखित सुविधायें उनके सम्मुख इंगित दिनांक से अनुमन्य है :–

सुविधायें	परिषद् द्वारा अनुमोदन का दिनांक
1–अवकाश नकदीकरण की सुविधा	20-12-85
2–अवकाश यात्रा सुविधा	11-4-86
3–रियायती/निर्धारित दरों पर विद्युत सुविधा	6-5-92
4–चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा	8-11-88

8–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन में कार्यरत अभियन्ताओं के नाम, पदनाम एवं कार्य अवधि एवं स्थान्तरण नीति

9–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन में ऐसे कितने अभियन्ता हैं जो कि संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव/उपसचिव हैं और जो पिछले 10 वर्षों से या इससे अधिक समय से वहां पर कार्यरत हैं ? उनके नाम, पदनाम एवं कार्य अवधि क्या है ? क्या उक्त महत्वपूर्ण पदों पर कोई स्थानान्तरण नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या इनको शक्ति भवन, लखनऊ से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

शासन द्वारा निर्धारित तथा परिषद् द्वारा अंगीकृत स्थानान्तरण नीति ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम नलाई, मुन्देडा, टंगरौली, कुडकुडेई (पटवालस्यू) के विद्युतीकरण की योजना

10–श्री हरक सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के ग्राम–नलई, मुन्देडा, टंगरौली, कुडकुडेई (पटवालस्यूं) के विद्युत्रीकरण हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कल्जीखाल के निम्न ग्राम वर्ष 1993-94 में विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्रामों की सूची में नहीं है :–

ग्राम का नाम

नलाई

मुन्देडा

टंगरोली

कुडकुडई

भविष्य में उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण विद्युत एवं सिचाई सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने पर एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

लखनऊ स्थित आलमबाग के राम प्रसाद खेड़ा, रामनगर, श्रीनगर आदि मोहल्लों में नाली, खड़न्जा एवं जल निकासी हेतु कार्य की प्रगति

11–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आलमबाग के राम प्रसाद खेड़ा, राम नगर, श्रीनगर आदि मोहल्लों में नाली, खड़ंजा एवं जल निकासी हेतु प्रस्तावित नाले की क्या प्रगति है ? क्या कार्य शीघ्र पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

आलमबाग के राम प्रसाद खेड़ा, राम नगर, श्रीनगर आदि मोहल्लों में समय-समय पर नगर महापालिका द्वारा नाली खड़ंजे एवं जल निकासी हेतु नालों का निर्माण किया गया है । इनमें कुछ गलियां अभी भी कच्ची हैं । जिनमें धन उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जायेगा ।

जल निकासी हेतु प्रस्तावित नाला विश्व बैंक परियोजना की द्वितीय चरण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है जो अभी प्रारम्भिक अवस्था में है ।

योजना की स्वीकृति होने तथा संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित आलमबाग के मोहल्ले पूरन नगर एवं प्रेम नगर में स्लो ड्रेन के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किये जाने की मांग

12–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आलमबाग के मोहल्ले पूरन नगर एवं प्रेम नगर में स्लो ड्रेन के निर्माण हेतु नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा कई माह पूर्व टेण्डर कर दिये जाने के बावजूद अभी तक कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत आलमबाग क्षेत्र में छः विभिन्न स्थानों पर भूमिगत एवं खुले नालों के निर्माण हेतु निविदा स्वीकृत की गयी थी जिसमें पूरन नगर और प्रेम नगर भी सम्मिलित हैं । प्रश्नगत स्थल पर कार्य प्रगति पर है । पांच स्थानों पर नालों का निर्माण पूरा करा दिया गया है । अब केवल पूरन नगर मुख्य मार्ग पर नाले का निर्माण शेष है । यहां पाइप लाइनों का जाल बिछा होने एवं सड़क सकरी होने के कारण नाले के निर्माण में असुविधा है ।

लखनऊ स्थित कुर्सी रोड शेखापुरा हाउसिंग बोर्ड कालोनी में अनियमित पानी की आपूर्ति के लिये संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किये जाने की मांग

13–श्री हरपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कुर्सी रोड, अलीगंज, लखनऊ स्थित शेखापुरा हाउसिंग बोर्ड कालोनी में पानी की आपूर्ति पूरे साल अनियमित तथा नगण्य रहने के कारण वहां के निवासियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार इस कालोनी के निवासियों की पानी की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए पानी की नियमित आपूर्ति तथा संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने के आदेश देगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

कुर्सी रोड, अलीगंज, लखनऊ स्थित शेखापुरा हाउसिंग बोर्ड कालोनी में जलापूर्ति प्रातः 5 बजे से 10 बजे तक, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक तथा सायंकाल 5 बजे से 9 बजे तक नियमित रूप से की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित आलमबाग में बहादुर खेड़ा मोहल्ले तक प्रस्तावित पेवर रोड के निर्माण की समय सीमा की जानकारी की मांग

14–श्री सतीश भटिया–

*क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आलमबाग में बहादुर खेड़ा मोहल्ले तक प्रस्तावित पेवर रोड का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत लखनऊ में आलमबाग स्थित बहादुर खेड़ा मोहल्ला तक पेवर रोड के निर्माण की निश्चित समय सीमा निर्धारित करना धन की अनुपलब्धता के कारण सम्भव नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में ग्राम निजामुद्दीनपुर निकट इन्द्रानगर को प्राथमिकता के आधार पर उसके विकास कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

15–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम निजामुद्दीनपुर निकट इन्द्रानगर, शहर लखनऊ में नाली खड़ंजे आदि का निर्माण कर सर्वांगीण विकास हेतु उक्त मोहल्ले को मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत चयनित कर वर्ष 1991 में योजना बनायी गयी तथा सर्वे आदि कराया गया था ? यदि हां, तो अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या वर्ष 94-95 में प्राथमिकता के आधार पर उक्त मोहल्ले में विकास कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्नगत ग्राम निजामुद्दीनपुर निकट इन्दिरानगर, शहर लखनऊ, मोहल्ले को मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत न तो चयनित किया गया है और न ही वर्ष 1991 में कोई योजना बनायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

धन की अनुपलब्धता के कारण ।

पौड़ी गढ़वाल के मेरठ में बने गड़बड़ विद्युत बिलों के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने की मांग

16–श्री हरक सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि पौड़ी गढ़वाल के विद्युत बिलों में जो गड़बड़ी उक्त बिल श्रीनगर के बजाय मेरठ में बने हैं ? यदि हां, तो सरकार इस पर कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, पौड़ी गढ़वाल को सम्मिलित करते हुये पूरे गढ़वाल क्षेत्र के विद्युत बिल कम्प्यूटर द्वारा मेरठ में मेसर्स सांई डाटा सेन्टर में बनते हैं।

बिलों की गुणवत्ता का संबंध बिल बनाने के स्थान से नहीं बल्कि वितरण खण्डों से भेजी जाने वाली सूचनाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती है जो कि मैनुअली तैयार की जाती है।

त्रुटियों का निराकरण खण्ड स्तर पर इंगित किये जाने पर तुरन्त ही कर दिया जाता है। यदि कभी कम्प्यूटर प्रणाली में कोई दोष होने के कारण बिल में त्रुटियां आती हैं तो अविलम्ब त्रुटिपूर्ण बिलों के स्थान पर संशोधित बिल निर्गमित किये जाते हैं।

अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जनपद जौनपुर मे राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 132 के०वी० उपविद्युत केन्द्र, जौनपुर के आवासीय कालोनी की तीसरी मंजिल पर पानी की आपूर्ति की समस्या एवं निदान की मांग

17–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 132 के०वी० उप विद्युत केन्द्र, जौनपुर के आवासीय कालोनी के तृतीय मंजिलों के आवासों में पेयजल की आपूर्ति नहीं होती है ? यदि हां, तो क्या उसके लिये ट्यूबवेल की बोरिंग करके पम्प हाऊस व पाईप लाइनें, बिछाने की निविदायें आमंत्रित करके स्वीकृत की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो शिरोपरि जलाशय व अन्य शेष कार्य कब तक पूर्ण करायेंगे ? क्या इस संबंध में उ०प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 6-10-93 जो कि अधिशासी अभियन्ता, जनपद निर्माण खण्ड, इलाहाबाद को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 132 के०वी० उप विद्युत केन्द्र, जौनपुर के आवासीय कालोनी के तृतीय मंजिलों के आवासों में पेयजल की आपूर्ति होती है परन्तु पानी का दबाव कम है।

जी हां।

पुराना 10 मीटर ऊंचा शिरोपरि जलाशय पहले से ही उपलब्ध है। नया जलाशय बनाने की व्यवस्था धनाभाव के कारण नहीं की गयी है बल्कि नये पम्प द्वारा तृतीय मंजिल के आवासों में पानी दिया जा सकेगा। नये ट्यूबवेल की बोरिंग की जा चुकी है। पम्प हाउस निर्मित किया जा चुका है। पम्प की व्यवस्था भी की जा चुकी है। पाइप लाइन के नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसके लिये रु० 75 हजार की आवश्यकता है। कार्य पूर्ण होने का समय धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जी हां।

उस पत्र पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गयी।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महाप्रबन्धक अनपरा तापीय परियोजना द्वारा राख निस्तारण प्रणाली में किये गये भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

18–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महाप्रबन्धक, अनपरा तापीय परियोजना द्वारा राख निस्तारण प्रणाली में किये गये भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-9-92 जो कि तत्कालीन ऊर्जा मंत्री को सम्बेधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार स्थिति क्या है ? किस अधिकारी द्वारा जांच की गई तथा जांच में क्या तथ्य पाया गया ? क्या मंत्री जी परिषद् को हुई हानि की पूर्ति के लिये दोषी अधिकारियों की परिसम्पति को जब्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की राज्य विद्युत परिषद् की सतर्कता ईकाई से जांच कराई जा रही है ।

पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता), उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद्, वाराणसी द्वारा जांच की जा रही है ।

जांच अभी चल रही है ।

आरोप प्रमाणित होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेसर्स हिण्डालको, रेनूकूट (सोनभद्र) द्वारा अधिकारियों की मिली भगत से हुई चोरी प्रकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं पत्रांकित बिन्दुओं की जांच की मांग

19–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेसर्स हिण्डालको, रेनूकूट (सोनभद्र) द्वारा अधिकारियों की मिली भगत से हुई चोरी प्रकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-6-92 जो कि मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), शक्ति भवन, विस्तार को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार स्थिति क्या है ? रेडयूनिट द्वारा क्या निर्णय लिया गया ? क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (ओ०एण्ड एम०) को जिले से अन्यत्र स्थानान्तरित करके जांच की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पूरे प्रकरण में उ०प्र० विद्युत मजदूर संघ के पदाधिकारियों तथा अवर अभियन्ताओं को सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

बिन्दुवार स्थिति संलग्नक "क" पर उपलब्ध है ।

इस प्रकरण में रेडयूनिस्ट द्वारा दिनांक 3-12-92 से 6-12-92 के मध्य जांच करायी गयी थी और जांच रिपोर्ट परिषद् के विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

इस प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख महाप्रबन्धक, ओबरा एवं खण्डीय कार्यालय में सुरक्षित हैं । अतः जांच पूर्व अधिशासी अभियन्ता ओ० एण्ड एम० का स्थानान्तरण आवश्यक नहीं था ।

जांच के समय विद्युत मजदूर संघ के पदाधिकारियों एवं अवर अभियन्ताओं को भी सम्मिलित किया गया था ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 192-194 पर)

20-21–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

22–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

नगर महापालिका वाराणसी द्वारा शासनादेश का पालन न किये जाने के कारणों की जानकारी

23–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 2518/9-1-93-सा/88, दिनांक 21-5-93, का नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा अनुपालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके तहत कितने कर्मचारियों को महंगाई राहत राशि प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

शासनादेश संकया–2518/9-1-93-3 सा/88, दिनांक 21-5-93 का अनुपालन नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा नहीं वरन् निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० द्वारा किया जा रहा है । उक्त शासनादेश केवल केन्द्रीय सेवा के कर्मियों पर लागू है तथा इस सेवा संवर्ग के तहत आने वाले समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को महंगाई राहत राशि की सुविधा प्रदान की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के ग्राम जियामऊ, पो० हजरतगंज के नगरपालिका का बेसिक पाठशाला के पुनः निर्माण कराये जाने की योजना

24–श्री शब्बीर अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–जियामऊ, पो० हजरतगंज, लखनऊ के नगरपालिका बेसिक पाठशाला का पुनः निर्माण या मरम्मत कराये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक इसका पुनर्निर्माण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि नगरमहापालिका ग्राम जियामऊ के उस भूमि पर वहां के निवासियों द्वारा अवैध नालियां निकाल रखी हैं ? यदि हां, तो उनको बन्द कराये जाने के संबंध में क्या तात्कालिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत ग्राम जियामऊ, पो० हजरतगंज, लखनऊ के नगर महापालिका बेसिक पाठशाला की मरम्मत/निर्माण की वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

धन की अनुपलब्धता के कारण पुनर्निर्माण की समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जी हां ।

नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा वैकल्पिक जल निकासी की व्यवस्था की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ-कुर्सी-टिकैतगंज-महमूदाबाद मार्ग पर 16-अप 16-डाउन बसों के संचालन की वर्ष 1985 से 1993 के मध्य समय सारणी के विवरण की जानकारी

25–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी अधिसूचना संख्या 4809/30-2-807/एन-1977, दिनांक 15-10-1984 द्वारा लखनऊ-कुर्सी-टिकैतगंज मार्ग पर दिनांक 20-10-1984 से लागू जन परिवहन योजना 68-घ (3) के प्राविधानों के अनुसार लखनऊ-कुर्सी-टिकैतगंज-महमूदाबाद एवं संबंधित मार्गों पर न्यूनतम 16-अप–16-डाउन परिवहन निगम बसें नियमित रूप से संचालित हो रही हैं ? यदि हां, तो उनकी समय सारिणी क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि 1985 से 1993 के मध्य वर्षवार समय-सारिणी के अनुसार अपेक्षित कुल कि०मी० के विरुद्ध कितने प्रतिशत वास्तविक रूप से संचालन हुआ है ? अपेक्षित कि०मी० से कम कि०मी० बस संचालन के लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? जन परिवहन की आवश्यकतानुसार अपेक्षित बस टिप्स का नियमित संचालन कब तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां, अधिसूचना संख्या–4809/30-2-807एन/1977, दिनांक 15-10-84 द्वारा लखनऊ-कुर्सी-टिकैतगंज मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया है ।

मार्ग पर 16 टिप्स प्रतिदिन अर्थात 8 अप एवं 8 डाउन ट्रिप्स का संचालन किया जा रहा है, जिसकी समय सारिणी निम्नवत् है :–

लखनऊ-टिकैतगंज	टिकैतगंज से लखनऊ
प्रस्थान समय	प्रस्थान समय
8.15 बजे	6.30 बजे
9.30 बजे	7.45 बजे
11.30 बजे	8.00 बजे
12.15 बजे	11.15 बजे

15.00 बजे	12.30 बजे
16.45 बजे	14.45 बजे
17.00 बजे	15.00 बजे
20.00 बजे	18.00 बजे

वर्ष 1985 से वर्ष 1993 के मध्य वर्षवार उपरोक्त संचालन के विपरीत वास्तविक संचालन का प्रतिशत निम्न रहा :–

वर्ष 1985 में 54%

वर्ष 1986 में 72%

वर्ष 1987 में 76%

वर्ष 1988 में 71%

वर्ष 1989 में 77%

वर्ष 1990 में 66%

वर्ष 1991 में 63%

वर्ष 1992 में 66%

वर्ष 1993 में 62%

इस मार्ग की राष्ट्रीयकृत योजना को ओवरलेप करते हुए 6 निजी बसों को लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग तथा तीन निजी बसों को लखनऊ-कुर्सी-देवा मार्ग पर चलने की अनुमति दी गयी है। इन निजी बसों के संचालन के फलस्वरूप प्रश्नगत राष्ट्रीककृत मार्ग पर कम आय एवं कम लोड फैक्टर प्राप्त होने के कारण संचालन कम किया गया जिसके लिए कोई अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

लखनऊ-कुर्सी-टिकैतगंज व लखनऊ-कुर्सी-देवा मार्ग की राष्ट्रीयकरण विज्ञप्ति संख्या–4809/30-2807एन/1977, दिनांक 15-10-84 को शासन द्वारा जनहित में रद्द करने हेतु एक प्रस्ताव विज्ञप्ति संख्या–2415/30-2-92-6/92, दिनांक 13-10-92 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। चूकि उपरोक्त योजना शासन द्वारा की जा रही है, अतः इस पर निगम की सेवाओं के बढ़ाने का प्रश्न नहीं है।

लखनऊ-बाराबंकी-देवा मार्ग पर निगम की पर्याप्त बस सेवा न उपलब्ध होने की शिकायत

26–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि एकता के प्रतीक हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थल, देवा शरीफ से कुर्सी होकर लखनऊ मार्ग के लिए सरकारी अधिसूचना संख्या–4809/30-2-807-एन/1977, दिनांक 15-10-1984 द्वारा 20-10-84 से जन परिवहन योजना 68-ध (3) लागू कर परिवहन निगम की 4 अप-4 डाउन बसें ट्रिप्स प्रतिदिन संचालित करने की व्यवस्था की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक इस मार्ग पर निगम की बसों का संचालन क्यों आरम्भ नहीं किया गया ? बस-संचालन आरम्भ

न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? उक्त मार्ग पर निर्धारित संख्या में बस ट्रिप्स संचालन कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां । अधिसूचना संख्या–4809/30-2-807-एन/1977, दिनांक 15-10-84 द्वारा लखनऊ-कुर्सी-देवा मार्ग को राष्ट्रीयकृत किया गया था । इस मार्ग पर दिनांक 18-10-84 से 2 अप डाउन सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया गया था । पुनः दिनांक 27-11-84 से उक्त सेवाओं का संचालन कुर्सी-देवा-बाराबंकी होकर निर्धारित कर दिया गया था, परन्तु मार्ग हानिप्रद होने के कारण यह सेवा माह जून, 1990 से बन्द कर दी गयी ।

लखनऊ-बाराबंकी-देवा मार्ग पर निगम की पर्याप्त सेवायें उपलब्ध हैं ।

बस संचालन प्रारम्भ किया गया था, परन्तु इस मार्ग पर योजना में ही 9 निजी बसों को लखनऊ से होकर कुर्सी तथा तीन निजी बसों को कुर्सी मार्ग को ओवरलैप करते हुए संचालन का प्राविधान किया गया था इन निजी बसों के संचालन से तथा अन्य वाहनों के अनाधिकृत संचालन से आय कम प्राप्त हुई, जिसके कारण संचालन बन्द कर दिया गया । इस संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है । इस मार्ग की राष्ट्रीयकरण योजना का निरस्तीकरण अधिसूचना संख्या–2415/30-2-92–6/92, दिनांक 13-10-92 द्वारा प्रस्तावित है, अतएव अब इस पर निगम बसों का संचालन प्रस्तावित नहीं है ।

राज्य परिवहन मुख्यालय से सटे कार सेक्शन का आकस्मिक निरीक्षण एवं कार्यवाही

27–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उन्होंने दिसम्बर, 93 के अन्तिम सप्ताह अथवा जनवरी, 94 के प्रथम सप्ताह में किसी दिन राज्य परिवहन निगम के मुख्यालय से सटे कार सेक्शन का आकस्मिक निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो उक्त निरीक्षण रिपोर्ट क्या है ? उक्त रिपोर्ट में क्या-क्या अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं ? दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

निरीक्षण रिपार्ट तैयार नहीं की गयी अपितु परिवहन निगम के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर कार सेक्शन की विस्तृत जांच करने के आदेश दिये गये ? जांच समिति के रिपोर्ट आने पर ही कोई अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत सम्भल सिटी बोर्ड द्वारा ओवर हेड टैंक बनाने का प्रस्ताव एवं कार्य में प्रगति

28–श्री सत्य प्रकाश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत सम्भल सिटी बोर्ड द्वारा पेयजल व्यवस्था सुधार हेतु ओवर हैड टैंक बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास आया है ? यदि हां,

तो उस हेतु अभी तक कितना धन आवंटित किया गया है ? उक्त कार्य की वर्तमान समय में क्या प्रगति है ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

सम्भल मुरादाबाद में ओवर हैड टैंक का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी (ई०) सम्भल के पत्र दिनांक 23-8-93 द्वारा सरकार के पास आया है ।

इस हेतु उ० प्र० जल निगम से आगणन मांगा गया है ।

आगणन अभी अपेक्षित है ।

जनपद हमीरपुर की तहसील महोबा में पीने के पानी की समस्या को दूर किये जाने की मांग

29–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर की तहसील महोबा में जो पीने के पानी की गम्भीर समस्या बनी हुई है, उसको दूर करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जनपद हमीरपुर की महोबा तहसील में दो नगर महोबा तथा कबरई एवं 105 ग्राम आते हैं ।

महोबा नगर में जलापूर्ति मदन सागर जलाशय, दो खुले कुओं, दो नलकूपों तथा 104 हैण्ड पम्पों के माध्यम से करायी जाती है, जो आवश्यकता से कम है । महोबा नगर एवं आस-पास के क्षेत्र में नलकूप सफल नहीं हैं ।

कबरई नगर की पाइप पेयजल योजना 1987-88 में 108.32 लाख रुपये की अनुमानित लागत से प्रारम्भ की गयी थी, जो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में हैं । नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत विभाग का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है । इस योजना के प्रारम्भ होते ही जलापूर्ति सुचारू रूप से होने लगेगी ।

महोबा तहसील के 105 ग्रामों को 790 हैण्ड पम्पों के माध्यम से 9 को पूर्णरूप से तथा 7 ग्रामों को आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है । उक्त 7 ग्रामों में से 2 को इसी वित्तीय वर्ष एवं शेष 5 ग्रामों को 1994-95 में हैण्ड पम्पों द्वारा जलापूर्ति होने लगेगी । ग्रामों में पेयजल का संकट होने की कोई सूचना नहीं है ।

पिछड़े, दलितों के गांवों में विद्युतीकरण की योजनान्तर्गत जनपद हमीरपुर की तहसील महोबा में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

30–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछड़ों, दलितों के गांवों में विद्युतीकरण की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसके अन्तर्गत जनपद हमीरपुर की तहसील महोबा में

विद्युतीकरण योजना अब तक लागू नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो यह योजना वहां पर कब तक लागू हो जायेगी ? महोबा कस्बे में कब तक विद्युतीकरण होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । वर्तमान नीति के अनुसार प्रत्येक ग्राम के विद्युतीकरण के साथ एक अनुसूचित जाति बस्ती का विद्युतीकरण अनिवार्य रूप से किया जाता है । इसके अतिरिक्त अम्बेडकर ग्राम विद्युतीकरण की विशेष योजना भी प्रचलित है ।

जनपद हमीरपुर की तहसील महोबा में यह योजना लागू है ।

महोबा कस्बे का विद्युतीकरण पहले ही अन्य योजनाओं के अन्तर्गत किया जा चुका है ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में सम्पादक का पद न होने के बावजूद सम्पादक के पद पर अवैध नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

31–श्री बालेश्वर यादव–

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में सम्पादक का पद प्राधिकरण की किस बैठक में, किस वेतन में स्वीकृत किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब किस समाचार-पत्र में इस पद का विज्ञापन दिया गया कितने अभ्यर्थी चयन में आये और सेलेक्शन कमेटी में कौन-कौन से अधिकारी शामिल रहे ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि बिना पद के, बिना चयन प्रक्रिया पालन किये एक व्यक्ति विशेष को सम्पादक के पद पर नियुक्त कर लिया गया है, जबकि प्रदेश के किसी विकास प्राधिकरण में सम्पादक का कोई पद नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अवैध नियुक्ति को समाप्त करके फर्जी नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सम्पादक श्री तेजवीर सिंह के विरुद्ध शिकायतों की बिन्दुवार जांच की मांग

32–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सम्पादक श्री तेजवीर सिंह के विरुद्ध वर्ष 1993 में कुल कितनी शिकायतें शासन में प्राप्त हुईं ? उक्त शिकायतों के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार सभी शिकायतों की जांच शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी से एक सीमित अवधि में करवाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1993 में श्री तेजवीर सिंह, सम्पादक के विरुद्ध पंडित भगवन्त प्रसाद पाण्डेय, प्रादेशिक उपाध्यक्ष, आल इण्डिया स्माल न्यूज पेपर एसोसियेशन, लखनऊ से एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ ।

शिकायती-पत्र में सम्पादक, लिपिक तथा एक चपरासी के पद स्वीकृत न होने तथा समाचार-पत्रों में विज्ञापन रिलीज करने के संबंध में हेरा-फेरी किये जाने का उल्लेख है । शिकायती-पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर जांच किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । जांच कार्यवाही तत्परता से पूरी करने के निर्देश दिये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में चिकित्सा के उपयोग हेतु मंगायी गयी एम्बुलेन्स एवं अन्य विवरण

33–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में अगस्त, 1989 में चिकित्सा में उपयोग हेतु नई एम्बुलेन्स मंगायी गयी थी ? यदि हां, तो उसकी लागत क्या थी ? क्या यह सत्य है कि दिसम्बर, 1991 में एम्बुलेन्स को अपने निष्प्रयोज्य होने संबंधी अवधि से अधिक कार्य किया गया मान लिया गया है ? यदि हां, तो अगस्त, 1989 से दिसम्बर, 1991 के मध्य प्रतिमाह कितनी दूरी तय की है ? इसके अनुरक्षण कार्य में उक्त अवधि में कुल कितना व्यय हुआ और किस अधिकारी द्वारा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

तथापि अनपरा तापीय परियोजना चिकित्सालय के उपयोग हेतु जून, 1989 में एक नई एम्बुलेन्स क्रय की गयी थी ।

उपरोक्त एम्बुलेन्स की लागत रु० 1.50 लाख थी ।

जी नहीं ।

जून, 1989 में क्रय की गयी एम्बुलेन्स आज भी सुचारु रूप से परियोजना चिकित्सालय में कार्य कर रही है ।

उक्त एम्बुलेन्स ने माह अगस्त, 1989 से दिसम्बर, 1991 तक कुल 92.846 कि०मी० की दूरी तय की है । माहवार तय की गयी दूरी का विवरण संलग्न है ।

उपरोक्त अवधि में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परिवहन खण्ड, अनपरा द्वारा इस गाड़ी के विभिन्न अनुरक्षण कार्यों में कुल रु० 14.403 मात्र व्यय किया गया ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 195 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना ''ब'' सोनभद्र का विदेशी कम्पनी द्वारा कराया गया कार्य एवं अन्य विवरण

34–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना ''ब'' सोनभद्र का अधिकतर कार्य अनुबन्ध द्वारा विदेशी कम्पनी एवं अतिरिक्त कौन-कौन सा कार्य उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कराया गया ? उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है एवम् प्रत्येक कार्य पर कितना व्यय अनुमानित था ? वास्तविक रूप से कितना धन व्यय हुआ है एवं कब तक कार्य पूर्ण होना था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अभी कितना कार्य बाकी है और क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अनपरा ''ब'' परियोजना का अधिकतर कार्य जिसमें बी० टी० जी०, कोल हैण्डलिंग, ऐश हैण्डलिंग, वाटर ट्रीटमेन्ट, स्वीच यार्ड, संबंधित फ्यूल आयल एवं संबंधित कूलिंग वाटर मम्पूस, फायर फाइटिंग और अन्य सभी संयंत्र तथा कार्य विदेशी कम्पनी द्वारा किये जा रहे हैं जिसमें कुछ कार्य विभाग द्वारा कराया गया है जो सम्मिलित नहीं है तथा जिनका वर्णन निम्न बिन्दु पर दिया जा रहा है ।

विदेशी कम्पनी द्वारा किये जा रहे उपरोक्त कार्यों की अनुबन्धित लागत येन 112.50 बिलियन× रु० 435.00 करोड़ है । (कुल लागत रुपयों में रु० 2950 करोड़) माह दिसम्बर, 1994 तक कुल रु० 2260 खर्च हुआ है ।

विभाग द्वारा ऐश-बांध, एम० जी० आर०, आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण तथा अन्य विविध कार्य करवाये जा रहे हैं । इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत रु० 140 करोड़ है । इन कार्यों की अनुमानित लागत माह दिसम्बर, 1993 तक का खर्चा तथा विलम्ब के कारण का विवरण संलग्नक में दिया जा रहा है ।

500 मेगावाट की प्रथम इकाई की चालू होने की निर्धारित तिथि 2 जनवरी, 1993 थी जो समयानुसार पर्याप्त धन की उपलब्धता न होने के कारण यथा समय पर पूरी नहीं हो पायी । यह कार्य दिनांक 2 जनवरी, 1994 को सम्पन्न हो गया है ।

500 मेगावाट की दूसरी इकाई की चालू होने की निर्धारित तिथि 11 दिसम्बर, 1993 थी जो समयानुसार पर्याप्त धन की उपलब्धता न होने के कारण यथा समय पूरी नहीं हो पायी है तथा अब इसके चालू होने की अनुमानित लक्ष्य माह अक्टूबर, 1994 है ।

विभाग द्वारा कराये जा रहे बाकी कार्यों की लागत की स्थिति संलग्नक में दी गयी है । जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, 500 मेगावाट की पहली इकाई पूर्ण हो चुकी है तथा दूसरी इकाई माह सितम्बर, 1994 में पूर्ण किये जाने का अनुमान है ।

(देखिये नत्थी, 'घ' आगे पृष्ठ 196 पर)

जनपद सुल्तानपुर के सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वारा श्रीमती कोतवाला देवी का जानबूझकर कनेक्शन न दिये जाने का मामला

35–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड सुल्तानपुर को अग्रसारित श्रीमती कोतवाला देवी का दिनांक 20-9-92 का प्रार्थना-पत्र जिसमें प्राथमिकता सूची भराकर दूसरों को कनेक्शन देने की तथा आवेदिका को कनेक्शन जानबूझकर न देने की शिकायत की गयी थी, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संबंधित अवर अभियन्ता ने उक्त आवेदिका के यहां कनेक्शन देने हेतु सामान कब प्राप्त किया तथा कब कनेक्शन लगाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त शिकायत की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्नगत पत्र सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ ।

अवर अभियन्ता ने कोतवाला देवी के कनेक्शन हेतु भण्डार से सामान दिनांक 6-5-91 को आंशिक एवं 17-12-91 को पूर्ण रूप से प्राप्त किया तथा कनेक्शन 31-1-93 को चालू कर दिया गया ।

प्रश्न ही नहीं है ।

जी नहीं ।

जांच के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद लखनऊ में आलमबाग कानपुर रोड पर स्थित शमशान घाट तक प्रस्तावित पेवर रोड के निर्माण का मामला

36–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आलमबाग में कानपुर रोड से शमशान घाट तक प्रस्तावित पेवर रोड का निर्माण शीघ्र किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

लखनऊ के आलमबाग स्थित कानपुर रोड से शमशान घाट तक पेवर रोड का निर्माण धन की अनुपलब्धता के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में अनेक मेनहोलों के ढक्कन तुरन्त लगाये जाने की मांग

37–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पूरे लखनऊ तथा आलमबाग क्षेत्र में अनेकों मन होल के ढक्कन नहीं हैं जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या ढक्कनों को तरन्त लगाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

पूरे लखनऊ में सीवर मेनहोल पर ढक्कन रखे गये हैं । चोरी हो जाने अथवा टूट-फूट होने की सूचना पर यथाशीघ्र लगवा दिये जाते हैं । आलमबाग क्षेत्र में सीवर सुविधा नहीं है । अतः सीवर मेनहोलों के ढक्कन होने का प्रश्न ही नहीं है । सीवर मेनहोल के ढक्कन न होने से दुर्घटना संज्ञान में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के आलमबाग में शारदा कैनाल के पास शमशान घाट पर बिजली पानी की सुविधा की मांग

38–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलमबाग में लखनऊ में शारदा कैनाल के पास स्थित शमशान घाट की जर्जर अवस्था को देखते हुए वहां बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

प्रश्नगत लखनऊ के आलमबाग में शारदा कैनाल के पास स्थित शमशान घाट के लिए बिजली, पानी एवं सौन्दर्यीकरण की व्यवस्था धन की अनुपलब्धता के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में सड़क, नाली, खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट आदि की योजनायें

39–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में सड़क, नाली, खड़ंजा, स्ट्रीट-लाइट व जल निकासी आदि की योजनायें किन-किन मोहल्लों की बनायी गयी हैं ? क्या प्रस्तावित कार्य शीघ्र पूरे किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

श्याम नगर, न्यू श्रीनगर, कन्नोसी ग्राम, भोला खेड़ा, जाफर खेड़ा, सिन्धू नगर, न्यू सिन्धु नगर, विजय नगर, प्रेम नगर, स्नेह नगर, विश्वेशर नगर, चन्दर नगर, कैलाश पुरी, आजाद नगर, साकेतपुरी, ओम नगर, ऋषिनगर, पवनपुरी, छोटा बरहा, आनन्द नगर, पुराना सरदारी खेड़ा, मधुवन नगर तथा चित्रगुप्त नगर मोहल्लों में धन की उपलब्धता के अनुसार सड़क, नाली, खड़ंजा तथा पानी की निकासी हेतु कानपुर रोड से इन्द्र लोक, लिटरेसी हाउस के सामने पवनपुरी की पुलिया से ओम नगर की पुलिया तक पुराना सरदारी खेड़ा, पूरन नगर से प्रेम नगर तक, कानपुर रोड से भोला खेड़ा तक एवं सिन्धु नगर और जाफर खेड़ा के नालों के निर्माण की योजना बनायी गयी है । इसके अतिरिक्त ओम नगर की पुलिया से हस्तानपुर होते हुए शारदा कैनाल के साइफन तक, कानपुर रोड से रिंग रोड होते हुए साइफन तक, मंगल खेड़ा से न्यू श्रीनगर होते हुए कानपुर रोड तक, विजय नगर की पुलिया से इन्द्र लोक तक के नालों की योजना विश्व बैंक परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

यह योजना केवल अभी विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है । स्वीकृत होने पर ही कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र में दुद्धी टाऊन एरिया में दुद्धी गर्वनमेन्ट स्टेट की भूमि पर अवैध कब्जा से बनाये गये मकानों के लिये सुलभ शौचालय बनाने का मामला

40–श्री विजय सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में दुद्धी टाउन अरिया में दुद्धी गवर्नमेन्ट स्टेट के नाम से कितनी भूमि है ? क्या शासन को ज्ञात है कि उक्त भूमि टाउन एरिया ट्रासफर न होने के कारण समुचित देखरेख के अभाव में तमाम असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दुद्धी में हाथीघर के नाम से जो भूमि थी, उस पर कौन-कौन से लोग अवैध कब्जा करके पक्का निर्माण करा रहे हैं ? क्या उस भूमि पर सरकार की ओर से सुलभ शौचालय बनावाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

टाउन एरिया दुद्धी में गवर्नमेन्ट स्टेट के नाम से कुल 12.042 हेक्टेयर भूमि है ।

ग्राम दुद्धी में टाउन एरिया घोषित होने के पूर्व से ही राजकीय आस्थान दुद्धी के कुछ भूखण्डों पर कतिपय स्थानीय एवं प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है । अब कोई अवैध कब्जा नहीं किया जा रहा है ।

टाउन एरिया दुद्धी में जिस स्थान को हाथीघर कहा जाता है, वह भूमि राजकीय आस्थान की भूमि है और वर्तमान समय में रकबा 0.013 हेक्टेयर खण्डहर के रूप में खाली है । इसके चारो तरफ राजकीय आस्थान की भूमि है, जिस पर टाउन एरिया घोषित होने के पूर्व से निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है :–

1–श्री अमरनाथ पुत्र केशवराम–100 वर्गफुट (श्री अमरनाथ द्वारा पूर्व काबिज भूमि पर 13"x13" फीट पर पक्का मकान निर्मित किया जा रहा था, जिसे रोक दिया गया है ।

2–श्री अम्बिका प्रसाद पुत्र केशीराम–33 वर्गफुट

3–श्री गुलाब चन्द्र पुत्र बद्री प्रसाद–34 वर्गफुट

4–श्री बचाऊ पुत्र पुनवासी–75 वर्ग फुट.

5–श्री बसुन्धारी पुत्र रामकेश–154 वर्ग फुट

6–श्री परवेश कुमार पुत्र सागर–112 वर्ग फुट

7–श्री राजकिशोर पुत्र प्रभु–48 वर्ग फुट

8–श्री ईश्वर दयाल पुत्र अज्ञात–120 वर्ग फुट

9–श्री अयोध्या पुत्र चोजा–2240 वर्ग फुट

0–श्री विजय पुत्र लक्ष्मण–352 वर्ग फुट

1–श्री नकछेदी पुत्र केशो–450 वर्गफुट

2–श्री भोला पुत्र राम दुलार–180 वर्ग फुट

3–श्री सुरेश पुत्र देवसरन–140 वर्गफुट

जी नहीं ।

टाउन एरिया को सुलभ शौचालय हेतु धन आवंटन नहीं किया जाता है ।

विद्युत वितरण व्यवस्था को निजी क्षेत्र में दिये जाने की मांग

41–श्री अवध पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान समय में विद्युत वितरण व्यवस्था बहुत ही खराब ह ? यदि हां, तो क्या इसे निजी क्षेत्र में दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विद्युत वितरण व्यवस्था में कम से कम 33 के० वी० सब स्टेशन 133 के० वी० सब स्टेशन के नीचे वितरण व्यवस्था का पूर्ण कार्यभार निजी क्षेत्र में सौंपने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

विद्युत वितरण व्यवस्था में शनैः शनैः सुधार किया जा रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में माह नवम्बर तक केवल 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 घण्टे करा दिया गया है । वितरण पारेषण व्यवस्था में सुधार करने हेतु एक योजना तैयार कर ली गई है । जिसे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वयन किया जायेगा ।

जी नहीं । शासन द्वारा ऐसी योजना पर विचार नहीं किया गया है ।

अनपरा तापीय परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

42–श्री विजय सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-4-92 अनपरा तापीय परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में था, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के टाण्डा के बुनकरों को टाण्डा तापीय परियोजना फैजाबाद से सीधे दिये जाने की मांग

43–श्री राम आसरे वर्मा, श्री राकेश सचान तथा श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा, जनपद फैजाबाद के बुनकरों को विद्युत आपूर्ति सीधे टाण्डा तापीय परियोजना, विद्युत नगर, टाण्डा, फैजाबाद से करने की योजना सरकार के

विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शिक्षा मंत्री, डा० मसूद अहमद द्वारा इस तरह की कोई घोषणा टाण्डा में की गयी है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक क्रियान्वित करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मा० शिक्षा मंत्री जी द्वारा इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसी किसी योजना का क्रियान्वयन तकनीकी कारणों से सम्भव नहीं है ।

44–श्री विजय सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला वाराणसी की नगरपालिका भदोही की ज्ञानपुर जाने वाली खराब रोड को बनाये जाने की मांग

45–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका, भदोही, जिला वाराणसी की ज्ञानपुर जाने वाली रोड तथा औराई जाने वाली रोड नगरपालिका सीमा में बहुत खराब है और बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं ? यदि हां, तो इसको बनाने हेतु अब तक नगरपालिका ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

प्रश्नगत रोड लाक निर्माण विभाग के अधीन है । अतः नगरपालिका द्वारा इसे नहीं बनवाया जा सकता ।

जिला वाराणसी की नगरपालिका भदोही की बनी मुख्य सड़क की जांच कराकर बनवाये जाने की मांग

46–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी की मुख्य सड़क में पत्थर के ईंट लगा दिये गये हैं जिनको डामर या सीमेंट से उनके दराजों को नहीं भरा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसको तुरन्त बनाने की व्यवस्था करायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

कार्य की स्वीकृति में डामर या सीमेंट से दराजों को भरने का प्राविधान नहीं था । अतः यह सम्भव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड मण्डल, मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके कार्यानुसार पदनाम परिवर्तित करने एवं उस पद के बराबर वेतनमान दिये जाने की मांग

47–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ के मांग पत्र वर्ष 1979 से 1973 तक तथा पत्र दिनांक 17-4-91 प्राप्त हुआ है, जिसमें खण्ड मंडल, मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को कार्य के अनुसार पदनाम, परिवर्तित करके औद्योगिक विधिक सहायक, विधि सहायक एवं सांख्यकीय सहायक का पद व वेतनमान देने की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो परिषद् द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से क्या टिप्पणी/संस्तुति मांगी गयी थी ? किन-किन कार्यालयों से अब तक टिप्पणी एवं संस्तुति प्राप्त हुई ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त पद परिवर्तन के लिये कितने कर्मचारी हैं ? उक्त कार्य में कितना वित्तीय भार आयेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 17-4-91 विद्युत परिषद् को प्राप्त हुआ था ।

जी हां ।

महाप्रबन्धक आनपरा "अ"–परियोजना (सोनभद्र)/जल विद्युत परियोजना (देहरादून)/हरदुआगंज परियोजना (अलीगढ़)/केसा (कानपुर)/मुख्य अभियन्ता, सिविल (लखनऊ)/ कानपुर क्षेत्र/आगरा क्षेत्र से उनकी टिप्पणी/संस्तुति प्राप्त हुई ।

उक्त टिप्पणी/संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात् प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

48–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[वीस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

49–श्री मित्रसेन यादव–

[5वें गुरु में अता० प्र० सं० 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश जल निगम के सी० एण्ड डी० एस० में कार्यरत महाप्रबन्धकों की संख्या तथा श्री राजेन्द्र सिंह जनरल मैनेजर के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच एवं कार्यवाही की मांग

50–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा तथा श्री दरोगा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के सी० एण्ड डी० एस० में कितने महाप्रबन्धक प्रतिनियुक्ति पर हैं ? क्या यह सही है कि राजेन्द्र सिंह, जनरल मैनेजर, मण्डी परिषद् से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या यह सही है कि इनके विरुद्ध वहां पर गम्भीर आरोप थे ? क्या यह भी सत्य है कि वहां तथा यहां की सेवा में कई लाख रुपये का मकान गोमती नगर; लखनऊ में तथा अन्य भारी मात्रा में चल और अचल सम्पत्ति इन्होंने अर्जित की है ? क्या सरकार

उन्हें उनके मूल विभाग में वापस करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

उ० प्र० जल निगम के कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज विंग में वर्तमान में सात महाप्रबन्धक हैं। इनमें से कोई भी प्रतिनियुक्ति पर नहीं आया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इनके विरुद्ध दो शिकायतें मण्डी परिषद् में लम्बित हैं। उपरोक्त दोनों प्रकरण मण्डी परिषद् से जल निगम में प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, क्योंकि श्री सिंह, जल निगम के अधिकारी हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उनके नाम से विश्वास खण्ड, गोमती नगर में मकान संख्या–3/60 है। यह मकान लखनऊ विकास प्राधिकरण से रु० 15,000 पंजीकरण शुल्क तथा परिवर्तन शुल्क रु० 2 लाख का भुगतान करके क्रय किया गया है। इस मकान के लिये रु० 1,08,750 की धनराशि विभाग से भवन अग्रिम लेकर तथा शेष धनराशि उन्होंने अपनी बचत से जमा की है।

श्री राजेन्द्र सिंह का मूल विभाग जल निगम है और वर्तमान में वे जल निगम में ही तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3, आवास विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा इन्द्रानगर के सेक्टर-सात के विकास कार्य में की गयी घोर अनियमितता की जांच की मांग तथा दोषी को निलम्बित किये जाने का मामला

51–श्री अखिलेश, श्री बशीर, श्री मयंकर सिंह तथा श्री गया चरन दिनकर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खंड–3, आवास विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा इन्द्रानगर के सेक्टर सात, विकास नगर में डाले गये सीवर में छः इंच के स्थान पर डेढ़ इंच कांक्रीट डालकर छः इंच का भुगतान लेकर तथा एक लाख अव्वल ईंट के स्थान पर पीली ईंट लगाकर करीब पचास हजार रुपये का घपला किया गया है ? क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार अनटेस्टेड आर० सी० सी० सी० ह्यूमपाइप में चार सरिया के स्थान पर दो सरिया लगाकर और चार सरिया का भुगतान लेकर लगभग एक लाख रुपये का घपला किया गया है ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि विगत दो सालों में इनके द्वारा जो बी निर्माण कार्य कराया गया है, वह घटिया किस्म का हुआ है ? क्या मेरठ में इस दौरान इनके द्वारा एक केमिकल फैक्ट्री खोली गयी है ? क्या सरकार इनको निलम्बित करके पूरे मामले की जांच कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उन्नाव के सहकारिता विभाग में मृतक आश्रित श्रीमती नन्हका पत्नी स्व० श्री छेदीलाल नि० ग्राम दरसवां, पो० असावर, जिला उन्नाव को अनुसूचित जाति के कोटे के अनुसार नियुक्ति किये जाने की मांग

52–श्री मित्रसेन यादव–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या–ओ-1570/दो-बी–104–1952, दि० 5-6-93, सं० 4 एस सी/दो-बी–302/(64) दिनांक 18-2-64 व सं०–7952/चालिस–78–रा–एकी०–15 (63) 76, दिनांक 22-9-78 के आधार पर अनुसूचित जाति के मृतक आश्रित को अनुसूचित जाति के लिये रिक्त पदों पर समायोजित किये जाने की नीति का सहकारिता विभाग में पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मृतक आश्रित श्रीमती नन्हका पत्नी स्व० श्री छेदीलाल नि० ग्राम दरसवां, पो० असावर, जि० उन्नाव का प्रार्थना पत्र सं०–21491/93, दि० 17-11-78 जो कि स्व० छेदीलाल सहयोगी पद पर सहकारिता विभाग में मृत होने पर निबन्धक, सह० समिति, उ० प्र०, अध्यक्ष, संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ जिला सहकारी बैंक लि०, उन्नाव को मृतक आश्रित/अनुसूचित जाति कोटे में नियुक्ति के संबंध में मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी हां ।

जी हां ।

मृतक आश्रित श्रीमती नन्हका, पत्नी स्व० श्री छेदीलाल, नि० ग्राम–दरसवां, पो०–असावर, जि० उन्नाव के प्रश्नगत प्रकरण में उ० प्र० सहकारी समिति कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1983 के विनियम सं०–104 में निहित प्राविधानों की पूर्ति न होने के कारण श्रीमती नन्हका को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

इलाहाबाद के 19 हेस्टिंग्ज रोड स्थित लम्बित बंगले के भू-विन्यास मानचित्र को स्वीकृति दिये जाने की मांग

53–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 19 हेस्टिंग्स्ज रोड इलाहाबाद स्थित बंगले का भू-विन्यास मानचित्र शासन में स्वीकृति हेतु प्रकरण विगत पांच वर्षों से लम्बित चल रहा है ? यदि हां, तो कब तक उस पर स्वीकृति दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जिलाधिकारी, इलाहबाद को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली–मुरादाबाद राजकीय मार्ग पर उ० प्र० राजकीय परिवहन की बसों को हापुड़ नगर में निश्चित स्थल पर एवं निश्चित समय के लिये रुकवाने की मांग

54–श्री गजराज सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि दिल्ली-मुरादाबाद राजकीय मार्ग पर आने वाली उ० प्र० राजकीय परिवहन की सभी बस हापुड़ नगर में किसी निश्चित स्थल पर नियमित रूप से रुक कर जाती हैं ? यदि हां, तो किस स्थल पर और कितनी अवधि के लिये रुकती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उ० प्र० राजकीय परिवहन की बसों को निश्चित अवधि के लिये राजकीय बस अड्डे पर आवश्यक रूप से रुकवाने की व्यवस्था करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

दिल्ली–मुरादाबाद मार्ग पर आने वाली निगम की बसों का हापुड़ नगर में स्थित परिवहन निगम के बस स्टेशन पर स्टाप निर्धारित हैं। यह बस स्टेशन प्रश्नगत मार्ग से हटकर लगभग 1 फर्लांग की दूरी पर बुलन्दशहर–मेरठ मार्ग पर स्थित है। मुख्य मार्ग एवं बस स्टेशन तक के मार्ग पर अत्यधिक ट्रैफिक जाम एवं अतिक्रमण के कारण बस स्टेशन पर सभी बसें पहुंच नहीं पाती हैं अतएव ट्रैफिक जाम तथा दुर्घटनाओं की सम्भावना को देखते हुए बसें हापुड़ मुख्य मार्ग पर गुरुद्वारा के सामने ही रुक जाती हैं। मुख्य मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा तथा निगम बस स्टेशन पर बसें लगभग 5/10 मिनट तक रोकी जाती हैं।

हापुड़ डिपो की सभी बसें निगम के हापुड़ स्थित बस स्टेशन से ही संचालित की जाती हैं। हापुड़ डिपो के अतिरिक्त अन्य सभी डिपोज की प्रश्नगत मार्ग पर चलने वाली बसें हापुड़ बस स्टेशन तक ले जाने में ट्रैफिक जमाव के कारण व्यावहारिक कठिनाई है।

नगर हापुड़ (गाजियाबाद) को दिये गये सड़क अनुदान को बढ़ाये जाने की मांग

55–श्री गजराज सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर हापुड़ (गाजियाबाद) को वर्तमान समय में वार्षिक सड़क अनुदान मात्र 13,30,000.00 दिया जा रहा है जो नगर की जनसंख्या, एरिया एवं नगर के विकास को दृष्टिगत रखते हुए अपर्याप्त है ? क्या उक्त धनराशि वार्षिक सड़क अनुदान में बढ़ाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

शासनादेश सं०–162ए/9-1-93-503(सा० स० अनु०)/93, दिनांक 16 अक्टूबर, 1993 द्वारा नगर हापुड़ (गाजियाबाद) को रु० 13.30 लाख का सड़क अनुदान वर्ष 1993-94 के लिये स्वीकृत किया जा चुका है।

उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था में से स्थानीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर सड़क अनुदान दिया जाता है। यह धनराशि अपर्याप्त है तो स्थानीय निकाय को अपने संसाधनों में वृद्धि करके उसे पूरा करना चाहिए।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला वाराणसी ग्राम अहिरावीर (ग्राम सभा जगदीशपुर) ब्लाक पिंडरा में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

56–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव अहिरावीर गांव सभा जगदीशपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के 35 व्यक्तियों को पूरे इस्टीमेट का रुपया फैन व बत्ती के लिये अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम के यहां ता० 1-11-89 को 15 व्यक्तियों ने तथा 8 व्यक्तियो ने 2-11-89 को तथा 5 व्यक्तियों ने 6-11-89 तथा 1 व्यक्ति ने 8-11-89 को जमा कर दिया है जिसकी बुक संख्या–138578, 376275 व रसीद संख्या–27, 26, 29, 24, व 25, 43, 42, 41, 50, 48, 24, 31, 30, 25, 50, 49, 46, 45, 44, 43, 42, 40, 38, 37, 36, 41, 46, 48, 39, 44, 47, 49, 29, 27, 26, 47 हैं ? यदि हां, तो अब तक लाइट व फैन का कनेक्शन न देने का कारण क्या है ? क्या अब तक सिर्फ 15 खम्भे ही दिये गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर तुरन्त कनेक्शन देगी और अब तक विद्युतीकरण न किये जाने के क्या कारण हैं ? इसकी जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम अहिरावीर (ग्राम सभा जगदीशपुर) ब्लाक पिंडरा, जनपद वाराणसी के 32 ग्रामवासियों ने घरेलू कनेक्शन लेने हेतु जमानत की धनराशि और मानक सर्विस कनेक्शन चार्जेज जमा किये थे। जमा धनराशि का तिथिवार विवरण निम्न प्रकार है :—

1–1-11-89 को 15 व्यक्तियों द्वारा।

2–2-11-89 को 10 व्यक्तियों द्वारा।

3–6-11-89 को 07 व्यक्तियों द्वारा।

उपभोक्ताओं द्वारा जिस स्थान पर कनेक्शन मांगा गया था वहां पर एल० टी० लाइन उपलब्ध नहीं थी। सर्विस कनेक्शन चार्जेज इस प्रत्याशा में जमा करवा लिये गये थे कि लाइन के विस्तार हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे अंततोगत्वा किसी भी स्रोत से संसाधन उपलब्ध न होने के कारण एल० टी० लाइन के विस्तार का कार्य नहीं किया जा सका।

संबंधित ग्रामवासियों को यह बता दिया गया है कि यदि वे समय से एल० टी० लाइन के विस्तार का पूर्ण व्यय वहन करने को तैयार हों तो इस कार्य को डिपोजिट कार्य के रूप में किया जा सकता है।

जिला वाराणसी के गांव सभा सराय, पो० कनकपुर, ब्लाक पिंडरा के इस्टीमेट जमा किये श्री शीतला प्रसाद, उमा शंकर आदि को कनेक्शन दिये जाने की मांग

57–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा सरांय, पो० कनकपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी को शीतला प्रसाद, उमाशंकर, पटेल, मानिका प्रसाद, अभयनाथ मिश्र, हरिदास, कुसेराम, कैलाश चन्द्र, भूषण ने लाइट व फैन के लिये 26-4-90 को इस्टीमेट का पूरा रुपया जमा करके रसीद प्राप्त किया है ? क्या यह सही है कि खम्भे पश्चिम तरफ गाड़ कर छोड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो तार खींच कर अब तक कनेक्शन न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार तुरन्त तार खींच कर कनेक्शन देने की आज्ञा देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । ग्राम सभा सराय के प्रश्नगत उपभोक्ताओं ने जमानत एवं मानक सर्विस कनेक्शन चार्जेज की धनराशि जमा कर दी है । प्रार्थीगण जिस स्थान पर कनेक्शन लेने के इच्छुक थे वहां पर एल० टी० लाइन उपलब्ध नहीं थी । उपरोक्त धनराशि इस प्रत्याशा में जमा करवा ली गई थी कि इन क्षेत्रों में एल० टी० लाइन के विस्तार हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे । अन्ततोगत्वा, किसी भी स्रोत से इस कार्य हेतु धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी । जिसके कारण यह कार्य नहीं हो सका यदि प्रार्थीगण एल० टी० लाइन के विस्तार का पूर्ण व्यय वहन करने को तैयार हों तो एल० टी० लाइन का विस्तार करके उनको कनेक्शन दिया जा सकता है ।

मेसर्स इलाहाबाद मिलिंग कम्पनी, लूकरगंज, इलाहबाद को परिषदीय ट्रांसफार्मर माहवारी किराये पर दिये जाने विषयक पर जांच कराये जाने की मांग

58–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग द्वारा निजी पावर उपभोक्ता को उसके निजी ट्रांसफार्मर की जगह परिषदीय ट्रांसफार्मर किराये पर देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 91 में तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (वितरण) जोन इलाहाबाद द्वारा माह अप्रैल, 91 में मेसर्स इलाहाबाद मिलिंग कम्पनी, लूकरगंज, इलाहबाद को परिषदीय ट्रांसफार्मर माहवारी किराये पर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण पर जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, वित्तीय हस्तपुस्तिका के बाग 6 अध्याय 8 के प्रस्तर 244 एवं 253 में टूल्स एवं प्लाण्ट ठेकेदारों, स्थानीय निकायों एवं अन्य को अस्थाई रूप से किराये पर देने का प्राविधान है ।

जी हां । वर्ष 1991 में 19-4-91 से अगस्त, 91 तक 6.6/.4 के० वी० का ट्रांसफार्मर नियमानुसार किराये पर दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिद्धार्थनगर के परिक्षेत्र में कतिपय गांवों में गड़े खम्भों को विद्युतीकरण किये जाने की मांग

59–श्री धनराज यादव तथा श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सिद्धार्थनगर के परिक्षेत्र में कुछ वर्ष पूर्व, कुछ गांवों में बिजली के खम्भे गाड़ दिये गये थे तथा कुछ गांवों में तार भी खींच दिये गये थे ? यदि हां, तो जिन गांवों में खम्भे पहले से गड़े हुए हैं और जिनके विद्युतीकरण में कम धन का व्यय सम्भावित है व गांव कौन से हैं तथा क्या सरकार इनमें विद्युतीकरण को प्राथमिकता देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत वितरण खण्ड, सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थगर में कुल 15 गांवों/टोलों में कुछ पी० सी० सी० पोल खड़े हैं । तार किसी में नहीं लगा है । (सूची संलग्न) इन गांवों को वर्ष 1993-94 में विद्युतीकृत करने हेतु जनपद ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयन कर लिया गया है, जिसका विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 197 पर)

मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विद्युतीकरण लखनऊ क्षेत्र को सम्बोधित गौरीगंज तहसील रोड पर अवैध तरीके से लाइन खड़ी करके कनेक्शन देने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

60–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता, ग्रा० वि० लखनऊ क्षेत्र को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-3-92 उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें गौरीगंज तहसील रोड पर अवैध तरीके से लाईन खड़ी करके कनेक्शन देने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उक्त अवैध लाइन कनेक्शन के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या उक्त शिकायती पत्र पर जांच की गयी है ? यह जांच लम्बित है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त अवैध लाइन के लिये श्री मुसाफिर सिंह, अवर अभियन्ता जिम्मेदार हैं ।

जी हां । जांच में अवर अभियन्ता दोषी पाये गये हैं ।

जी नहीं । जांच पूर्ण कर ली गयी ।

जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अवशेष गांवों को विद्युतीकरण किये जाने की मांग

61–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज विधान सभा क्षेत्र में कितने पुरवे ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुए और क्यों ? उन्हें कब तक विद्युतीकरण करने की शासन की योजना है ? उक्त क्षेत्रों में कितने खम्भे, कितने पुरवों में बिना ऊर्जीकृत पड़े व खड़े हैं क्या उन्हें ऊर्जीकृत करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अभी तक 863 पुरवे विद्युतीकृत नहीं हुए हैं । पुरवों का विद्युतीकरण वांछित संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सका । इन पुरवों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के 98 पुरवों में 1960 खम्भे बिना ऊर्जीकृत किये खड़े हैं । संसाधनों के अभाव के कारण सम्प्रति कोई योजना नहीं है ।

जनपद हमीरपुर में विद्युत चोरी सम्बन्धी मामले एवं कार्यवाही

62–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि हमीरपुर में गांवों और ट्यूबवेलों के ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग के नाम पर किसानों से 200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक विभाग द्वारा वसूले जाते हैं ? क्या यह भी सही है कि विद्युत चोरी में पकड़े गये अभियुक्तों को धन लेकर पुनः विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी बतायेंगे कि सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिमाह विद्युत विभाग के अधिकारियों की सांठ-गांठ से कितनी धनराशि की विद्युत चोरी की जा रही है ? क्या उपरोक्त के संदर्भ में कोई प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर में विद्युत चोरी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, तथा दो बड़े विद्युत चोरी के मामले पकड़े गये हैं ।

जनपद हमीरपुर के पटरी दुकानदारों को बसाये जाने की विचाराधीन योजना

63–श्री अशोक कुमार सिंह चंन्देल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या हमीरपुर जनपद के पटरी दुकानदारों को बसाने की कोई योजना शासन में विचाराधीन है ? क्या पटरी दुकानदारों को कम किराये पर स्वतः दुकानें निर्माण करने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुख्यालय की नगर पालिका हमीरपुर को बी श्रेणी की नगरपालिका घोषित किये जाने की मांग

64–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुख्यालय की नगर पालिका हमीरपुर को जो कि बेतवा और यमुना दोनों नदियों के बीच स्थित है, बी श्रेणी की नगरपालिका विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

वर्तमान में सभी नगर स्थानीय निकाय विघटित हैं । संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसरण में प्रस्तावित नागर स्थानीय निकाय में वर्तमान नगरपालिका के स्थान पर नगर परिषद् गठित होंगे, जो प्रस्तावित नवीन नागर स्थानीय निकायों हेतु नये अधिनियम प्रभावी हो जाने और राज्य निर्वाचन आयोग के गठन और उसके द्वारा निर्वाचन उपरान्त ही नगर परिषदों की श्रेणियों के संबंध में निर्णय लिये जा सकेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर की सुमेरपुर व कुरारा टाउन एरिया की दयनीय दशा हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जाने की मांग

65–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद हमीरपुर की सुमेरपुर व कुरारा टाउन एरिया की अति दयनीय दशा को देखते हुए सड़कों, विद्युत व्यवस्था, जलापूर्ति तथा बाजारों के निर्माण हेतु अतिरिक्त संसाधन शासन द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

राज्य सरकार द्वारा टाउन एरिया कमेटी सुमेरपुर व कुरारा को सड़क अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 में क्रमशः रु० 3.20, रु० 1.20 लाख दी गयी है। विद्युत व्यवस्था हेतु गत वर्ष रु० 0.40–0.40 लाख दिया गया था। इस वर्ष संसाधनों की कमी के कारण अभी तक धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। जलापूर्ति के संबंध में जल संस्थान द्वारा पेयजल की आपूर्ति एवं रख-रखाव का कार्य किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली गढ़वाल के विकास खण्ड गैरसैंण, नारायणबगड़ आदि के विद्युतीकृत गांवों की संख्या एवं विद्युतीकरण संख्या बढ़ाये जाने की मांग

66–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद–चमोली गढ़वाल के विकास खण्ड गैरसैंण, नारायणबगड़, कर्णप्रयाग, कपीरी पट्टी एवं विकास खण्ड अगस्तमुनी की धनपुर पट्टी में कितने गांवों को वर्तमान एवं आगामी समय में विद्युतीकृत किया गया है ? क्या यह संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इस विद्युतीकरण संख्या को बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद चमोली गढ़वाल के विकास खण्ड गैरसैंण में कुल 219 ग्रामों में से अब 134 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा वर्ष 93-94 में 2 ग्राम प्रस्तावित हैं। विकास खण्ड नारायणबगड़ में कुल 215 ग्रामों में से 118 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा वर्ष 1993-94 में 4 ग्रामों का प्रस्ताव है। विकास खण्ड कर्णप्रयाग जिसमें पट्टी कपीरी भी सम्मिलित है, में 147 ग्रामों में से 104 ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं तथा वर्ष 1993-94 में 2 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है जिनमें एक ग्राम पट्टी कपीरी का सम्मिलित है। अगस्तमुनी विकास खण्ड की पट्टी धनपुर में अब तक 39 ग्रामों में से 31 ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं तथा वर्ष 1993-94 में एक ग्राम का प्रस्ताव है।

संसाधनों के सापेक्ष यह संख्या पर्याप्त है। शेष ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद फैजाबाद में कुमारगंज नाम स्थान को टाउन एरिया का प्रस्ताव बनाये जाने की मांग

67–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में कुमारगंज नामक स्थान जो कि ग्राम सभा बवां, तहसील–बीकापुर के अन्तर्गत आता है, को टाउन एरिया बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकारण, लखनऊ की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर–बी में एक व्यवसायिक केन्द्र के विकास हेतु पिच रोड बनाये जाने की मांग

68–श्री महराज सिंह यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर–बी (व्यवसायिक) में एक व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है और आवंटन भी हो चुका है परन्तु उक्त केन्द्र एवं कानपुर रोड के मध्य स्थित जमीन कच्ची एवं ऊबड़-खाबड़ है तथा अभी तक पिच रोड का निर्माण नहीं किया गया है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त केन्द्र के उत्तर में भी 18 मीटर चौड़ा रोड बनाया जाना प्रस्तावित है जो कि अभी तक कच्चा एवं ऊबड़-खाबड़ है जिससे व्यवसायिक केन्द्र का विकास नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार जनहित में उक्त केन्द्र के विकास हेतु तत्काल उक्त स्थानों पर पिच रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां, 18.00 मीटर चौड़ी सड़क का कार्य किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत टाप कोट का कार्य अवशेष है ।

जी हां, पिच रोड का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1994-95 में पूर्ण हो जायेगा ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'एच' में टेलीफोन स्थल के सामने बने पिच रोड को मुख्य रोड से जोड़ने की मांग

69–श्री महराज सिंह यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर "एच" में भूखण्ड सं०–डी–1/179. से टेलीफोन स्थल के सामने पिच रोड का निर्माण किया जा चुका है परन्तु इस रोड को मुख्य सड़क से जो कि लगभग 100 मीटर दूर है, नहीं जोड़ा गया है जिससे स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी है ? क्या सरकार आवंटियों की परेशानी देखते हुए तत्काल संबंधित रोड को मुख्य सड़क तक बढ़ाकर पिच रोड से मिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, किन्तु प्रश्नगत भूखंड तक पहुंचने के लिये अन्य मार्ग उपलब्ध है जिसे उपयोग में लाया जा रहा है ।

भूमि अर्जन की कार्यवाही संचालित है तदुपरान्त ही उक्त सड़क का निर्माण पूर्ण कराया जाना सम्भव है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

70–श्री बैजनाथ रावत–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर में आवास विकास की योजना एवं लागू न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

71–श्री तेजभान सिंह–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद में आवास विकास की कोई योजना लागू है ? यदि हां, तो कब से ? कितने लोगों ने कब से इस योजना में पंजीयन कराया है ? क्या उन लोगों को कोई भूखण्ड आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो कब तथा किन्हें ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त योजना को लागू न करने में कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

यह योजना लोहरामऊ योजना है जो वर्ष 1993में अधिसूचित हुई है । इसके अन्तर्गत वर्ष 1994 के प्रथम दौर में 575 तथा वर्ष 1987 के द्वितीय दौर में 105 व्यक्तियों ने अर्थात कुल 680 व्यक्तियों ने पंजीयन कराया है ।

जी नहीं । क्योंकि भूमि का कब्जा अभी परिषद् को प्राप्त नहीं हुआ है ।

योजना में समाविष्ट भूमि के अर्जन की कार्यवाही प्रगति में है । अतः जिम्मेदारी का निर्धारण एवं उनके विरुद्ध किसी भी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाहसैंण में विद्युतीकरण योजना को लागू किये जाने की मांग

72–श्री हरक सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया अवगत करायेंगे कि नाहसैंण, पौड़ी गढ़वाल के विद्युतीकरण करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कोट में नाहसैंण कोई राजस्व ग्राम नहीं है, यह एक उपग्राम है । वर्तमान में इस ग्राम को विद्युतीकृत करने का कोई प्रस्ताव वर्ष 1993-94 में प्रस्तावित नहीं है । भविष्य में इसका विद्युतीकरण जनपदीय समिति द्वारा चयनित होने तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

पौड़ी गढ़वाल में दिउसा (कल्जीखाल) में खड़े बिजली के खम्भों पर विद्युतीकरण किये जाने की मांग

73–श्री हरक सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि दिउसा (कल्जीखाल), पौड़ी गढ़वाल में जो बिजली के खम्भे खड़े हैं उन पर चार वर्षों से विद्युतीकरण नही हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत ग्राम दिउसा विद्युतीकरण हेतु लगभग 2 कि०मी० में एल० टी० लाइन के केवल 25 खम्भे विगत दो वर्षों में खड़े क दिये गये थे । इस ग्राम के विद्युतीकरण हेतु चयन कर लिया गया है । वर्ष 1994-95 में उक्त ग्राम कार्य को पूर्ण करने का कार्यक्रम है ।

जनपद महराजगंज के पनियरा विधान सभा स्थित मछलीगांव व हरनामपुर ग्राम सभाओं के मध्य विद्युत सब स्टेशन खोलने का प्रस्ताव

74–श्री गनपत सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के पनियरा विधान सभा क्षे मछलीगांव व हरनामपुर ग्राम सभाओं के बीच शासन द्वारा कोई विद्युत सब स्टेशन खोलने का विच किया जा रहा है ? क्या पहले की सरकारों द्वारा उक्त विद्युत सब स्टेशन खोलने हेतु संस्तुति दी ग थी ? यदि नहीं, तो क्या अब कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

राज्य विद्युत परिषद् की विगत वर्षों में आय एवं हानि एवं राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण

75–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत पांच वर्षों में वर्षवार राज्य विद्युत परिषद् की आय क्या रही है तथा राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना धन परिषद् को दिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि संदर्भित वर्षों में चोरी, गबन एवं सामान आदि के खराब होने से कितने-कितने धन की वित्तीय हानि हुई है ? सम्प्रति उक्त उपक्रम घाटे में है या फायदे में है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परिषद् के वार्षिक लेखों के अनुसार विगत पांच वर्षों की वर्षवार राजस्व प्राप्तियां, वार्षिक लाभ एवं शासन से प्राप्त धन निम्नवत है :––

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	वार्षिक लाभ	शासन से ऋण
1988-89	1562.81	1.06	190.40
1989-90	1886.71	42.03	334.00
1990-91	2278.95	45.61	774.09
1991-92	2615.52	107.56	1304.94
1992-93 (असम्प्रेक्षित)	3211.70	136.31	1145.48

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वर्ष 1992-93 के असम्प्रेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार विद्युत परिषद् मार्च. 1993 तक रु० 303.24 करोड़ के संचयी घाटे में है ।

प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत ट्रान्सफार्मर, खम्भों, तारों के अभाव में विद्युतीकरण न होने वाले ग्रामों की संख्या देवरिया जनपद के ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये शासन की योजना

76–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत कितने ग्रामों में नवम्बर, 1993 तक खम्भों, तार, ट्रान्सफार्मर के अभाव में विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है ? ऐसे कितने ग्राम देवरिया जनपद में हैं जो पिछले 5–7 वर्षों से पूरी तरह विद्युतीकृत नहीं हो पाये हैं ? क्या उनके विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने की कोई योजना शासन की है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में नवम्बर, 1993 तक 28,024 ग्रामों का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार एवं 60,453 ग्रामों का विद्युतीकरण एल० टी० मेन्स बिछाकर होना शेष है ।

देवरिया जनपद में पिछले 7 वर्षों में 388 ग्रामों में एल० टी० मेन्स बिछाकर ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार विद्युतीकरण किया गया है परन्तु इन ग्रामों में टोलों/पुरवों/मजरों का विद्युतीकरण पूरी तरह नहीं हो पाया है ।

जी हां । वांछित संसाधन उपलब्ध होने पर एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन किये जाने पर शेष विद्युतीकरण निर्भर है ।

77–श्री राम करन आर्य–

[3सरे मंगल में अता० प्र० सं०–90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

78–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में पेयजल की सुविधा हेतु अनु० जाति/पिछड़ी जाति वाली ग्राम सभाओं में इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पाइप लगाने की मांग

79–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में कौन-कौन अनु० जाति/पिछड़ी जाति बाहुल्य आबादी वाली ऐसी ग्राम सभायें हैं, जहां पर शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार भविष्य में उक्त समस्याग्रस्त ग्राम सभाओं में इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पम्प लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में कोई अनु० जाति/पिछड़ी जाति बाहुल्य ग्राम सभा ऐसी नहीं है जहां पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में विकास खण्ड अरनियां के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति कला खुरी में सदस्यों का विवरण

80–श्री राम प्रसाद–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में विकास खण्ड अरनियां के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति कलाखुरी में कितने सदस्य इस समय कार्यरत हैं ? समिति के वीकर एवं नॉनवीकर सदस्यों की संख्या मय वल्दीयत व पता कितनी है ?

श्री मो० आजम खां–

389 सदस्य।

322 वीकर तथा 67 नॉनवीकर सदस्य हैं। मा० सदस्य उक्त समिति के सदस्यों की सूची† मेरे कक्ष में अवलोकित कर सकते हैं।

---

† छापी नहीं गई।

जनपद फैजाबाद में श्री राम समुझ, जलकल अभियन्ता, नगरपालिका अकबरपुर द्वारा की गई गम्भीर अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

81–श्री राम अचल राजभर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या–मेमो/न०पा०अ०/93-94, दिनांक 16-10-93 जो अधिशासी अधिकारी, अकबरपुर द्वारा आयुक्त, फैजाबाद को भेजी गयी रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई ? मूल रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते हुए क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शासन द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त संबंध में कोई रिपोर्ट थाना कोतवाली में भी लिखायी गयी है ? यदि हां, तो कब व किस अधिकारी द्वारा तथा किस दफा में ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

अधिशासी अधिकारी, अकबरपुर द्वारा अपने पत्र सं०–मेमो/न०पा०अ०/93-94, दिनांक 16-10-93 द्वारा आयुक्त, फैजाबाद को भेजी गयी रिपोर्ट शासकीय तौर पर अभी तक उनकी छायाप्रति श्री प्रियदर्शी जेतली के पत्र दिनांक 31-12-93 के साथ प्राप्त हुई थी। ऐसी दशा में उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता है। आयुक्त, फैजाबाद मंडल ने अपने पत्र दिनांक 10-11-93 से निदेशक, स्थानीय निकाय को श्री राम समुझ, जलकल अभियन्ता, नगर पालिका अकबरपुर, जनपद फैजाबाद द्वारा की गयी गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में आरोप-पत्र तैयार करके भेजा था, जिसके आधार पर जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच की जा रही है और श्री राम समुझ को निलम्बित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अनियमितताओं के संबंध में कोतवाली, अकबरपुर में प्राथमिकी अपराध सं०–467/468/409/420 भा० दं० वि० के अधीन दिनांक 12-12-93 को श्री एस० के० सिंह, परगनाधिकारी, अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा अंकित करायी गयी है।

जनपद बस्ती के मेंहदावल टाउन एरिया में विद्युत खम्भों पर लगे जीर्ण शीर्ण तारों को बदलवाने की मांग

82–श्री चन्द्रशेखर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती की मेंहदावल टाउन एरिया में विद्युत के खम्भों पर लगे तार जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और मेंहदावल टाउन एरिया में 250 पावर लूमों सहित लगभग 500 से अधिक पावर कनेक्शन हैं ? क्या यह सही है कि रोज ही खम्भों के बीच तार टूट-टूट कर गिरते रहते हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त तारों को बदलवाने की क्या व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

जी नहीं। मेंहदावल टाउन एरिया में केवल 17 पावर लूम सहित कुल 127 पावर कनेक्शन हैं।

जी नहीं। केवल कभी-कभी तार टूटने की घटनायें होती हैं जिन्हें एक-दो दिन में ठीक करा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ के बाल बिहार पार्क, कल्याणपुर तथा उसके सम्पर्क मार्ग को विकसित किये जाने की मांग

83–श्री चन्द्र शेखर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 26 जनवरी, 1991 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा बाल बिहार पार्क, कल्याणपुर, लखनऊ तथा उसके सम्पर्क मार्ग का शिलान्यास किया गया

था ? यदि हां, तो इस पार्क तथा सम्पर्क मार्ग पर अभी तक कोई निर्माण संबंधी प्रगति न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस पार्क तथा सम्पर्क मार्ग का शीघ्र निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

बाल बिहार पार्क, कल्याणपुर, लखनऊ तथा उसके सम्पर्क मार्ग का शिलान्यास दिनांक 26 जनवरी, 1991 को किये जाने की सूचना नहीं है ।

प्रश्नगत स्थान रिंग रोड पर स्थित अनाधिकृत रूप से विकसित किया गया है । नियमानुसार अनाधिकृत बस्ती होने के कारण विकास का कार्य नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा करना सम्भव नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत विभाग में सामग्री भण्डारण विभाग में अनियमितता के कारण नई योजना लागू किये जाने की मांग

84–श्री चन्द्र शेखर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत विभाग में विद्युत वितरण तथा सामग्री भंडारण विभागों में आपसी तालमेल न होने के कारण अनेक अनियमिततायें हैं ? क्या यह सही है कि सामग्री भण्डारण विभाग में सामानों की उपलब्धता न होने के कारण महीनों तक मेन्टीनेंस/कान्स्ट्रक्शन के कार्य अवरुद्ध रहते हैं जिससे विकास की गति अवरुद्ध होती है ? क्या मंत्री जी इस संबंध में कोई नई योजना लागू करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं । वर्तमान व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य कर रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

85–श्री रामदेव वर्मा तथा श्री राम अचल राजभर–

[दि० 4-3-94 को अता० प्र० सं० 100 द्वारा उत्तरित]

जिला बस्ती के मेंहदावल बिसौवा के बीच के क्षेत्र के गांवों में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

86–श्री चन्द्रशेखर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बस्ती के मेंहदावल बिसौवा के बीच के क्षेत्र के बीसों गांव ऐसे हैं, जिसमें अनु० जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है, परन्तु वहां विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था न होने के कारण सिंचाई आदि की व्यवस्था ठीक नहीं है ? क्या सरकार उक्त पिछड़े क्षेत्र की सर्वांगीण विकास हेतु विद्युतीकरण करने जा रही है ? यदि हां, तो कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इन ग्रामों का विद्युतीकरण जिला स्तरीय सिंचाई एवं विद्युत सलाहकार समिति से चयनित होने एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम बरगवां , परगना बिजनौर, तहसील मोहनलालगंज की भूमि खसरा नं० 459 का शासन द्वारा अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा न दिया जाना

87–श्री मेवालाल बागी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बरगवां, परगना बिजनौर, तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ की भूमि खसरा नम्बर 459 को लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना के लिये शासन द्वारा अधिग्रहीत किया गया है ? यदि हां, तो अधिग्रहण के पूर्व उक्त भूमि किसकी थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त भूमि का अधिग्रहण कब किया गया है और क्या अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 1987 में की गयी थी । किन्तु प्रश्नगत खसरा का अभिनिर्णय समय से न होने के कारण यह कार्यवाही स्वतः समाप्त हो गयी ।

राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि का स्वामित्व जगत जननी सहकारी आवास समिति लखनऊ द्वारा सचिव, श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव के नाम अंकित है ।

अभी नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि अधिग्रहण की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः आरम्भ की गयी है, अतः मुआवजे के भुगतान का प्रश्न अभिनिर्णय घोषित होने के उपरान्त ही उठेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के अन्तर्गत कुमारगंज नामक स्थान पर 132 के० वी०/33 के० वी० के सब स्टेशन के निर्माण को पूर्ण किये जाने की मांग

88–श्री मेवालाल बागी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के अन्तर्गत कुमारगंज नामक स्थान पर 132 के० वी०/33 के० वी० का विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त के निर्माण पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है और कितने समय से उक्त सब स्टेशन निर्माणाधीन है ? उक्त सब स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जनपद फैजाबाद में कुमारगंज नामक स्थान पर एक 133/33 के० वी० मिल्कीपुर विद्युत सब स्टेशन निर्माणाधीन है ।

अब तक इस पर लगभग 28.03 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं ।

और उक्त सब स्टेशन वर्ष 1985-86 से निर्माणाधीन है परन्तु आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण इस पर कार्य रुका हुआ है ।

निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ?

लखनऊ के यहियागंज वार्ड के मुहल्ला बाग मक्का के सरकारी गली में श्री छोटे लाल द्वारा नहीं बल्कि श्रीमती हीरा देवी द्वारा बनाये गये मकान को वैध निर्माण माने जाने की पुष्टि

89–श्री रमेश बहादुर सिंह–

11वीं विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री राम ललित चौधरी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास एवं विकास मंत्री को जानकारी है कि भू-स्वामित्व श्री छोटेलाल का न होकर उनकी पत्नी श्रीमती हीरादेवी का है ? अवैध निर्माण गिराने के संबंध में दिनांक 13-8-91 को क्या आदेश हुए तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्रीमती हीरादेवी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा 1973 की धारा–27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी और यह पाया गया कि उनके द्वारा किया गया निर्माण नजूल की भूमि पर नहीं है। अतः इस वाद की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई और श्रीमती हीरा देवी को दिया गया नोटिस निरस्त कर दिया गया।

90–श्री मित्रसेन यादव–

[दि० 3-3-94 को अना० प्र० सं०–70 द्वारा उत्तरित]

जिला फैजाबाद के अकबरपुर के स्थानापन्न नगर अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार मेहरोत्रा के आवास पर नगरपालिका द्वारा बनाये गये टेलीफोन के दुरुपयोग से हुई व्यय भार की जानकारी एवं विरुद्ध कार्यवाही की मांग

91–श्री राम अचल राजभर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद के स्थानापन्न नगर अध्यक्ष, श्री अवधेश कुमार के आवास पर नगरपालिका, टेलीफोन सं०–4440 का उनके कार्यकाल में कितना बिल आया है और कितने रुपये का भुगतान कुल किया गया है ? क्या संबंधित फोन नम्बर से नगरपालिका के किसी कार्य के लिये भी फोन किया गया है ? क्या सरकार उक्त नम्बर से नगरपालिका कार्य से भिन्न तथा अवैध कार्यों के लिये किये गये ट्रंककालों व लोकल कालों के लिये भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

श्री अवधेश कुमार मेहरोत्रा के आवास पर लगे नगरपालिका के टेलीफोन सं०–4440 का उनके कार्यकाल में रु० 17,774.00 का बिल प्राप्त हुआ, जिसमें से 8,917.00 का भुगतान किया गया।

श्री मेहरोत्रा द्वारा इस संबंध में कोई अभिलेख नगरपालिका कार्यालय में जमा नहीं किया गया है।

टेलीफोन कालों का औचित्य प्रमाणित न होने पर श्री अवधेश कुमार द्वारा किये गये अवैध ट्रंककालों एवं लोकल कालों की धनराशि वसूल करने की कार्यवाही नगरपालिका अधिनियम की धारा–81 के अधीन की जायेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की अनपरा परियोजना 'ए' द्वारा बेचे गये स्टील/रेल तथा अन्य सामान के संबंध में हुई अनियमितता की जांच तथा वित्तीय हानि के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

92–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–43 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि मेसर्स इ० सी० सी० कम्पनी को निर्धारित मूल्य से लगभग 15 लाख रुपये कम दामों पर बेचने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र सं० क–296687, दिनांक 25-8-92 एवं पत्र सं० क–329786, दिनांक 31-12-93 जो कि क्रमशः तत्कालीन ऊर्जा मंत्री एवं अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उसमे किन-किन बिन्दुओं को उठाया गया था तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? इस वित्तीय हानि के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उस धन की वसूली कैसे की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पत्रांक क–296687 दिनांक 25-8-92 परिषद् में मूलरूप में नहीं प्राप्त हुआ था बल्कि पत्रांक क–329786 दिनांक 31-12-93 प्राप्त हुआ था जिसके साथ पत्रांक–क–296687 दिनांक 25-8-92 भी संलग्न है ।

उक्त दोनों पत्रों में निम्न बिन्दुओं को उठाया गया है :–

(I) महाप्रबन्धक, अनपरा "अ" तापीय परियोजना, सोनभद्र द्वारा आयात किये गये लोहे अर्थात रेल एवं स्टील को ई० सी० सी० कम्पनी को अनाधिकृत रूप से निर्धारित मूल्य से कम दामों में बेचकर लगभग रु० 15 लाख का घोटाला किया गया ।

(II) महाप्रबन्धक, अनपरा "अ" तापीय परियोजना द्वारा परिषद के दूरभाष का व्यक्तिगत कार्यों हेतु दुरुपयोग किया गया ।

उक्त दोनों पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं की सूचना जो अन्य श्रोतों से परिषद् में पहले ही प्राप्त हुई थी, परिषद् के सदस्य (उत्पादन) से जांच कराने के आदेश किये गये हैं ।

जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों द्वारा वर्ष 1989-1990 में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में की गई नियुक्ति में हुई धांधली का मामला

93–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों द्वारा वर्ष 1989 एवं 1990 में तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों में अनियमिततायें बरती गयी थी ? यदि हां, तो किस प्रकार की तथा उसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिममेदार हैं ? शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्तमान महाप्रबन्धक, अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र द्वारा तैनाती अवधि में की गई वित्तीय अनियमितता की जांच एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

94–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्तमान महाप्रबन्धक, अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र द्वारा तैनाती अवधि में किये गये वित्तीय/भ्रष्टाचार संबंधी कितने प्रकरण कब से लम्बित हैं ? कितने प्रकरणों में प्रशासनिक निर्णय लेकर दोष मुक्त किया गया और कब ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वित्तीय अनियमितता द्वारा की गयी धन की हानि के लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 के पैरा 103 (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1991 के 1 (एक) वर्ष 1992 के 4 (चार) एवं वर्ष 1993 के 5 (पांच) प्रकरण लम्बित हैं ।

एक प्रकरण, वर्ष 1991 में ।

जांचोपरान्त परिषदीय धनहानि के लिये दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के जलापूर्ति व्यवस्था में लगे ठेका श्रमिकों की परीक्षा तापीय एवं हरदुआगंज तापीय परियोजना की भांति वेतन भुगतान का मामला

95–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के जलापूर्ति व्यवस्था में लगे ठेका श्रमिकों की परीक्षा तापीय परियोजना एवं हरदुआगंज तापीय परियोजना की भांति वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में श्री सर्वेश चन्द्र द्विवेदी, कार्यवाहक अध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 15-8-92 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ तालकटोरा पावर हाउस एवं विद्युत उत्पादन निर्माण खण्ड में उत्पादन न होने के बावजूद कार्य कर रहे कर्मचारियों की स्थिति के विवरण की जानकारी

96–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू स्थित ताल कटोरा पावर हाउस, लखनऊ में कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ? उनके नाम/पदनाम क्या हैं ? क्या इन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना विद्युत उत्पादन एवं बिना काम किये ही वेतन आदि दिया जा रहा है ? क्या इन समस्त कर्मचारियों को जी० पी० एफ० की लेखा पर्ची वर्ष 1992-93 तक की उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पावर हाउस कब से बन्द है और क्यों? उसकी मेन्टीनेन्स में वर्षवार, किन-किन मदों में कितना व्यय किया गया ? पावर हाउस को चलाने के लिये कौन-कौन सी मशीनें, तेल, कोयला आदि कब-कब मंगायी गयीं एवं उनके मूल्य क्या थे । ढुलाई एवं ओवर टाईम/हैण्ड रिसीट में वर्षवार कितना धन व्यय किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तालकटोरा पावर हाउस एवं विद्युत उत्पादन निर्माण खण्ड में 322 कर्मचारी तथा 3 अधिकारी कार्यरत है । सदन के पटल पर सूची रख दी गयी है । *

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आपत्तियों के कारण तालकटोरा पावर हाउस से फिलहाल विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है तथापि पावर हाउस में स्थित 11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र स्विचिंग स्टेशन से नगर के कई क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति यथापूर्व की जा रही है । साथ ही पावर हाउस के संयंत्रों एवं उपकरणों का रखरखाव/कार्यालय/भण्डार/सुरक्षा का कार्य यथावत् चल रहा है । तदनुसार कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं । चतुर्थ श्रेणी के 206 कर्मचारियों के 92-93 की जी० पी० एफ० की लेखापर्ची उपलब्ध करा दी गई है ।

परिचालकीय वर्ग के 60 कर्मचारियों की लेखा पर्ची वर्ष 89-90 तक, लिपिक वर्ग की वर्ष 91-92 तक की तथा अवर अभियन्ता वर्ग की 91-92 तक की लेखा पर्ची उपलब्ध करा दी गयी है । इन वर्गों की 92-93 तक की अवधि की लेखा पर्ची उपलब्ध कराने के लिये जी० पी० एफ० अभिलेखों के मिलान का कार्य परिषद् स्तर पर लेखा अनुभाग में चल रहा है एवं लेखा पर्चियों यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है । यह पावर हाउस दिनांक 17-9-92 को अच्छे कोयले की उपलब्धता न होने के कारण तथा ब्वायलरों में कुछ खराबियों के कारण ठीक कराने के लिये बन्द किया गया था । इसी के उपरान्त उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 26-12-92 के द्वारा इसके चलाये जाने पर रोक लगा दी ।

* छापी नहीं गयी ।

विद्युत में मेन्टीनेन्स के विभिन्न मदों पर खर्च का ब्यौरा निम्न है :–

रुपये लाख में

	91-92	92-93	93-94
वेतन एवं भत्ते	89.68	107.03	122.56
तेल एवं लुबरीकेंट	00.14	00.09	00.04
भवन एवं अन्य व्यय	00.44	00.26	00.11

विद्युत गृह को चलाने के लिये मंगाई गई मशीनों व कोयला आदि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

रुपये लाख में

	91-92	92-93	93-94
मशीनें/स्पेयर्स	00.21	00.10	शून्य
पानी के लिये रसायन	00.74	00.26	00.05
कोयला एवं रेल भाड़ा	89.65	00.41	54.04

ढुलाई/ओवर टाइम/हैण्ड रसीद आदि पर वर्षवार व्यय निम्नवत है :–

रुपये लाख में

	91-92	92-93	93-94
कोयले की ढुलाई (कोल फीडिंग)	1.44	0.34	शून्य
ओवर टाइम	3.31	1.10	0.12
हैण्ड रसीद	0.24	0.22	0.21

जनपद शाहजहांपुर में घोषणानुसार विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

97–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उनकी घोषणा के अनुसार जनपद में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति अब तक न होने का क्या कारण है ? क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद में विद्युत की आपूर्ति 16 घण्टे नहीं हो रही है ? यदि हां,तो उसके लिये कौन दोषी है ? क्या इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

क्षमता से अधिक भारित कुछ विद्युत उपकेन्द्रों के द्वारा पोषित क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के सभी जनपदों में औसतन 16 घंटे या उससे अधिक विद्युत आपूर्ति सामान्यतः की जा रही है ।

जी नहीं, शाहजहांपुर जनपद में औसतन 16 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के रिक्त सिटी बोर्डों के अध्यक्ष पदों के चुनाव कराने की मांग

98–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिन सिटी बोर्डों में अध्यक्ष का स्थान रिक्त है, वहां पर चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

सामान्य निर्वाचन संविधान (74 वें संशोधन) अधिनियम के परिपेक्ष्य में प्रदेश में प्रस्तावित नवीन नागर स्थानीय निकायों हेतु नये अधिनियम प्रभावी हो जाने, राज्य निर्वाचन आयोग गठित हो जाने और नवीन स्थानीय निकायें स्थापित हो जाने पर उनमें सदस्य और अध्यक्षों के निर्वाचन कराये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में ग्राम पिछौरा व मनियांपुर में लगे हैण्ड पम्प की खराबी धनाभाव को दूर करके ठीक किये जाने की मांग

99–श्री तेज भान सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पिछौरा व मनियांपुर, जनपद सुल्तानपुर में लगे हैण्ड पम्प की खराबी, धनाभाव को दूर करके, कब तक ठीक कर दी जायेगी ? क्या वित्तीय वर्ष 92 के बजट में इसका प्राविधान किया गया था ? यदि हां, तो उक्त हैण्ड पम्प कब ठीक किये गये ? यदि नहीं, तो धन का प्राविधान न किये जाने के लिये कौन दोषी है ? क्या संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पिछौरा में 2 और ग्राम मनियांपुर में 7 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं । ग्राम पिछौरा का एक हैण्ड पम्प अस्थाई रूप से खराब था जिसे ठीक करा दिया गया है ।

जी हां ।

उक्त हैण्ड पम्प दिनांक 28-2-94 तक ठीक करा दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

100–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की शासन की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता

(जल विद्युत) 4, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ द्वारा स्थानान्तरण नीति में अनियमितनायें पिछले दो वर्षों में बरती गयीं हैं ? यदि हां, तो कुल कितने स्थानान्तरण वर्षवार किये गये ? कितने स्थानान्तरण निरस्त किये गये और किन-किन कारणों से ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं० ख–855-56, दिनांक 16-7-93 जो कि सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, वहां प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा स्थानान्तरण नीति में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है ।

वर्ष 1992-93 एवं 93-94 की स्थिति निम्नवत् है :–

वर्ष 1992-93 में नीति के तहत कुल 841 स्थानान्तरण किये गये हैं तथा वर्ष 1993-94 में नीतिगत स्थानान्तरण नहीं किये गये, फिर भी प्रशासनिक/स्वेच्छा के आधार पर 150 स्थानान्तरण किये गये ।

विगत वर्षों में किये गये स्थानान्तरण के मामलों में से वर्ष 92-93 में 183 तथा वर्ष 1993-94 में 37 स्थानान्तरण निरस्त किये गये ।

स्थानान्तरण निरस्त किये जाने के निम्न कारण है :–

1–क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त पदधारिता (इन्कमबेन्सी) में त्रुटि होना ।

2–सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु विचार किये जाने वाले अवर अभियन्ता ।

3–परियोजनाओं से स्थानान्तरित अवर अभियन्ताओं द्वारा उसी परियोजना पर पाली कार्य करने हेतु सहमति देना ।

4–जिस अवर अभियन्ता की सेवानिवृत्ति में मात्र दो वर्ष शेष रह गये थे ।

जी हां ।

पत्र की जांच की गयी । आरोप की पुष्टि नहीं हुई ।

जिला जौनपुर के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड में परिषद् के नियमों का उल्लंघन करते हुए वेतन भुगतान के कारण जानकारी .

101–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, जौनपुर ने वर्ष 1991 में परिषदीय नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य से अनुपस्थित कर्मचारियों को ड्यूटी पर मानकर उनके वेतन का भुगतान अन्य महीनों में किया है ? यदि हां,तो उसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी संबंधित कर्मचारियों के नाम पदनाम तथा वेतन भुगतान की तिथि का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । परिषद् के नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी भी अनुपस्थित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया गया । केवल एक कर्मचारी श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव, उपकेन्द्र परिचालक जिसे 220 के० वी० सब स्टेशन जौनपुर से 132 के० वी० सब स्टेशन जौनपुर स्थानान्तरित किया गया था किन्तु कार्यभार मुक्त नहीं किया जा सका था वे अपने कार्य पर उपस्थित रहे । इनके वेतन का भुगतान प्रशासनिक कारणों से दिनांक 18-12-92 को किया गया ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन वितरण सुनिश्चित किये जाने की मांग

102–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को माह की पहली तारीख को वेतन वितरण सुनिश्चित कराने के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही अब तक की है ?

श्री रमाशंकर कौशिक–

प्रदेश के स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारी, स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं तथा इनके सेवायोजक शासन न होकर स्थानीय निकाय हैं । अतः वेतन के भुगतान का दायित्व संबंधित निकाय का है । फिर भी शासन ने यह आदेश निर्गत किया है कि सफाई कर्मचारियों का वेतन संबंधित निकाय के फण्ड पर प्रथम चार्ज होगा तथा स्थानीय निकायों द्वारा कर्मचारियों के वेतन का वितरण पहले सप्ताह में किया जाय ।

जनपद बदायूं में ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण गांवों की संख्या एवं अवशेष गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

103–श्री बनवारी सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में कितनी ग्राम सभाओं और कितने ग्रामों में विद्युतीकरण कर दिया गया है ? कितनी ग्राम सभायें व ग्राम विद्युतीकरण से वंचित है और उनमें कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? क्या जनपद बदायूं के ब्लाक कादरचौक की ग्राम सभा रमजानपुर के मजरा खितौलिया और ग्राम सभा कचोरा के मजरा कैथुलिया तथा जनपद बरेली के ब्लाक आलमपुर जाफराबाद के ग्राम कल्लिया तथा ब्लाक भदपुरा के ग्राम चेना में विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं तो कब तक विद्युतीकरण वहां पर हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बदायूं के अन्तर्गत कुल आबाद ग्रामों की संख्या 1785 है जिसमें से एल० टी० मेन्स बिछाकर अब तक कुल 640 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

बदायूं जनपद में 1145 ग्रामों विद्युतीकरण अवशेष है । संसाधनों की अनिश्चितता के कारण शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद बदायूं के विकास खण्ड कादरचौक के अन्तर्गत ग्राम सभा मजरा खितौलिया तथा ग्राम सभा कचौरा के मजरा कैथलिया तथा जनपद बरेली के ग्राम पेना ब्लाक भदपुरा का विद्युतीकरण नहीं हुआ है । जनपद बरेली में ग्राम बल्लिया ब्लाक आलमपुर–जाफराबाद विद्युतीकृत हो चुका है ।

जनपद बदायूं एवं बरेली के उक्त अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण जनपदीय विद्युत एवं सिंचाई सलाहकार समिति के द्वारा चयनित होने एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर–एच में बन्द सीवर लाइन को मुख्य लाइन से जोड़ने की मांग

104–श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर–एच में भूखण्ड संख्या–डी-1/179/एच से डी–1/241/एच तक सीवर लाइन बन्द है, जिससे सीवर लाइन को ओवर फ्लो नवनिर्मित मकानों में उल्टा भर रहा है, जिसकी दुर्गन्ध से वहां का वातावरण प्रदूषित होने के कारण निवासियों का रहना कठिन हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सीवर लाइन को मुख्य लाइन से जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर–रोड योजना के सेक्टर "एच" में भूखण्ड संख्या–1/179/एच से डी–1/341/एच तक की सीवर लाईन बन्द नहीं है वरन् चालू है । सीवर लाईन के पानी का बहाव सही दिशा में है तथा आवश्यकतानुसार सीवर लाईन की सफाई भी कराई जाती है ।

प्रश्नगत स्थल पर कोई प्रदूषण नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ आलमबाग के कृष्णानगर क्षेत्र में जल संस्थान द्वारा कतिपय मोहल्लों में पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था किये जाने की मांग

105–श्री सतीश भाटिया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ आलमबाग के कृष्णानगर क्षेत्र में जल संस्थान द्वारा जाफर खेड़ा, सुभाषनगर, कृष्णानगर, भोला खेड़ा व गोपाल नगर, प्रेमनगर आदि में की जा रही पानी की सप्लाई कम दबाव के कारण समुचित रूप में विगत छः माह से नहीं हो पा रही है एवं ट्यूबवेल/पम्प भी अक्सर खराब होते रहते हैं ? यदि हां,तो क्या सरकार उक्त दुर्व्यवस्था को दूर कर उपरोक्त मोहल्लों में पानी की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

आलमबाग के कृष्णानगर क्षेत्र में जाफरखेड़ा, सुभाषनगर, कृष्णानगर, भोलाखेड़ा व गोपालनगर व कृष्णानगर में स्थित दो नलकूपों के द्वारा सीधे व अवर जलाशय के माध्यम से की जा रही है । दोनों

नलकूप वर्ष 1983 में बनाये गये थे । तब से उक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त इन्द्रलोक, विजयनगर, बर्जरनगर, अलीनगर, सुनहरा, सिन्धुनगर व आशुतोषनगर भी विकसित हो गये हैं जहां इन्हीं नलकूपों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । नये क्षेत्रों के विकास होने व जनसंख्या में हुई वृद्धि से बढ़ी हुई पेयजल मांग के अनुरूप अतिरिक्त नलकूप नहीं बनाये जा सके, जिससे उचित दबाव पर पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती । प्रेमनगर में जलापूर्ति आजादनगर क्षेत्र में बने 5 नलकूपों से ओवर हेड टैंक न बने होने के कारण, सीधे नलकूपों से की जा रही है । फलतः ऊंचाई पर बने होने के कारण प्रेमनगर में समुचित दबाव पर पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है । इन क्षेत्रों के पम्प/नलकूप ठीक ढंग से संचालित किये जा रहे हैं ।

संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल कोई व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है । धन उपलब्ध होने पर समस्या का निदान करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर एच में स्थित टेलीफोन विभाग को आवंटित भूमि के बगल में रोड को मुख्य सड़क से न जोड़ने के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

106–श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर–एच में स्थित भूखण्ड सं० डी०–1/189/एच से आगे टेलीफोन विभाग को आवंटित भूमि के बगल में रोड को मुख्य सड़क से अभी तक नहीं जोड़ा गया है, जबकि इसका भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? क्या उक्त कार्य तुरन्त पूरा किया जायेगा ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कानपुर रोड योजना के सेक्टर एच० में डी–1/189/एच कोई भूखण्ड नहीं है, किन्तु स्थल पर टेलीफोन विभाग को आवंटित भूमि के बगल में उत्तर तरफ कुछ भाग पर सड़क नहीं बनी है । पूर्व ले-आउट में इस भूमि का उपयोग ग्रीनबेल्ट होने के कारण सड़क नहीं बनायी गयी थी । भुगतान का कोई प्रकरण नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ने के संबंध में प्रोजेक्ट स्वीकृति की प्रक्रिया में है, जिसके उपरान्त यह कार्य पूरा कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सं० डी–1/179/एच से डी–1/241/एच की त्रुटिपूर्ण पाइप लाइन के कारण समुचित जल आपूर्ति किये जाने की मांग

107-श्री सतीश भाटिया–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–डी-1/179/एच से डी-1/241/एच तक पानी की पाईप लाइन त्रुटिपूर्ण होने से पानी की आपूर्ति समुचित न होने से वहां के निवासियों को अत्यन्त कठिनाई उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो उक्त स्थल पर पानी की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पाइप लाइन त्रुटिपूर्ण नहीं है तथा इन पाइप लाइनों से पानी की आपूर्ति सचारु रूप से की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी आचार संहिता के विरुद्ध अवैध रूप से शादी करने विषयक कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

108–श्री नसीम, श्री मुनेश गौड़ तथा श्री ओम प्रकाश–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के एक सहायक अभियन्ता एवं तीन लिपिकों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचार संहिता के विरुद्ध एक जीवित पत्नी के रहते अवैध रूप से शादी करने का मामला मुख्यालय में पिछले दो साल से विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब उन कर्मियों के विरुद्ध प्रबन्ध निदेशक द्वारा कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को तत्काल निलम्बित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां । जुलाई, 1992 में सूचना प्राप्त हुई थी ।

जांच कराई जा रही है । जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

लखनऊ अमीनाबाद हनुमान मंदिर में लगी वाटर सप्लाई में अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गयी घपले की जानकारी तथा विगत दस वर्षों से जल संस्थान में रहने के कारणों की जानकारी

109–श्री फौजदार प्रसाद तथा श्री दर्शन–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाटर सप्लाई हनुमान मंदिर, अमीनाबाद, लखनऊ के कार्य में लगे जल संस्थान के अधिशासी अभियन्ता द्वारा 50 हजार रुपया का घपला भुगतान में किया गया है ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त अधिशासी अभियन्ता विगत दस साल से अधिक समय से लखनऊ में तैनात है ? क्या उसके विरुद्ध विगत दस साल से चार-पांच मैट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति की दशा में लखनऊ में खपत के तौर पर दस मैट्रिक टन

आपूर्ति की जा रही है ? क्या उसके विरुद्ध प्रति वर्ष पांच मीट्रिक टन पाउडर चोर बाजार में बेंच दिये जाने की तथा सिक्योरिटी मनी से अधिक सामान इशू करने तथा ठेकेदार से मिलकर उसे भी चोर-बाजारी में बेचने का भी गम्भीर आरोप है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधि० अभियन्ता को तत्काल स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

रु० 50 हजार का घपला भुगतान करने की कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है ।

वाटर सप्लाई हनुमान मंदिर अमीनाबाद, लखनऊ के कार्य में लगे अधिशासी अभियन्ता विगत दस साल से अधिक समय से लखनऊ में तैनात नहीं है ।

प्रश्नगत वाटर सप्लाई में ब्लीचिंग पाउडर की लगभग 600 किलोग्राम प्रतिवर्ष आपूर्ति की जाती है, जोकि उस पर खपत होती है । पूरे लखनऊ में वर्ष 1992-93 में ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति 221.85 मैट्रिक टन तथा खपत 221.525 मैट्रिक टन रही ।

कोई आरोप प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर के वि० ख० कबरई के ग्राम ग्योड़ी का विद्युतीकरण एवं विद्युत खम्भों आदि की चोरी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही पुनः उक्त ग्रामवासियों को विद्युतीकरण की सुविधा दिये जाने की मांग

110–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के वि० ख० कबरई के ग्राम ग्योड़ी का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत किया गया था ? यदि हां, तो कब ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में विद्युतीकरण के बाद भी विद्युत उपलब्ध न होने के पीछे विद्युत आपूर्ति का दोष नहीं वरन् विद्युत विभाग के अभियन्ताओं की मिली भगत से ट्रांसफार्मर व विद्युत खम्भों तथा तार की चोरी है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है और उसे क्या दण्ड दिया जायेगा ? क्या उक्त ग्राम के ग्रामवासियों को विद्युतीकरण की सुविधा मिल सकेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

वर्ष 1978–79 में विद्युतीकरण किया गया ।

जी नहीं । इस ग्राम के विद्युतीकरण के बाद वहां पर किसी भी ग्रामीण द्वारा विद्युत संयोजन नहीं लिया गया तथा अज्ञात चोरों द्वारा इस गांव की विद्युत लाइन का तार चुरा लिया गया । इस तार की चोरी में किसी भी विभागीय अभियन्ता अथवा कर्मचारी के दोषी होने की जानकारी परिषद के संज्ञान में नहीं आयी है । अतः दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षतिग्रस्त लाइन का तार बदलवाने का तथा व्यवस्था ठीक करने का अनुमानित व्यय 7.00 लाख रु० है। ग्राम का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

मेसर्स यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, लखनऊ का विद्युत परिषद् द्वारा अधिग्रहण करने के पश्चात् अधिग्रहीत ऐक्स-लाइसेन्सी कर्मचारियों को वेतनमान, अवकाश व समस्त सुविधाएं

111–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, लखनऊ का विद्युत परिषद् द्वारा अधिग्रहण करने के पश्चात् क्या अधिग्रहीत ऐक्स-लाइसेंसी कर्मचारियों को कम्पनी की सेवा शर्तों में बने रहने का कोई विकल्प उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों ने ऐक्स-लाइसेन्सी की सेवा शर्तों में बने रहने का विकल्प दिया था ? क्या इन्हें अधिग्रहण की तिथि से समयबद्ध वेतनमान, अवकाश व समस्त सुविधायें परिषद् द्वारा प्रदान की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिग्रहण के पश्चात् अवकाश सुविधा छोड़कर अन्य सभी सुविधायें उन्हें परिषद् द्वारा अपने कर्मचारियों की भांति ही अनुमन्य करायी जा रही हैं।

अवकाश सुविधा ऐक्स-लाइसेन्सी कर्मचारियों को लेसू द्वारा उन्हें निर्गत नियुक्ति-पत्र में उल्लिखित स्टैण्डिंग आर्डर में निहित प्राविधानों के अनुपालन में प्रदान करायी जा रही हैं।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ के वाणिज्य विभाग में ग्रुप वाइज कम्प्यूटर द्वारा उपभोक्ताओं के बिलों से प्रारूप "जी" के माध्यम से यूनिटें घटाया जाना

112–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ के वाणिज्य विभाग में दिनांक 1-4-88 से खण्डशः (ग्रुपवाइज) कम्प्यूटर बिलिंग द्वारा कितने उपभोक्ताओं के बिलों से कितनी धनराशि तथा यूनिट प्रारूप "जी" के माध्यम से घटाई गयी ? घटाई गयी यूनिटों का वास्तविक मूल्य क्या था ? क्या पुनरीक्षित यूनिट आदि जिनकी गणना करने के लिये कम्प्यूटर को प्रारूप "जी" द्वारा फीड किया जाना है, वे अगले माह के बिल रजिस्टर में छपते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस प्रकार घटाई गयी यूनिटों का विवरण अगले माह के बिल रजिस्टर में नहीं छपता है ? इसकी गणना कैसे की गयी है कि परिषद् के राजस्व में कितना धन वास्तविक रूप से घटाया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ के वाणिज्य विभाग में दिनांक 1-4-88 से ग्रुपवाइज कम्प्यूटर द्वारा कितने उपभोक्ताओं के बिलों के प्रारूप "जी" के माध्यम से कितनी यूनिटें

घटाई गयी यह आंकड़ा कम्प्यूटर द्वारा सृजित स्टेस्टिकल रिपोर्ट में अलग से नहीं दिया जाता । अतः प्रारूप "जी" के द्वारा घटाई गयी यूनिटों और उसके मूल्यांकन का विवरण देना सम्भव नहीं है । पुनरीक्षित यूनिटें प्रारूप "जी" के माध्यम से भेजी जाती हैं । वह अगले माह के रजिस्टर में नहीं छपती हैं । पुनरीक्षित यूनिट का मूल्यांकन करके कम्प्यूटर अगले माह के रजिस्टर में बकाया धनराशि के रूप में परिलक्षित कर देता और यदि घटाई गयी यूनिटों के बिल का भुगतान हो जाता है तो अगले माह के बिल रजिस्टर में वह नहीं छपता, क्योंकि उसकी प्राप्ति रसीद सं० सहित अंकित हो जाती है । प्रारूप "जी" और अन्य प्रा -पों के द्वारा जो एडवाईस कम्प्यूटर की दी जाती है उसकी सामूहिक गणना कम्प्यूटर द्वारा सृजित स्टेस्टिकल रिपोर्ट में दी जाती है, जिसके द्वारा परिषद् के राजस्व में कितना कम वास्तविक रूप से घटाया या बढ़ाया गया उसकी गणना की जाती है ।

113–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ के वाणिज्य विभाग में खण्डशः (ग्रुपवाईज) कम्प्यूटर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं को दिनांक 1-4-88 से प्रतिवर्ष कितनी धनराशि एसेसमेन्ट किया गया एवं उनकी संख्या कितनी है ? बिल पुनरीक्षण के पश्चात् कितने उपभोक्ताओं के बिलों से प्रारूप "35" के द्वारा किये गये एसेसमेन्ट में कितनी धनराशि घटाई गयी और क्यों ? इसमें वास्तविक गल्ती के आंकड़े क्या हैं और फर्जी आंकड़े क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ वाणिज्य विभाग में दिनांक 1-4-88 से 1991-92 तक प्रति वर्ष खण्डशः कम्प्यूटर द्वारा बनाये गये बिलों की एसेसमेन्ट धनराशि और उपभोक्ताओं की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :––

वर्ष	ग्रुप	कन्ज्यूमर बिल्ड	टोटल एसेसमेन्ट (रु०)
1	2	3	4
1988-89	अलीगंज	28,319	4,00,89,623
	रेजीडेन्सी	47,104	5,7072,797
	हुसैनगंज	31,283	6,14,73,373
	आलमबाग	40,438	5,09,75,744
1989-90	अलीगंज	30,563	4,95,81,389
	रेजीडेन्सी	51,549	6,84,95,976
	हुसैनगंज	29,712	6,33,32,785
	आलमबाग	43,627	5,77,79,836

1990-91	अलीगंज	32,920	7,97,07,781
	रेजीडेन्सी	53,636	6,41,43,023
	हुसैनगंज	30,404	8,71,53,671
	आलमबाग	47,319	8,44,97,895
1991-92	अलीगंज	34,924	7,95,57,229
	रेजीडेन्सी	54,826	8,91,18,159
	हुसैनगंज	30,818	8,36,42,822
	आलमबाग	53,162	10,09,22,119

बिल पुनरीक्षण के पश्चात् उपभोक्ताओं के बिलों से प्रारूप "35" द्वारा कोई एसेसमेन्ट नहीं घटाया जाता है बल्कि प्रारूप "35" से उपभोक्ताओं के बकाया का संशोधन किया जाता है। इस प्रारूप के बिलों में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट एवं पूर्व भुगतान किये गये बकाये को संशोधित करने के लिये प्रयोग किया जाता है। प्रारूप "35" के द्वारा वास्तविक आंकड़े ही भेजे जाते हैं फर्जी आंकड़े भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अवर अभियन्ताओं के विद्युत प्रेषण खण्ड से विद्युत वितरण खण्डों में स्थानान्तरण हेतु अपनाई गयी प्रक्रिया

114-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अवर अभियन्ताओं के विद्युत प्रेषण खण्ड से विद्युत वितरण खण्डों में स्थानान्तरण हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? कितने अवर अभियन्ताओं का विद्युत प्रेषण खंड, जौनपुर से विद्युत वितरण खंड, जौनपुर में स्थानान्तरण/तैनाती की गयी ? उनके नाम तथा खण्डों में कार्य अवधि क्या है ? कितने अवर अभियन्ताओं ने प्रेषण खण्ड, जौनपुर से वितरण खंड, जौनपुर को स्थानान्तरण का अनुरोध किया था ? क्या यह सत्य है कि उक्त स्थानान्तरण में अनियमिततायें बरती गयी थीं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के पारेषण एवं वितरण में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के, एक संगठन से दूसरे संगठन में केन्द्रीय स्तर पर मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा स्थानान्तरण किये जाते हैं। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता इन अवर अभियन्ताओं को अपनी इकाइयों के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ताओं को कार्य/आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैनात करते हैं। इसी प्रकार अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्य और आवश्यकता को देखते हुए अवर अभियन्ता को खण्डों में तैनात करते हैं।

एक संगठन से दूसरे संगठन में स्थानान्तरण सामान्यतया पारेषण/वितरण से उत्पादन संगठन में 15 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात किये जाते हैं तथा विशेष परिस्थिति में उत्पादन में 10 वर्ष से

अधिक के कार्यकाल पूर्ण करने वाले अवर अभियन्ता का आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण पारेषण एवं वितरण संगठन में किया जाता है।

विद्युत वितरण खण्ड, जौनपुर से विद्युत वितरण खण्ड, जौनपुर में केवल एक अवर अभियन्ता की तैनाती की गयी है, उसका नाम एवं कार्य अवधि निम्न है :—

श्री श्रीराम यादव, अवर अभियन्ता, 31-7-79 से 15-8-90 ओबरा परियोजना, 15-8-90 से 15-9-92 प्रेषण खण्ड, जौनपुर, 16-9-92 से अब तक विद्युत वितरण खण्ड, जौनपुर।

प्रेषण खंड, जौनपुर में कार्यरत केवल दो अवर अभियन्ता सर्वश्री श्रीराम यादव एवं श्री वशिष्ठ नारायन सिंह की धर्मपत्नियों ने वाराणसी जोन के लिये स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ स्थित तालकटोरा पावर हाउस एवं ऐशबाग पावर हाउस में बन्दी की तिथि से हुई चोरियां एवं कार्यवाही

115–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ स्थित तालकटोरा पावर हाउस एवं ऐशबाग पावर हाउस में बन्दी की तिथि से कुल कितनी चोरियां, कब-कब हुई हैं? क्या इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवायी गयी थी ? यदि हां, तो किस के द्वारा तथा कुल कितनी मात्रा की सम्पत्ति चोरी गयी ? क्या मंत्री जी चोरी किये गये सामानों की ब्योरेवार सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तालकटोरा पावर हाउस को अन्तिम बार चलाये जाने की तिथि 28-9-92 के बाद कुल 3 बार चोरी हुई तथा ऐशबाग पावर हाउस को अन्तिम बार चलाये जाने के वर्ष 1982-83 के बाद दो बार चोरी हुई।

जी हां, प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थानों में लिखायी गयी थी।

तालकटोरा पावर हाउस में अनुमानतः रुपये 3650.00 (तीन हजार छः सौ पचास मात्र) का सामान चोरी गया तथा ऐशबाग पावर हाउस में अनुमानतः रु० 36000.00 (रु० छत्तीस हजार मात्र) का सामान चोरी गया।

तालकटोरा पावर हाउस एवं ऐशबाग पावर हाउस में चोरी गयी सामानों की ब्यौरेवार सूची अनुसंलग्नक "अ" तथा "ब" संलग्न है।

कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी इंगित नहीं हुआ। चौकीदार तथा संबंधित अवर अभियन्ताओं को सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 198-200 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन मुख्यालय स्थित लखनऊ के समस्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं उनकी पत्नियां तथा दोनों द्वारा मकान भत्ता लिया जाना

116–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन मुख्यालय स्थित लखनऊ के समस्त कार्यालयों में कितने अधिकारी/कर्मचारी ऐसे हैं, जिनकी पत्नियां विद्युत परिषद् में ही कार्य करती हैं ? उनके नाम, पदनाम, निवास स्थान क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि परिषदीय नियमों का उल्लंघन करते हुए पति-पत्नी दोनों ही मकान किराया भत्ता लेते हैं ? यदि हां, तो कब से और कितना धन वे अब तक ले चुके हैं ? क्या मंत्री जी एक ही आवास में रहने वाले पति-पत्नी द्वारा अनियमित तरीके से लिये गये मकान किराये भत्ते की वसूली करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 4 है ।

सूची सदन के पटल पर परिशिष्ट–I के रूप में रख दी गयी है । †

जी हां । ऐसे 16 पति/पत्नी हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हुए मकान किराया भत्ता लेते हैं । इनकी सूची और विवरण परिशिष्ट II के रूप में सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत तापगृहों के लिये कोयला खानों से कोयला भेजने के अनुबन्ध की शर्तों को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

117–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न तापगृहों के लिये विभिन्न कोयला खानों से आपूर्ति किये जा रहे कोयले को लोड करने, कोयले की श्रेणी, कोयले की सैम्पुलिंग सहित कोयले से पत्थरों को अलग करके कोयला भेजने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है ? क्या यह सत्य है कि यह कार्य ठेके पर किसी अनुबन्ध के तहत किया जा रहा है ? यदि हां, तो निविदा की शर्तें क्या हैं ? क्या मंत्री जी अनुबन्ध की शर्तों को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? शर्तों के अनुपालन में शिथिलता बरतने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के विभिन्न ताप विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति कोल इण्डिया (भारत सरकार का प्रतिष्ठान) के द्वारा की जाती है ।

---

† छापी नहीं गयी ।

खदानों पर कोयला की लोडिंग, कोयले की श्रेणी तथा कोयले की सैम्पुलिंग सहित कोयले से पत्थरों को अलग करके कोयला भेजने का कार्य आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाता है।

जी नहीं। परिषद् के कुछ विद्युत गृहों द्वारा कोयले की गुणवत्ता के सही नियंत्रण हेतु पर्यवेक्षण का कार्य विद्युत गृह द्वारा नियुक्त एजेन्सी द्वारा कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में वाटर सप्लाई संविदा श्रमिकों को कर्मचारी मानने का विषय

118–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में वाटर सप्लाई संविदा श्रमिकों को नियोजित करने वाले ठेकेदार के पास श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन नहीं था ? यदि हां, तो क्या कार्यरत संविदा श्रमिक, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारी माने जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश श्रम मंत्रालय के नियमानुसार जिन ठेकेदारों के यहां 20 या इससे अधिक श्रमिक प्रतिदिन कार्यरत रहते हैं, उन्हें ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 20 या इससे कम श्रमिक प्रतिदिन जिन ठेकेदारों के यहां कार्यरत रहते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। अनपरा तापीय परियोजना की जलापूर्ति व्यवस्था में कार्यरत ठेकेदारों के पास उपरोक्तानुसार रजिस्ट्रेशन था।

जी नहीं।

क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् एवं ठेकेदारों के मध्य अनुबन्ध होने पर कार्य की आवश्यकता ठेकेदार संविदा श्रमिकों को नियोजित करता है अतः ये ठेकेदार के कर्मचारी माने जायेंगे राज्य विद्युत परिषद् के नहीं।

जनपद बाराबंकी के टाउन एरिया हैदरगढ़ के वर्तमान चेयरमैन द्वारा घोटाला करने के आरोप में निलम्बन आदेश शासन द्वारा जारी न किया जाना

119–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया हैदरगढ़ (बाराबंकी) के वर्तमान चेयरमैन के विरुद्ध निर्माण कार्यों तथा अपने पद का दुरुपयोग करके लाखों रुपये का घोटाला करने के आरोप में शासन द्वारा उन्हें निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो निलम्बन आदेश शासन द्वारा अब तक जारी न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के बभनी विकास खण्ड में कतिपय गांवों में बिजली का उपभोग किये बिना ही जबरी वसूल करने हेतु रिकवरी सर्टिफिकेट दिया जाना

120–श्री विजय सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सोनभद्र के बभनी विकास खण्ड के ग्राम बभनी–चपकी, महुआरिया, धरती डोल, आसन्डीह गांवों में कितने दिनों से बिजली नहीं है ? उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त गांवों में बिजली का उपभोग किये बिना ही उपभोक्ताओं को बिजली उपभोग का बिल मिल रहा है और उसे उपभोक्ताओं द्वारा न भरने पर जबरी वसूल करने हेतु रिकवरी सर्टिफिकेट तहसील के माध्यम से दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद सोनभद्र के बभनी विकास खंड को विद्युतीकृत करने वाले 11 के० वी० पिपरी म्यूरपुर, बभनी फीडर के तारों के चोरी चले जाने के कारण इन ग्रामों की विद्युत आपूर्ति माह 12/92 से बाधित पड़ी है । विद्युत बाधित होने के कारण इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को वर्तमान में कोई विद्युत बीजक नहीं दिया जा रहा है और न ही किसी उपभोक्ता के विरुद्ध रिकवरी सर्टिफिकेट भेजा गया है ।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत हैदरगढ़ क्षेत्र में अनु० जाति बाहुल्य बस्तियों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

121–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री बाराबंकी जिले के अन्तर्गत हैदरगढ़ क्षेत्र में सराय गोपी, जारमऊ, शुकुलपुर, जलालपुर, मेहदिया, टिकराहुआ, पलिया, अहरी गांव, किरसिया, वनकोट, खौली, कोलवा, बम्भरौली, आइमा, सहरी, इस्लामपुर, रेहूरा, कैथी, मुस्तफाबाद, शरीफाबाद, राही, गोसियामऊ, आमानपुरवा, मल्हनपुरवा, निदूरी, टिकुरी, सालपुर, वैरिहा, रौली व बेलवा, सुजारा, खजुरी, बनवारगंज, श्रीकृष्णपुर, गोकुलपुर, कुसियागंज, लाही, टिकरा, रैल, रानीखेर कोलहदा, खमनखेर, बड़वल, गनहरी, नरहदी, पूरे देवीदास, पैकोली, फतेहपुर, जमुखा, दौलतपुर, परगौरियापुरवा, गज्फरपुरवा, विजयखेरा, मोहूपुरवा, करमेमऊ, दौलतपुर, दोहरी, मझार, मौलाबाद, ख्वाजा आल्हेपुर, लोदीकोट, धौरहरा आदि ग्रामों में अनु० जाति बाहुल्य बस्तियों में विद्युतीकरण कराये जाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम किरसिया, बम्हरौली, लालपुर, श्रीकृष्णपुर का विद्युतीकरण किया जा चुका है । ग्राम बढ़वल तथा सरायगोपी के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है । शेष ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव संसाधनों के अभाव में वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में एक हजार से ऊपर की जनसंख्या वाले अविद्युतीकृत गांवों की संख्या एवं गड़रीगांव, पांग व पिनानी को विद्युतीकरण किये जाने की मांग

122–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल तथा चमोली में एक हजार से ऊपर की जनसंख्या वाले कितने ऐसे गांव हैं, जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ ? क्या इन जनपदों में एक हजार से भी अधिक आबादी वाले गड़रीगांव (पोखरा), पांग व पिनानी (पावौ) का तत्काल विद्युतीकरण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद चमोली में एक हजार से ऊपर की जनसंख्या का कोई भी ग्राम अविद्युतीकृत नहीं है ।

जनपद पौड़ी (गढ़वाल) में एक हजार से ऊपर जनसंख्या का केवल एक ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष है जिसकी आबादी 2266 विकास खंड पोखड़ा के अन्तर्गत 11 उप ग्रामों का एक ग्राम है जिसके विद्युतीकरण पर करीब 46.8 लाख रुपये लगने की सम्भावना है जिसका विद्युतीकरण वर्तमान समय में आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है ।

ग्राम पांग आबादी 649 व पिनानी आबदी 700 विकास खण्ड पावौ पौड़ी (ग) जनपद के अन्तर्गत आने वाले ग्राम हैं । इन ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव इस वर्ष 93-94 में नहीं है । इन ग्रामों का विद्युतीकरण जिला स्तरीय विद्युत एवं सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

रुद्रप्रयाग तथा कर्णप्रयाग में बस अड्डों के लिये शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि एवं इन्हें निर्माण किये जाने की मांग

123–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यात्रा मार्ग रुद्रप्रयाग तथा कर्णप्रयाग में बस अड्डों के लिये शासन से पैसा स्वीकृत है ? यदि हां, तो इन बस अड्डों को तत्काल न बनवाये जाने के क्या कारण हैं ? यात्राकाल में यात्रियों को होने वाली भारी असुविधा को देखते हुए सरकार कब तक इन बस अड्डों का निर्माण करा लेगी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं । रुद्रप्रयाग एवं कर्णप्रयाग अराष्ट्रीकृत मार्गों पर स्थित हैं । वर्तमान में अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर बस स्टेशन बनाने की नीति नहीं है ।

जनपद चमोली व गढ़वाल में वर्षशः गांवों का विद्युतीकरण का विवरण

124–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 5 वर्षों में जनपद चमोली व गढ़वाल में किस वर्ष में कितने गांवों को विद्युतीकरण हेतु चुना गया था ? वर्षशः किस वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध कितने गांव को विद्युतीकृत किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद चमोली व गढ़वाल में विगत पांच वर्षों के लक्ष्य के सापेक्ष ग्रामों का विद्युतीकरण निम्नवत् किया गया :––

चमोली

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य सं०	उपलब्धि सं०
1988-89	46	46
1989-90	70	30
1990-91	30	30
1991-92	24	30
1992-93	43	43
योग	213	179
पौड़ी गढ़वाल		
1988-89	126	103
1989-90	126	83
1990-91	120	113
1991-92	60	60
1992-93	139	119
योग :–	571	478

125–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[तीसरे सोमवार में अता० प्र० सं० 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

126–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[दि० 9-3-94 को अता० प्र० सं० 174 द्वारा उत्तरित]

संयुक्त सचिव, ऊर्जा के पत्र द्वारा श्री पी० वी० वर्मा, अध्यक्ष ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के यात्रा भत्ता संबंधी बीजक का विवरण

127–श्री बैजनाथ रावत–

क्या सरकार बतायेगी कि संयुक्त सचिव, ऊर्जा के पत्रांक 3790पी–1/93-23, दिनांक 22-12-93 द्वारा श्री पी० वी० वर्मा, अध्यक्ष ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के अप्रैल/मई, 1991 के यात्रा

भत्ता बीजक वापस किये गये थे ? यदि हां, तो बीजक वापस किये जाने का क्या कारण था ? क्या वर्ष 1991-92 व 92-93 में समिति के व्यय भुगतान की कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब-कब, कितनी राशि, किस-किस मद में भुगतान की गयी तथा कितनी राशि समर्पित की गयी ? क्या वापस किये जाने से पूर्व उक्त यात्रा भत्ता बीजक भुगतान हेतु कोषागार भेजे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि बीजक भेजे गये थे तो कोषागार की आपत्ति क्या थी ? बिना पर्याप्त व समुचित कारण के यात्रा भत्ता बीजक वापस करने का कारण क्या था ? बीजक वापसी की कार्यवाही में कितनी शासकीय राशि व्यय हुई तथा इसके लिये उत्तरदायी लोगों के नाम व पदनाम क्या हैं ? शासन इस अनियमितता के बारे में अब क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । बीजक में कमियों के कारण सिंचाई विभाग के स्तर पर आपत्तियां लगा दी गयी थी ।

जी हां । भुगतान की गयी राशि का वर्षवार विवरण निम्नवत् है––

वर्ष 1991-92

दिनांक	मद	भुगतान की गई राशि
19-2-92	वेतन	रु० 4057.00
31-3-92	अन्य भत्ते	रु० 4932.25
	योग –	रु० 8989.25

कोई धनराशि नियमानुसार समाप्ति नहीं की जानी थी ।

वर्ष 1992-93

दिनांक	मद का नाम	भुगतान की गयी राशि
7 व 8 अप्रैल, 1993	वेतन	रु० 13,193.85
	2–महंगाई भत्ता	रु० 15,586.80
	3–अन्य भत्ते	रु० 3,980.00
	4–अन्तरिम सहायता	रु० 3,396.50
	योग –	रु० 36,157.15

वर्ष 1992-93 में प्राविधानित धनराशि के समक्ष बचत के रूप में रु० 1000/- की धनराशि समर्पित की गयी ।

यात्रा भत्ता बीजक वापस किये जाने के पूर्व कोषागार को नहीं भेजे गये क्योंकि बीजक में कमियों के कारण सिंचाई विभाग के स्तर पर आपत्तियां लगा दी गयी थीं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बीजक वापसी में रु० 9/- (डाक व्यय) की शासकीय राशि व्यय हुई । इसके लिये किसी को उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता है । इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में जले ट्रांसफार्मर उनकी मरम्मत एवं उनके जल जाने पर उपभोक्ता के बिल का विवरण

128–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने ट्रान्सफार्मर जले हुए हैं? कितने समय से इन जले हुए ट्रान्सफार्मरों को बदला नहीं गया है ? क्या ऐसे भी ट्रान्सफार्मर हैं जिनको लगाते ही जला हुआ पाया गया है ? क्या मरम्मत किये गये ट्रान्सफार्मरों को सरकार दूसरी बार इस्तेमाल में लाती है ? क्या ट्रान्सफार्मर जल जाने पर भी उपभोक्ताओं को बिजली का बिल देना पड़ता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद टिहरी गढ़वाल में दिनांक 1-2-94 को 49 ट्रान्सफार्मर जले हुए थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है :––

6 मास से अधिक की अवधि के क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर	21
6 माह से कम अवधि के क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर	28
योग :–	49

2–दो स्थानों पर ट्रान्सफार्मर लगाते ही जल गये थे ।

3–जी हां । मरम्मत किये हुए ट्रान्सफार्मरों को दुबारा इस्तेमाल में लाया जाता है ।

4–ट्रान्सफार्मर के जल जाने पर ट्रान्सफार्मर के क्षतिग्रस्त रहने की अवधि यदि एक माह से अधिक होती है तो एक माह की अवधि को छोड़कर शेष अवधि के बिजली बिल को माफ करने का प्राविधान है ।

सिटी बोर्ड हापुड़ में मलिन बस्ती योजनान्तर्गत लगाये गये हैण्ड पम्प एवं खराब हैण्ड पम्पों को चालू किये जाने की मांग

129–श्री गजराज सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिटी बोर्ट हापुड़ में मलिन बस्ती योजनान्तर्गत कितने और किस मार्का के हैण्ड पम्प लगवाये गये हैं ? क्या सम्प्रति सभी हैण्ड पम्प चालू दशा में हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं ?क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो हैण्ड पम्प खराब हैं, उन्हें कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजनान्तर्गत कुल 33 हैण्ड पम्प इण्डिया मार्का–II लगवाये गये हैं। जी नहीं, कुल 33 हैण्ड पम्प में 22 हैण्ड पम्प चालू दशा में हैं। निरन्तर प्रयोग के कारण 11 हैण्ड पम्प खराब हो गये हैं। पालिका में धन की अनुपलब्धता के कारण ठीक नहीं कराये जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

धन उपलब्ध होने पर ठीक कराया जायेगा। समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को देय विद्युत दर एवं लखनऊ के ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को भी एक ही दर से विद्युत आपूर्ति कराने की कार्यवाही किये जाने की मांग

130–श्री छोटे लाल यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० विद्युत परिषद् द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को देय विद्युत की मूल्य दर क्या है ? लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को लेसू द्वारा दी गयी विद्युत की मूल्य दर क्या है ? क्या इसमें कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति लखनऊ के ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को भी एक ही दर से विद्युत आपूर्ति कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के लिये परिषद् द्वारा भिन्न-भिन्न दरें लागू हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण संलग्नक–1 में संलग्न है।

लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा लागू विद्युत मूल्य दर पर ही सेस भी विद्युत आपूर्ति करती है। इसमें कोई अन्तर नहीं है। प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति लखनऊ के ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को एक ही दर पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृ० 201-202 पर)

ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति से सम्बन्धित कर्मचारियों का वर्ष 1988 से 1993 तक के नकदीकरण, पुनरीक्षित वेतनमान, वेतन, यात्रा भत्ता आदि के भुगतान न किये जाने के कारण की जानकारी एवं मांग

131–श्री हरदेव सिंह तथा श्री बैजनाथ रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ऊर्जा विभाग में ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति से संबंधित वर्ष 1988 से 93 के अवकाश नकदीकरण, पुनरीक्षित वेतनमान, वेतन, यात्रा भत्ता बिल, अप्रैल, 1991 स्टाफ कार पेट्रोल अप्रैल, 1991 तथा मेन्टीनेंस जून, 1989 व अप्रैल, 91 के बीजक अवशेषों का भुगतान ऊर्जा विभाग में विचाराधीन होने के बारे में समिति अध्यक्ष, श्री वी० पी० वर्मा के पत्र दिनांक 5-6-91, 13-1-92, 25-9-93, 7-12-93 के अतिरिक्त सलाहाकार, ऊर्जा विभाग के स्टाफ आफिसर का पत्रांक 1669, दिनांक 30-9-93 व नगर विकास मंत्री का पत्रांक 16 नविम, दिनांक 8-12-93 सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या समिति के अवशेष भुगतान हेतु वर्ष 1989-90, 90-91, 91-92 व 92-93 में भुगतान की कार्यवाही की गयी है ?

यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष भुगतान एवं समर्पित की गयी राशि क्या है ? उपरोक्त अवशेष भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? इनमें विलम्ब के लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं ? इनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त पत्रों के परीक्षणोपरान्त श्री वी० पी० वर्मा के वेतन एवं आवास भत्ते का भुगतान किया जा चुका है । यात्रा भत्ता, पेट्रोल एवं कार मेन्टीनेन्स बिल के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है । श्री वी० पी० वर्मा के त्याग-पत्र को कार्यालय ज्ञाप संख्या 3465 पी–1/91-23, दिनांक 12 जुलाई, 1991 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके आदेश निर्गत हो चुके हैं । श्री राकेश कुमार के अवकाश नकदीकरण एवं अन्य अवशेष दकायों के संबंध में कार्यवाही सिंचाई विभाग द्वारा की जा रही है । श्री राकेश कुमार को विशेष कार्याधिकारी के पद की निरन्तरता का मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

जी हां । भुगतान का विवरण निम्नवत है :—

वर्ष	धनराशि
1989-90	रु० 1,38,217.50 पैसे
1990-91	रु० 7,910.00 पैसे
1991-92	रु० 8,089.25 पैसे
1992-93	रु० 36,157.15 पैसे

वर्ष 1992-93 में रु० 1,000 की धनराशि समर्पित की गयी है ।

श्री वर्मा के कुछ भुगतानों के शेष रहने का कारण कतिपय आपत्तियों का निस्तारण न होना है । श्री राकेश कुमार को मा० उच्च न्यायालय के आदेशान्तर्गत 10-4-91 तक का भुगतान किया जा चुका है । शेष का भुगतान न्यायालय के निर्णयानुसार किया जायगी । विलम्ब के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

जनपद कानपुर (देहात) की नगरपालिका घाटमपुर के अध्यक्ष के विरुद्ध सम्बन्धी जांच आख्या के सदन के पटल पर रखने की मांग

132. श्री राकेश सचान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) की नगरपालिका, घाटमपुर के अध्यक्ष के विरुद्ध लाखों रुपये के गबन एवं नियुक्तियों में की गयी व्यापक अनियमितताओं के संबंध में माह दिसम्बर, 1993 में शासन द्वारा जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

जी हां ।

जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त ही यह निर्णय लिया जा सकेगा कि जांच आख्या के आधार पर क्या कार्यवाही होनी है ? तदोपरान्त आख्या सदन के पटल पर रखने पर विचार किया जा सकेगा ।

जनपद कानपुर (देहात) के तहसील घाटमपुर में पेयजल व्यवस्था हेतु नगर विकास मंत्री द्वारा शिलान्यास एवं जल सम्पूर्ति की व्यवस्था किये जाने की मांग

*133-श्री राकेश सचान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) के तहसील घाटमपुर में पेयजल व्यवस्था हेतु वर्ष 1989 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री द्वारा पानी की टंकी का शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो उसका निर्माण एवं जल सम्पूर्ति की व्यवस्था उक्त कस्बे के लिये कब तक कर दी जायेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक-

जनपद कानपुर (देहात) के तहसील-घाटमपुर में पेयजल व्यवस्था हेतु नगर विकास मंत्री द्वारा शिलान्यास वर्ष 1990 में किया गया था ।

इस योजना हेतु 110.00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी जोकि वर्तमान में धनाभाव के कारण संभव नहीं है ।

जनपद कानपुर देहात, ब्लाक भीतरगांव स्थित ग्राम साढ़ में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु जमीन का अधिग्रहण एवं उसका निर्माण किये जाने की मांग

134-श्री राकेश सचान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात, ब्लाक भीतरगांव स्थित ग्राम साढ़ में एक विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु विद्युत विभाग द्वारा जमीन का अधिग्रहण करके उसमें बाउन्ड्री वाल का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त सब-स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा तथा सब-स्टेशन कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां । जनपद कानपुर देहात, ब्लाक भीतरगांव, स्थित ग्राम साढ़ में एक विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु विद्युत विभाग द्वारा प्रश्नगत जमीन पर बाउन्ड्री वाल का निर्माण करा दिया गया है । शेष कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के सामान्य प्रबन्धक की शासनादेश का उल्लंघन करके की गई नियुक्ति को प्रत्यावर्तित किये जाने की मांग

135-श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के सामान्य प्रबन्धक जिनकी मूल नियुक्ति प्रोवेशनरी आफिसर पर हुयी थी, शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए सामान्य प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति की गयी, जबकि इन्हीं के साथ नियुक्त अन्य प्रोवेशनरी आफिसर क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराकर उन्हें प्रत्यावर्तित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मो० आजम खां–

संस्थागत सेवा मण्डल के माध्यम से श्री राकेश कुमार दीक्षित का प्रोवेशनरी आफिसर पद पर चयन कर नियुक्ति दी गई थी । बाद में बैंक के अन्य कर्मचारियों की भांति इन्हें उप सामान्य प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक पद पर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति/नियुक्ति दी गई । श्री दीक्षित के अतिरिक्त कोई भी प्रोवेशनरी आफिसर बैंक में कार्यरत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० पी० शर्मा, ड्राइवर, उत्तर प्रदेश रा० सहकारी भूमि विकास बैंक को बिना कार्य के वेतन लिए जाने के कारण सेवा निवृत्ति किये जाने की मांग

136–श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि श्री के० पी० शर्मा, ड्राइवर, उत्तर प्रदेश राजकीय सहकारी भूमि विकास बैंक लगभग 20 वर्षों से कोई गाड़ी नहीं चला रहे हैं और बिना कार्य के वेतन ले रहे हैं ? यदि हां, तो सरकारी धन के दुरुपयोग हेतु दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री शर्मा ड्राइवर को अनावश्यक सेवानिवृत्ति किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

बैंक प्रशासन ने श्री के० पी० शर्मा को बैंक की मोटर गाड़ियों के पर्यवेक्षण करने वाले भूमि मूल्यांकन अधिकारी के साथ सम्बद्ध करते हुए आदेशित किया गया था कि श्री शर्मा मोटर गाड़ियों से संबंधित अन्य कार्य भी करेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में इस प्रकार का उनके विरुद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस प्रकार का उनके विरुद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

उ० प्र० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, लखनऊ में श्री आर० एन० मिश्रा, जन-सम्पर्क अधिकारी द्वारा नजारत का कार्य लिए जाने के कारण एवं डैड स्टाक की चेकिंग कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किये जाने की मांग

137–श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, लखनऊ में श्री आर० एन० मिश्रा, जन सम्पर्क अधिकारी नजारत का कार्य सम्पन्न करा रहे हैं ? यदि हां, तो जन-सम्पर्क अधिकारी से नजारत का कार्य लिये जाने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि इनके कार्यकाल में डैड स्टाक की चेकिंग नहीं हुयी है और बैंक का लाखों रुपये का सामान गायब है ? यदि

हां, तो क्या डैड स्टाक की चेकिंग किसी उच्चस्तरीय अधिकारी से कराकर चेकिंग में कम सामान पाये जाने पर दोषी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

बैंक की आवश्यकता के अनुसार जन-सम्पर्क अधिकारी से नजारत का कार्य लिया जा रहा है ।

जी नहीं । लेखापरीक्षा संगठन द्वारा पिछली चेकिंग दिनांक 2-5-93 को की गयी है ।

आडिट के सुझावानसुार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर के लिये नवीन ऐश डम्प-यार्ड के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि पर विस्थापितों के परिवारों को सेवायोजन में लिये जाने की मांग

138–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के लिये नवीन ऐश डम्प-यार्ड के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों की 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक भूमि का अधिग्रहण विद्युत परिषद् द्वारा किया गया है ? इसमें से कितने व्यक्तियों अथवा इनके परिवार के सदस्यों को विद्युत परिषद् के अधीन नियुक्तियां प्रदान की गयी हैं ? ऐसे व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, नियुक्ति पद, नियुक्ति तिथि व कार्यस्थल क्या है ? अनुसूचित जाति के जिन भूमि विस्थापित व्यक्तियों के परिवार के किसी सदस्य की अभी तक सेवायोजन नहीं प्रदान किया गया है, उनके नाम क्या हैं तथा इन्हें परिषद् के अधीन किस तिथि तक नियुक्तियां प्रदान कर दी जायेंगी ? अनुसूचित जाति के भूमि विस्थापित परिवार के सदस्यों को परिषदीय सेवायोजन दिये जाने में विलम्ब के लिये कौन अधिकारी दोषी तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी व कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के लिये नवीन ऐश डम्प-यार्ड के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति के 19 व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है ।

इनमें से परिषद द्वारा 6 व्यक्तियों को नियुक्तियां प्रदान की गयी हैं ।

सूची संलग्न है । (अनुलग्नक "क") ÷

इन भूमि विस्थापितों की सूची संलग्न है (अनुलग्नक "ख")+

इनकी नियुक्ति पदों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

भूमि विस्थापितों को सेवायोजन रिक्त पद पर ही दिया जाता है । रिक्त पदों का अभाव होने के कारण विलम्ब के लिये अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 203-204 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन ताप विद्युत परियोजनाओं में मुख्य रसायनज्ञ के पदों की अवधि एवं विभागीय रसायनज्ञों द्वारा प्रोन्नति किये जाने की मांग

139–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन विभिन्न ताप विद्युत परियोजनाओं में मुख्य रसायनज्ञ के कितने पद रिक्त हैं व कब से हैं ? क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् रसायनज्ञ सेवा नियमावली, 1970 के अन्तर्गत मुख्य रसायनज्ञ के किसी भी पद पर परिषद् द्वारा सीधी भर्ती विगत 23 वर्षों में नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या विद्युत परिषद् द्वारा मुख्य रसायनज्ञ के पद पर सीधी भर्ती के कोटे को समाप्त कर विभागीय रसायनज्ञ श्रेणी-प्रथम पदधारकों से मुख्य रसायनज्ञ के रिक्त पदों पर प्रोन्नतियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत परिषद् के अधीन वर्तमान में मुख्य रसायनज्ञ के 06 (छः) पद निम्नांकित दिनांकों से रिक्त हैं:–

एक पद–दिनांक 07-07-76 से

एक पद–दिनांक 13-07-84 से

एक पद–दिनांक 27-10-86 से

दो पद–दिनांक 30-06-87 से

तथा एक पद–दिनांक 01-08-91 से

जी हां ।

प्रभावी सेवा विनियमों के अनुसार मुख्य रसायनज्ञ के पदों पर नियुक्तियां 50 प्रतिशत विभागीय प्रोन्नति तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा किए जाने का प्राविधान है एवं तदनुसार ही कार्यवाही की जायेगी ।

सेवा विनियमों के अनुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है ।

140–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

141–श्री ऊदल–

। मा० सदस्य द्वारा वापस किया गया ।

प्रदेश में कथित मशीनों में विद्युत उत्पादन एवं उसकी मांग

142-श्री सरजीत सिंह डंग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितना विद्युत उत्पादन क्रमशः दिसम्बर, 1991 व जनवरी/फरवरी, 1992 में हुआ तथा इन्हीं माहों में 1992-93 में कितना उत्पादन हुआ ? संदर्भित अवधि में विद्युत मांग क्या थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में दिसम्बर, 91 से फरवरी, 92 तक तथा दिसम्बर, 1992 से फरवरी, 1993 तक विद्युत उत्पादन निम्नांकित तालिका-1 में तथा प्रति दिन औसत उत्पादन एवं प्रतिबन्धित मांग तालिका-2 में दी गयी है।

तालिका-1

उत्पादन (मि० यू०)

माह	जलीय	तापीय	कुल योग
दिसम्बर, 91	366	1084	1450
दिसम्बर, 92	265	1294	1559
जनवरी, 92	340	1222	1562
जनवरी, 93	258	1332	1590
फरवरी, 92	395	960	1355
फरवरी, 93	214	1193	1407

तालिका-2

माह	औसत उत्पादन (मि० यू०)/दिन	प्रतिबन्धित मांग औसत प्रतिदिन (मि० यू०)
दिसम्बर, 91	46.8	87.7
दिसम्बर, 92	50.3	90.2
जनवरी, 92	50.4	91.0
जनवरी, 93	51.3	98.0
फरवरी, 92	46.7	87.1
फरवरी, 93	50.3	96.7

उत्तर प्रदेश विधान सभा

220 के० वी० चिनहट टैपिंग लाइन के निर्माण में की गई अनियमिततायें एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

143–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 220 के० वी० चिनहट टैपिंग लाइन के निर्माण में क्या-क्या अनियमिततायें पायी गयी हैं ? इसके पुनर्निमाण में राज्य विद्युत परिषद् का अब तक कितना धन खर्च हो चुका है ? योजना पूर्ण करने में कितना धन खर्च होगा ? क्या इस प्रकरण में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

220 के० वी० चिनहट टेपिंग लाइन के निर्माण में निम्न अनियमिततायें पाई गई हैं:–

1–टावर फाउन्डेशन/स्टब सेटिंग के निर्माण में त्रुटियां ।

2–ठेकेदार द्वारा लाइन रूट की सर्वे के उपरान्त निर्मित प्रोफाइल पर अंकित टावर के स्थान के बजाय कुछ से० मी० दूर पर टावर फाउन्डेशन/स्टब सेटिंग किया जाना ।

3–खड़े किये टावरों में बहुत से बोल्ट्स एवं नट्स नहीं लगे पाये गये हैं क्योंकि छेद आमने सामने नहीं पड़ रहे थे । यह स्थिति मेन लेग क्रासआर्म ज्वाइंट पर भी पाई गई ।

त्रुटिपूर्ण कार्यों को ठीक करने में लगभग 13.87 लाख रुपये व्यय किये गये हैं ।

योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा लाइन निर्माण के कार्य को पूरा करने का अनुमानित व्यय 5.43 करोड़ है । लाइन के निर्माण में हुई त्रुटियों के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका है ।

जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य एवं जुड़ी इमारतों की अद्यतन स्थिति की जानकारी

144–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद के कितने ऐसे सब-स्टेशन हैं, जिनका निर्माण हो चुका है किन्तु उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं ? इन सब-स्टेशनों का निर्माण कब हुआ था ? सब-स्टेशनरों एवं इनसे जुड़ी इमारतों की अद्यतन स्थिति क्या है ? इन सब स्टेशनों का उपयोग कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में ऐसे सब-स्टेशन जिनका निर्माण हो चुका है किन्तु उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं, अधोलिखित है :–

	जनपद	सब-स्टेशन	निर्माणकाल
1.	सोनभद्र	33/11 के० वी० सब-स्टेशन चोपन	31-3-89
2.	मिर्जापुर	33/11 के० वी० सब-स्टेशन, राजगढ़	लगभग 20 वर्ष पूर्व
		33/11 के० वी० सब-स्टेशन, अर्जुनपुर	
		33/11 के० वी० सब-स्टेशन पंडुरी ।	31-3-89

राजगढ़ एवं अर्जुनपुर उपकेन्द्रों पर इमारतों की स्थिति दयनीय है । इनके मरम्मत की आवश्यकता है । इनके उपकरण और लाइन भी दयनीय हालत में है । इन दोनों सब-स्टेशनों को पुनः तभी चालू किया जा सकता है जबकि इनका मरम्मत कार्य पूर्ण हो जिसके लिये सम्प्रति संसाधन उपलब्ध नहीं है ।

पंडुरी उपकेन्द्र पर इमारत के रूप में केवल कन्ट्रोल रूम का निर्माण हुआ है जो सही स्थिति में है । इस उपकेन्द्र को ऊर्जाकृत करने वाली 33 के० वी० चुनारपडुरी लाइन पर बार-बार चोरी होने के कारण उपकेन्द्र ऊर्जाकृत नहीं हो पाया और उपयोग में नहीं लाया जा सका । लाइन का पुंननिर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

सोनभद्र जनपद के चोपन उपकेन्द्र पर इमारत के रूप में केवल कन्ट्रोल रूम का निर्माण हुआ है । जो कि सही स्थिति में है । इस उपकेन्द्र को ऊर्जाकृत करने वाली 33 के० वी० छपका-चोपन लाइन को 11 के० वी० लाइन से लोड लेकर चलाया जा रहा है । उपकेन्द्र का ऊर्जीकरण लाइन के खाली होने पर निर्भर है ।

जनपद गाजियाबाद के स्टील फैक्ट्री में विद्युत परिषद् अधिकारियों द्वारा छापा, पाई गयी अनियमितताएं एवं कार्यवाही

145–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि गाजियाबाद जनपद के स्टील फैक्ट्री में माह नवम्बर,/दिसम्बर, 1993 में विद्युत परिषद् अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया था ? यदि हां, तो छापे के दौरान क्या-क्या अनियमिततायें सामने आयीं ? इन अनियमितताओं के संदर्भ में क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । दिनांक 26-11-93 को जनपद-गाजियाबाद में मेसर्स महाराष्ट्र स्टील लि०, के यहां विद्युत परिषद् के अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया था ।

छापे के दौरान बिजली की चोरी पकड़ी गई । मीटर प्रणाली चेक करने पर पाया गया कि 33 के० वी० सी० टी० के एक फेज में करेन्ट नहीं आ रही थी । सी० टी० से मीटर तक आने वाली केबल में एक लोहे की कील लगी हुई पायी गई जिसके कारण अनाधिकृत रूप से मीटर प्रणाली में व्यवधान पैदा कर मीटर द्वारा पूरा उपभोग रिकार्ड करने से रोका गया था ।

जी हां ।

उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन को तुरन्त विच्छेदित कराकर विद्युत चोरी के मामले की थाना कोतवाली गाजियाबाद में प्राथमिकी (एफ० आई आर०) दर्ज करा दी गई जिसमें विवेचनापरान्त आरोप पत्र दिनांक 5-3-94 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । उपभोक्ता पर रु० 8.66 करोड़ का राजस्व निर्धारण भी किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर नगर में चुन्नीगंज स्थित नौमंजिला आवासीय भवन बनाया जाना एवं कतिपय कारणों से इसे हटाये जाने की मांग

146–श्री मंयकर सिंह तथा श्री किशन लाल–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर नगर में चुन्नीगंज स्थित बैंक आफ बड़ौदा के ठीक पीछे एक नौमंजिला प्राइवेट आवासीय काम्पलेक्स बनाया गया है ? यदि हां,तो क्या कानपुर विकास प्राधिकरण या नगरमहापालिका ने इसकी अनुमति प्रदान की है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस काम्पलेक्स के आसपास घनी बस्ती है इसके सामने पुलिस स्टेशन तथा सरकारी बस अड्डा बना हुआ है और किन्ही परिस्थितियों के इस काम्पलेक्स के ढहने से सैकड़ों परिवार के मरने की आशंका व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस काम्पलेक्स के निर्माण हेतु जुर्माना करने तथा काम्पलेक्स को हटाने पर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां, इस भवन का मानचित्र परमिट संख्या–895/500/भ०/78–79, दिनांक 8-9-88 द्वारा स्वीकृत है । इस काम्पलेक्स के आस-पास घनी आबादी नहीं है । पुलिस स्टेशन और बस अड्डा इस भवन से क्रमशः लगभग 150 गज तथा 200 गज दूर स्थित हैं । इस भवन की स्ट्रक्चरल डिजाइन आई० आई० टी० के स्ट्रक्चरल प्रोफेसर द्वारा स्थानीय स्थलाकृति के अनुसार की गयी है तथा इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मुख्य शमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त है । इस भवन के ढहने की आशंका नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के गांव सभा देवराई, पोस्ट उनकपुर, ब्लाक पिंडरा, में विद्युत कनेक्शन हेतु कतिपय व्यक्तियों द्वारा स्टीमेट जमा करने के बाद भी कनेक्शन न दिये जाने विषयक मुख्य मंत्री को दिया गया पत्र एवं कार्यवाही

147–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा देवराई, पोस्ट उनकपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के सर्वश्री हरिशंकर, फूलचन्द्र, श्यामलाल, होरी लाल, लालचन्द्र, शिवचरन, दयाशंकर, लालता, लालता प्रसाद, उमाशंकर, मंगनू, हरी प्रसाद पाल, रामदेव, रामबली पाल, राम खेलावन, राजनाथ, राजाराम, दयाराम, शिवबदन पाल, वगैरह 21 व्यक्तियों ने तारीख 26-4-90 को बुक संख्या 19705 के द्वारा पूरे इस्टीमेट का रुपया जमा करके रसीद संख्या क्रमशः 5,7,9,10,12,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27, वगैरह शामिल किया है, वहां सिर्फ खम्भा गिराया गया है ? यदि हां, तो 26-4-90 से लेकर अब तक खम्भे को गाड़कर तार खींचकर बत्ती, पंखा के लिये कनेक्शन न देने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री को उपरोक्त व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र को इस्टीमेट की रसीद के साथ तारीख 17-1-94 को दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

148–श्री विश्राम सिंह यादव–

। दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।

मुरादाबाद शहर के पश्चिम लाइन पार बड़े इलाके में सड़क नालियों के निर्माण हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग

149–श्री समरपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मुरादाबाद शहर के पश्चिम में लाइनपार के एक बड़े इलाके में सड़कों एवं गलियों की दशा अत्यन्त दयनीय है जिसके कारण निवासियों का आना जाना मुश्किल रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इलाके में जल निकासी एवं सड़क, नालियों के निर्माण हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

नगरपालिका, मुरादाबाद को अपने सीमित साधनों से पूरे नगर की सफाई व सड़कों एवं गलियों की मरम्मत का कार्य कराना होता है । प्रश्नगत क्षेत्र में अधिकांश सड़कें ठीक हैं कुछ सड़कें मरम्मत योग्य हैं परन्तु यातायात में वे बाधक नहीं हैं ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यह कार्यवाही की जा सकती है किन्तु इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बयालसी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

150–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बयालसी के अन्तर्गत अब तक कितनी अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? शेष बस्तियों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र-बयालसी, जौनपुर के विभिन्न ग्रामों में अनुसूचित जाति की बस्तियों के विद्युतीकरण की अद्यतन स्थिति निम्नवत है:–

अनुसूचित जाति की बस्तियों की कुल संख्या	विद्युतीकृत अनुसूचित जाति की बस्तियों की संख्या	विद्युतीकरण हेतु अवशेष अनु० जाति की बस्तियों की संख्या
337	74	263

शेष बस्तियों का विद्युतीकरण जनपदीय विद्युत एवं सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने एवं ससाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

151–श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ० प्र० राज्य भण्डारागार निगम के अन्तर्गत भारी घपले विषयक प्रश्नकर्ता का मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र एवं कार्यवाही की मांग

152–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-9-92, जोकि तत्कालिक मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित था एवं जिसमें उ० प्र० राज्य भण्डारागार निगम के अन्तर्गत रुपये 51,59,764.45 के भारी घपले का विस्तृत विवरण दर्शाया गया तथा उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दर्शाये गये घपले की धनराशि दोषी अधिकारियों की परिसम्पत्ति से वसूल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

153–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि भण्डारागार निगम के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-9-92, जोकि तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री, उ० प्र० को सम्बोधित था और जिसमें उ० प्र० राज्य भण्डारागार निगम के अन्तर्गत 1,38,42,479.00 रुपये के घपले की जांच राज्य सतर्कता विभाग से कराने सम्बन्धी था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ? क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य भण्डारागार निगम के अन्तर्गत देय वेतन मानों से अधिक अनुचित लाभ लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

154–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य भण्डरागार निगम के अन्तर्गत देय वेतनमानों से अधिक अनुचित लाभ लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-9-92, (10 सितम्बर, 1992) जो कि तत्कालीन मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कर्मचारियों के वेतन से वसूली की गयी है ? यदि हां, तो कुल कितना वेतन वसूली के आदेश दिये गये ? क्या यह सत्य है कि तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, श्री श्याम मोहन शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत अधिकारियों को अनुचित लाभ दिया है ? यदि हां, तो क्या वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के निकट हैदर कैनाल के दोनों तरफ किनारों की गई पक्की मरम्मत की कार्यवाही की जानकारी की मांग

155–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के छठे बुधवार को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के निकट स्थित मैदान के बीच से बहने वाले हैदर कैनाल के दोनों तरफ से टूटे हुए किनारों की पक्की मरम्मत की कार्यवाही की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन एक बजे तक के लिए बढ़ा दिया है । 1 बजे अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

प्रश्नकाल के दौरान परिवहन मंत्री द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति आरोपात्मक टिप्पणी को कार्यवाही से निकाले जाने की मांग

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने कुछ माननीय मंत्री जी के उत्तर देने पर गलत शब्दों का प्रयोग करने से कुछ आपत्ति की थी । उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रश्नों के उत्तर होने हैं, यदि उसके संदर्भ में कहीं आरोप लगाना आवश्यक हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन उसका कोई संदर्भ नहीं है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर आरोप लगाया गया । इस सम्बन्ध में मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया था और अध्यक्ष जी इस बात पर सहमत भी हो गए कि गलत शब्द का प्रयोग हुआ है । इसलिए मेरा कहना है कि उस शब्द को कार्यवाही से निकलवा दिया जाए, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आज की कार्यवाही दिखवा लेंगे अगर कहीं आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसको निकलवा दिया जाएगा ।

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

अगर कोई वास्तविकता है, तो उसको क्या निकलवायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर वास्तविकता होगी तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी । हां, मा० प्रमोद तिवारी जी को आपत्ति हो जाएगी । क्योंकि उसमें 6 दिसम्बर के बाद के दंगों की बात है । उस समय वह सदन में नहीं थे इस समय मौजूद हैं, इसलिए उनके सम्मान की रक्षा करना चाहूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । मा० राजेन्द्र जी चिन्ता न करें । जब कभी भी साम्प्रदायिकता की बात आती है, तो मा० राजेन्द्र जी को तकलीफ होने लगती है । मालूम होता है कि साम्प्रदायिकता का होल सोल ठेका इन्हीं की पार्टी का है । यही इसके ठेकेदार होते हैं ।

–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

6 दिसम्बर, 1992 के बाद का पूरा ठेका इन्होंने ले रखा है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 18 मार्च, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं । पहली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की गंगा ऐक्शन प्लान के तहत वाराणसी में जल निगम की गैर जिम्मेदाराना कार्यवाही से भूमिगत जलस्रोत के विषैला होने से जनजीवन के लिए उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में । दूसरी सूचना श्री ऊदल की नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी द्वारा गृहकर तथा जलकर के असेसमेंट में की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में । तीसरी सूचना श्री गनपत सिंह की ग्राम सभा हरनामपुर, जिला गोरखपुर में हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में । चौथी सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की गाजियाबाद के गांधी नगर स्थिति कम्युनिटी सेन्टर को खाली कराकर सामुदायिक कार्यों हेतु नागरिकों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

पांचवीं सूचना श्री भैरो प्रसाद मिश्र की बांदा जिले के अन्तर्गत चित्रकूट धाम कर्वी नगरपालिका द्वारा बैरियर लगाकर पड़ाव टैक्स वसूल करने के संबंध में है । छठी सूचना श्री प्रीतम सिंह की जनपद लखनऊ में बंथरा सीमा के अन्तर्गत पुलिस द्वारा अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के लोगों को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की दक्षिणी वन प्रभाग, गोंडा में कार्यरत लगभग 200 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वर्ष 1990 से बकाया वेतन देने एवं उनका नियमितीकरण करने के संबंध में है । इसके अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची में श्री बदन सिंह की सूचना आगरा के ब्लाक अकोला स्थित ग्राम नगला झब्बा और हन्नू में सांस रोग की रोकथाम करने के संबंध में हैं । प्रतीक्षा सूची की दूसरी सूचना श्री बची सिंह रावत की अल्मोड़ा के रीची-विल्लेख-भुमान मोटर मार्ग में बस सेवा ठप रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

मैं समझता हूं कि यह सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायं ।

(सदन की अनुमति से सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

इन 7 सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य जो सूचनायें हैं उनको अस्वीकार किया जाता है ।

गंगा ऐक्शन प्लान के तहत वाराणसी में जल निगम की लापरवाही से भूमिगत जल स्रोत के विषैला होने से जनजीवन के लिए उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

[महोदय, वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के अभियान में बड़ी लागत से बनाये गये कोनिया दीनापुर, ट्रीटमेंट प्लान्ट से गंदे व प्रदूषित जल-मल के बिना उपचारित किये गंगा व आस-

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पास के खेतों में निस्तारित करने से हैण्ड पम्पों के पानी में नाइट्रेट की मात्रा 45 मि० ग्रा० प्रति लीटर की सुरक्षित सीमा से तकरीबन आठ गुना ज्यादा 342 मि० ग्रा० प्रति लीटर पहुंच चुकी है और इस स्तर में लगातार इजाफा होने की सम्भावनाएं है । इस क्षेत्र में पीने के पानी का मुख्य साधन हैण्ड पम्प है । नतीजतन इस प्रदूषित भू-जल के सेवन से क्षेत्रीय निवासियों में चर्म रोग की शिकायतें तेजी से प्रकाश में आ रही हैं नगर के गन्दे पानी के निकासी हेतु जो अन्य ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाये गये है वे ठीक ढंग से काम न करने से नगर की सीवर व्यवस्था जाम चल रही है जिसकी सफाई करने में महापालिका भी अक्षम साबित हो रही है । गंगा नदी में अभी भी नगर का गन्दा पानी बहाया जा रहा है । कोनिया दीनापुर में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट सीवर कचरे को बिना शोधन किये गंगा नदी में डाला जा रहा है । प्लान्ट में ईंटों की चैनल बनायी गयी है जिनसे होकर सीवर का गैर उपचारित प्रदूषित पानी खेतों में फसलों, सब्जियों आदि की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है जो आगे चलकर कृषि के लिए भी काफी हानिकारक सिद्ध होगी ।

केन्द्रीय भूमि जल प्रदूषण प्रकोष्ठ निदेशक व भूजल वैज्ञानिक एस० मुखर्जी के अनुसार गंगा सफाई परियोजना के अन्तर्गत जल निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों का दुष्परिणाम बहुत भयंकर होने की सम्भावना है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त गम्भीर खतरे की ओर समुचित ध्यान दिये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।]

नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी द्वारा गृह तथा जलकर के असेसमेंट में की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऊदल–

[मान्यवर, नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी में बोर्ड भंग होने के बाद गृहकर तथा जलकर का असेसमेंट पिछले 15/20 दिन से प्रभारी अधिकारी परगनाधीश, भदोही के आदेश पर कर अधीक्षक नगर-पालिका, भदोही ने शुरू किया है और पिछले कर निर्धारण से दो गुना व तीन गुना करके असेसमेंट किया जा रहा है । जबकि पिछला जलकर व हाउस टैक्स का 40 लाख रु० बकाया पड़ा है । इसको वसूलने की कार्यवाही न करके भदोही नगरपालिका क्षेत्र की जनता को परेशान कर रिश्वत खोरी का रास्ता अख्तियार किया गया है । प्रभारी अधिकारी तथा कर अधीक्षक के इस कार्य से पूरी जनता में असंतोष पैदा हो गया है ।

इसलिये इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये जब तक बोर्ड का चुनाव न हो जाय इस जन विरोधी कार्यवाही को स्थगित करने की मांग सरकार से करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ग्राम सभा हरनामपुर, जिला गोरखपुर में हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गनपत सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से 188. विधान सभा क्षेत्र पनियरा के हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो निम्न है :–

यह कि ग्राम सभा हरनामपुर, जिला गोरखपुर में दिनांक 13/14 की रात्रि में श्री राधेश्याम पासी (अनुसूचित जाति) को एक व्यवसायिक दुकान जिसमें विसारत व परचून से भरा हुआ हजारों-हजारों की सम्पत्ति थी, में आग लगाकर जला कर भस्म कर दिए जाने की घटना को लेकर क्षेत्र की दलित जातियों में भय व आक्रोश व्याप्त है ।

उक्त घटना के अभियुक्त ग्राम-प्रधान श्री गंगा यादव व उनके परिवार के लोंगों में ग्राम समाज की उन जमीनों जिन पर दलितों का हक होता है, पर अपना फर्जी नाम दर्ज कराया था । गांव के दलितों द्वारा इस फर्जी इन्दराज का विरोध करने पर अपर जिलाधिकारी ने फर्जी इन्दराज खारिज कर दिया । जिससे उत्तेजित होकर गंगा यादव व उनके परिवार के लोगों ने आग लगाकर श्री राधेश्याम को उत्पीड़ित किया है ।

स्थानीय थाना कैम्पीयरगंज में इस घटना की गम्भीरता की अनदेखी कर लीपा पोती करते हुए ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

अतः मान्यवर के संज्ञान में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने तथा दलितों की सुरक्षा के लिए विधि सम्मत कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद गाजियाबाद के गांधीनगर स्थित कम्युनिटी सेण्टर को सामुदायिक कार्यों हेतु नागरिकों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर त्यागी–

[महोदय, अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न मामले की ओर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :–

गाजियाबाद नगर की नई आवासीय कालोनियों गांधीनगर, रामनगर, दयानन्दनगर, अशोक नगर व नेहरू नगर व माडल टाउन के निवासियों के शादी व अन्य सामाजिक उत्सवों के लिये गांधीनगर में स्थित एक मात्र कम्युनिटी सेन्टर है इस कम्युनिटी सेन्टर का जी० डी० ए० ने वहां के नागरिकों के सामाजिक कार्यों के लिये निर्माण किया था जिसके निर्माण की लागत विकास दर के रूप में सभी भवन/भूखण्ड आवंटियों से ली गयी थी ।

सन् 1971 में बांगला देश युद्ध के दौरान जिला प्रशासन ने गांधी नगर के उक्त कम्युनिटी सेन्टर में सिविल डिफेंस कार्यालय तथा अन्य कई कार्यालय इस आश्वासन के साथ बना लिए थे कि जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय का निर्माण होते ही उक्त कम्युनिटी सेन्टर को खाली करके नागरिकों को

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सामुदायिक कार्यों के लिये उपलब्ध करा दिया जायेगा । जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय बनने पर अन्य सभी कार्यालय तो वहां स्थानान्तरित हो गये हैं, लेकिन सिविल डिफेंस का कार्यालय अभी भी उक्त कम्युनिटी सेन्टर में ही कायम है । नागरिकों द्वारा अनेक ज्ञापन देने व प्रतिनिधि मण्डल के मिलकर मांग करने पर जिला मजिस्ट्रेट ने अनेक बार कम्युनिटी सेन्टर को खाली करने का आश्वासन दिया है लेकिन अभी तक भी उक्त आश्वासन का पालन नहीं हुआ है । लाखों की आबादी के लिये एक ही सामुदायिक केन्द्र है लेकिन उसमें सिविल डिफेंस का कार्यालय होने के कारण नागरिक उसके उपयोग से वंचित हैं । नागरिकों को अपने पारिवारिक व सामाजिक कार्यक्रमों के लिये कई कि० मी० दूर जाने के लिये विवश होना पड़ता है । इस कारण नागरिकों में रोष व्याप्त हो रहा है ।

कृपया, तत्काल सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि उक्त कम्युनिटी सेन्टर को खाली कराकर नागरिकों को उपलब्ध करा दें । ।

बांदा जिले के चित्रकूट धाम कर्वी नगरपालिका द्वारा पड़ाव टैक्स वसूल करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

। मान्यवर, बांदा जिले के चित्रकूट धाम कर्वी नगरपालिका के अन्तर्गत नगरपालिका द्वारा मुख्य मार्गों पर कई जगह बैरियर लगाकर पड़ाव शुल्क की वसूली की जा रही है । नागरिकों से यह कहा जा रहा है कि हम वाहन को खड़ा करने की अपने नगर महापालिका क्षेत्र में सुविधा देते हैं, इसलिये यह शुल्क लिया जा रहा है । लेकिन उस क्षेत्र में न तो कोई वाहन खड़ा करने के लिये जगह ही निर्धारित है और न ही उस स्थान पर वाहनों एवं चालकों को कोई अन्य सुविधायें ही उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि नियमानुसार ऐसे शुल्क जिला परिषद् या नगरपालिका द्वारा तभी लिये जा सकते हैं जबकि उसके लिये कोई स्थान निर्धारित हो एवं वहां अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हों एवं ऐसे शुल्क बैरियर लगाकर किसी भी कीमत पर वसूल नहीं किये जा सकते हैं । केवल पड़ाव स्थान पर गाड़ी खड़ी करने पर ही ऐसे शुल्क लेने का प्राविधान है । इस विषय पर कई बार नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रशासक का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन यह वसूली आबाध गति से जारी है ।

अस्तु श्रीमान् जी से अनुरोध है कि शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये इस विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें तथा इस अवैधानिक वसूली को रोकवाने के लिये शासन को निर्देशित करने की कृपा करें । ।

जनपद लखनऊ में बन्थरा थानान्तर्गत पुलिस द्वारा अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के लोगों को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अर्न्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह–

। महोदय, मैं आपका ध्यान लोक महत्व की घटना की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं कि जनपद लखनऊ में बन्थरा थाना के अन्तर्गत दिनांक 14-3-1994 को घटना घटित हुई जिसमें उक्त गांव

नोट । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के सामन्त शाही व्यक्तियों के इशारे पर उक्त थाने में तैनात श्री एस० के० सिंह एस० आई० एवं श्री लल्लू सिंह सिपाही तथा अन्य सिपाहियों तथा थाने के कर्मियों द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों से जाति पूंछ-पूंछ कर काफी मारा-पीटा जिससे काफी लोगों को गम्भीर चोटें आयीं। उक्त दिवस को ही इस थाने से डी० सी० लखनऊ को रेडियोग्राम (वायरलेस) से यह गलत सूचना दी गयी कि "यहां पर हिन्दू मुस्लिम दंगा होने वाला है" जबकि वहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी। इस तरह की घटना घटित होने से इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के व्यक्तियों में काफी असंतोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर तुरन्त कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।।

दक्षिणी वन प्रभाग गोण्डा में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बकाया वेतन न देने तथा नियमित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद–

। मान्यवर, दक्षिणी वन प्रभाग गोण्डा में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों (लगभग 200) को वर्ष 1990 से आज तक वेतन नहीं दिया गया है। जबकि निरन्तर तीन वर्ष की सेवा में 240 दिन पूरा किये जाने पर बोनस देने का भी प्राविधान है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो 1940 से भी कार्यरत हैं, जिन्हें आज तक न ही नियमितीकरण किया गया और न ही वन विभाग के सभी रिक्त पद कर्मचारियों से बिना परीक्षा लिये वरिष्ठता की सूची में लिया गया, कुछ ऐसे भी दैनिक कर्मचारी है, जिनकी सरकारी सेवा से आयु सीमा पार कर चुकी है।

उक्त दैनिक कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पटल पर रखते हुए सरकार का ध्यान संबंधित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन तथा उन सभी कर्मचारियों के नियमितीकरण करने का प्रस्ताव है।।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं नियम 311 की सूचनायें ले रहा हूं।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, पहले नियम 300 की सूचनायें ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने 311 की सूचनायें ले ली हैं।

नोट :–। । यह अंश पत्र हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ, थाना इटौंजा, ग्राम पलिया की हरिजन महिला श्रीमती रामवती के साथ कथित बलात्कार सम्बन्धी नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 311 में जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें पहली सूचना माननीय नेता विरोधी दल श्री कल्याण सिंह, श्री राम कुमार शुक्ल, श्री सतीश भाटिया, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री किशनलाल दिलेर की जनपद लखनऊ, थाना इटौंजा, ग्राम पलिया में दिनांक 11-3-94 को एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार के संबंध में है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, दिनांक 11-3-94 को ग्राम पलिया, थाना इटौंजा, जनपद लखनऊ की निवासिनी हरिजन महिला श्रीमती रामावती पत्नी श्री छविनाथ रावत अपने खेत में घास छीलने गयी थी। उसी गांव के श्री राजेन्द्र यादव, श्री महेश यादव व पिन्टू यादव श्रीमती रामावती के पास पहुंचे और राजेन्द्र यादव ने रामावती को दबोच लिया तथा बलात्कार किया। लोगों के आ जाने से वह लोग भाग गये। श्रीमती रामावती अपने पति तथा ससुर के साथ इटौंजा थाने रिपोर्ट लिखाने गयी तो उसको थाने से भगा दिया गया। लगातार 3 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मैं उसको लेकर एस० एस० पी० के यहां गया तब जाकर एफ० आई० आर० लिखी गयी और एस० एस० पी० ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। मान्यवर, इसी के दूसरे दिन चिनहट में एक यादव लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गयी।

लखनऊ जनपद में आये दिन बलात्कार की घटनायें हो रही हैं। जबसे यह सरकार आयी है बलात्कार की बाढ़ सी आ गयी है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि जहां ऐसी घटनायें होंगी वहां के एस० एस० पी० को पनिशमेंट देंगे। न जाने कितनी बलात्कार की घटनायें हुई हैं लेकिन किसी भी जिले के एस० एस० पी० को पनिशमेंट नहीं दिया गया और न ट्रान्सफर किया गया है। मैं अपनी बात पर बल देते हुये इस पर चर्चा की मांग करता हूं और एस० एस० पी० तथा जिला पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, इसमें कार्यवाही की जा रही है। यह नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आता है।

पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाये जाने की घोषणा कर दिये जाने और नये जिलों एवं तहसीलों की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल व श्री नरेश अग्रवाल की पृथक-पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाये जाने की घोषणा कर दिये जाने और भौगोलिक स्थिति के अनुसार नये जिलों एवं तहसीलों की घोषणा न किये जाने के बारे में है।

* श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाने की घोषणा कर दी गयी लेकिन भौगोलिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया । मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल जब वह विपक्ष में थे और उस समय जो मौजूदा सरकार थी उसने इस बात की घोषणा की थी और आपने यह बात उठायी थी कि जब तक यह न तय हो जाय कि उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी कहां होगी, कौन-कौन जिले होंगे, कौन-कौन तहसीलें होंगी तब तक उत्तराखण्ड राज्य नहीं बन सकता है ।

इस सरकार की घोषणा के बाद पूरे पर्वतीय क्षेत्र में 8 नये जनपद, 18 नई तहसीलें, 72 नये ब्लाक बनाने की मांग के लिए पूरे उत्तरांचल में आज अनशन हो रहा है । वहां पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं । वह चूंकि हमारा सीमा क्षेत्र है, उनको भी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं । श्री महेन्द्र सिंह माहरा ने चम्पावत को नया जिला न बनाये जाने के विरोध में धरना दिया और आज उनको हजारों साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया । श्रीमन् गिरफ्तार करके उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन लाठियों और गिरफ्तारी से आवाज नहीं रोकी जा सकती है । आज उनकी गिरफ्तारी के बाद से पूरा उत्तरांचल पूरे रूप से बन्द है, वहां का पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । मैं अपनी इस नियम 311 की नोटिस के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर जब तक इस बात की घोषणा न हो कि चम्पावत को नया जिला बनाया जायेगा और जब तक पर्वतीय क्षेत्र में नये जिले की घोषणा नहीं की जायेगी, तब मैं नहीं कहूंगा कि उन्हें छोड़ दिया जाय, बल्कि और भी हमारे साथी गिरफ्तारी के लिए तैयार होंगे । मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस पर सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह विषय नियम 311 में जो आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, मान्यवर, नियमावली के नियम 311 को आप देखें, तो इससे उपयुक्त कोई विषय नहीं हो सकता है । नियम 311 में किसी भी विषय को ग्राह्य करने के लिए जब हम सभी नियमों को निलम्बित करके चर्चा की मांग करता हूं, तो वह लोक महत्व का होना चाहिए । मान्यवर, पूरे उत्तराखण्ड के 8 जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । श्री महेन्द्र सिंह माहरा प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार हो गये । वह वहां पर लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रहे थे और प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देना चाहते थे कि चम्पावत वहां की आवश्यक आवश्यकता है जिला बनाने की । दूसरी तरफ अगर उस उत्तराखण्ड के राज्य को धरातल पर उतारने का स्वप्न देखा है, तो जैसे अन्य जिले चम्पावत, लोहाघाट, रानीखेत आदि और 72 ब्लाक की जैसे बात चल रही है, तमाम जगहों पर आंदोलन चल रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं जा रहा है, भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है, वादकारियों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । उत्तराखण्ड की जनमानस की समस्याओं को हम नजदीक से नहीं देख रहे हैं । अगर सरकार को यह नहीं दिखाई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पड़ रहा है, तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि सरकार की दृष्टि को और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये मैं अपने विषय पर बल देता हूं और आपसे मांग करता हूं कि इस विषय को कृपा करके ग्राह्य करने की कृपा करें, जिससे कि जो वहां के लोगों की जनभावनाएं हैं और वहां की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, उसी के अनुसार वहां पर जिला, तहसीलें और विकास खण्ड बन सके ।

मैं समझता हूं कि गिरफ्तारी हजारों लोगों के साथ की है और सरकार उत्तराखण्ड बनाना चाहती है, तो उसके जिलों की घोषणा करे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है । भारतीय जनता पार्टी ने तो उत्तरांचल बनाने के लिये अपना प्रस्ताव केन्द्र को भेज दिया था । मान्यवर, प्रश्न साफ है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो प्रदेश सरकार के कार्य क्षेत्र में होते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो केन्द्र सरकार के कार्य क्षेत्र में आते हैं । जनपद बनाना, तहसील बनाना और विकास खण्ड बनाना प्रदेश सरकार के विषय हैं, इसमें केन्द्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो प्रदेश सरकार अगर सचमुच में उत्तराखण्ड बनाना चाहती है, तो उनके जिलों की घोषणा करे । इस तरह से काम नहीं चलेगा । बहुत से ऐसे स्थान हैं, जो जिला मुख्यालय से बहुत दूर हैं । ऐसे भी गांव हैं जो जिला मुख्यालय से 100-100 किलोमीटर दूर हैं, उनको किसी भी काम के लिये 100-150 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है बहुत से ऐसे विकास खण्ड हैं जिनकी दूरी 50-50 किलोमीटर है और तहसीलों की दूरी 100-100 किलोमीटर है । आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं । यह प्रदेश सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है, इसलिये आप भाग नहीं पायेंगे । मान्यवर, दो सरकारें आयीं और चली गयीं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और चली गयी और समाजवादी पार्टी की सरकार पहले भी आयी थी, वह चली गयी ।

(व्यवधान)

(विपक्ष की ओर से-यह भी सरकार जाने वाली है की आवाज)

मेरी तो शुभ कामना है कि यह सरकार पूरे पांच साल चले, लेकिन इनको मैं सुझाव दूंगा, माननीय वर्मा जी बैठे हैं, कोई ऐसा गलत काम न करें जिससे सरकार चली जाये । आप संविधान पर आस्था बनाये रखें और जहां पर जनपद मुख्यालय दूर हैं, वहां पर आप नया जनपद बनायें, जिससे वहां के लोगों को सुविधा हो । तहसीलों का सृजन करें । इन्होंने तो राज्य बनाने का प्रस्ताव बनाया और केन्द्र सरकार को भेज दिया और इनको मालूम था कि उसमें बहुत सी खामियां हैं, उसमें बहुत सी कमियां हैं, इन्होंने उसमें यह प्रस्ताव नहीं किया था कि उत्तरांचल की राजधानी क्या होगी ? यह सभी को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन यह चले गये । मैं जानना चाहता हूं कि आपको जनपद बनाने में क्या दिक्कत है ? अंतिम जिला पिथौरागढ़ बनाया गया था और उसे कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, तो आपको इसके बारे में रुचि रखनी चाहिये । श्री नरेश अग्रवाल जी की बात गलत नहीं है, जिन लोगों को और जिस काम के लिये गिरफ्तार किया गया है उनकी भावनाओं से मैं सहमत हूं, उनकी बात पर बल देते हुये यह कहना चाहता हूं कि अभी आप निर्देश यहां से भेज दें कि उनको रिहा कर दिया जाये, बजट सत्र चल रहा है, उनकी चम्पावत जिला बनाने की मांग है, जिस प्रकार से पडरौना और भदोही जिला बनाने की घोषणा की गयी है, उसी प्रकार से अब जो नया जिला बनाया जाये वह चम्पावत का जिला बनाया

जाये । मैं कहना चाहता हूं कि यह लोक महत्व का प्रश्न है और अवलम्बनीय महत्व का है, इससे केवल पर्वतीय अंचल ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश सम्बद्ध है क्योंकि वहां की संचार व्यवस्था बन्द हो चुकी है । दोनों बिन्दुओं को पूरा करता है इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि नियमों को शिथिल करके आप इस पर कार्यवाही करा लें । मैंने तत्कालिकता इसलिए कही क्योंकि इसके चलते संचार व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरे एक विधायक जेल में है आप निर्देशित न करें बल्कि इनसे पूछ ले । संसदीय कार्य मंत्री जी से पहले उत्तर आ जाय, आप आकर्षित नहीं करियेगा बल्कि निर्देशित करियेगा जिला बनाने और सम्मानित विधायक को तत्काल सदन में पहुंचाने का ।

श्री अधिष्ठाता–

इस निर्णय को लेते समय तिवारी जी को भी बुला लीजियेगा और वहां सुझाव ले लेना ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, आप स्वयं जानकार हैं कि हमारे तिवारी जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि योजना आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं ।

श्री प्रेम प्रकाश––

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

कौन सी अव्यवस्था है जिसमें आप व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे ?

श्री प्रेम प्रकाश–

मान्यवर, ऐसे और भी जिले उत्तर प्रदेश में हैं जैसे एक जनपद सिद्धार्थनगर ही है जहां जिला तो बना दिया गया है परन्तु कोई व्यवस्था नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचना आई है और इसमें जो आप व्यवस्था उठा रहे हैं यह इससे कहां संबंधित है, आप आसन ग्रहण करें और संसदीय कार्य मंत्री को सुनें । यह विषय पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह बैठें ।

जिन सदस्यों ने सूचना दी है उनको बुलवा लिया है, एक-एक सूचना पर अगर पूरा सदन बोलना चाहेगा तो सदन का कार्य नियमानुसार नहीं चल सकता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात को जाने दें, यही मंशा सदन की भी है ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, हमारे यहां डिग्री कालेज की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल नहीं है, न कोई डाक्टर है न कोई कोआपरेटिव बैंक है, न जिला परिषद् है केवल जिला घोषित करने से क्या होता है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं, किस विषय पर बोल रहे हैं आपको जानकारी है कि किस विषय पर चर्चा हो रही है ? आपसे निवेदन है कि कृपा करके स्थान ग्रहण कर लें ।

(श्री अरिमर्दन सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बची सिंह रावत–

बागेश्वर को भी जिला बनाने की प्रबल मांग है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय गुप्त जी से कह दें कि अपने सदस्यों को संयत करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हमारे सदस्य तो बैठ जा रहे हैं, लेकिन जरा अपने सहयोगी दलों से भी कह दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने माननीय अग्रवाल जी ने माननीय पाल जी ने चम्पावत को जिला बनाने के संबंध में अपनी बात यहां पर रखी है और उस संबंध में यह भी बताया गया कि माननीय सदस्य गिरफ्तार हो गये हैं । श्रीमन्, आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द ही उत्तराखंड को अलग से राज्य बनाये जाने का निर्णय लिया जाने वाला है । बहुत जल्दी ही अलग राज्य का दर्जा देने का निर्णय यहां से हो जायेगा । तब फिर वहां पर हम सब लोगों को अलग से जिला या विकास खण्ड बनाने की कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी । उसमें माननीय तिवारी जी से भी अनुरोध होगा कि केन्द्र सरकार से अनुरोध करके जल्दी से अलग राज्य का दर्जा दिलवा देंगे ।

दूसरे, जो अलग जिला बनाने की बात है, माननीय तिवारी जी और माननीय गुप्त जी जानते हैं कि बजट में परिव्यय तय हो गया है और एक जिला बनाने में कितने परिव्यय की आवश्यकता होती है ? वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, यह माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके बीच का मसला है । उत्तराखण्ड

को अलग राज्य का दर्जा दिये जाने का जो प्रस्ताव होगा, उसका निर्णय हो जाने के बाद इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

माननीय विधायक जी ने आवश्यकतानुसार आन्दोलन किया । उन्होंने अपनी बात सरकार के संज्ञान में लायी है । लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां है उनमें इस समय आश्वासन देना कदाचित् उचित नहीं होगा । हम आज ही फैक्स द्वारा मैसेज दे देंगे कि माननीय विधायक जी को तत्काल रिहा कर दिया जाय । माननीय तिवारी जी और माननीय मुख्य मंत्री जी बैठ जायं अलग से बात कर लें, उसमें आश्वासन देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे लगता है कि जो काम इन्होंने किया..

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, निवेदन है कि आप इनसे यह नहीं कह रहे हैं कि यह किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

अब तो डेढ़ बज चुके हैं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं..

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, इस पीठ से अभी आपने यहां के सदस्य को कहा कि आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं । मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी की बात के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आ गया और उसके बाद फिर खड़े होकर बोल रहे हैं आप उचित समझे तो इनसे पूछें कि यह किस नियम के अन्तर्गत अब बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी स्वयं नियमों के ज्ञाता है । बात सुनें तब तो कुछ कहूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपको ज्ञान है, इनको ज्ञान नहीं है..

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरे ऊपर सीधे-सीधे टिप्पणी की गयी है मुझे उत्तर देने का अवसर जरूर दिया जायेगा मेरा आग्रह है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपकी रूलिंग आ जाय उसके बाद मेरा बोलना अनुचित था । कदाचित् हमें माननीय मंत्री जी के उत्तर पर स्पष्टीकरण चाहिये या हो सकता है कि हम उनके उत्तर से संतुष्ट न हो और सदन से बहिगर्मन करना चाहें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आप हमें अवसर जरूर देंगे यह मेरा आग्रह है वाकआउट करने से पहले हमारा उत्तर सुनकर अवश्य जायं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह दिखवा लें कि कहीं इनकी सीट के नीचे कोई कील तो नहीं है। क्योंकि यह बैठते ही नहीं। बार-बार खड़े हो जाते हैं।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी की जिवहवा में लगंता है कि बवासीर है और यह हमारे सरस्वती विहीन मित्र हैं, इनको ज्ञान की अपच हो गयी है। तो एक साथ इनको दो-दो रोग हो गये हैं। यह इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं इनका मेडिकल चेकअप करा लिया जाय।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुझे ऐसा कोई रोग नहीं है। अगर हुआ तो मैं उसी दवा का प्रयोग करूंगा जिस दवा से यह ठीक नहीं हुए, वही प्रिसक्रिप्शियन यह हमें देगें। कृपया इन्हें आगरा भेजवा दें वहां एक सप्ताह तक रह लें और उसके बाद ठीक होकर आयें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह जानकारी करवा लें कि यह रांची से कब लौटे क्योंकि इनका व्यवहार यही बता रहा है कि यह रांची से लौटकर आये हैं मैं तो चिकित्सक हूं और अधिकृति भी हूं इनको सर्टिफाई भी कर दूंगा। मैं यह सर्टिफाई करता हूं कि यह सरस्वती विहीन मित्र हैं। और इनको ज्ञान की अपच है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं मानता हूं कि मैं सरस्वती विहीन व्यक्ति हूं लेकिन–मैं इनको मुर्खाधिराज मानता हूं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पहली अप्रैल को प्रमोद तिवारी जी के नाम से किये जाने का निर्णय हो चुका है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं लोकतंत्र में किसी के अधिकार को छीनने में विश्वास नहीं करता हूं। अगर किसी के नाम से सहमति होगी तो वह सरजीत सिंह डंग के नाम से होगी और इस पर आप मतदान भी करा लें और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं करा लेता हूं। मान्यवर, अब मैं मूल बिन्दु पर आता हूं। मेरी पूरी बात अभी हो नहीं पायी थी। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा है कि सम्मानित सदस्य को रिहा कर दिया जायेगा। मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने नियम–311 की सूचना पर चम्पावत को जिला बनाने के लिए कहा था तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि बजट आ गया है और उसमें पडरौना और सोनभद्र को ही जिला बनाने के लिए प्राविधान किया गया है और इसके लिए अभी इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसी बात पर हमने नियम–311 के अन्तर्गत सूचना दी थी...

श्री अधिष्ठाता–

आप संसदीय कार्य मंत्री जी से मिल लीजिये और जो कठिनाइयां हैं वह उनसे कह लें। नियम–311 में इस पर चर्चा नहीं हो सकती है केवल बात रखी जा सकती है। आपके जो सुझाव हैं वह माननीय संसदीय कार्य मंत्री को दे दें।

(कांग्रेस के कई सदस्य यह कहते हुए सदन के वैल पर आ गये कि यह मामला राज्य क्षेत्र में आता है और यह बड़ा ही गंभीर विषय है)

आप यहां से नहीं अपने आसन से बोलें। आपके नेता वहां से बोल रहे हैं और आप यहां आकर बोल रहे हैं। आप अपने आसन में वापस जायें।

(कांग्रेस के सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सारे सदस्य इससे उत्तेजित हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि मौजूदा सरकार पर्वतीय जनता को धोखा दे रही है। एक तरफ तो आप पूरा प्रदेश बनाने की बात करते हैं। नया प्रदेश बनने पर क्या उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि नये जिले बन सकें। जाहिर है, कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी और तब केवल 8 जिलों से प्रदेश नहीं बनेगा, कम से कम 16 जिले तो बनाने ही पड़ेंगे। इस प्रकार कुछ जनपदों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, कुछ तहसीलों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी.....

श्री अधिष्ठाता–

सामान्य बजट आयेगा, उस पर विस्तार से कह लीजियेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हमारे माननीय विधायक जेल में हैं। आज वहां पर आन्दोलन चल रहा है। सीमावर्ती जनपद है, इसलिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर ठोस आश्वासन आना चाहिए। उत्तरांचल तो तब बनेगा, जब उसके लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह 16 जिलों की घोषणा सदन में कर दें, मैं एक सप्ताह के भीतर केन्द्र सरकार से उत्तरांचल की घोषणा करा दूंगा, यह मैं वचन देता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

जिस शक्ति का प्रयोग माननीय राज्य सरकार कर सकती है, वह उसका प्रयोग नहीं कर रही है। उत्तराखंड बनाने का मामला तो केन्द्र के अधीन है .....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, समय नष्ट करा रहे हैं। आगे किसकी सूचना है उसका नाम पुकारें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, अभी बजट पर चर्चा होनी है। यह लोग सारा समय नष्ट कर रहे हैं।

(कांग्रेस पार्टी के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थानों पर एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे–घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह क्या करा रहे हैं। नियम–311 में अगली सूचना किसकी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् हमने बता दिया है कि जो माननीय विधायक गिरफ्तार हुये हैं, उनको तत्काल रिहा कर दिया जायेगा और उत्तराखण्ड की जो समस्यायें हैं, उसके संबंध में.....

(कांग्रेस दल के कई सदस्यों द्वारा पुनः अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर–घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह सत्र उठने के बाद, उत्तराखंड के जितने विधायक हैं और माननीय प्रमोद तिवारी सहित, सबको बुलाकर सरकार उनसे वार्ता करेगी, उत्तराखंड की समस्याओं के बारे में, जिला बनाना भी इसमें शामिल रहेगा।

(पुनः कांग्रेस पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक एक चीज कहना चाहता हूं कि यह सरकार का...

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो प्रश्न तिवारी जी और उनके साथियों ने उठाया है, उसके बारे में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को बुलाकर हम बात कर लेंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा है। मैंने उत्तराखण्ड के सभी विधायकों और माननीय नेता कांग्रेस को बुलाने की बात कही है।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने अभी यह कहा कि आप जिले बना दीजिये और राज्य मैं बनवा दूंगा, इतनी शक्ति है। पिछले एक महीने में जब भी यहां चर्चा हुई है तो मुख्य मंत्री जी ने प्रमोद तिवारी जी को बार-बार बधाई दी है, धन्यवाद दिया है कि हमारी योजना राशि केन्द्र से 12 प्रतिशत बढ़ा कर 4762 करोड़ रुपया करा दिया है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि एक जिला बनाने में 55-60 करोड़ लगता है। मैं यह चाहूंगा कि तिवारी जी जब आप इतनी शक्ति रखते हैं कि आप राज्य बनवा देंगे तो जनपदों को बनाने में जो खर्च आयेगा, उसमें केन्द्र सरकार से मदद करा दें, जिले भी बन जायेंगे और आपकी समस्या भी हल हो जायेगी। जिले बन जायेंगे फिर राज्य की घोषणा करा देना। सदन का समय व्यर्थ में नष्ट न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस विषय पर बहुत लम्बी बहस हो गयी। माननीय नेता कांग्रेस दल ने विषय को गम्भीरता के साथ उठाया और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने उत्तरांचल के विधायकों के साथ और नेता कांग्रेस दल के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने की बात कही। मान्यवर, बात यहीं समाप्त हो गयी, सदन का समय खराब न करें। मैं अपनी व्यवस्था के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय प्रमोद तिवारी जी इस सदन में दोहरे चरित्र की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उत्तराखण्ड राज्य बनवा देंगे लेकिन दल के सबसे बड़े नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है कि नये राज्यों को बनाने का सवाल नहीं पैदा होता। मुझे खुशी होगी कि हमारे

मित्र श्री तिवारी जी हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठें, लेकिन ऐसा नहीं होगा । माननीय अधिष्ठाता जी नये राज्यों के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं लेकिन सदन में वकालत मा० प्रमोद तिवारी जी कर रहे हैं और राज्य बनवा देने की दोहरी बात कर रहे हैं और सदन का समय बरबाद कर रहे हैं । कई माननीय सदस्यों की सूचनायें हैं, उनको भी समय देने का कष्ट करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात पर कायम हूं । प्रधानमंत्री जी को यह कदाचित ठीक से पढ़ते नहीं हैं । उन्होंने कहा था कि नये राज्यों के गठन से अतिरिक्त बोझ आयेगा लेकिन जहां की मांग होगी और आवश्यक होगा तो उस पर विचार किया जायेगा । मैंने स्पष्ट रूप से कहा है और श्री राजेन्द्र गुप्त जी से पूरी जिम्मेदारी के साथ दोहराना चाहता हूं कि अगर सरकार ये 16 जिले, तहसीलें जिनकी मांग है, इनको बनवा दें तो मैं एक माह के अन्दर उत्तराखण्ड राज्य बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं । मैं चुनौती देकर कहता हूं कि हमारे कथनी और करनी में अन्तर नहीं होता है, हम जो सदन में कहते हैं, वही बाहर कहते हैं । हम उन लोगों में नहीं है जो न्यायालय में बात कुछ कहें और करें कुछ, राष्ट्रीय एकता परिषद् में बात कुछ कहें और करें कुछ । मान्यवर, यहां सदन में बैठकर उस दल के मुख्य मंत्री सुरक्षा की बात करें और 6 दिसम्बर को एक साजिश करके ढांचे को गिराने की हरकत करें । मान्यवर, हम ऐसे नहीं हैं, हम जो कहते हैं, वही करते हैं ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह क्या हो रहा है ? माननीय संसदीय कार्यमंत्री की मजबूरी तो समझ में आ सकती है, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है ?

(व्यवधान)

वाराणसी जनपद में नौगढ़ क्षेत्र के भा०ज०पा० ब्लाक अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र पाण्डेय की गोली मारकर हत्या किये जाने और जनपद में आपराधिक घटनाओं की वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी जी की है–वाराणसी जनपद के नौगढ़ क्षेत्र में भा०ज०पा० के ब्लाक अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय की गोली मारकर हत्या तथा जनपद में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि के सम्बन्ध में ।

चौधरी साहब आप बोलें ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं आया है । सरकार की इस दोहरी नीति के खिलाफ मैं दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन छोड़कर चले गये)

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैने आज नियम–311 के अन्तर्गत वाराणसी जनपद के नौगढ़ ब्लाक के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय की निमर्म हत्या कर दिये जाने और बनारस के अन्दर विगत 15 दिनों के भीतर अपराधों की बाढ़ आ गयी है और उससे बहुत से निर्दोष जानें गयीं हैं–इसी संबंध में मैंने नियम–311 के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत की है । मान्यवर, विगत 11 मार्च को दिन में नौगढ़ के श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय की हत्या कर दी गयी । मान्यवर, वहां पर बोल्डर बनाये जाते हैं, यह पत्थर तराश करके नहर के काम में आते हैं, श्री पाण्डेय बोल्डर खरीदनें और उनको सप्लाई करने का काम करते थे, यह बोल्डर कैश देकर ही खरीदते थे । एक उनका प्रतिद्वन्द्वी भी था जो बोल्डर उधार खरीदता था । इनके प्रतिद्वन्द्वी ने इन्हें मना किया कि कैश से न खरीदा करो, कैश न दीजियेगा, लेकिन उधार लेना मंजूर नहीं किया, इसलिये उनके प्रतिपक्षी ने इनकी हत्या कर दी ।

मान्यवर, श्री पाण्डेय जब भी बोल्डर खरीदते थे, उसका पैसा नकद देते थे, और वहीं से खरीदते थे । उसी बात को लेकर पहले उन्हें मारा-पीटा नकद न खरीदने की धमकी दी और इन्कार करने पर इसके बाद वह धमकी देते हुए हत्यारा अपने घर लौटा और अपने कई साथियों के साथ बन्दूक लेकर आया और पाण्डेय जी की हत्या कर दी । मान्यवर, अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर रही है । दूसरी बात मान्यवर, मैंने अपनी सूचना में आपराधिक घटनाओं के कई उदाहरण दिये हैं । श्री श्याम देव राय चौधरी उदाहरण के लिये 16 मार्च की घटना को ही लें, सनातन धर्म इण्टर कालेज के प्रांगण में सांसद सुश्री ऊमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेने वाली थीं, इसकी जानकारी प्रशासन को भी थी और प्रशासन की अनुमति से ही जानकारी में बैठक होने वाली थी । उसके बाद भी वहां पर साम्प्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया गया और प्रशासन ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया । अज्ञात लोगों ने दर्जनों बम वहां पर फोड़े । लेकिन यह खुशकिस्मती थी कि उस समय बैठक चल नहीं रही थी, बल्कि तैयारी चल रही थी । इसलिये साध्वी सांसद सुश्री उमा भारती जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा अन्य लोगों की जान बच गयी । मान्यवर, एक श्री केशर पटेल का मामला है, वह पहाड़िया में रहते हैं और कहीं साईकिल से काम पर जा रहे थे, उन्हें दौड़ाया गया तो वह अपनी जान बचाने के लिये पास की एक दुकान में घुस गये, लेकिन मान्यवर, उनकी भी हत्या कर दी गयी । मान्यवर, एक सहायक अभियन्ता थे, श्री एच०एन० पाण्डेय, वह निहायत सीधे और ईमानदार थे, उनके यहां कुछ ठेकेदार लोग मनमाना काम लेना चाहते थे परन्तु ईमानदार श्री पाण्डेय सहमत नहीं होते थे और परिणाम स्वरूप भ्रष्ट कुछ ठेकेदार नाराज रहते थे ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में अपनी बात कहिये ।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, संक्षेप में ही कह रहा हूं । श्री पाण्डेय जैसा ठेकेदार चाहते थे ईमानदार होने के कारण उनके अनुरूप वह गलत कार्य नहीं कर पाते थे । एक दिन वह किसी प्लान्ट की तरफ जा रहे थे, वहीं

पर रास्ते में उनकी हत्या कर दी गयी । मान्यवर, उनको गाली दी मारा और इसके बाद उनकी हत्या करके फरार हो गये । इसी तरह मान्यवर, और भी कई घटनायें हुयी हैं । सकलडीहा थाना के अन्तर्गत नया बाजार में श्री वीरेन्द्र पाल जैसे एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी गयी । सारनाथ के अकथा ग्राम में केशर पटेल की, वह व्यापारी था, उसको बुलाया और दुकान के अन्दर उसकी हत्या कर दी गयी । इसी तरह की अनेक घटनायें हो रही हैं ।

इसलिये मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान वाराणसी में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करते रहते हैं कि जहां कहीं भी कोई अपराधिक घटना होगी वहां के डी०एम० व एस०एस०पी० को दण्डित किया जायेगा । परन्तु बनारस में लगातार अपराधिक घटनायें हो रही हैं । हमारे बी०जे०पी० के ही पूर्व सभासद, पदमपति शर्मा श्री को गोली मारी गई थी और उन पर बम फेंके गये थे, परन्तु वह बच गये । आज तक उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । बनारस में आज अपराधिक स्थिति खराब होती जा रही है और उस पर कोई प्रशासन का नियंत्रण नहीं है । इसलिए 311 के तहत जो मैंने यहां पर सूचना दी है, उस पर बल देता हूं और साथ ही मांग भी करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय और सरकार को अपराध नियंत्रण हेतु निर्देशित भी करने का कष्ट करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय श्री चौधरी जी ने 11-3-1994 की घटना के बारे में जो ध्यान आकर्षित किया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वह हमारे बी०जे०पी० के मण्डीलय अध्यक्ष थे । दुर्भाग्य कहिये या यह मेरा सौभाग्य कहिये, जहां यह घटना हुई है, वह मेरा विधान सभा क्षेत्र है । एक छोटी सी बात को लेकर यह घटना हुई । दोनों व्यक्ति ठेकेदार थे और नहर में बोल्डरिंग का काम करते थे । दोनों लोग एक ही जगह से सामान खरीदते थे । बस फर्क इतना था कि एक व्यक्ति नगद सामान खरीदता था और दूसरा ठेकेदार उधार पर सामान खरीदता था । हमारे जो मण्डलीय अध्यक्ष थे, वह नगद सामान खरीदते थे । जो ठेकेदार उधार सामान खरीदता था, उसने हमारे मण्डलीय अध्यक्ष पर यह दबाव डाला कि वह उसके वहां से नगद सामान न खरीदे । यह उसने इसलिये कहा ताकि उसे वह दुकानदार मजबूरी में अपना सामान दे । हमारे मण्डलीय अध्यक्ष ने कहा कि मेरे सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, यदि ऐसा किया तो हमारा हजारों रूपए का नुकसान हो जायेगा । इस पर उन लोगों ने उसे मारा पीटा और गालियां दी और बाद में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन्हें गोली मार दी । गोली मारने के बाद हत्यारा राईफल को लहराते हुए थाने के सामने से होते हुए और बाजार से होते हुए निकल गया । जब इसकी सूचना मिली तो उसे तत्काल गिरफ्तार किया गया लेकिन उसके साथ जो अन्य व्यक्ति थे, उन्हें गिरफ्तार आज तक नहीं किया गया है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अपराधियों को अविलम्ब गिरफ्तार किया जाय । जैसे दुर्दान्त अपराधी को, जिसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा हो, उसे गिरफ्तार कर दण्डित कर मृतक व्यक्ति के परिवार के प्रति सहानुभूति दर्शायी जाय ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री छब्बू का नाम पुकारे जाने पर और उनके सदन में उपस्थित न होने पर)

श्री अमरनाथ यादव–

मान्यवर, मैंने नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचना दी है उसका सम्बन्ध बनारस जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलपंथियों की घुसपैट से संबंधित है। आज भी वहां पर नक्सलपंथियों की घुसपैठ जारी है। विगत 13 मार्च को 4 बदमाश मारे गये। यद्यपि इन बदमाशो को बिहार पुलिस ने मारा है परन्तु आज भी उनका आना-जाना, डकैती, चोरी हत्यायें करना जारी है। बनारस के सीमावर्ती धीना थाना क्षेत्र, सकलडीहा थाना क्षेत्र व रामगढ़ थाना क्षेत्र इससे ज्यादा प्रभावित है। इसके साथ ही साथ 13 ता० को दूसरी घटना वाराणसी के धीना थाना क्षेत्र में नूरी ग्राम में हुई जिसमें दो बदमाश ग्रामीणों द्वारा पकड़े गये जो सभी प्रकार के हथियारो से लैस थे, उनके पास से कारतूस, पिस्तौल, लोहे की जंजीर पकड़ी गयी। उन्होंने स्वीकार किया कि बी०एस०पी० नेता राम अवतार पासवान के साथी रहे हैं और राज्य स्वास्थ्य मंत्री दीनानाथ भाष्कर के निकट सहयोगी हैं। इनका बराबर इस तरह के अपराधो में सांठगांठ रही है। धीना इनका चुनाव क्षेत्र है इस तरह के अपराध इधर उधर कराते रहते हैं। इसी तरह जमनियां और दिलदार नगर क्षेत्र में जनजीवन नक्सलपंथियों से त्रस्त है। अगर तत्काल इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चितरूप से बनारस के समीपवर्ती क्षेत्रों जो बिहार से लगे हुये हैं जैसे देवरिया, नौगढ़, सोनभद्र आदि में नक्सलपंथी प्रवेश कर जायेंगे। यह सरकार जो व्यवस्था पर दम भरती है उसका इससे पर्दाफाश हो रहा है। मैं इस विषय पर बल देते हुये मांग करता हूं कि नियम को निलम्बित कर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की कृपा करें।

नियम 311 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर व्यवस्था का प्रश्न

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, इधर आपने तीन लोगों को सुना। हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं नियमावली की तरफ और माननीय गुप्त जी से भी अपेक्षा करते हैं कि वह सहयोग करें। अभी तक 311 में कभी-कभी सूचनायें आती थी फिर 56 में आने लगी उनको भी सुना जाता रहा और सरकार को तरफ से उत्तर भी आते रहे हैं। जो सूचनायें हमारे सामने हैं नियम 56 में सब जानते हैं किन प्रश्नों की उठाना चाहिये। इसी तरह नियम 311 को आप देखें उसमें भी साफ लिखा हुआ है किस तरह के विषय उठायेंगे ? आज आठ घटनाओं का जिक्र किया गया है। बनारस की पूरी कानून व्यवस्था की चर्चा की बात कही है। इसी तरह से नियम 56 में सूचनाओं को प्रोत्साहन देंगे तो सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार कैसे चल पायेगी ? हमें अधिकार मिला हुआ है लेकिन उनका प्रयोग कहां पर होना चाहिये ? अगर इस तरह से व्यापक बनाते चलेंगे तो सदन की कार्यवाही नियमानुसार नहीं चल पायेगी। कौन विषय नियम 51 में आते हैं कौन नियम 300 और 311 में आते हैं इसका माननीय सदस्य ध्यान रखें। मैं अनुरोध करूंगा सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग दें।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

बनारस की सुरक्षा व्यवस्था स्थिति बिगड़ती जा रही है उसका मैंने उल्लेख किया है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस घटना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इसे निरस्त करें यह एक घटना नहीं है पूरे बनारस की 8 घटनायें हैं। आप इसे निरस्त करें।

श्री अधिष्ठाता–

सूचना निरस्त करता हूं और व्यवस्था देना चाहता हूं कि नियम 311 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं के संबंध में माननीय सदस्यों का ध्यान उक्त नियम की ओर आकृष्ट करते हुए यह इंगित करना चाहूंगा कि वास्तव में नियम 311 सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव परे किसी अन्य नियम के प्राविधानों को लागू होने को निलम्बित किये जाने के बारे में है और ऐसा प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष की सम्मति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं सभी माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस नियम का उपयोग पहले विरले अवसरों पर ही होता था। लेकिन अब नियम 311 के अन्तर्गत सूचना देने और उस पर सुने जाने पर बल देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हम सब को मिल कर इसका समाधान करना होगा अन्यथा सदन का बहुमूल्य समय नष्ट होता रहेगा। नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनाएं दी गयी हैं उसमें कोई भी सूचना नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, आपने कुछ सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुना और मेरी सूचना पर कह दिया कि नियम 311 में नहीं आती है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि बहुत दिनों से मैं जिस व्यवस्था की प्रतीक्षा आप से कर रहा था वह आज आपने दिया। लेकिन यह व्यवस्था नियम 311 के पहले प्रारम्भ होते ही देते तो ठीक था लेकिन पहले तो आपने श्री प्रमोद तिवारी ने जो मामला उठाया उसमें सुन लिया और उस समय आपने कोई व्यवस्था नहीं दिया उसके बाद श्री श्याम देव राय चौधरी जी को सुन लिया और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने विधि आपत्ति किया और फिर आपने सभी को एक झाड़ू से हांक दिया तो यह ठीक नहीं है। यदि व्यवस्था लागू करना था तो प्रारम्भ से ही लागू करते परन्तु ऐसा नहीं किया और दो सूचनाओं पर आपने सुन लिया। अब हो सकता है कि उन सूचनाओं से इन माननीय सदस्यों की सूचनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हों।

मान्यवर, नियम 56 की ग्राह्यता पर दस सूचनाएं छांटते हैं लेकिन इसमें फर्स्ट-कम-फर्स्ट के आधार पर छांटते हैं, तो हो सकता है एक दो के बाद तीसरी और चौथी सूचना ज्यादा महत्वपूर्ण हो, इसलिये

मेरे मतानुसार, बीच में व्यवस्था देने पर आप पुनः विचार कर लें और जो व्यवस्था दिया है उसको आज रोककर कल से लागू करें तो अच्छा होगा अन्यथा कुछ माननीय सदस्यों के मन में आक्रोश पैदा होगा। इसलिये प्रार्थना है कि आज सभी को इसमें सुन लें।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं भी इसी संबंध में कहना चाहता हूं और श्री गुप्त जी ने जो भावनायें व्यक्त किया है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, सही है कि यदि सदस्यों को अलग-अलग तरीके से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से किया जायेगा तो उचित नहीं है। जो रूलिंग का सुझाव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया है वह उचित होगा यदि प्रारम्भ में ही यह सुझाव आ जाता और वह सभी सूचनाओं पर लागू होता। अब आपके विवेक पर है जो सूचनाएं शेष रह गयी हैं उनमें हो सकता है कि उनसे अधिक महत्वपूर्ण सूचनाएं इसमें हों। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आज आप सभी पर सुन लें। जैसे श्री चन्देल जी ने जो सूचना दिया है उसमें प्रदेश का किसान नील गायों के आतंक से पीड़ित है जिससे प्रदेश में गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। यह प्रदेश व्यापी सूचना है इसलिये इस पर सुन लिया जाये। इसके बाद जो सुझाव संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया है और जिस पर आपने व्यवस्था दिया है उसे कल से लागू करें और आज जो सूचनायें आयी हैं उन पर थोड़ा-थोड़ा समय देकर सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नियम 311 के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न परश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री राम आसरे वर्मा जी के विचारों को सुना। आज नियम 311 के संबंध में कई सूचनाएं आयीं थीं और पहली तीन सूचनाओं को सुनने के लिये स्वीकार की गयी थीं और तीनों सूचनाओं पर जितने माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे, मैंने उन सभी माननीय सदस्यों को तीनों सूचनाओं पर सुना तथा उन पर मुझे जो निदेश देने थे, वह भी हमने दे दिया। सरकार का ध्यान आकृष्ट करना था वह मैंने किया। नियम 311 के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रश्न उठाया, उसके बारे में मैंने अपनी व्यवस्था दी। यह बराबर इधर देखा जा रहा है कि जो नियम 311 की सूचनाएं हैं, निरन्तर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे गुप्त जी और वर्मा जी बहुत पुराने सदस्य हैं, उन्हें विदित होगा कि पूर्व में इस तरह की नियम 311 में सूचनाएं नहीं दी जाती थीं। लेकिन गत दिनों में देखा गया है कि नियम 311 की सूचनाओं की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसलिए व्यवस्था का प्रश्न जो संसदीय कार्य मंत्री ने उठाया उस पर व्यवस्था दी। उस पर मैंने अपना कोई निर्णय नहीं दिया। जो तीन सूचनाएं सुनने के लिए स्वीकार थीं, उन पर जिनके दस्तख्त थे, उनमें से सभी को एक-एक कर के सुना और उन सभी पर जो व्यवस्था देनी थी, वह दी। और जो अस्वीकार थीं, मैंने उन सूचनाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया। मेरी स्पष्ट चिन्ता दिन प्रति–निरन्तर बढ़ती नियम 311 की सूचनाओं पर थी, और गुप्त जी और वर्मा जी अवश्य मेरी इस बात से सहमत होंगे। इसलिए नियम 311 के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में बिक्रीकर समाप्त किये जाने पर तत्सम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 के बारे में निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना प्रदेश में बिक्री कर न समाप्त किये जाने के बारे में सर्वश्री जगदम्बिका पाल, प्रमोद तिवारी व नरेश अग्रवाल जी की है । माननीय नरेश अग्रवाल ।

(व्यवधान)

कतिपय सदस्यों के ही औचित्य के प्रश्न स्वीकृत किये जाने पर आपत्ति

श्री अशेक कुमार सिह चन्देल–

मान्यवर, प्रतिदिन यह देखा जाता है कि आपकी पीठ द्वारा श्री नरेश अग्रवाल, श्री प्रमोद तिवारी और जगदम्बिका पाल की ही सूचनाएं स्वीकार होती हैं और सुबह से शाम तक उन्हीं को सुना जाता है । वह हर विषय पर दिन भर, बराबर बोला करते हैं । वह सदन का अधिक समय लेते हैं और सारे सदस्यों का समय लेते हैं । ये लोग ही एकमात्र बोलते रहते हैं, चाहे जिस रूप में बोलें, (व्यवधान) आप यह इस प्रकार से हमारे साथ न्याय नहीं करते हैं । मैंने नियम 311 में सूचना दे दिया है, उस पर नहीं सुना गया है । आप हमें वहां से कभी नहीं सुनते हैं । आप हमारी बात पर न कोई ध्यान देते हैं और न ही सुनते हैं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

आप मेरी सूचना कभी नहीं सुनते हैं, मेरी सूचना पर आप कभी समय नहीं देते हैं ।

(उपरोक्त कहते हुए श्री बालचन्द्र मिश्र सदन के वेल में आ गये वहीं रिपोर्टर्स टेबुल से सटकर कालीन पर बैठ गये ।)

मैंने आज साढ़े 9 बजे अपनी सूचना दी थी, लेकिन आपने उसको भी नहीं सुना ।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी सदन के वेल में आ गए और न बोलने देने न सुनने के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति करने लगे । सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व सत्य प्रकाश विकल के प्रयास से वे अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं व्यवस्था का प्रश्न यह उठा रहा हूं, नियम 311 में तीन सुनने के लिए स्वीकार की गईं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह तो मैं कह चुका हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

इन तीन सूचनाओं में कांग्रेस दल की ओर से जो सूचना गई, उसको सुन लिया गया, उसके बाद एक सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की तरफ से गई, उसको भी सुन लिया गया, किन्तु जनता दल के सदस्यों ने कौन सा गुनाह किया था कि उनकी ओर से जो सूचना गई, उसको तीन में शामिल नहीं किया गया।

तो मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि कम से कम दलगत आधार पर भी निर्णय लेते समय ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, यह है कि एक इस तरह की परम्परा बने, नियम बने जिन नियमों के खिलाफ आचरण न हो। समय डाल दिया जाता है सूचनाओं के ऊपर। जो सूचनाएं कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा बाद में भी आती हैं उनमें पहले का समय डाल दिया जाता है तो मान्यवर, यह परम्परा तोड़ी जानी चाहिए। इस सदन के सभी दल और सभी दलों के सभी सदस्य समान अधिकार रखते हैं और उनके समान अधिकार को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी आपने जो व्यवस्था दी उसको तो हम चुनौती दे नहीं सकते लेकिन आपने कहा है कि निर्णय हुआ है कि तीन ही सुनेंगे। मान्यवर,यह कौन सा नियम है, कौन सा कानून है ? सूचनाओं को सुनना न सुनना उनके महत्व अविलम्बनीयता पर आधारित है। लेकिन तीन ही सूचनाएं सुनी गईं यह कौन सा नियम है कौन सी परिपाटी है ? मैंने पहले भी विनम्रतापूर्वक आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि इस निर्णय के बाद क्या स्थिति पैदा होगी ? जो हुआ अच्छा नहीं है। सदस्य वेल में आ गये, यह अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि 300 की सूचना ले रहे हैं पता नहीं किस को बुलायें और उसके बाद फिर व्यवस्था दे दें कि औचित्य का प्रश्न पैदा नहीं होता। तो मान्यवर, जैसा कि राम आसरे वर्मा जी और किरन पाल जी ने कहा है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और निवेदन करता हूं कि निर्णय और न्याय ऐसा होना चाहिए जो मान्य हो। बी०जे०पी० और जनता दल दोनों का मामला है। मैं यह नहीं कहता कि हमें मौका मिले और उन्हें नहीं मिले। मेरा कहना यह है कि जो विषय लोक महत्व का अविलम्बनीय हो उसको सुना जाना चाहिए। सूचना के महत्व और औचित्य को देखा जाता है। बाल चन्द्र मिश्र जी की सूचना है इनके निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को साम्प्रदायिक लोगों ने मार डाला और घन्टों पुलिस वहां नहीं पहुंच पाई। हमारे उत्तर भारत के औद्योगिक नगर का मामला है। अभी साम्प्रदायिकता की ज्वाला बुझ नहीं पाई थी फिर से जला दी गई है। मैं आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं। आप अपनी व्यवस्था पर पुनः विचार करने के लिये स्वतंत्र हैं और भी सदस्यों को सुन लें। 300 के बारे में बता दें कि किन-किन सूचनाओं को आप सुनेंगे। आप तो एक को सुनने के बाद अपने श्रीमुख से कह देंगे कि औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। इसलिये मान्यवर, मेरा अनुरोध है सूचनाओं के औचित्य को देखें। राम आसरे वर्मा जी और किरनपाल जी के विचारों से मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सूचनाओं के महत्व पर प्रत्येक को दो-दो मिनट अवश्य सुन लें। जिन पर दस-दस व्यक्तियों के हस्ताक्षर हों उसमें भी किसी एक व्यक्ति को सुन लें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आपका जो निर्णय है, वह शिरोधार्य है । लेकिन माननीय गुप्त जी ने यह बात कही कि दल के आधार पर निर्णय नहीं होना चाहिए, सही बात कही है लेकिन क्या गुप्त जी को यह याद है कि दल के आधार पर आप हक मांगते हैं ? अभी दो दिन पहले ही मांगा था । क्या बजट की चर्चा हो या अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय हों । मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी पीठ से जो निर्णय हों वह निष्पक्ष हों और ऐसे निष्पक्ष हों कि हमें भी प्रतीत हो कि निर्णय निष्पक्ष किये गये हैं ।

दूसरा सुझाव देना चाहूंगा मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था । श्रीमन् यह जो नियम–311 है यह अपरिहार्य परिस्थितियों में कोई विषय साल दो साल या कभी-कभी तो पूरा सदन बीत जाता था तब नियम–311 में प्रश्न उठाया जाता था, लेकिन आज नियम 56 की जगह नियम–311 का प्रयोग हो रहा है । आपकी पीठ की गरिमा है सभी कह रहे हैं मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं । नियम–311 महत्वपूर्ण होता है हम सब लोगों ने उसके महत्व को खत्म कर दिया । आपकी रूलिंग आई है उसमें नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता हूं । हमको लगा कुछ लोगों को सुन लिया कुछ को नहीं सुना । रूलिंग की बात शुरू में आनी चाहिए थी । आप यदि इतनी कृपा कर सकें कि जिन लोगों के 311 के विषय लगे हैं उनमें चाहे पांच माननीय सदस्यों के दस्तखत हों उसमें एक मौका दे दें । आपका निर्णय सर्वोपरि है उसका सब सख्ती से पालन करें । नियम–311 बहुत महत्वपूर्ण नियम है इसमें कभी विशेष परिस्थितियों में सूचना देते हैं इसमें माननीय नेता सूचना लाते हैं इसको हल्का न बनाएं । नियम–311 का प्रयोग नियम–56 की जगह होने लगा है इसको बन्द कर दें । आपकी रूलिंग आ गई है लेकिन आप पुनर्विचार कर लें और जिनकी सूचना नियम–311 के अन्तर्गत आई हैं उनको एक-एक या दो-दो मिनट सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, माननीय गुप्त जी और माननीय किरनपाल सिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है हमने तीनों के विचारों को गम्भीरता पूर्वक सुना । इस पीठ की सदैव यह मंशा होती है कि यहां से निर्णय निष्पक्ष हों । निष्पक्ष पीठ होनी चाहिए । इस पीठ की यही गरिमा है । जिस दिन इस पीठ के निर्णयों पर प्रश्नचिन्ह लगेगा तो यह गम्भीर चिन्ता का विषय बन जाएगा । सूचना की तात्कालिकता, सूचना की अविलम्बनीयता, सूचना का लोक महत्व इन बिन्दुओं पर सूचना सुनने की परम्परा रही है इसी आधार पर सूचना को लिया जाता है और निर्णय लिया जाता हैं । माननीय गुप्त जी स्वयं उस कमेटी के सदस्य हैं । इन निर्णयों को देते समय इनकी अविलम्बनीयता, तात्कालिकता तथा महत्व को देखकर निर्णय लिया जाता है और उसी के अनुरूप सदन की कार्यवाही चलती है जिस समय माननीय सदस्यों द्वारा सूचना दी जाती है उस समय सुविचारित ढंग से निर्णय कर लिया जाता है । लम्बे अन्तराल से सदस्य चुनकर आते रहे हैं कभी पीठ की मंशा ऐसी नहीं रही है कि किसी भी माननीय सदस्य को अनदेखी किया जाए । जब कोई सूचना आती है तो सूचना के महत्व को देखते हुए सूचना के बारे में निर्णय लेते हैं । किसी दल या दल विशेष को जो महत्व देने की बात है यह कहीं सही प्रतीत नहीं होता है ।

सदन का कोई माननीय सदस्य चुनकर आया है तो वह उतना ही सम्मानित है जितने कि वरिष्ठ सदस्य । इस पीठ से ऐसे निर्णय न हों जिससे सदन के निर्णय के बारे में कोई संदेह हो माननीय

किरनपाल जी माननीय जी गुप्त जी माननीय वर्मा जी ने जिन सूचनाओं के बारे में निवेदन किया है वह कल नियम 56 में यह सूचना दे दें। इन सूचनाओं को कल विशेष परिस्थितियों में सुन लिया जाएगा। नियम–311 में निर्णय हो चुका है अब नियम 300 में नरेश अग्रवाल जी बोलें।

प्रदेश में बिक्री कर समाप्त होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(क्रमागत)

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि नियमावली के नियम 183 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल आय व्ययक पेश करने के लिए तिथि निर्धारित करते हैं। महामहिम राज्यपाल ने 9 मार्च, 1994 को उत्तर प्रदेश का आय व्ययक पेश करने की तिथि निर्धारित की थी और मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया था। बजट में मुख्य मंत्री जी ने 1369.49 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया था। घाटे को पूर्ति के लिए 1153.84 करोड़ रुपया लोक लेखा से उन्होने पूरा करने का वायदा किया था। और इस प्रकार 215.65 करोड़ का घाटा उन्होने दर्शाया था। मुख्य मंत्री जी ने सेल टैक्स के सम्बन्ध में 2000 करोड़ रुपये दिखाए हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं संसदीय कार्यमंत्री जी को कि 22 दिसम्बर, 1993 को सदन के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 6 माह के अन्दर प्रदेश में सेल टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि आप तब से 6 माह मान लें 21 जून 1994 को प्रदेश में सेल टैक्स समाप्त हो जाएगा। प्रश्न यहां पर यह उपस्थित होता है कि जब सेल टैक्स समाप्त हो जाएगा तो वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक न उन्होने बजट में दिखाई और न ही यह प्रदेश को मालूम है कि सेल टैक्स समाप्त हो जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी ? वह सेल की प्राप्त से ज्यादा होगी या उससे कम होगी। इस तरह से शंका पैदा होती है। प्रदेश की जनता के हित के लिए जो योजनाएं घोषित की गई हैं या जिन-जिन मदों के लिए जितना पैसा दिया गया है क्या उतना पैसा उन मदों पर खर्च हो पाएगा ? यदि वैकल्पिक व्यवस्था घोषित नहीं की गई तो यह सदन की अवमानना हो जाएगी। इस सम्मानित सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि सेल टैक्स समाप्त हो जाएगा और वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक घोषित नहीं की गई है। 70 प्रतिशत गांवों के विकास के लिए खर्च करने की बात कही गयी है और बायी नगरीय क्षेत्र में पैसा लगाने की बात की गयी है। यह स्वतः में फर्जी है स्वतः में झूठ है। 6 माह में सेल टैक्स खत्म करने की बात कही गयी है और अब थोड़ा समय ही शेष बचा है और वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक लागू नहीं की गयी है। इस सन्दर्भ में आप संसदीय कार्य मंत्री जी से कहिये कि इसको हल्केपन से न लेकर गम्भीरता से लेकर इसका जवाब देने की कृपा करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, में इस नियम 300 के औचित्य के प्रश्न पर कतिपय उन बिन्दुओं का अनुच्छेद का उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्य श्री अग्रवाल साहब ने औचित्य के प्रश्न की ग्राह्यता पर जो अपने प्रभावी तर्क प्रस्तुत कर चुके हैं मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। आप स्वयं विज्ञ हैं। संसदीय कार्य मंत्री विरुद्ध हैं। सरकार चाहे केन्द्र की हो या प्रदेश की सरकार हो। कोई भी अपने दायित्व का पालन करने के लिए, कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए या राज्य के कल्याणकारी योजनाओं को बनाने के लिए, जो अधिकार होता है, वह संविधान के अन्तर्गत उन अधिकारों का प्रयोग करती है।

उस संविधान के माध्यम से जो हम शक्ति ड्राइव करते हैं यदि हम ऐसा कोई निर्णय लेने जा रहे हैं। सरकार ने जो बिक्रीकर समाप्त करने की घोषणा की है यदि वह संविधान के किसी नियम से उसका उल्लंघन होता है, तो मान्यवर, उस बिक्रीकर को समाप्त करने की घोषणा हो ही नहीं सकती। मैं इस दिशा में इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार के संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप भारत के संविधान को देख लें, उसकी सातवीं अनुसूची को देख लें। मान्यवर, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के 92-क को आप देखने की कृपा करें। उसमें स्पष्ट किया गया है कि समाचार-पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अन्तराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है। केवल न्यूज पेपर को छोड़कर जो खरीद या विक्रय होता है उस पर कर लगाने का सरकार को अधिकार है।

श्री अधिष्ठाता–

आप यह बतायें कि संविधान के इन उपबन्धों का उलंघन कहां पर हो रहा है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यही मैं बता रहा हूं। शायद पहली बार आप ऐसे औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करेंगे। मान्यवर, सेल्स टैक्स लगाने का काम राज्य सरकार करती है। सेल्स टैक्स को हटाने का निर्णय किया गया है मेरा कहना है कि जब तक संविधान की 7वीं अनुसूची के इस उपबन्ध में संशोधन न कर दिया जाय तब तक बिक्रीकर को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण और तकनीकी प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

इन उपबन्धों में कर लगाने के लिए लिखा गया है, बिक्रीकर के बारे में कहीं नहीं लिखा है। कर का स्वरूप क्या होगा यह प्रदेश सरकार तय करेगी। मैं समझता हूं कि अभी तक सरकार की मंशा यह नहीं हुई है कि कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया जायगा। जनता का उत्पीड़न न हो, कर लोकप्रिय रहे और प्रदेश का राजस्व कम न हो ऐसी व्यवस्था करने पर विचार हो रहा है। संविधान के इन उपबन्धों का कहीं उल्लेख नहीं हो रहा है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, चुनाव के समय बिक्रीकर को समाप्त करने की बात कही गयी थी जिसके कारण सत्तारूढ़ होने में सरकार को सहायता मिली थी। जो व्यापारी थे जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थे वह भी उनके खेमे से चले गये कि बिक्रीकर खत्म होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि कर समाप्त करने जा रहे हैं या समाप्त नहीं कर रहे हैं। बिक्रीकर का स्वरूप क्या होगा इसको लेकर प्रदेश के जनमानस में भ्रम की स्थिति है। तमाम लेगों ने बिक्रीकर जमा करना बन्द कर दिया है। जिससे प्रदेश के राजस्व की क्षति हो रही है। राजस्व न मिलने से प्रदेश के विकास की जो योजनायें हैं उन पर असर पड़ेगा और प्रदेश का विकास अवरुद्ध होगा। आर्थिक संशाधन न जुट पाने से कर्मचारियों की तन्ख्वाहें रुकेंगी। प्रदेश को जो राजस्व प्राप्त होता है वह मुख्यतः तीन स्रोतों से मिलता है। 1800 से 2000 करोड़ रुपये बिक्रीकर से मिलता है। 1200 करोड़ रुपया एक्साइज से मिलता है और 600 करोड़

रुपया रजिस्ट्री से मिलता है । बिक्रीकर का 200 करोड़ रुपया अगर माफ कर दिया जायेगा तो उसका आर्थिक संशाधनों पर असर पड़ेगा ।

अभी जैसा माननीय नरेश अग्रवाल ने ध्यान दिलाया और मैंने जो बिन्दु रखे हैं उन पर संसदीय कार्य मंत्री स्पष्ट घोषणा करें कि सरकार की नीति क्या है ? बजट भाषण में बिक्रीकर के पैरे को परिव्यय के रूप में दर्शाया गया है । अगर बिक्रीकर की जगह पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है तो उसका स्वरूप क्या है ? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा उपयुक्त और उचित औचित्य का प्रश्न और कोई हो नहीं सकता है । बिक्रीकर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस पर चर्चा हो जाय । 3 माह व्यतीत हो गये हैं और मैगनीफाइंग ग्लास लेकर भी ढूढ़ें तो बिक्रीकर की वैकल्पिक व्यवस्था कहीं दिखायी नहीं पड़ती है । चाहे सेल्स टैक्स कमिश्नर हों या सरकारी अधिकारी हों या मंत्रि-परिषद् की उप समिति बनती है किसी तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं समझता हूं कि सरकार ने जो समय दिया है वह पूरा नहीं हुआ है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, 4 महीने हो गये हैं वैकल्पिक व्यवस्था का कोई स्वरूप आना चाहिए था । और मान्यवर, जब बिक्रीकर की बात इसमें जोड़ दिया है और 4 महीने में जब कोई प्रारम्भिक कार्य नहीं किया है, तो दो माह में क्या करेंगे, यह सरकार स्पष्ट कर दे ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, आपने तो पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया और समझदार माननीय सदस्य भी हैं । इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान की सातवीं अनुसूची में हमको कर लगाने का अधिकार है । उसमें कहीं बिक्रीकर का नाम नहीं दिया है कि बिक्रीकर नहीं हट सकता है ? लगाना न लगाना तो हमारा अधिकार है और जो हमने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा है और जो बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 6 महीने के अन्दर बिक्रीकर का विकल्प देंगे । मैं यह भी बता दूं कि इससे न किसी संसाधन की हानि होगी और विकल्प का जो प्रारूप होगा वह आपके सामने आ जायगा । घोषणा-पत्र के अनुरूप 6 महीने के अन्दर वह आपके सामने आ जायगा । यह चिन्ता तो श्री गुप्त जी को होनी चाहिए । जहां तक व्यापारियों के कर देने का सवाल है, वह देने को तैयार हैं, परन्तु वह चाहते हैं कि यह कम हो जाय । इसमें जो थोड़ा-बहुत उत्पीड़न की कार्यवाही होती थी, वह भी दूर हो जायगी । श्रीमन्, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए इसे निरस्त किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नरेश अग्रवाल जी और माननीय जगदम्बिका पाल जी ने जो सूचना नियम 300 के अन्तर्गत दी है, मैंने माननीय सदस्यों को बिक्रीकर के संबंध में सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी सुना । जिस अनुसूची की बात यहां पर कही गयी है, उसका कहीं पर भी उल्लंघन नहीं हुआ है । बिक्रीकर को समाप्त करने के लिए समय सीमा जो निर्धारित की गयी है, वह अभी शेष है, इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

अगली सूचना श्री किरन पाल सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री बी० एन० सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल की है ।

पीलीभीत जिले में नैपाली महिलाओं की नसबन्दी के नाम पर की जाने वाली नीलामी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पहले औचित्य का प्रश्न उठाने तो दें । यह सदन के संज्ञान में आ चुका है और सदन में कुछ छुट-पुट इस पर चर्चा भी हुई । मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रकरण है, पीलीभीत जिले की सीमा नैपाल की सीमा से मिली हुई है । पीलीभीत में नसबन्दी को लेकर जिस तरह से नैपाल की औरतों को लाया जाता है और उनकी नीलामी होती है, वह बड़ी शर्मनाक है । मान्यवर, इतना ही नहीं, नसबन्दी के नाम पर नीलामी का जो माहौल बना है, उससे जनता के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है और इस चीज को राष्ट्र हित के रूप में लिया जा रहा है । जनता के बीच जब इस बात की चर्चा होने लगी, तो हमारे दल के विधायक का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया । मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि नैपाली महिलाओं की ही नहीं, स्कूली बच्चों को भी पकड़-पकड़ कर लाया जाता है और उनकी नसबन्दी करायी जाती है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । एक दरिया सराय गांव हैं जहां पर परगनाधिकारी अपने सहयोगियों को लेकर जाते हैं और बच्चों को नसबन्दी के नाम पर बहलाने और फुसलाने की कोशिश करते हैं, विद्यालय का स्टाफ उनके खिलाफ उग्र हो जाता है । इस पर प्रधानाचार्य के मुंह पर परगनाधिरी ने थप्पड़ मारा । इसलिए मान्यवर, वहां पर माहौल गरम हो रहा है । हमारे दल के विधायक माननीय बी० एम० सिंह 29 तारीख को भरतपुर पहुंचे और वहां पर जो पी० एच० सी० थी, जहां पर नसबन्दी का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां के अधिकारियों ने पी० ए० सी० और पुलिस को एकत्र कर लिया । इसके साथ तमाम पत्रकार भी थे और जनता के लोग भी थे, बी० एम० सिंह ने वहां पर हो रही नसबन्दी की लिस्ट मांगी और कहा कि वह उसका निरीक्षण करना चाहते हैं और यह जानना चाहा कि किन-किन लोगों की नसबन्दी होनी है, इस पर परगनाधिकारी बौखला उठे और कहा कि इस तरह के विधायक तो बहुत देखे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आप स्वयं सहमत हैं, उनको बताना चाहता हूं । परगनाधिकारी ने कहा कि विधायक इतने भ्रष्ट होते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं । विधायक चुनाव गलत तरीकों से जीतते हैं । यह हम अधिकारियों से अधिक और कौन जान सकता है, वह तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बात समाज सुधार की करते हैं । इस पर पत्रकारों ने कहा कि आप विधायिका की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो परगनाधिकारी ने उत्तर दिया कि विधान सभा की धमकी में आने वाला नहीं हूं विधान सभा को जो कुछ करना हो कर ले, अधिकारी धमकी में आने वाले नहीं हैं । जब पत्रकारों ने कहा तो उसने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह प्रश्न एक विधायक और विधान सभा की गरिमा से संबंधित है, इसलिए सभी को अवसर दिया जाना चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जब परगनाधिकारी ने इस तरह की बात कही, तो पत्रकारों ने कहा इस पर आप को दण्डित किया जा सकता है और जब उसके दिमाग में यह बात आयी तो वह थानाध्यक्ष से विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहने लगा, लेकिन थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज नहीं किया । थानाध्यक्ष ने कहा कि विधायक जी तो बाहर खड़े हैं और किसी सरकारी काम-काज में दखल नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा । इस पर परगनाधिकारी और जिलाधिकारी के बीच सांठ-गांठ हुई और पूरनपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया । मान्यवर, यही नहीं वहां के जो प्रभारी मंत्री हैं, अशोक कुमार बेबी जब वह वहां जाते हैं तो उनको इस घटना से अवगत कराया जाता है । यह विवश हो जाते हैं वहां पर घोषणा करने के लिए यह जो घोटाला चल रहा है नसबन्दी का उसकी जांच करायी जायेगी और जो मुकदमा फर्जी कायम कराया गया है माननीय बी० एम० सिंह के खिलाफ वह 3 दिन के अन्दर वापस किया जायेगा लेकिन इन घोषणाओं के बाद भी न मुकदमा वापस हुआ और न ही उन अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही की गयी जिन्होंने नसबन्दी के नाम पर घोटाला कायम कर रखा है, जिन्होंने विधायिका को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग किया है । मान्यवर, इससे बड़ा औचित्य का प्रश्न कोई और नहीं बनता है ।

श्री अधिष्ठाता–

और भी माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे, वर्मा जी समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर उचित समझें तो हम लोगों को भी सुन लें ।

* श्री बीरेन्द्र मोहन सिंह–

मान्यवर, पीलीभीत जिले के अन्दर अधिकारियों का जो अत्याचार है कर्मचारी भी पीड़ित हैं और आम जनता भी पीड़ित है क्योंकि कर्मचारियों को एक कोटा दिया जाता है और जो कोटा नहीं पूरा करता है उनका वेतन रोक दिया जाता है इसलिए मजबूरी में केस खरीदते हैं । इसलिए कोई भी कर्मचारी या प्रतिनिधि हो, पीड़ित है । मैं जब खुद वहां पर पहुंचा तो मेरे साथ पत्रकार भी थे, हम लोगों के ऊपर फर्जी केस लगा दिया गया और पत्रकारों के ऊपर भी केस लगा दिया गया झूंठा, फर्जी केस लगा दिया गया, जो वहां पहुंचे थे । मान्यवर, इसके बाद प्रभारी मंत्री जब वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां पूरी जांच कर लिया अपनी पार्टी के लोगों से भी सुन लिया, सब से सुन लिया और जांच करने के बाद कहा कि पूरा प्रकरण फर्जी है इसको वापस ले लिया जायेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो वहां पर है इस बात पर बल दे रहा है कि यहां पर नैपाली लोगों की नसबन्दी नहीं हुई हैं । जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसको रोकेंगे उसको जेल भेज दिया जायेगा । जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऊंचे अधिकारियों ने मुझसे कहा है । इस बारे में मैंने प्रमुख सचिव से पूछा तो जब पत्रकारों के माध्यम से उन्हें यह पता लगा कि प्रमुख सचिव ने कहा है कि इसमें जांच

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करायी जायेगी तो उसी दिन कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट आ गयी कि पूरे मण्डल के अन्दर एक भी केस फर्जी नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जब कमिश्नर का स्टेटमेन्ट आ गया है तो कोई उसे छोटा कर्मचारी कैसे उसकी जांच कर सकता है । इस मामले को यहां पर पिछली बार उठाने के बाद वहां डिप्टी डायेरेक्टर हेल्थ जांच करने के लिए गये थे । क्या डिप्टी डायेरक्टर हैल्थ कमिश्नर और डी०एम० के ऊपर कोई जांच कर सकते हैं । इसलिए निवेदन है कि विधान सभा की एक समिति बना दी जाय जो कि वहां पर जो अत्याचार एम० एल० ए० के साथ हो रहा है, जो अत्याचार प्रेस वालों के साथ हो रहा है, जो अत्याचार जनता के साथ हो रहा है को देख पाये और दोषी लोगों को दण्डित करा पाये ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगने पर)

श्री अधिष्ठाता–

पहले सूचना में जिनके हस्ताक्षर हैं उनको सुनूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण मामला है इसमें मुझे मौका दे दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हस्ताक्षरकर्ता बाद में बोल लेंगे, अन्य लोगों को भी बुलवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

बाद में बुलवा लेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है । सदन में यह एक और दिन भी उठाया गया था और सरकार से उम्मीद की गयी थी कि इस गम्भीर विषय को सरकार गम्भीरता से लेगी । मान्यवर, इसमें न केवल एक माननीय विधायक का अपमान हुआ है, उन पर अत्याचर हुआ है अपितु जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसके साथ धोखेबाजी हो रही है । आज हमारे देश का पैसा नैपाल में जा रहा है । हमारे देश में जो नसबन्दी कार्यक्रम है, उससे नैपाल के लोग फायदा उठा रहे हैं । पैसा भी वहां जा रहा है और नसबन्दी भी वहां के लोगों की हो रही हैं । मान्यवर, हमने और माननीय बी० एम० सिंह जी ने जो आरोप लगाया था कि जो इसमें सम्मिलित हैं वे देशद्रोहिता का काम कर रहे हैं । आज भी हम वही आरोप लगा रहे हैं । मान्यवर, ऐसे-ऐसे गांव हैं, ऐसे-ऐसे स्थान हैं जिनमें पूरी की पूरी आबादी में नसबन्दी दर्ज की गयी है पिछले सालों में । उन गांवों और स्थानों की सूची हमने आपके पास भेजी है और भी भेज रहे हैं मान्यवर, गांव की संख्या गिनी जाय और नसबन्दी के केस गिने जायं तो नसबन्दी के केस ज्यादा बैठेंगे इस मद में करोड़ों रुपया नेपाल गया है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर नसबन्दी कराने वालों को तहसील की तरफ से राजस्व विभाग की तरफ से पट्टे दिये जा रहे हैं । एक-एक आदमी को 7-7, 8-8 बार पट्टे दिये गये हैं, एक व्यक्ति के नाम पर कभी दूसरे व्यक्ति के नाम पर । वहां पर विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है ।

मान्यवर, इसका विरोध करने के बाद हमारे माननीय विधायक बी० एम० सिंह जी पर झूठे मुकदमें दर्ज किये गये । सिर्फ झूठे मुकदमें ही दर्ज नहीं किये वरन् उनको धमकाया भी गया है, आगे अन्जाम भुगतने की धमकी दी गयी । यह जो बातें हो रही हैं मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करायी जाय और जो दोषी हों उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय ।

मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़े अधिकारियों की जांच जो एक अदने से अधिकारी से कराने की बात की जा रही है, यह प्रशासन के किस नियम में है । क्या शासन में कोई ऐसा नियम है कि बड़े अधिकारी के कारनामों की जांच कोई छोटा अधिकारी कर सकता है । मान्यवर, यह जो प्रश्न उठाया गया है, यह विषय पहले भी सदन में आ चुका है । जो सरकार ने आश्वासन दिया उसको पूरा नहीं किया गया । उनके मंत्री भी वहां गये, इन्क्वायरी भी की, वहां सारी बातों को सही पाया गया, जो हम लोगों के द्वारा आरोप लगाये गये थे, उनको सही पाया गया । जिला प्रशासन को इसमें दोषी पाया गया । वहां पर प्रभारी मंत्री जी ने निर्देश दिये थे कि माननीय बी० एम० सिंह जी के विरुद्ध दर्ज मुकदमें वापस लिये जायेंगे और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा, वहां कहा गया कि उन्होंने खुद देख लिया है कि फर्जी नसबन्दी हो रही हैं । लेकिन आज इस मामले की किसी इन्स्पेक्टर से जांच करा रहे हैं, किसी डिप्टी डायरेक्टर से करा रहे हैं । आज जो माननीय सदस्य के साथ वहां अपमानजनक व्यवहार हो रहा है और जो यह कहा गया है कि यदि आपकी यही हरकत प्रशासन के विरुद्ध रही तो अन्जाम अच्छा नहीं होगा और भी बातें जो माननीय विधायक के लिए कही गयीं जिनको कि यहां पर कहना अच्छा नहीं लगता, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने कहा है कि जिक्र किया है, वे शब्द यहां कहना नहीं चाहूंगा, उनको धमकाया गया है कि इसका अन्जाम अच्छा नहीं होगा और उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है ।

मान्यवर, माननीय बी० एम० सिंह जी ने सही कहा है कि यह गम्भीर विषय है । इससे कई विषय जुड़े हुए हैं । विधायक का अपमान जुड़ा हुआ है । राष्ट्रद्रोह कुछ लोग कर रहे हैं । जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है उसको धोखा दे रहे हैं । हमारे प्रदेश में आंकड़े दिये जा रहे हैं कि इतनी नसबन्दी हो गयी हैं और वास्तव में हमारी आबादी बढ़ती रहेगी, हमारा धन विदेश में जा रहा है । इस गम्भीर विषय की जांच कराने के लिए इस सदन के माननीय सदस्यों की, सारे दलों के, एक समिति बना दें । उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हो, यह मैं मांग करना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक बहुत ही गम्भीर विषय की ओर माननीय राम आसरे वर्मा और माननीय किरनपाल जी ने आपका ध्यान आकृष्ट किया । मान्यवर, विधायक को दर्जा दिया जाता है एक तो व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ-साथ वह इस विधायिका का अंग है । उन्होंने ठीक कहा कि सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है । इस सरकार से अपेक्षा नहीं है । इस सरकार से अपेक्षा की गयी है तो सदस्य का अपमान हो रहा है, बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है, सरकार ने उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया । तो सरकार से कोई अपेक्षा हम नहीं करते हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

सरकार तो चली गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह तो आपका मानना है । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य, पीलीभीत के बारे में अगर कोई इन्क्वायरी करनी है तो वह करें लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो सूचना श्री राम आसरे वर्मा जी ने दी है उसमें विधायिका को लांछित किया गया है और माननीय सदस्य पर इस आशय का दबाव डाला जा रहा है कि वे अपनी बात को विधायिका में न कह सकें । विधायिका के बारे में भी अनाप-शनाप बातें कही गयी हैं इसलिए यह साफ-साफ विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता है । क्योंकि विधायिका को भी वही अधिकार है जो माननीय सदस्य को है । एक सदस्य पर आक्षेप लगाया गया उनकी विधायक की शक्तियों के संबंध में आक्षेप लगाया गया । लेकिन अब आप यह कहेंगे कि यह सूचना औचित्य के प्रश्न की है तो यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न कैसे बन जायेगा । आप नियमों को देखें और समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये दृष्टान्तों को भी देखें उसमें सूचना को बदलने का प्राविधान है । मान लीजिये कोई सूचना कार्य-स्थगन की आती है तो उसे नियम–51 में भी बदला जा सकता है । तो यह जो औचित्य की सूचना प्राप्त हुई है इसे विशेषाधिकार हनन में बदल दें और एस० डी० एम० और डी० एम० के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनाया जाये और सदन की एक कमेटी बनायी जाय जो इसकी समीक्षा करे ताकि जो अधिकारी जानबूझकर विशेषाधिकार हनन करते हैं, विधायिका पर लांछन लगाते हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके और जो लोग इसमें दोषी पाये जायें उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही की जाये और इसे विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कदाचित यह किसी सम्मानित सदन की प्रतिष्ठा और सुरक्षा का प्रश्न नहीं होता तो मैं आपसे बोलने की अनुमति नहीं लेता । नये सदस्य श्री बी० एम० सिंह ने कुछ दिनों पहले प्रशासन के खिलाफ पत्रकारों के उत्पीड़न का प्रश्न उठाया था और यह कहा था कि उनको वहां का प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने दे रहा है और जब वह आम जनता की आवाज को यहां उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमें चलाये जा रहे हैं । मुकदमें फर्जी हैं या नहीं इसकी जांच करायी जाये तो कैसे इसकी जांच हो । यह सम्मानित सदस्य की सुरक्षा और प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सम्पूर्ण सदन के सदस्यों की एक कमेटी गठित कर दें और वह पीलीभीत जाये और वहां पर देखे और तीन बिन्दुओं पर जांच कर ले । मान्यवर, पहला पूरे उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन के अन्तर्गत औसत क्या है और पीलीभीत में औसत क्या है ? दूसरा यह कि जो पते दिये गये हैं जो नसबन्दी कराते हैं उनका पूरा पता होता है और जो पट्टे दिये गये हैं उनमें पते दिये होते हैं, उसका वेरीफिकेशन करा लें तो सच्चाई उभरकर सामने आ जायेगी और प्रतिशत से अन्दाजा लगाया जा सकता है । अगर हर जनपद में पूरा नहीं है तो फिर पीलीभीत में 90 प्रतिशत कैसे हो रहा है ? मैं बड़े ही विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि इस तथ्य की जांच करा लें । अगर पते फर्जी हैं तो प्रशासन की गलती है और माननीय सदस्य ने उसकी चोरी को, भ्रष्टाचार को और गलती को उजागर किया है इसलिए प्रशासन ने उन्हें प्रताड़ित करने के लिए उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाये हैं । लोकतन्त्र में माननीय सदस्यों की गरिमा की रक्षा अगर आप नहीं करेंगे

तो कौन करेगा ? मान्यवर, उस पीठ से जब कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आयी हैं तो सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिए हैं ।

दूसरे बिन्दु की ओर मैं स्पष्ट रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करूंगा आपके सामने जो लिखा हुआ है, उसे न पढ़ें । आप पुनः मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपने विवेक का प्रयोग करें और सम्मानित सदस्य के सम्मान की रक्षा-सुरक्षा करने के लिए दृढ़ कदम उठायें । मैं दावे के साथ बी० एम० सिंह की तरफ से कह रहा हूं कि यदि पते फर्जी नहीं पाये गये तो मैं स्वयं क्षमा याचना करूंगा और खेद प्रकट करूंगा । लेकिन यदि पते फर्जी पाये जायें तो सरकार को आप दृढ़ता के साथ यह निर्देश दे दें कि जो लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय और उनको इसी सदन में बुलाया जाय तथा उनके खिलाफ प्रताड़ना की कार्यवाही इसी सदन में करायें ।

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, जिस महत्वपूर्ण प्रश्न को नियम–311 के माध्यम से इस सदन में थोड़े दिन पहले उठाया गया था, उस समय इस प्रकरण में फर्जी नसबन्दी का मामला उठा था और उस दिन जब मैं अपना स्पष्टीकरण दे रहा था तो इस फर्जी नसबन्दी के संबंध में बहुत से सम्मानित सदस्यों ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की । बहुत से लोग फर्जी नसबन्दी के मामले एक साथ खड़े होकर सूचित कर रहे थे । उस समय मैंने यह कहा था कि जिस तरह की शिकायतें हैं, उसकी मैं जांच करा लूंगा । इसके संबंध में कोई विवरण सहित कोई भी शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई थी । सदन की कार्यवाही के माध्यम से, जिन-जिन जगहों पर फर्जी नसबन्दी के मामले यहां पर प्राप्त हुए थे, तुरन्त ही मैंने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलवाकर, बहुत ही कम समय में संयुक्त निदेशक, जो मण्डलीय अपर निदेशक होते हैं, से जांच करायी । उस समय जो मण्डलीय स्तर पर उच्च पदस्थ अधिकारी था, जिला स्तर पर नसबन्दी के कार्य में जो लगाये जाते हैं, उनके स्तर के ऊपर के यह अधिकारी थे । उस समय मैंने यह भी कहा था कि जिसे भी कहें, जांच करा लेंगे । आज फिर औचित्य के माध्यम से यह प्रकरण पुनः आया है । मैंने जांच मंगवायी है, और वह जांच पते सहित आयी है, यह जांच मण्डलीय अपर निदेशक ने की है । आज जिनके माध्यम से जांच कराने का आदेश आप देंगे, उन्हीं स्रोतों से हम जांच करवा लेंगे और जांच के बाद जो व्यक्ति भी इसमें दोषी पाये जायेंगे, यह राष्ट्रीय परिवार कल्याण का कार्यक्रम है, हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये हमारी प्राथमिकता का कार्यक्रम है, इसको फर्जी ढंग से करने की कोई सूचना होगी तो जो भी विसंगति दण्ड होगा, उस अधिकारी और कर्मचारी को दिया जायेगा, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जायेगा । दूसरा जो प्रकरण है वह इसके साथ नहीं जुड़ा था । आज हमारे सम्मानित नेतागण और सदस्य उस बिन्दु की ओर इशारा किये हैं, उससे हमें दुःख है । मैं विधायक या जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने और पाने दानों का कायल ही नहीं समर्थक भी हूं । मान्यवर, यह प्रकरण जो आया है, मैं यह चाहूंगा कि इसकी जांच करा ली जाये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की ईमानदारी पर हमें कोई शक नहीं है । उन्होंने अभी एक सूची दिखायी है जिसमें पते लिखे हुए हैं, इतना बता दें कि पते में क्या फिजिकल वेरीफिकेशन है और उस बिन्दु की जांच की गयी है या नहीं की गयी । मैं बहुत आभारी हूं कि माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने

कहा कि जिस एजेन्सी से कहें जांच करा लूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस सम्मानित सदन के सभी दलों के 10-15 सदस्यों की एक समिति बना दी जाय और उसके अध्यक्ष माननीय स्वास्थ्य मंत्री स्वयं रहें, उनकी अध्यक्षता में हम इस बिन्दु की जांच कर लेंगे कि जो पते दिये गये हैं वह सही या फर्जी हैं, इनमें जो 10–15 पतों की जांच से स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। दूसरे जो फर्जी मुकदमें माननीय बी० एम० सिंह के खिलाफ कायम किये गये हैं, सरकार तत्काल उन्हें वापस लेने की घोषणा करे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह जो प्रकरण आया है उसमें तीन मुद्दे हैं। पहला–नसबन्दी के नाम पर जो घोटाला किया जा रहा है वह है। दूसरा–जब विधायक ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहा तो विधायक के प्रति अपमान जनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाना और तीसरा प्रकरण मानीय विधायक और पत्रकारों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं। इन तीनों बिन्दुओं की जांच के लिए सबसे बेहतर एजेन्सी इस सदन की एक समिति ही हो सकती है, दूसरा कोई अधिकारी यह जांच करने के लिए वहां नहीं जा सकता कि विधायक का अपमान हुआ या नहीं हुआ, मुकदमें बनाये या नहीं बनाये, वह कब कहने आयेंगे कि उन्होंने फर्जी मुकदमा बनाया या विधायक का अपमान किया, नसबन्दी के नाम पर जो घोटाला किया उसको कब साबित करेंगे। मान्यवर, आप एक साहसपूर्ण निर्णय दें और इस सदन के सम्मानित सदस्यों की एक कमेटी की घोषणा कर दें। वह कमेटी तीनों बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट सदन को दे, तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

डा० सरजीत सिंह डंग–

आज जिस प्रकरण पर सदन में चर्चा हो रही है, उसको लगभग सभी दल के माननीय सदस्यों ने बड़ी गम्भीरता से लिया है और यह प्रकरण वास्तव में गम्भीरता से लेने योग्य है भी।

श्री अधिष्ठाता–

डंग साहब अगर कोई जिज्ञासा हो तो बतायें, चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

अधिष्ठाता महोदय, दो बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज जो अनुरोध विभिन्न दल के माननीय विधायकों द्वारा आया है, तो इसमें अपना विचार है कि सभी सहमत होंगे कि इससे सरकार की गरिमा और विधायकों की भी गरिमा बढ़ेगी, इसलिए सदन की समिति बनाकर के इस सारे मामले की जांच करा ली जाये जिससे सारे प्रकरण की सच्चाई सामने आ जायेगी। दूसरे जो माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यहार, अपमान जनक भाषा, फर्जी मुकदमे कायम किये गये हैं वह भी सामने आ जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

डंग साहब इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है, आप कोई सुझाव देना चाहें, तो दें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से जांच करायी है ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा न कीजिये, सुझाव देना चाहें तो दीजिये ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक बात सुन लें । जांच कराये जाने के संबंध में पहले भी कई बार सदन में इसकी चर्चा हो चुकी है और आई विटनेस के माध्यम से दूरदर्शन पर इस पूरे प्रकरण को दिखाया भी गया है जिसे पूरे विश्व ने देखा था, पता नहीं सरकार ने इसको देखा है कि नहीं ? इसकी जांच कराये जाने के लिये सभी दलों के सदस्यों की एक समिति बनायी जाए और उस प्रकरण को खोलकर जनता के सामने रखा जाय, सच्चाई को सामने लाया जाय ताकि सरकार को अपनी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिये, सदन के सम्मान के लिये देर तथा गुरेज नहीं करना चाहिए । इससे सम्मान ही बढ़ेगा, कटुता नहीं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस बिन्दु की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाना जरूरी है कि माननीय विधायक के विरुद्ध जो फर्जी मुकदमें लगाये गये हैं, जो नसबन्दी का फर्जी मुकदमा है । अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि बरेली के अधिकारी से जांच करायी गयी है । मान्यवर, लखनऊ मुख्यालय से अधिकारी भेजकर जांच करायी जाय, पते की जांच करा ली जाय । मान्यवर, यह अलग विषय है, श्री बी० एम० सिंह जो पीलीभीत में प्रशासनिक अधिकारी हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलन्द कर रहे हैं । मान्यवर, अगर उन्हीं के अनुसार यह प्रशासनिक अधिकारी अनर्गल मुकदमें न लगायें, जैसी कि माननीय विधायक के साथ ऐसी स्थिति है, यह परिस्थिति बहुत ही भयावह है । मान्यवर, सदस्य के ऊपर मुकदमें लगाये गये हैं, उन मुकदमों को वापस करने की घोषणा कर दी जाय । मान्यवर, समय की बात है जब सामान्य विधायिका की उपेक्षा के प्रश्न पर इस पीठ का संरक्षण मिलता है । विधायक के ऊपर प्रशासनिक द्वेष के ढंग से कार्यवाही की जा रही है । मान्यवर, वह अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, इसकी जांच के लिये आप इस सदन में घोषणा कर दें या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी किसी का नाम ले दें । मान्यवर, अगर ऐसा ही रहा तो हम जन-प्रतिनिधियों की रक्षा कैसे होगी ? भविष्य में पूरे प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए जिससे सभी जन-प्रतिनिधियों की रक्षा हो सके और उन्हें पूरा सम्मान मिले । इस सदन से भी अपेक्षा है कि जन-प्रतिनिधियों के प्रशासनिक अधिकारियों को सही दिशा निर्देश दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य पीलीभीत से संबंधित हैं, कृपया उन्हें सुन लें ?

श्री अधिष्ठाता–

आप कार्यवाही चाहते हैं या फिर इस पर चर्चा चलाना चाहते हैं । सबसे पहले ही आपको बुलाया था और नाम लिया था ।

(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, सरकार द्वारा यह अनुचित किया जा रहा है । सच्चाई सामने लाने के लिये इसकी आप जांच कराइये और इसके लिए सदन की एक जांच समिति भी बनाई जाय । विधायक का जो उत्पीड़न हो रहा है और जो उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हुये हैं, उन्हें वापस ले लिये जायं, फर्जी मुकदमें दायर करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय । जो घोषणा की गयी है नसबन्दी के संबंध में उसको भी दिखलवा लिया जाय । इस प्रकरण की एक समिति से जांच कराई जाय । मेरी सरकार से और इस सदन से मांग है कि सदन एक कमेटी बनाये और सदन की उस कमेटी को वहां भेजकर उस सारें प्रकरण की जांच कराई जाय, जांच कराने पर वहां पर जो अधिकारी है, परगनाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, उन्हें सबसे पहले हटा दिया जाय और उसके बाद वह कमेटी वहां जाकर जांच करे ।

श्री राम सरन वर्मा–

मान्यवर, जो विषय पर यहां पर मैंने उठाया है, वह बहुत ही गम्भीर व महत्वपूर्ण है । आज नेपाल की महिलाओं को फर्जी निवासी दिखाकर फर्जी नसबन्दियां कराई जा रही हैं, जिसके कारण घोर भ्रष्टाचार भी व्याप्त है । मैं कुछ ऐसों तथ्यों को इस आदरणीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

जो आप यह कह रहे हैं, ये सारी बातें आ चुकी हैं । आप यदि कोई सुझाव देना चाहते हों तो वह दें ।

श्री राम सरन वर्मा–

मान्यवर, पीलीभीत के अन्तर्गत प्रशासनिक स्तर पर 6328 नसबन्दी का लक्ष्य रखा गया है परन्तु जिलाधिकारी ने वहां पर 8 हजार का लक्ष्य रखा है । मैं बताना चाहता हूं कि अप्रैल, 1993 से नवम्बर 1993 तक जो नसबन्दी के केसेज हुए हैं, उनकी मात्र संख्या 1100 है । दिसम्बर, 1993 में, मात्र एक महीने में 1600 नसबन्दियां हुई हैं, जनवरी, 1994 में 2200 नसबन्दियां हुई हैं । 29 जनवरी को जब माननीय विधायक श्री बी० एम० सिंह जी ने इसमें दखलन्दाजी की तो फर्जी मुकदमें लिखाकर

अधिकरियों ने मात्र विधायकों का ही अपमान नहीं किया, मात्र पत्रकारों का ही अपमान नहीं किया अपितु इस सदन के लिए भी उल्टे-सुल्टे शब्द कह कर इस सदन को अपमानित किया । इसलिए निश्चित तौर पर यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता है । इसी प्रकार भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं । बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां पर फर्जी नसबन्दियां होना दर्शायी हुई हैं । अमरिया विकास खण्ड के गांव फरदिया में फर्जी नसबन्दियां हुई हैं । मेरे पास आंकड़े हैं, उनसे स्पष्ट हो जायेगा कि भारी मात्रा में फर्जी नसबन्दियां हो रही हैं । नेपाल की महिलाओं को वहां का निवासी दिखाकर फर्जी नसबन्दियां हो रही हैं । फरदिया की जनसंख्या 791 है, लक्ष्य दम्पत्ति 135 हैं लेकिन वहां पर लगभग 500 नसबन्दियां हुई हैं । भरतपुर कालोनी की जनसंख्या 2000 है, लक्ष्य दम्पत्ति 340 हैं लेकिन नसबन्दियां हुई हैं 700 । इसी प्रकार कई ऐसे गांव हैं, जहां पर फर्जी नसबन्दियां हुई हैं । इन गांवों के नाम हैं कूड़ा कैमोर, टाडा कालोनी, गमिया सरहई, चठिया हजारा, ढकाचोर, वोंदी भूड़ हैं, जहां पर आबादी हिसाब से लक्ष्य दम्पत्ति के हिसाब से ज्यादा नसबन्दियां हुई हैं ।

मान्यवर, स्टेट कम्पयूटर के नेतृत्व में और दिल्ली दूरदर्शन से आई टीम के नेतृत्व में इसकी जांच हुई और उन्होंने भी पाया कि फर्जी नसबन्दियां हुई हैं । मान्यवर, यह प्रकरण मात्र केवल फर्जी नसबन्दियों तक ही सीमित नहीं रहता है, नैपाली महिलाओं के साथ व्यभिचार भी किया जाता है । बेबसी में नैपाली महिलायें भी अस्मत का सौदा करने लगी हैं नसबन्दी की नीलामी बोली पर्याप्त नहीं लग पाती है तो व्यभिचार व्यवसाय किया जाता है । जिससे कि समाज पर दुष्प्रभाव पड़ जाता है । यह व्यभिचार व्यवसाय समाचार पत्रों में भी छपा है । जनपद पीलीभीत में कई फर्जी प्रमाण पत्र नसबन्दी के जारी किये गये हैं, जिनके नाम भी मैं बताना चाहता हूं । गांव गौतललोरी खेड़ा की धर्मवती पत्नी श्री राम बहादुर को फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसका नम्बर 10502 है, इसी प्रकार नेमवती पत्नी श्री निर्मल को फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसका नम्बर 10503 है । इसी प्रकार से बहुत सी अन्य महिलायें भी हैं, जिनको फर्जी प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं । 5 जनवरी को दैनिक जागरण मे छपे एक समाचार के अनुसार साधू की भी नसबन्दी लक्ष्यपूर्ति हेतु हुई है । इस सम्पूर्ण नसबन्दी प्रकरण में सरकार का लगभग 60 लाख रुपया 150/- प्रति केस के हिसाब से डाक्टर ने हजम किया तथा शेष रुपया अन्य प्रकार अपव्यय हुआ है ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इन सारे तथ्यों से तीन बिन्दु प्रकाश में आते है प्रथम विधायक पत्रकार तथा सदन की अवमानना के कारण विशेषाधिकार का मामला, द्वितीय मा० विधायक के विरुद्ध फर्जी मुकदमा लिखाना तथा तृतीय फर्जी नसबन्दी कर सरकारी धन का दुरुपयोग एवं इसके कारण व्याप्त अत्याचार (व्यवधान) .....।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, आपने कोई सूचना नहीं दी है ।

श्री राम सरन वर्मा–

यह औचित्य का प्रश्न है क्योंकि सदन के संज्ञान में है तथा इस प्रकरण से सदन का सीधा सम्बन्ध भी है।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें, आप बैठें आपने कोई सूचना नहीं दी है।

श्री राम सरन वर्मा–

इसलिये विशेषाधिकार की अवहेलना के लिए, जिलाधिकारी व परगनाधिकारी को सदन में बुलाकर स्पष्टीकरण लिया जाये फर्जी दर्ज मुकदमें वापस लिए जायं ताकि फर्जी नसबन्दी करवाने वाला तथा इस विषय में लिप्त भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो सकें पर सदन की एक कमेटी बना कर जांच कराई जाय, मैं इस पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 के अन्तर्गत माननीय किरन पाल सिंह, माननीय राम आसरे वर्मा, माननीय बी० एम० सिंह और माननीय अशोक कुमार सिंह चन्देल जी की सूचना थी उसके संबंध में मैंने सभी दलों के नेताओं को सुना और पीलीभीत के माननीय सदस्य और कतिपय और सदस्यों की राय भी ली। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इससे पहले जब सूचना नियम 311 में आई थी विषद जांच कराई और उस जांच की रिपोर्ट भी माननीय मंत्री जी के पास कदाचित प्राप्त हो गयी है। यह एक गम्भीर सूचना है माननीय विधायक के सम्मान के प्रश्न से जुड़ा है। इसलिये मैंने इसे गम्भीरतापूर्वक सुना है। इस संबंध में सबके विचार सुनने के बाद मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुये इस पर विचार करके सदन को सूचित कर दूंगा।

इसके बाद तीसरी सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की विगत गैर सरकारी दिवस के दिन कार्यसूची में प्रविष्ट संकल्प को स्थगित किये जाने के बारे में है।

श्री किरन पाल सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं किसी पर आपत्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं। पहले वाले मामले में जो माननीय विधायक के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है उनको प्रताड़ित किया जा रहे है उसके बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय किरन पाल सिंह जी मैंने उसकी गम्भीरता को समझा है और सुविचारित निर्णय आने के लिये व्यवस्था सुरक्षित रखी है।

डंकल प्रस्ताव से संबंधित संकल्प को स्थगित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने गैर सरकारी दिवस पर एक संकल्प रखा था जो कार्यसूची पर प्रथम वरीयता पर था उस पर मैंने चाहा था कि केन्द्र सरकार डंकल प्रस्ताव अमान्य कर दे । उसे माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगित कर दिया था । मैं जानना चाहता हूं कि जो स्थगित हुआ था उस पर क्या निर्णय किया है ? निर्णय के पहले मैं दो तीन विन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें आपत्ति यह की जा रही है कि यह विषय केन्द्र सरकार से संबंधित है । मैं किसी कानून या संविधान की तरफ न जाकर सदन की परिपाटी की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । अनेकों संकल्प यहां पर आये हैं जो बिल्कुल केन्द्र सरकार की संघ सूची में आते हैं जिन पर यहां चर्चा हुई हैं उसका मैं दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहता हूं दिनांक 12-2-86 को सरदार सिंह जी का निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जो 5 सितम्बर, 86 को मतदान में गिर गया "यह सदन प्रदेश में लोक सभा/विधान सभा के निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु केन्द्र सरकार से सबल संस्तुति करता है कि निर्वाचन अधिकरियों के पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों के स्थान पर न्यायपालिका के न्यायाधीशों व न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नियुक्त किया जाय" यह मान्यवर, केन्द्र का विषय है, चुनाव आयोग के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं लेकिन यहां पर चर्चा हुई लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया ।

इसी तरह से एक और संकल्प है श्री भारत सिंह रावत का 29-10-92 को प्रस्तुत हुआ "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वन संरक्षण अधिनियम को इस सीमा तक संशोधित कर दिया जाय कि उ० प्र० के पर्वतीय क्षेत्र का विकास कार्य हो सके ।" तो मान्यवर, वन संरक्षण अधिनियम 80 सेन्ट्रल ऐक्ट है तो उस पर संशोधन करने की सिफारिश इस आदरणीय सदन में की गयी और भी उदाहरण देता हूं इसी दिन रासायनिक और उर्वरकों के मूल्यों की वृद्धि के संबंध में माननीय सुरेश गांधी ने प्रस्ताव रखा था यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि रसायनिक उर्वरकों के मूल्यों में हुई असामान्य वृद्धि से कृषि उत्पादन में होने वाले ह्रास को रोकने के लिये फासफेटिक एवं पोटेसिक उर्वरकों पर पूर्ववत राज्य सहायता जारी कर नियंत्रित मूल्य पर उर्वरक कृषकों को उपल्बध कराया जाय " तो ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं । यहां पर मैंने दो बार स्वयं उत्तराचंल राज्य की स्थापना के संबंध में संकल्प प्रस्तुत किये हैं । तो यह भी केन्द्र सरकार का विषय है इसी तरह से श्री पंचानन राय का संकल्प था और अनेकों संकल्पों की सूची मेरे पास है जिसमें केन्द्र के विषय को लेकर यहां संकल्प प्रस्तुत हुए हैं ।

मान्यवर, हमारे पास उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन की पुस्तक है जिसके पृष्ठ 551 को देखें । इसमें माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है :–जनहित में किसी महत्वपूर्ण संकल्प को नियमों के विपरीत होने पर भी प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है । पहले तो कहा कि नियमों में संगत है लेकिन उसके बाद भी यह जनहित का मामला है । आज सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश डंकल प्रस्ताव के स्वीकार करने से चिन्तित है और विशेष रूप से प्रदेश का किसान चिन्तत है लेकिन यह पूरे प्रदेश का मामला है, इसलिये आदरणीय सदन में बैठे सभी राजनीतिक दलों ने इसके स्वीकार करने में विरोध प्रकट कर रहे है और भारतीय जनता पार्टी की रैली दिल्ली में होने जा रही है ।

कम्युनिष्ट पार्टी और सत्ता रूढ़ दल ने भी विरोध किया है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे संकल्प पर पुनः विचार करके इस मामले पर संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाना चाहिए ।

मैंने जिस पुस्तक का पहले उल्लेख किया है उसके पृष्ठ 552 के बिन्दु 11 पर देखें । जब श्री नारायण दत्त तिवारी जी इधर बैठा करते थे तो एक संकल्प प्रस्तुत हुआ था उसमें भी इसी तरह से आपत्ति की गई थी और आपत्ति करता श्री वीरेन्द्र पति यादव थे । श्री तिवारी जी ने इस बात पर बल दिया कि हमारा संकल्प केन्द्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं है लेकिन केन्द्र सरकार को राय देने का इस सदन को अधिकार है, यह श्री तिवारी जी ने मत प्रकट किया था । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और उस दिन भी निवेदन किया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 का हवाला देकर कहा था कि यदि केन्द्र सरकार कोई करार कर लेती है तो उसका रैटीफिकेशन करना होगा जब तक यहां के दानों सदनों की मान्यता की मोहर उस पर नहीं लग जाती है । उदाहरणों के फलस्वरुप केन्द्र सरकार को सिफारिश करने का अधिकार इस सदन को है और यही पूर्व में परम्परा और परिपाटी रही है । इसलिए आप अनुमति दें कि जो संकल्प प्रस्तुत किया था गैर-सरकारी दिवस में उस पर कब चर्चा करायी जायेगी, इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, श्री गुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया है उस पर काफी विवाद हो चुका है और अध्यक्ष महोदय ने उसे अग्राह्य कर दिया था । इसलिये व्यवस्था के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि नियम 311 के अन्तर्गत इसमें पहले विस्तार से कहा जा चुका है और यह विषय प्रान्त की सूची में नहीं आता है । यह अन्तर-राष्ट्रीय समझौता है यह एक देश से दूसरे के बीच में होगा, इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह विषय ग्राह्य नहीं है और डंकल प्रस्ताव के संबंध मे चर्चा यहां ग्राह्य नहीं है तो क्या दुबारा चर्चा इस पर करायी जा सकती है । ....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक वाक्य कहूंगा । मुझे याद है, मैंने प्रोसीडिंग देखी है माननीय अध्यक्ष जी ने इसे स्थगित किया था । इसमें बाहर क्या चर्चा हुई है, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष होते तो वह इसे स्वीकार करते ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने नियम 300 में एक सूचना दी । उस सूचना पर व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने तिवारी जी को और गुप्त जी को सुना । कदाचित माननीय सदस्यों को स्मरण होगा, गुप्त जी ने गैर सरकारी संकल्प के रूप में यह सूचना दी थी । यह सूचना सदन के सामने आयी थी, लेकिन माननीय अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार इसको स्थगित कर दिया गया था, इसको अभी निरस्त नहीं किया गया है । यह अभी है, यह स्थगित है और इस पर माननीय अध्यक्ष का निर्णय सुरक्षित है । उनके आने के बाद ही इस पर कोई कार्यवाही की जा सकेगी । यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, नियम 300 में यह नहीं आता है, इसलिये इसको अस्वीकार किया जाता है ।

ऊर्जा सलाहकार समितियों में विधायकों की भागीदारी बहाल किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

इसके बाद, ऊर्जा सलाहकार समितियों में विधायकों की भागीदारी बहाल किये जाने के संबंध में, नियम 300 के अन्तर्गत श्री हृदय नारायण जी की सूचना है। श्री हृदयनारायण जी।

श्री हृदय नारायण–

इस आदरणीय सदन का सदस्य होने के नाते हम लोगों के विशेषाधिकार हैं और जिले तथा अन्य प्रदेश स्तर की समितियों में बैठने की विशेष अवसर हमें इसलिये मिलता है कि इस आदरणीय सदन की कार्यवाही में सेवा करने में हमें सुविधा हो। मान्यवर, इस क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से परम्परा चली आ रही है बहुत पुरानी कि जिला स्तर की ऊर्जा सलाहकार समितियों की बैठकों में हम सभी सदस्यगण अपने-अपने क्षेत्र के सुझाव दिया करते थे कि कौन सा गांव उपयोगी होगा, जिसे विद्युतीकरण में शामिल कर लिया जाए। आप भी मान्यवर, इससे सहमत होंगे और पूरे सदन को सहमत होना चाहिए कि इन समितियों में अधिकारीगण सरकार के अपने अपने पक्ष को रखते हैं, शासन की नीति और शासनादेशों के अनुसार, किन्तु हम विधायकगण जन इच्छा और जन आकांक्षाओं के अनुसार वहां पर अपनी बात रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आदेश के माध्यम से विधायकों को ऊर्जा समितियों में बैठने का अधिकार को समाप्त कर दिया था। तब से जिला अधिकारी और विद्युत विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आदि अपने मनमानी ढंग से गांवों का चयन करते हैं। तत्कालीन सरकार जिसने इस नियम को, परम्परा को समाप्त किया था, कदाचित् उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं रही होगी और उनकी मान्यता रही होगी कि उसमें इन समितियों में मा० विधायकों की आवश्यकता नहीं है। उस समय उनकी पार्टी के लोग यह मानकर चलते रहे हैं कि यह कार्य जिलाधिकारी तथा बिजली विभाग के अधिकारी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन श्रीमन्, एक लम्बे अर्से से इस आदरणीय सदन के सदस्य उनमें बैठते रहे हैं और अपने सुझाव ही अन्तिम रूप से मान्य होते रहे हैं। जब से यह परम्परा समाप्त हुई है, हम विधायकों के सामने एक खास अड़चन आ गयी है। जिलाधिकारी और अधिशासी अभियन्ता मनमाने ढंग से गांवों का चयन करते हैं, इससे हमारे विधायी कार्य में अड़चन आती है और हम लोग जो वहां समितियों में बैठकर समस्याओं का समाधान कर लिया करते थे, उन समस्याओं को यहां पर उठाते हैं और उसमें इस सदन का समय लगता है। इसलिये मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है, जिसका नियम 300 में इस आदरणीय सदन में मैंने प्रस्ताव किया है। उसी तरह से फिर विधायकों के अधिकार बहाल कर दिये जाएं कि हमारे सुझाव वहां पर, नियम संगत हों, तो मान्य हों। इससे इस सदन के कार्य संचालन में भी आपको सुविधा होगी और यहां पर ऊर्जा से संबंधित छोटी-छोटी समस्याएं नहीं आयेंगी कि अमुक गांव का चयन विद्युतकरण हेतु हुआ है और अमुक गांव बाकी है। तो श्रीमन्, इस पर मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा और आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सरकार का इस पर दृष्टिकोण और पक्ष आ जाना चाहिए कि क्या माननीय विधायकों के अधिकार ऊर्जा समितियों में पहले बैठने के थे वह बहाल किये गये ? इस बात की घोषणा हो जानी चाहिए कि जो यह माननीय विधायकों के अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय में खत्म कर दिये थे उन्हें बहाल कर दिया गया है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

यह जो दीक्षित जी ने कहा है, इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

दीक्षित जी ने ऊर्जा सलाहकार समितियों में माननीय विधायकों का प्रतनिधित्व और विधायकों को शामिल किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाया । यह प्रश्न हमारी सारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है । विधायक जन प्रतिनिधि हैं, जनता इन्हें विश्वास के साथ इस माननीय सदन के लिये सदस्य के रूप में चुनकर भेजती है और यह अपेक्षा करती है कि यह प्रतिनिधि संबंधित विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिये कार्य करें और उसमें रुचि लें । विकास कार्य को कैसे गति प्रदान करें ? विकास संबंधी कार्यों में होने वाली कठिनाइयों के बारे में निरन्तर जनता के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है । ऐसी परम्परा भी रही है ऊर्जा ही नहीं विभिन्न विभागों की सलाहकार समितियों में माननीय विधायकों की सहभागिता हो । इस विषय पर दीक्षित जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के लिये कहा है । सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमने स्पष्ट कहा कि इस पर विचार कर लेंगे । इसके बाद कुछ बचता नहीं है ।

श्री हृदय नारायण–

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था आयी है उससे कदाचित् स्पष्ट हो गया है कि आप हम लोगों के जो अधिकार हैं समितियों में भाग लेने के, वह जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में समाप्त कर दिये गये थे उन्हें बहाल कर देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिये अस्वीकार किया जाता है । शेष सूचनाएं जो औचित्य के प्रश्न के रूप में आयी थीं अस्वीकार की जाती हैं ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने की लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार जिस तिथि को.....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, इसमें अब तक ऐसी परम्परा रही है कि अध्यक्ष को ही यह अधिकार सदन देता रहा है। तो यह दूसरा प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

पहले मैं इसकी अनुज्ञा ले लूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने की लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्डों पर कार्य करने के लिये प्रत्येक के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के नाम निर्देशन करने के लिये मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर और नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्डों पर कार्य करने के लिये प्रत्येक के लिये, विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधान सभा के क्रमशः दिनांक 23 फरवरी, 1994 और 18 मार्च, 1994 के उपवेशनों में पारित प्रस्तावों के अनुसरण में यह सदन उक्त विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध बोर्डों पर कार्य करने के लिये प्रत्येक के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों को अपेक्षानुसर विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर और नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्डों पर कार्य करने के लिये प्रत्येक के लिये, विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधान सभा के क्रमशः दिनांक 23 फरवरी, 1994 और 18 मार्च, 1994 के उपवेशनों में पारित प्रस्तावों के अनुसरण में यह सदन उक्त विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध बोर्डों पर कार्य करने के लिये प्रत्येक के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों को अपेक्षानुसर विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री ए० सी० ग्राइस के निधन पर शोक न व्यक्त किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है यह हमारी परिपाटी थी नियमों और विशेषाधिकार में भी यह है कि इस आदरणीय सदन में जो भूतपूर्व सदस्य स्वर्गवासी होते हैं उनका शोक प्रस्ताव यहां रखा जाता है। एक मद खत्म हुआ था इसलिये मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया मुख्य मंत्री जी का समाचार पत्रों में इस बयान को कुछ दिन पहले पढ़ा था जिसमें उन्होंने स्वर्गीय ग्राइस जो इस सदन के भूतपूर्व सदस्य थे, के प्रति दुख व्यक्त किया था। एंग्लोइंडियन मूर जी भी कह रहे थे स्वर्गीय ग्राइस जी का शोक प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। सचिवालय को जानकारी नहीं मिली जानकारी देने का काम जिलाधिकारी का होता है वह कानपुर जिले के थे। अब तक उनकी सूचना न आना निन्दनीय है। इसमें मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करें। स्वर्गीय तो एक न एक दिन सभी को होना है, लेकिन उसकी सूचना बहुत विलम्ब से आती है तो प्रशासनिक दृष्टि से कार्य के प्रति यह बहुत ही ढिलाई और लापरवाही है माननीय सदस्य के प्रति उचित सम्मान न करने को यह दर्शाती है। वह अल्पसंख्यक थे। शोक प्रकट न होना बहुत ही दुख की बात है। कानपुर से सूचना नहीं आयी आप ऐसे निर्देश संबंधित अधिकारियों को देने की कृपा करें कि तत्काल सूचना आनी चाहिए।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

अचानक यह प्रश्न उपस्थित किया गया। गुप्त जी ने जैसा बताया, कि कार्यालय में सूचना नहीं आयी है। यदि सूचना आ जाती है तो कुछ दिनों में उसको फिक्स कर दिया जाता है। फिर भी यदि सूचना नहीं आयी है तो कानपुर के जिलाधिकारी को निर्देश देंगे कि सूचना दें।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

नोट :– † दिनांक 21 मार्च, 1994 के साधारण गजट में विधायी परिशिष्ट में छपा है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज निम्नलिखित कार्य-स्थगन की सूचनायें प्राप्त हुई हैं । श्री बदन सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री प्रमोद तिवारी, श्री रामबाबू हरित, श्री धनराज यादव, श्री राम आसरे वर्मा जी, इनकी सूचनाएं कार्य-स्थगन में प्राप्त हुई हैं ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे—

(व्यवधान)

श्री प्रेम प्रकाश–

श्रीमन्,.हम लोग भी अपनी सूचना को देते हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं उनको कभी नहीं लिया जाता है । चार दिन से हम अपने जिले की सूचना दे रहे हैं स्वयं चौधरी जी भी उसमें हस्ताक्षर करते हैं । लेकिन सूचना नहीं ली जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना अस्वीकार हो गई है, आप बैठ जाइये ।

श्री प्रेम प्रकाश–

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है मैंने विशेषाधिकार की सूचना दी है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस समय नियम 56 की सूचनाओं पर सुन रहा हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने 6 लाख मजदूरों की परेशानियों के संबंध में सूचना दी । इस समय .....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान ।)

6 लाख मजदूर बेकार हो गये हैं । इससे अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता ।

श्री प्रेम प्रकाश–

(व्यवधान) आपस में विवाद हुआ है लाठियां चली हैं कट्टे चले लोग मर भी गये हैं । इससे महत्वपूर्ण सूचना एक सदस्य के लिये और क्या हो सकती है ? हमारी सूचना पर कभी ध्यान नहीं दिया गया । वहां मान्यवर, उस पीठ पर बैठकर एक व्यक्ति विशेष लोगों की सूचनायें ही ले ली जाती हैं हमें इसके लिये खेद है । चार बार मैंने लगातार सूचनाएं 9.00 बजे सचिव को दी हैं लेकिन मेरी सूचना कभी नहीं ली गयी । यह जो समस्या है यह क्षेत्र की जनता की समस्या है और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है ।

श्री अधिष्ठाता–

महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय तो सभी सूचनाएं होती हैं, लेकिन शलाका के आधार पर जो सूचनाएं ग्राह्य में आई हैं, उनको लिया गया है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सरकार ने न्यूनतम वेतन तो बढ़ा दिया है परन्तु लोगों के रोजगार छिन गये हैं, जो उनको मिलता था, वह भी नहीं मिलेगा, यह मजदूर भूखों मर जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपके दल के ही बदन सिंह को बुला लिया है, उनको सुन लीजिये।

श्री प्रेम प्रकाश–

जनपद सिद्धार्थनगर की जो समस्या है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाइये आपके दल के बदन सिंह को बुला लिया गया है।

श्री बदन सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आगरा जनपद में इस समय भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। आगरा में वहां के नागरिकों को मजबूर होकर प्रदूषित जल पीने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है। यमुना से मिलने वाला उक्त पानी जो शुद्ध करने के पश्चात् नागरिकों को पेयजल आपूर्ति कराने के लिये दिया जा रहा है वह पीने से पहले ही उसे देख लेने पर ही नागरिक बीमार होने की ही नहीं बल्कि अपने मरने की कल्पना करने लगता है। वह इतना दूषित है कि उसका रंग बदला हुआ होता है और उसमें फिटकरी डालने पर परीक्षण किया गया है उसमें गन्दगी एक तरफ चली जाती है। तब भी वह पानी शुद्ध होकर पीने लायक नहीं होता है। आगरा की जनता को यह जो प्रदूषित पानी पीने के लिये मिल रहा है वह पानी नहीं है वह दिल्ली, हरियाणा, मथुरा और आगरा के गन्दे नालों का मलमूत्र व प्रदूषित पदार्थ है। जिसे आगरा की जनता पीने के लिये बाध्य हो रही है और वह अपनी मौत की कल्पना इसलिये करने लगे हैं कि इसी समय गत वर्ष 20 मई, 1993 को आगरे में ऐसा ही पेयजल पीकर 20 मौतें हुयीं थीं और सैकड़ों लोग बीमार हुए थे। यह प्रदूषित पानी पीकर वहां की जनता असामयिक मौत से मरने की स्थिति में पहुंच गयी है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिये अब केवल एक मात्र विकल्प रह गया है कि आगरे में यमुना नदी के ऊपर बैराज बनाया जाय। बैराज बनाने के लिये अलावा अब कोई अन्य रास्ता नहीं है। वहां पर पेयजल साफ करने के लिये 3 करोड़ रुपया वार्षिक खर्च किया जा रहा है। लेकिन सरकार विभिन्न बहाने लेकर वहां पर बैराज नहीं बनवा रही है। बैराज बनाने में रोड़े अटकाये जा रहे हैं कहा जा रहा है कि केन्द्र सरकार हमको धन दे दे तो उसके पश्चात् बनाने का काम किया जायगा। अब इस बैराज की लागत 60 करोड़ रुपया हो गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कहना चाहता हूं कि 31 जनवरी, 91 को शासनादेश संख्या 592 द्वारा इस बैराज को स्वीकार किया गया था तब उस समय कोई ऐसी शर्त नहीं थी कि केन्द्र सरकार धन देगी तब यह बैराज बनेगा। कोई न कोई बहाना बनाकर बैराज का काम रोका जा रहा है। मैं शासन से मांग करता हूं कि केन्द्र से पैसे का सवाल तो तब उठेगा जब यह सरकार 30 करोड़ रुपया तो दे दे। इतना ही नहीं वहां के इंजीनियरों का कहना है कि वर्षा ऋतु के पहले भूमि परीक्षण के लिये यमुना नदी के तल की जांच के लिये यह उपयुक्त समय है इसके लिये केवल 5 लाख रुपया दे दें लेकिन यह रुपया भी देने के लिये सरकार तैयार नहीं है। इंजीनियरों ने गोकुल बैराज बनाने के लिये केवल 3 करोड़ रुपये की मांग की है वह भी नहीं दिया जा रहा है। यदि बैराज नहीं बना तो गोकुल, मथुरा और आगरा के लिये इतना संकट पैदा हो जायेगा कि आगे चलकर समस्या सुलझना असंभव हो जायगी और फिर वृन्दावन बैराज बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आग्रह करूंगा कि आप मान्यवर, विद्वान व्यक्ति हैं, इस पीठ पर बैठकर इस समस्या की भयंकरता को जरूर महसूस करेंगे और शासन को इस बात का आदेश देंगे कि वह आगरा बैराज बनाने के लिये शीघ्र कार्यवाही करे नहीं तो आगरे का जन जीवन नहीं रह सकेगा अर्थात् आगरे से पलायन करने पर आगरे की जनता बाध्य हो जायगी। मैं संकेत रूप में यह बात कहना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार जिसने आगरे में बैराज बनाने का वायदा किया था वह शीघ्र ही बैराज बनाना प्रारम्भ करे।

(श्री सत्य प्रकाश विकल का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप आगरे पर बड़े मेहरबान लग रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, हमारे सम्मानित साथी बदन सिंह जी ने आगरे की गम्भीर पेयजल समस्या का बड़े विस्तार से वर्णन किया। थोड़े शब्दों में आगरे की पेयजल समस्या के बारे में कहना चाहूंगा। आगरे की पेयजल समस्या बहुत पुरानी है और प्रतिवर्ष इसकी विभीषिका बढ़ती चली जा रही है। वहां पर यमुना नदी एक मात्र स्रोत है जल उपलब्ध कराने का लेकिन आज यमुना नदी एक गंदा नाला बनकर रह गयी है उसका पानी पूरी तरह प्रदूषित हो गया है और जो कीथम से पानी आता है वह ऊपर से आने वाला शुद्ध मलमूत्र होता है। सारे सीवर और गंदे नालों का पानी यमुना में जाता है और इसलिये मान्यवर, जो जल संस्थान है वहां का, उस जल संस्थान की स्थिति भी बिल्कुल दिवालिया है, उसके पास जल शोधन के लिये पैसा नहीं है, क्लोरीन व एलम उनके पास नहीं है इसलिये गंदा, पीला पानी, बदबूदार पानी पीने के लिये मजबूर हैं। अगर कोई शीघ्र उपाय नहीं किया गया, तो आगरा में भयंकर बीमारी पैदा हो सकती है। मान्यवर, बैराज के बारे में कहा गया, चूंकि बैराज बनेगा नहीं, सरकार उसके प्रति टालमटोल कर रही है तो तात्कालिक रूप में आगरा की जनता के लिये पेयजल संकट बना रहेगा, इसलिये मैं शासन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करके इस विषय पर चर्चा हो कि आगरा में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किस तरह हो, जल संस्थान को सहायता न मिली तो वहां गम्भीर संकट महामारी फैलने का पैदा हो जायेगा।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, आगरा में बैराज की बात हो रही है, इसलिये आप मुझे बोलने का अवसर दें। मान्यवर, आगरा में पानी की समस्या के संबंध में माननीय बदन सिंह ने अपने विचार रखे हैं। आगरा में पानी की समस्या बहुत भयंकर है। आगरा में खारी पानी है, ट्यूबवेल और अन्य साधन जैसे रेनीवेल आदि सफल नहीं होते हैं। वहां पर एकमात्र कच्चे पानी का स्रोत यमुना नदी है। दिल्ली, न्योडा, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, मथुरा का मल-मूत्र आगरा की जनता को पीने को मिलता है और इस समय आगरा जल संस्थान की जो हालत है, उससे शुद्ध पेजल देने में असमर्थ है। शासन की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन का चार आने का हिस्सा सरकार देती है, किन्तु जल संस्थान को नहीं मिलता है और कोई न कोई नियमित अनुदान ही मिलता है। इसके बारे में कमिश्नर, डी० एम० ने लिखा है, लेकिन एक पैसे की भी मदद जल संस्थान को नहीं की गयी है। पानी साफ करने के केमिकल्स के लिये जल संस्थान, आगरा में पानी के शुद्ध करने में दिल्ली के बराबर व्यय होता है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक व्यय जल संस्थान, आगरा में केमिकल्स के खरीदने में होता है। ढाई करोड़ रुपया प्रतिवर्ष केमिकल्स पर व्यय होता है और जो नीरी की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ढाई तीन करोड़ रु० केमिकल्स पर खर्च करना आवश्यक है, जिससे पानी को शुद्ध किया जा सके। इससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। आगरा में 3600 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है, जबकि 2100 लाख लीटर पानी मिलता है। पानी की समस्या के कारण पर्यटक आगरा में ठहरना पसंद नहीं करते हैं। देश में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करके आगरा देता है। यदि पानी की समस्या हल हो जाय, तो अधिक पर्यटक आयेंगे और आगरा के लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। बिना बैराज के पानी की समस्या हल नहीं हो सकती। बैराज के मामले में प्राथमिकता से देखा जाय। कानपुर में बैराज का प्राविधान है, किन्तु वहां जो धन आवंटित किया है, उससे लगता है कि सरकार वहां के लिये गम्भीर नहीं है। सरकार ने दो वर्ष में पेयजल समस्या हल करने का आश्वासन दिया है, किन्तु उसकी गति से यह प्रतीत होता है कि वह इस समस्या को हल करने में असमर्थ है। आगरा के बैराज को प्राथमिकता दी जाय और जल संस्थान को पानी के शुद्धिकरण के लिये विशेष अनुदान दिया जाय। इसलिये आगरा में बैराज के निर्माण को प्राथमिकता दी जाये। वहां पर पानी की भयंकर हालत है। ऐसी दिक्कत और कहीं भी नहीं है। सरकार ने यह कहा है कि दो वर्ष में पेयजल की समस्या हल हो जायेगी, लेकिन मुझे पता नहीं लगता है कि इस प्रकार से पेयजल की समस्या हल हो सकती है। अगर आपको पेयजल की समस्या हल करना है, तो कम से कम आगरा की पेयजल की समस्या को हल करने के लिये प्राथमिकता दें, वहां पर बैराज बनाया जाये और जल शोधन के लिये अनुदान दिया जाये

(श्री बालेश्वर त्यागी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

त्यागी जी, आपने अपना समय तो लवानियां जी को दे दिया है।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, सूचना पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं । मुझे भी अवसर मिलना चाहिये । मान्यवर, मैं गाजियाबाद की पेयजल की समस्या के बारे में आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं । मान्यवर, पेयजल की समस्या सारे प्रदेश में है और मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि दो साल में पेयजल की समस्या को दूर कर दिया जायेगा । मैंने एक सवाल पूछा था, उसके उत्तर में बताया गया कि गाजियाबाद में पानी के नलकूपों की आवश्यकता नहीं है । इसलिये मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वर्तमान में गाजियाबाद में 93 नलकूप हैं तथा 26 टंकियां हैं जिनकी कुल स्टोरेज क्षमता 17225 किलोमीटर है और अगर यह पूरी कैपासिटी से काम करें तो साढ़े तीन लाख आबादी के लिये उतना पानी पर्याप्त होगा, लेकिन मान्यवर, स्थिति क्या है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । 10 नलकूप मेन्टीनेंस में रहते हैं, 30 नलकूप पुराने हैं और वह अपनी क्षमता का 30 प्रतिशत जल आपूर्ति कर पाते हैं इस प्रकार जो पानी उपलब्ध हो रहा है वह केवल डेढ़ लाख आबादी के लिये पर्याप्त है और मान्यवर, गाजियाबाद की जो आबादी है वह 7 लाख की है तो बाकी आबादी को पानी कहां से मिल सकता है ? माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा है कि 5 लाख की आबादी से ज्यादा वाले नगरों को पानी के लिये अनुदान नहीं दिया जायेगा । गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगा हुआ जिला है आगामी गर्मियों में वहां पर बिजली की आपूर्ति में बाधा हो और पानी का जल स्तर नीचे चला गया पानी की मांग बढ़ेगी ऐसी स्थिति में लोग पानी के लिये तरस जायेंगे । आन्दोलन होंगे कानून व्यवस्था प्रभावित होगी इसलिये गाजियाबाद की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए उसकी पेयजल की समस्या का निदान किया जाये । मान्यवर, वहां के नगरपालिका के अधिकारियों ने एक करोड़ रुपये की मांग की है और 7 नलकूपो व एक टंकी और 90 हैंड पम्पों की मांग की है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि गाजियाबाद की पेयजल समस्या को सुधारने के लिये एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाये ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं । कानपुर देहात के अन्तर्गत घाटमपुर में हमारे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल का विशेष संकट पैदा हो गया है । मान्यवर, आज जल का जो वाटर लेबिल है वह निरन्तर नीचे जा रहा है, गांव-गांव में पेयजल का संकट पैदा हो रहा है । मान्यवर, कुंए सूख गये हैं, हैण्ड पम्प पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं और जो भी पेयजल की योजना नलकूप के माध्यम से विकास खण्ड पतारा में या हमारे घाटमपुर में या पडरीलापुर, बीबीपुर जितनी जगह पर पेयजल की योजनायें चल रही हैं उसमें जितने भी गांव उनसे जुड़े हुए हैं उन गांवों में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचाया जाता है । इसका कारण यह है कि आये दिन नलकूप बन्द पड़े रहते हैं और पाइप लाइनें टूटी पड़ी हैं । जब हम लोग हैण्ड पम्प के लिये लिखते हैं तो अधिकारी लोग उन गांवों में जो पेयजल की टंकी से सीधे जुड़े हुए हैं, उन पर हैण्ड पम्प देने की स्वीकृति नहीं देते हैं । संकट का कारण यह है कि घाटमपुर में जब पेयजल की सुविधा चालू की गयी थी तब से आज तक तीन गुना आबादी बढ़ गयी है । आज सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी पहले भी जब 90 में सरकार थी उस दौरान जो हमारे नगर विकास मंत्री सरकार के थे उन्होंने घाटमपुर के अन्दर एक शिलान्यास इसी पेयजल योजना चालू करने हेतु किया था पेयजल की नई योजना को चालू करने के संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी आज लोगों को पानी पीने के लिये बड़ी दिक्कत का

सामना करना पड़ रहा है । यहां तक कि लोग रात में नल में बाल्टी लगाते हैं । हमारे घाटमपुर में इसी पानी को लेकर बड़े बड़े झगड़े उत्पन्न हो गये हैं यहां तक कि कई बार गोली चली और चाकू बाजी भी हो चुकी है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जो हमारे क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या है पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर सारी कार्यवाही को रोककर चर्चा करायी जाये ताकि यह समस्या दूर हो सके ।

श्री प्रेम प्रकाश–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब मैं कुछ कहना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अभी तो नियम 56 के अन्तर्गत पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विचार आने दीजिये । माननीय सदस्यों ने इतनी गम्भीर समस्या को उठाया है ।

(व्यवधान)

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, यह दुर्भाग्य है कि आगरा की प्यासी जनता की ओर आपका ध्यान नहीं जा रहा है मुझे बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

पेयजल की गम्भीर समस्या है इसके प्रति सरकार भी उतनी ही गम्भीर है लेकिन श्रीमन्, यह सदन तो चलना चाहिये नियमों से । माननीय विकल जी का भाषण आपने सुना होगा उन्होंने कहा था कि आगरा की यह बहुत पुरानी समस्या है तो क्या अब पुरानी समस्याओं पर भी नियम 56 दिया जायेगा और फिर उसमें बैराज का निर्माण और दूसरे विषय भी शामिल हैं । वैसे अभी बजट भाषण आ चुका है, बजट भी प्रस्तुत हो चुका है और पेयजल के प्रति सरकार का स्पष्ट आश्वासन भी आ चुका है और अवधि भी दे चुके हैं कि पेयजल समस्या को इतने समय पर दूर कर देंगे । अच्छा होता कि बजट पर चर्चा चल रहा होती और उस पर अपने विचार रखते । अधिकारी भी उसको नोट करते, सरकार भी कुछ कार्यवाही करती । एक-एक सूचना में 10 जिलों की सूचना को स्वीकार कर लिया जायेगा, तो नियमों का कहां पालन हो रहा है, इस पर विचार करना होगा ।

माननीय राकेश सचान जी ने जो किसी शिलान्यास का जिक्र किया है, उस शिलान्यास के बारे में वे लिखकर दे देंगे हम उसे अलग से दिखा लेंगे कि कहां शिलान्यास कराया था, उसको हम देख लेंगे । बजट में व्यवस्था है पेयजल के बारे में, जो हमारे सीमित संसाधन हैं, उसके लिये हम प्रतिबद्ध हैं उन सीमित संसाधनों को लगाकर पेयजल की समस्या को दूर करेंगे । अब उसमें गाजियाबाद की भी बात आ गयी और भी बातें आ गयीं । जो सीमित संसाधन हैं, जो सरकार का बजट में आश्वासन है उसको पूरा करेंगे ।

(श्री बदन सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है आपके किसी वांछित उत्तर के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जिला है । ढाई महीने पहले पूर्वांचल विकास प्रतिनिधि की बैठक हुई । जिले की बैठक हुई उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रतिनिधि अपने-अपने प्रस्ताव दे दें और उस पर धन निर्गत कर दिया जायेगा । लेकिन, मान्यवर जो प्रस्ताव हम विधायकों ने दिये, वहां के मुख्य विकास अधिकारी ने उन प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया, बल्कि जो प्रस्ताव दिये हैं उनके प्रतिकूल वे कार्य कर रहे हैं । मात्र कारण यह है कि जितनी सड़क बनाने की एजेन्सियां हैं जिला परिषद्, लोक निर्माण, आर० ई० एस०, मान्यवर, परसेन्टेज के आधार पर निर्णय लेते हैं और ले रहे हैं । जनता ने हम लोगों को चुनकर भेजा है, विकास की उन्हें उम्मीद हैं । ढाई महीने पहले की बैठक पर, अभी तक किसी सड़क का कार्य नहीं शुरू किया है । जो हमारा कष्ट है और जो हमने आपको सूचना दी है वह इस संबंध में मैं जनता सरकार से विकास की अपेक्षा रखती है । हमारे पूरे विधान सभा क्षेत्र के लिये पूर्वांचल विकास निधि से 1993-94 के प्रथम एवं द्वितीय किश्त निर्गत नहीं हुई । यह वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है । वहां विकास कार्य रुका हुआ है वैसे विकास के संबंध में कहना है कि विकास तो बाराबंकी और माननीय मुख्य मंत्री जी के जिले में ही हो रहा है । पूर्वांचल विकास निधि के संबंध में जनता की जितनी अपेक्षायें हैं, प्रतापगढ़ वीरापुर विधान सभा क्षेत्र के संबंध में कहना है कि जहां आज तक कोई राज्य योजना का कोई पैसा नहीं गया है । 10 दिन पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बात हुई थी और बताया था कि मेरा क्षेत्र दलितों और पिछड़ों का है हमारे क्षेत्र में यादव बिन्द और पटेलों की बस्तियां हैं उत्तर दिया गया कि पिछड़ों को सड़क की आवश्यकता नहीं है । वहां रोगियों गर्भवती महिलाओं की हालत का ध्यान रखिये ताकि सड़कों के होने से उन्हें सुविधा हो सके । निवेदन है कि इस संबंध में प्रभावी कदम सरकार उठाये । इस संबंध में कृपया अपना स्पष्टीकरण माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

पाण्डे जी की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं विकास संबंधी जन प्रतिनिधियों की जो संस्तुतियां हैं प्रस्ताव हैं उन पर विचार किया जाना चाहिये ऐसी अपेक्षा की जाती है जिला प्रशासन से ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह जो सूचना आज हमने दी है इसके पूर्व भी इस सदन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध के प्रति सम्मानित सदन ने चिन्ता व्यक्त की थी । जिस तरह से जनप्रतिनिधि सम्मानित सदन में बढ़ते हुए अपराध या गिरती हुई कानून व्यवस्था या अन्य समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं और आपकी पीठ से सरकार को कार्यवाही के लिये निर्देशित किया जाता है उसी तरह से तमाम सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपने जनपदों में उस गिरती हुई कानून व्यवस्था पर सरकार का और प्रदेश का ध्यान आकृष्ट करते हुए गांधीवाद के रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह और धरना दिया था । विगत 11 फरवरी को मुजफ्फरनगर में वहां के कांग्रेस जनों ने जिला कांग्रेस कमेटी ने वहां के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर धरना दिया और यह ध्यान आकृष्ट किया कि मुजफ्फरनगर में अपहरण की घटनायें बढ़ रही हैं, जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है, अभिभावकों में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं कि बच्चों को लोग अकेले भेजने में डरने लगे

हैं । वे बच्चे की छुट्टी होने से पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते हैं और अपने-अपने बच्चों को अपने साथ घर लेकर जाते हैं । 11 फरवरी को यह धरना दिया गया और इस धरना से वहां के पुलिस अधीक्षक इतने नाराज हुए कि उन्होंने उस धरना में सम्मिलित जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष निरंजन स्वरूप के घर पर एवं प्रदेश जिला कांग्रेस कमेटी श्री देवव्रत त्यागी के घर पर छापा मारा और उन्होंने वायरलेस करवाया कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाये और उनकी हिस्ट्री शीट भी खुलवायी थाने में । अगर इसी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो सत्याग्रह और धरने पर बैठे थे, झूठे मुकदमा कायम किया जायेगा तो इससे पुलिस प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह लग जायेगा ।

इस तरह से जो आज 22 नाम गिरामी अपराधी हैं, डकैत हैं जो यह कार्य करते हैं पुलिस उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पायी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना से, उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है । इसलिये मैंने यह कार्य-स्थगन की सूचना आज आपको दी है क्योंकि यह अति गम्भीर और महत्वपूर्ण मामला है । आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे चलाये जा रहे हैं उसके विरोध में फिर 28 फरवरी को प्रदर्शन किया गया और उसमें पन्द्रह-बीस हजार लोग वहां के नागरिक और किसानों ने भाग लिया । उन्होंने उसकी भी सूची बनवायी और जो लोग नेतृत्व कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमें चलाये गये और उत्पीड़न की कार्यवाही की गयी । इससे मान्यवर, आज मुजफ्फरनगर में भयावह स्थिति पैदा हो गयी है और पुलिस अधीक्षक वहां पर प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं और मामले का संज्ञान नहीं लिया गया है ।

मान्यवर, वहां पर बदमाशों को गिरफ्तार करने के बजाय, जिस तरह से नेताओं और विधायकों का अपमान किया गया है वह उचित नहीं है । मान्यवर, जनप्रतिनिधि का यह दायित्व होता है कि जो निर्दोष लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो लेकिन वह भी करने से रोका जा रहा है । लेकिन मान्यवर आज स्थिति वहां यह पैदा हो गयी है कि वहां के पुलिस अधीक्षक ने यह कहा है कि विधायकों की जमानत पर ही छोड़ा जायेगा । अगर इसी तरह से अपराधी हैं तो कौन जमानत करना चाहेगा ? अगर वह अपराधी हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये लेकिन, अगर निर्दोष है तो उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये उनका उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिये । लेकिन आज जिस तरह से जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की सूची वे बनवा रहे हैं और प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं कि पचास लोगों की हिस्ट्रीशीट खोलेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो पुलिस प्रशासन की स्थिति है, जो वास्तविक रूप से अपराधी हैं, समाज के लिये आतंक हैं, समाज के लिये चुनौती हैं और समाज के लिये खतरा बने हुए हैं क्या उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकेगी ? इसलिये कि वे पुलिस की मिली भगत से कार्य कर रहे हैं और आज भी निरंकुश होकर घूम रहे हैं । लेकिन वहां जो सार्वजनिक रूप से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वह अगर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने का कार्य यह कर रहे हैं । अभी पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं और वे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, उन्हें सूचीबद्ध करके चिन्हित करके उनके कार्यवाही करेंगे उन लोगों के खिलाफ जितना अधिक से अधिक प्रभावी हो सकती है, वह हो । वहां का पुलिस प्रशासन सरकार की मंशा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहा है । जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । हमारे दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के खिलाफ, यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष के

खिलाफ बिना किसी मुकदमें के छापे डाले जा रहे हैं, हिस्ट्रीशीट खोलने की तैयारी हो रही है। मान्यवर, इससे गम्भीर विषय और कोई हो नहीं सकता। अन्त में आपसे कृपापूर्वक यही कहूंगा कि इसको कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य करके चर्चा की अनुमति दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, धरना, प्रदर्शन करने का राजनीतिक लोगों को लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन किसी राजनीतिक के घर अकारण छापे डालना, उसकी हिस्ट्रीशीट खोलना, जैसे जगदम्बिका पाल साहब ने कहा, यह एक वैधानिक मामला है। हम इसको दिखवा लेंगे और अगर कोई अवैधानिक कार्यवाही हुयी है तो उसको भी दिखवा लिया जायेगा।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं डा० रामबाबू हरित, आगरा की पानी व बिजली के लिये तड़पती जनता के मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का आपने मौका दिया, इसके लिये मैं उस जनता की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। पहले एक जमाने में बिजली एक लग्जरियस आइटम हुआ करती थी, लेकिन आज बिजली जीवन का एक आवश्यक अंग बन गयी है। मान्यवर, आगरा पश्चिम में राजा की मंडी, बिन्दुकटरा, शाहगंज सब स्टेशन हैं, उसके अन्तर्गत पोलों की स्थिति बड़ी खराब है। लगभग 150 पोल नीचे से गले पड़े हैं, वही स्थिति पुनः इतने पोलों की आने वाली है। ट्रान्सफार्मर जो लगे हुए हैं, उनकी क्षमता बहुत कम है और बत्ती टिमटिमाती मालूम देती है। विद्युत के तार जो हैं, वह अत्यन्त जर्जर स्थिति में हैं। पता नहीं, कब अपने ऊपर गिर पड़ें। वहां कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जब कहीं कोई तार गिर कर सड़क पर न पड़ा हो। आये दिन लोगों की इससे मौत होती रहती है, गाय-भैंसों की मौत होती रहती है। बराबर अव्यवस्था फैलती रहती है, रोड जाम होते हैं, पुलिस और जनता में झगड़ा होता रहता है, लेकिन सरकार विद्युत की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर पोल जो टूटे पड़े हैं, उनके स्थान पर नये पोलों की व्यवस्था कराई जाय जो तार विद्युत के जर्जर हो गये हैं, उनको बदल कर नये तार लगाये जायें और अधिक क्षमता का ट्रान्सफार्मर वहां लगाया जाये। इसलिये इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं यहां पर मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अगली सूचना श्री धनराज यादव जी की है–जनपद सिद्धार्थनगर में दानव नदी में नेपाल राज्य की शराब फैक्ट्री से प्रवाहित किये जाने वाले प्रदूषित पानी से जनजीवन की उत्पन्न खतरे के संबंध में।

श्री धनराज यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस प्रश्न को आपके सम्मुख कार्य-स्थगन के रूप में रखा है, यह एक अहम् मसला है। नेपाल राज्य की सीमा सिद्धार्थनगर जनपद से लगी हुई है और नेपाल राज्य में भैरहवा सड़क के बगल में शराब बनाने का कारखाना खुला हुआ है। यह कारखाना सम्भवतः कुछ महीना पहले ही खुला है और उसका जहरीला पानी नदी में गिराया जा रहा है और वही दानव रूपी नदी जो

सिद्धार्थनगर में कूड़ा नदी के नाम से जानी जाती है और सिद्धार्थनगर से बहती हुई गोरखपुर के पहले ही राप्ती नदी में मिल जाती है। भुजौली, बरहदवा, मान्यवर, इस जहरीले पानी से इस समय सिद्धार्थनगर के तमाम गांव राम नगर बहरौली, दलदलहा सहित कई अन्य गांवों के लोग भयभीत हैं। मान्यवर, इस गम्भीर समस्या की ओर इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। केवल औपचारिकता के लिये नहीं बल्कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिये। मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि जो सरकार चलाते हैं, श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी, वह जो उत्तर देते हैं, समाधान करते हैं तो यह कह देंगे कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। श्रीमन्, यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला जरूर है लेकिन कोई हल इसका जरूर निकाला जाना चाहिये जिससे पानी रुके। कहीं ऐसा न हो कि नेपाल के खिलाफ हमारे क्षेत्र की जनता खड़ी हो जाये, और अन्तर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो जाये, यह उचित नहीं होगा। इसलिये इस सरकार से अपील करता हूं कि कोई न कोई रास्ता निकाल कर इस समस्या का हल निकाला जाये क्योंकि वह नदी आम जनजीवन से जुड़ी हुई है। चाहे मनुष्य हों, पक्षी हों या पशु हों, सभी उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस जहरीले पानी के कारण सभी भयभीत हैं, एक महामारी फैलने की आशंका है। यह समस्या केवल सिद्धार्थनगर तक नहीं रहेगी, यह बढ़ेगी और गोरखपुर तक जायेगी। इसलिये पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और इस समस्या का हल निकालें। मुनासिब समझें तो इस पर कार्य रोक कर चर्चा करायें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, इस पर सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिये, तभी हमारी मंशा पूरी होगी।

श्री अधिष्ठाता–

यादव जी, मैंने आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

अगली सूचना श्री राम आसरे वर्मा जी की है। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जामिया-तिब्बिया, देववन्द, जनपद सहारनपुर को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने के संबंध में।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जामिया-तिब्बिया, देववन्द, सहारनपुर अल्पसंख्यक समुदाय का तिब्बी महाविद्यालय है। महामहिम राज्यपाल जी ने भी इस महाविद्यालय को अल्पसंख्यक महाविद्यालय के रूप में मान्यता दी है साथ ही इसमें यूनानी (बी० यू० एम० एस०) का कोर्स चलाने की भी अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश में जिस समय राष्ट्रपति शासन था उस समय यह निर्णय भी लिया गया था कि जितने तिब्बी जामिया विद्यालय हैं, उनको विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जायेगा। मान्यवर, यह ऐसा विद्यालय है जहां पर देश और विदेश के तमाम छात्र पढ़ते हैं। मान्यवर, जब राज्यपाल जी ने घोषित कर दिया कि सरकार ने निर्णय ले लिया है कि कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जायेगा, दूसरे भारतीय चिकित्सा परिषद् ने भी अपनी संस्तुति की है कि इसे कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय। कानपुर विश्वविद्यालय ने भी अपना पैनल भेजकर निरीक्षण करा लिया है इसको सम्बद्ध करने के लिये। मान्यवर, शासन के द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद भी अब तक मान्यता समिति या जो भी इकाई है सम्पूर्ण

औपचारिकता पूर्ण करके अब तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। मान्यवर, अगर कई महीने से पहले मान्यता दिये जाने संबंधी आदेश जारी नहीं किये जाते हैं तो हजारों की संख्या में पढ़ने वाले देश-विदेश के छात्रों का भविष्य अधर में लटक जायगा। मैं इस संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह अनुरोध करूंगा कि वे अविलम्ब इस विद्यालय को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने के आदेश जारी कराने का कष्ट करें।

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, जिस विषय पर आदरणीय वर्मा जी ने नियम–56 के अन्तर्गत यह सूचना दी है। जहां तक यह कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता का प्रश्न है। इस प्रकरण का परीक्षण कराया जा रहा है। जिन बातों को उन्होंने कहा है कि इन-इन जगहों से संस्तुतियां आ गयी हैं। भारतीय चिकित्सा केन्द्र परिषद् से अक्टूबर माह में इसकी संस्तुतियां आयी हैं। लेकिन आदरणीय वर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि सम्बद्धता का परीक्षण कराया ही जा रहा है। 1982 में चिकित्सा सेवा को उच्च श्रेणी प्रदान करने के लिये राजकीयकरण हुआ था। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, प्रबन्धकीय तन्त्र के अन्तर्गत ऐसे विद्यालय चल रहे थे, उसके नाते हमारी चिकित्सा शिक्षा का स्तर निम्न कोटि का हो गया था, इस बिन्दु पर भी परीक्षण हो रहा है। उसी के नाते चिकित्सा केन्द्रों को सदन के माध्यम से राजकीयकरण करके मानक चिकित्सा पद्धति बनायी गयी और उसी मानक को उच्च राजकीय के अधीन किया गया था। मान्यवर, यह परीक्षण के बाद जो माननीय वर्मा जी ने कहा है, परीक्षण के बाद ही जैसा आयेगा वैसा किया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह सम्बद्धता से संबंधित है, इससे छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

आपने अपनी बात कह ली।

श्री प्रेम प्रकाश–

मान्यवर, आपने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया, चार दिन से प्रयत्न करने के बाद आज मेरे निवेदन पर मेरे जिले में उत्पन्न समस्याओं को सूचनाओं के माध्यम से मैंने आपको दिया था आपने सुनने के लिये समय दिया है, मैं इसके लिये बहुत आभारी हूं। मान्यवर, 14 मार्च ईद का का दिन था, जनपद–सिद्धार्थनगर में दो घटनायें हुईं। उसके पूर्व सात तारीख को तहसील–डुमरियांगज के थाना–भवानीगंज में चकमारूख नामक गांव में आपसी विवाद के कारण अनुसूचित वर्ग के बीच में पांच-छः परिवारों ने मिलकर मारपीट किया।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात संक्षेप में कहिये।

श्री प्रेम प्रकाश–

मान्यवर, संक्षेप में ही सूचना दे रहा हूं कि वहां पर जो घटित हुआ है वह अच्छा नहीं है। दिनांक 7-2-94 को प्रातः छः बजे काशीराम पुत्र गंगाराम, तेलहू पुत्र गंगाराम को भुईधर, बठोले, पुतई, रामगौतम, पाखण्डी के पांच परिवारों ने मिलकर मारा। गंगाराम जब सूचना देने के लिये थाने पर पहुंचा तो थानाध्यक्ष ने उसको रोक लिया और रोकने के बाद कहा कि जिन पांचों लोगों के नाम अपनी

प्रथम सूचना में दर्ज कराना चाहते हो । नहीं की गई एक व्यक्ति मर भी गया । एस० ओ०. ने कहा खाली उसमें हम केवल तुम्हारे दो लोगों के नामों को ही रिपोर्ट में दर्ज करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

ये सारे बिन्दु आ चुके हैं । आप केवल ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री प्रेम प्रकाश–

मान्यवर, 7 तारीख की घटना पर जब पिता थाने पर सूचना दर्ज करने जाता है तो उसे थाने के लाकप में बन्द कर दिया जाता है और उसका पुत्र बस्ती अस्पताल में भर्ती है, जहां 9/10 की रात में उसकी मृत्यु हो जाती है । थानाध्यक्ष ने मार खाने वालों की एफ० आई० आर० में उन लोगों के नाम दर्ज नहीं किये, जिन्हें वह दर्ज कराना चाहते थे । इसलिये उनकी रिपोर्टें में उन लोगों के नामों को दर्ज कराया जाय और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय । 14 तारीख को दो थानों में दो और घटनायें हुईं । कैथोरिया गांव में 7 लोगों को मारा गया, जिसमें एक बालक की मृत्यु हो गयी । 7 वर्ष की एक बच्ची, जिसका नाम रुची श्रीवास्तव था, उसे काफी चोटें आयी । पूजन लाल श्रीवास्तव व उनके भाई महेश चन्द्र श्रीवास्तव को भी काफी चोटें आयी । डुमरियांगज व शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में 14 तारीख को ही एक मुस्लिम परिवार के बीच कुछ विवाद हुआ । एक तरफ से कट्टा निकला और दूसरी तरफ से वोगरा निकला । जिसमें काफी लोग जख्मी हुए । पुलिस के अकर्मण्यता के कारण यह हुआ । पुलिस को पूर्व ही सम्पूर्ण जानकारी थी । अगर पुलिस चाहती तो इस अप्रिय घटना को होने से बचा सकती थी। इसलिये मान्यवर, पुलिस व्यवस्था के प्रति हमारी गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर चर्चा कराकर, दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 के अन्तर्गत 16 सूचनायें प्राप्त हुईं । ये सूचनायें नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती हैं, इसलिये इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है । अब मैं मद संख्या–11 ले रहा हूं ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत) †

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । जो यह बजट रखा गया है, यह बिल्कुल एक छलावा है । इसमें केवल आंकड़ों की कलाकारी दिखायी गयी है । इस बजट से न प्रदेश का विकास होगा और न बेराजगारी दूर होगी । जब बेराजगारी दूर नहीं होगी तो गरीबी दूर नहीं हो सकती है । यह बजट बिल्कुल दिशाहीन है । इस बजट में कुल प्राप्तियां 18,222.82 करोड़ रुपये है और व्यय 19,592.31 करोड रुपये है । इस प्रकार समेकित निधि में 1369.49 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है । इसमें घाटे को लोक लेखे के अन्तर्गत 1153.84 करोड़ रुपये की प्राप्ति से पूरा करने का प्रयास किया गया है और घाटे को 215.65 करोड़ रुपये दिखाया गया है । यह बहुत बड़ा धोखा है । लोक लेखे की प्राप्ति को हिसाब में लेकर घाटे को कम करके दिखाना जनता को गुमराह करना है । लोक लेखे की प्राप्तियों का संबंध समेकित निधि से नहीं होता है । यह कोई आमदनी नहीं है ।

---

† दिनांक 17 मार्च, 1994 की कार्यवाही से ।

करेंट बैलेंश को मिला कर लगभग 17 सौ करोड़ का घाटा है । इसकी पूर्ति के लिये कोई भी स्पष्टरूप से ठोस उपाय और सुझाव नहीं दिये गये हैं केवल यह कहा गया है कि कुछ सादगी वर्ती जायेगी या कुछ कमेटियों का गठन कर दिया गया है जो व्यवस्था बताई गयी है उससे स्पष्ट है कि यह सरकार अंधेरे में घूम रही है, सरकार के सामने कोई स्पष्ट चित्र नहीं है कि इस घाटे को किस तरह से पूरा किया जायेगा ।

राजस्व व्यय 14863.21 करोड़ में से 2593.79 करोड़ आयोजनगत पक्ष में है और 12,269.42 करोड़ आयोजनेतर पक्ष में है । करीब 75% से ज्यादा कर्ज और ब्याज की अदायगी में चला जायेगा यह सरकार के दिवालियेपन की निशानी है इससे प्रदेश का विकास नहीं हो पायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें और भी माननीय सदस्यों को बोलना है ।

श्री रमेश कांत लवानियां–

मेरी मांग है कि आर० बी० एस० कालेज, आगरा को कृषि विश्वविद्यालय को दर्जा दिया जाय । दूसरी मांग है कि आगरा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र है । अन्तराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये बजट में आगरा के महत्व को देखते हुये ताजमहल को पूरे वर्ष भर हल्के प्रकाश में आलोकित करने की बात कही गयी है । गत वर्षों में कई बार ऐसे कार्यक्रम चले लेकिन बन्द हो गये । आगरा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा देता है । पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विभिन्न प्रकार के आकर्षण केन्द्र होने चाहिये । उसके लिये मुख्य रूप से पेयजल और विद्युत की समस्या हल होनी चाहिये । पेयजल की समस्या हल करने के लिये आगरा बैराज बनाया जाय । उसके लिये विशेष अनुदान मिलना चाहिये । ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक इमारतों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिये कोई योजना बनाई जाय । ताजमहल के आस पास तथा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, उद्योगों को गैस पाइप लाइन देना तथा भारी वाहनों के प्रदूषण से बचने के लिए रिंग रोड बनाई जाय । मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । स्थानीय निकायों को पूर्व की भांति अधिकार मिलने चाहिए । विकास प्राधिकरण, जल संस्थान व बेसिक शिक्षा स्थानीय निकायों के अन्तर्गत करके उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाया जाय । मेडिकल कालेज को नगर की घनी आबादी से स्थानान्तरित करके विस्तार किया जाय । इलेक्ट्रानिक व प्रदूषण रहित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें । मैंने राम तेज जी को बुला लिया है ।

श्री रमेश कांत लवानियां–

ताजमहल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिये सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाय और वहां पर उद्योगों को गैस पाइप लाइन से जोड़ा जाय ।

आगरा के लिये रिंग रोड का प्रावधान होना चाहिये । एक बात मैं आवास एवं नगर विकास के बारे में कहना चाहता हूं । कहा गया है कि संविधान के 74वें संशोधन के अनुरूप सरकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके स्थानीय निकायों को समुचित अधिकार प्रदान करेगी । मेरी मांग है विकास प्राधिकरण एक सफेद हाथी है उसको समाप्त किया जाय । इसी तरह बेसिक शिक्षा और जल संस्थान को स्थानीय निकायों को दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री रमेश कांत लवानियां–

आगरा में बहुत बड़ा चिकित्सा केन्द्र है इसलिये मेडिकल कालेज को नगर की घनी आबादी से स्थानान्तरित कर उसका विस्तार किया जाय।

ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये वहां के उद्योग चौपट हो रहे हैं। वहां के लिये इलैक्ट्रानिक और प्रदूषण रहित अन्य उद्योग लगाने के लिये उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाय।

श्री रामतेज–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर अपनी राय देने का अवसर दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बजट आया है वह बहुत ही संतुलित और व्यावहारिक है इसमें गांव और किसान के विकास पर बल दिया गया है। जब तक गांव और किसान का विकास नहीं होगा। प्रदेश का विकास नहीं होगा। इसके लिए इस बजट में पूरी रूपरेखा दी गयी है। बजट का 70 प्रतिशत धन गांव की तरफ जायेगा और वहां सड़के बनेंगी, विद्युत व्यवस्था होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी जिससे किसान और मजदूर जो खेती पर निर्भर है उनका कल्याण होगा। यह बजट हर तरह से संतुलित बजट है। भाजपा के मेरे दोस्त अभी बात कह रहे थे इसमें कुछ नहीं है। पर बजट से खुशी तो उनको भी है, अन्दर ही अन्दर वह भी बहुत खुश है लेकिन स्वभाव उनका विरोध करना है इसलिये विरोध कर रहे हैं। इसमें विरोध की कोई बात उनको नहीं दिखाई दे रही है जिसका वह विरोध करें। माननीय नेता विरोधी दल ने भी इस बात को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह जी का कद, उनकी भाषा, उनका व्यवहार काफी ऊंचा हुआ है। आपके नेता इस बात को मान रहे हैं तो क्यों आप अपने नेता से बढ़ कर कोई बात कहना चाहते हैं? जब गांवों का विकास होगा तो शहरों का भी विकास अपने आप होगा। गांवों में किसान की खेती अच्छी होगी तो व्यापारी भी उससे संतुष्ट होंगे। बीजेपी के लोग जब सत्ता में आये तो दुकानदार सोचते थे कि उनका काम होगा लेकिन कोई काम उनका नहीं किया है। इसीलिये मुलायम सिंह जी ने उनके लिये बहुत बड़ा काम किया है आवश्यक वस्तु अधिनियम को निलम्बित कर दिया है। उसमें जो 10 लाख 5 लाख या दो लाख के व्यापारी हैं उनको बिना कारण बताये हथकड़ी लगा दी जाती थी। इसलिए हमारे मुख्य मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव ने बहुत सराहनीय कदम उठाये हैं लेकिन भाजपा के लोग उसकी सराहना तो दिल से करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं पार्टी के दबाव से वह नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा संतुलित और व्यवहारिक बजट नहीं हो सकता है। मान्यवर, गांव में 70 प्रतिशत बजट जायेगा जिससे गांव के लोगों के लिए बिजली, सिंचाई, सड़कों और स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी इससे प्रदेश के लोगों का विकास होगा और देश तरक्की करेगा। भाजपा सरकार के पहले भी श्री मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे और उनके समय में श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने उस समय हमारे क्षेत्र में 3-4 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराये थे लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो जो दूसरे विकास के कार्य होने चाहिये थे उन्हें पता नहीं, किस टोकरी में डाल दिया जिससे वहां का विकास कार्य ठप्प पड़ा है और पैसा पता नहीं कहां फेंक दिया। मैं समझता हूं वह पैसा उन्होंने राममन्दिर को बनाने में लगा दिया। यह सरकार विकास के लिये पैसा दे रही है तो पता नहीं उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारी सरकार पुनः

विकास के कार्य कर रही है तो भाजपा के लोग अन्दर से कहना चाहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है लेकिन बाहर से वह नहीं कह रहे हैं पता नहीं कि उनके ऊपर क्या बंधन है । इस बजट से चारों तरफ विकास होगा और हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा इस प्रकार इस बजट में कोशिश की गई है कि इससे किसान, बुनकर और गरीब सभी लोगों को भला हो तथा हिन्दू और मुसलमानों में एकता बढ़े । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री महेन्द्र प्रताप नरायण सिंह–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का समय दिया । मान्यवर, अभी माननीय सदस्य सरकार की तरफ से बोले और उन्होंने सरकार की नीतियों के बारे में अच्छी बातें कहीं । मैं उनकी नीतियों की आलोचना और समालोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन अपने जिले के संबंध में सिंचाई, पीने का पानी, शकर मिल, पुल और अन्य चीजों के संबंध में मांग करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, बजट के पृष्ठ चार में कहा गया है कि प्रदेश में समस्त कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा तीन वर्ष में उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे और सिंचाई की समस्या समाप्त कर दी जायेगी । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे फतेहपुर जिले में 4,29,997 हेक्टेयर जमीन है । इसमें 13,60,232 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें से केवल 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सिंचित है अर्थात् एक लाख 80 हजार हेक्टेयर सिंचित है तथा 1 लाख 80 हेक्टेयर असिंचित है इसमें से 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई की व्यवस्था प्रतिवर्ष की जानी है।

इसी तरह फतेहपुर में नहरों की क्षमता 21 सौ क्यूसेक की है लेकिन उसके स्थान पर फतेहपुर जिले को 15 सौ क्यूसेक पानी मिलता है शेष पानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चला जाता है । आवश्यकता है फतेहपुर के हिस्से का पानी दिलाया जाये । मान्यवर, यदि सिंचाई को पूरा करना है तो 60 हजार हेक्टेयर की सिंचाई के लिए 30 हजार प्राइवेट ट्यूबवेलों की और 30 हजार स्टेट ट्यूबवेलों की आवश्यकता होगी मान्यवर, दो-तीन दिन पहले मंत्री जी ने बताया था कि एक सरकारी ट्यूब वेल फतेहपुर में 33 हेक्टेयर भूमि सींचता है उन्होंने जो आंकड़े दिये उसके अनुसार 1 हजार स्टेट ट्यूबवेल एक वर्ष में मिलने चाहिये और उसके लिए कम से कम 100 करोड़ रुपया चाहिए । लेकिन पूरी सिंचाई के लिए 3 सौ करोड़ की व्यवस्था बजट में आपने किया है, जो पूरे प्रदेश के लिए है । मान्यवर, यह सरकार अपनी घोषणाओं के प्रति गंभीर नहीं है इसलिये मैं चाहता हूं कि फतेहपुर जिले के सभी विधायकों को बुलाकर आश्वस्त करें कि किस प्रकार से 3 सालों में फतेहपुर को पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया जायेगा । इसमें दूसरी बात कही गई है... (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, अभी तो मैंने एक ही बात कही है और सदन में पहली बार बोल रहा हूं, मुझे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिये । तो फतेहपुर में आबादी 20 लाख की है 250 की आबादी पर एक हैन्ड पाइप दिया जाता है । 8 हजार हैन्ड पाइप चाहिए वहां पर 6 हजार से भी कम है । कायदे से हिसाब लगाया जाय तो वहां पर कम से कम 2 हजार हैण्ड पम्प्स और दिये जाने चाहिए वहां पर 6 हजार से भी कम हैं । लेकिन मुझे इनके लिए धनराशि की व्यवस्था कहीं नहीं मिलती है । फतेहपुर के लिए जिला योजना में जो धन आप उपलब्ध करा रहे हैं, उससे यह कैसे कार्य पूरा हो जायेगा ? आपने इतनी बड़ी घोषणा तो कर डाली है किन्तु उस घोषणा को पूरा करने के लिये आपने कोई साधन नहीं दिये हैं, धनराशि नहीं जुटाई है । फिर यह कार्य कैसे हो सकेगा ? मंत्री जी अपनी घोषणा को इस संबंध में कैसे पूरा करना चाहते हैं, उनके पास इसकी क्या योजना है, इसके बारे में वह हमें आश्वस्त करें...

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मान्यवर, तीसरी बात यह है कि फतेहपुर कृषि प्रधान जिला है। यहां पर कोई उद्योग नहीं है। वहां केवल धान होता है और चावल की मिल है। एक कताई मिल है, जो हमेशा बन्द रहती है। वहां इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि शुगर की एक मिल खोल दी जाय। यहां पर 7 लाख टन गन्ना पैदा होता है और उत्तर प्रदेश में 108 मिलें हैं जो 3 करोड़ टन गन्ना पेरती हैं। प्रति मिल औसत 3 लाख टन है। इसको कुल गन्ना उत्पादन की दृष्टि से देखा जाय, तो मेरे जिले में उस हिसाब से दो मिलें खोली जा सकती हैं। आपने 22 जनपदों में 30 नये मिलों की घोषणा की है उसमें एक फतेहपुर को आवंटित करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

हमारा जिला इतना पिछड़ा है कि वहां पर कोई भी स्टेडियम नहीं है और न ही वहां पर कोई साइंस डिग्री कालेज ही है। महात्मा गांधी डिग्री कालेज की स्टेडियम भूमि का 22 लाख रुपया दे दिया जाय तो स्टेडियम भी बन जायेगा तथा साइंस डिग्री कालेज भी साथ ही वहां पर 260 गांव सभा ऐसे हैं, जहां पर एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। वहां पर इनकी व्यवस्था करने की परम आवश्यकता है। मेरा जिला अति पिछड़ा होने के कारण उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुये आवश्यक है कि उसे पूर्वांचल से या बुन्देलखण्ड से मिला दिया जाय, तब ही वहां विकास की संभावना हो सकती हैं।

श्री रामदास पाल–

मान्यवर, आपने हमें इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। कोई भी बजट सरकार की क्या मंशा का दर्पण है, सरकार क्या चाहती है, सरकार के वसूल क्या हैं, सरकार किन वर्गों के प्रति क्या-क्या करना चाहती है, उन सबके उत्तर के लिये यह एक आइना के समान होता है। जिस तरीके से जब तक सामने दर्पण नहीं होता है, अपना चेहरा कोई भी मानव ठीक से नहीं देख सकता है, ठीक उसी तरह से बजट सरकार का दर्पण हुआ करता है। मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सदियों से जो शोषित लोग रहे हैं, जो वर्षों-वर्षों से गांवों के उपेक्षित लोग रहे हैं, जिन लोगों ने हजारों-हजारों वर्षों से व्यवस्था परिवर्तन की बात की है और व्यवस्था परिवर्तन कर नहीं पाये, और जिनको बराबर कुचलने की कोशिश की गई और दबाया गया था, इनको बड़े लोगों के समान किया गया है। इस बजट में पहली बार मुख्य मंत्री जी ने इसकी व्यवस्था की है। उन्होंने यह कहीं नहीं देखा है कि किस वर्ग के हों, किस जाति के हो या किस धर्म के हो, सब लोगों का समान रूप से सम्मान किया जायेगा। किसी के साथ इस शासन में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

दूसरी बात आज हिन्दुस्तान के किसान सबसे ज्यादा उपेक्षित किसान हैं। विश्व का रिकार्ड उठाकर देख लिया जाय, तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का किसान गरीबी की जिस रेखा पर जिन्दा रहता है, उस रेखा पर विश्व का कोई किसान आज नहीं है। उस पर कोई जिन्दा नहीं रह सकता है। भारत का

किसान आज भी गरीब है, माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने, जो इस सदन के नेता है, गांवों के समग्र विकास के लिए जो 70 प्रतिशत बजट खर्च करने का इसमें प्राविधान किया है, घोषणा की है, यह उनका बहुत ही स्वागत योग्य कार्य है ।

ग्रामीण विकास के लिए जो 70 प्रतिशत देने की बात कही है । गांव के विकास के लिये यह बात सही है कि उससे सड़कों का निर्माण होगा, नहरों का निर्माण हो या पीने के पानी की व्यवस्था होगी और दूरांचल में ऐसे क्षेत्र हैं जहां दवा के अभाव में गांव के लोग दम तोड़ देते हैं, उनकी दवा ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है इसके लिये इसमें विचार किया गया है । इस बात के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं । 70 प्रतिशत बजट का जो प्राविधान है वह निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि गांव के लिये, किसानों के लिये, मजदूरों के लिये इनके मन में पीड़ा है । इनके मन में कसक है । मैं इसमें दर्शन को देखता हूं । लाभकारी मूल्य जिसकी मांग हम लोग विपक्ष में थे । आज सरकार ने लाभकारी मूल्य की घोषणा करके किसानों के साथ जो न्याय किया है वह एक प्रशंसनीय कार्य है ।

सबसे बड़ी बात जो इस बजट में प्राविधान किया गया है कि एक देश एक बाजार । यह बहुत अच्छा काम किया है । अभी तक होता यह रहा है कि हरियाणा का किसान कोई चीज किसी मूल्य पर खरीदता रहा है और वही चीज पंजाब का किसान किसी और मूल्य पर खरीदता रहा है इस प्रकार से मूल्यों में भिन्नता रहा करती थी । हमारी सरकार ने "एक देश एक बाजार" का जो नारा दिया है यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और इसके लिये यह प्रसंशा के पात्र हैं । अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो खलिस्तान दुर्घटना योजना, उत्तम किस्म के बीज, उक्त किस्म की खाद उपलब्ध कराने का वादा किया है वह भी एक प्रशंसनीय कार्य है । मेरे सामने बैठे भाइयों, बी० जे० पी० के लोगों से मैं यह कहना चाहूंगा कि यह संविधान पर विश्वास करें । संविधान को तोड़कर इस मुल्क में कोई चीज चलने वाली नहीं है । संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है । जिस तरीके से अयोध्या में संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, उस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अयोध्या के संबंध में जो कहा है कि वह भी एक प्रशंसनीय बात है और जिससे सामने बैठे हुए

(इस समय 4 बजकर 53 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए । हम सब इधर बैठे हुए लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं । इनको भी संविधान में विश्वास करना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी परन्तु इससे पहले मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं ।

कार्य-मंत्रणा का कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 1994 की बैठक में सदन के दिनांक 19 मार्च, 1994 से 27 अप्रैल, 1994 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित करने की सिफारिश की है :–

मार्च, 1994

19 शनिवार	1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–
	(क) उत्तर प्रदेश (राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।––आधा घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994। ––आधा घंटा।

2–वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

20 रविवार	बैठक नहीं होगी।
21 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। (अन्तिम दिन)
22 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
23 बुधवार	बैठक नहीं होगी।
24 गुरुवार	1–वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2–जनपद गाजियाबाद के किसानों को भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 28–ए के अन्तर्गत प्रतिकर का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बालेश्वर त्यागी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा। ––एक घंटा।
25 शुक्रवार	
26 शनिवार	
27 रविवार	बैठक नहीं होगी। (होली का अवकाश)
28 सोमवार	
29 मंगलवार	
30 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
31 गुरुवार	
अप्रैल, 1994	
1 शुक्रवार	(गुड फ्राइडे का अवकाश)
2 शनिवार	
3 रविवार	बैठक नहीं होगी।
4 सोमवार	
5 मंगलवार	
6 बुधवार	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7 गुरूवार 8 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
9 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
11 सोमवार 12 मंगलवार 13 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
14 गुरूवार 15 शुक्रवार	(डा० भीमराव अम्बेदकर जन्म दिवस का अवकाश ।)
16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
18 सोमवार 19 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक के अनुदानों की की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
20 बुधवार	बैठक नहीं होगी । (राम नवमी का अवकाश)
21 गुरुवार 22 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
23 शनिवार 24 रविवार	बैठक नहीं होगी । (महावीर जयन्ती का अवकाश)
25 सोमवार 26 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

27 बुधवार (1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानो की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 1994 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश का प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा दी गई है, से सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1994-95 आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

इसके पश्चात् चर्चा प्रारम्भ होती है । मैं एक नियम निर्धारित कर रहा हूं दो सदस्य इधर से बोलेंगे दो सदस्य उधर से बोलेंगे और एक सदस्य सामने से बोलेंगे ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । बजट ग्रामोन्मुखी है यह प्रसन्नता का विषय है परन्तु खेद है कि यह रोजगार परख नहीं है । मेरा क्षेत्र तिलहर-शाहजहांपुर अत्यन्त पिछड़ा हुआ है । माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और जानते हैं कि दूर-दूर तक सड़कें नहीं हैं मेरे क्षेत्र में लिंक रोड बनाई जाए । अन्यथा ग्रामोत्थान का सपना रह जाएगा ।

मेरे क्षेत्र में निर्माणाधीन तिलहर डिग्री कालेज तथा शाहजहांपुर में 300 सैय्या का अस्पताल का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जाए । हमारे क्षेत्र में निम्न विकास कार्य किए जाएं ।

श्री अध्यक्ष–

आप पढ़ रहे हैं यह परम्परा मत डालिये ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

हमारे क्षेत्र के प्रत्येक ब्लाक में एक इण्टर कालेज व एक कन्या इण्टर कालेज तथा न्याय पंचायत स्तर पर एक हाई स्कूल व एक कन्या हाई स्कूल खोला जाए तथा हमारे क्षेत्र में एक भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है तिलहर में कन्या डिग्री कालेज खुलवाया जाए । हमारे क्षेत्र में खराब पड़े ट्यूबवेलों को ठीक कराया जाए । तथा प्रत्येक ग्राम सभा में एक-एक ट्यूबवेल लगवाया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित भाषण पढ़ रहे हैं यह गलत परम्परा मत डालिये । आप बैठ जाएं ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

ग्राम डभौरा में 32 के० वी० का एक सब स्टेशन अवश्य बनवाया जाय तथा मैं केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं । प्रदेश सरकार के विकास के लिए 12 प्रतिशत अधिक धन दिया है तथा इस सरकार से अनुरोध है कि वह इस धन को पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लगाए । धन्यवाद ।

श्री जयपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं । मान्यवर, गांवों के लिए बजट में योजना का 70 प्रतिशत पैसा लगाने की बात कही गई है । मैं गांवों की बात बताना चाहता हूं । मान्यवर, विकास प्राधिकरण के माध्यम से गांवों के किसानों का विनास किया जा रहा है । मान्यवर, 1987 से लेकर आज तक अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर कंचनपुर धोपला गांव के किसानों को आज तक नहीं मिला है । किसान बरबाद हो गए हैं । मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर शहरों में ही प्रेक्टिस करते हैं लेकिन गांव नहीं जा रहे हैं । स्कूलों की दशा यह है कि छत खराब है, टीचर कम हो गये हैं । मरम्मत नहीं हो रही है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र खरखौंदा में एक भी डिग्री कालेज नहीं है एक भी कन्या इण्टर कालेज नहीं है । कोई बड़ा उद्योग नहीं है । एक भी मण्डी नहीं है । पूरे क्षेत्र में दो-तीन नदियां निकलती हैं लेकिन उस पर पुल नहीं है । इस पुल की लगातार 40 साल से बनाने की मांग हो रही है । नदी के आर-पार गांवों में जाने के लिए आड़ और कौल गांव के पास 30–30, 40–40 मील का फासला घूम फिर कर आना पड़ता है पुल न होने की वजह से यह परेशानी हो रही है । ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां परेशानी न हो । वहां के लोग क्या समझेंगे कि हमारे लिए बजट हुआ है ? सड़क उस क्षेत्र में कहीं नहीं है । स्टेट सेक्टर का जो पैसा मंजूर होता है, उससे सड़कों का निर्माण नहीं होता है । तो मान्यवर, जब सड़कें नहीं होंगी तो इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसमें हम कह सकें कि हमारे द्वारा कुछ हो रहा है । जो अनुदान दिए जा रहे हैं वह दलालों में, अफसरों में बंट जाता है । वहां के गरीब आदमी को पैसा नहीं मिल पाता है । दो-दो सेंटीमीटर नहरों की सफाई फर्जी होती है, लेकिन इसका कोई भी पैमाना नहीं है कि दो सेंटीमीटर नहरों की खुदाई हो रही है ।

(इस समय 5 बजकर 3 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सत्य प्रकाश विकल पीठासीन हुए)

फर्जी बिल के द्वारा लाखों रुपए अफसरों और ठेकेदारों की जेब में चला जाता है । इस बजट में कहीं कोई ऐसा प्राविधान मुझे नहीं लगता जिससे गांवों के किसानों और गरीबों को खुशहाल बनाया जा सके । मान्यवर, कोई भी गरीब जो लोन लेता है वह तीन हजार रुपए से 13 हजार और 14 हजार हो जाता है । और उनको तहसील के अधिकारी और कर्मचारी आये दिन पकड़ कर ले जाते हैं उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है । मैंने पहले भी सरकार से अनुरोध किया था कि कम से कम किस्तों में उनसे पैसा ले लिया जाए । इस दलितों और पिछड़ों की सरकार का कोई भी अंकुश सरकारी कर्मचारियों पर नहीं रह गया है । मजदूर सताए जा रहे हैं । किसानों से पैसा वसूल किया जा रहा है लेकिन किसानों का जो गन्ने का बकाया है, भूमि का बकाया है वह पैसा किसानों को नहीं दिया जा रहा है । जब किसान दुखी रहेगा, मजदूर दुखी रहेगा और उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगा तो इस बजट का अहसास वह कैसे करेगा ? अगर इस बजट का 50 या 40 फीसदी पैसा भी विकास पर खर्च किया जाय तो बहुत काम हो जायेगा । लेकिन होता यह है कि बजट का सारा पैसा फर्जी तरीके से चला जाता है और उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता है । अधिकारी और ठेकेदार मिलकर उस पैसे को खा जाते हैं न सड़क बनती है और न पुल बनाता है ।

मैं अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां अनेक सड़कें हैं जिनकी रोड़ी एक तरफ पड़ी है सड़कें चलने योग्य नहीं हैं लेकिन उनका पेमेंट हो गया है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और जो पिछड़े क्षेत्र हैं चाहे जिस जिले के वह क्षेत्र हों उनके विकास के लिये ध्यान दिया जाय ताकि ऐसे क्षेत्रों का विकास हो सके । जनता की जो परेशानियां हैं और जनता के जो दुखदर्द हैं उनको दूर करने के लिये सरकार ध्यान दे यही मेरा निवेदन है । इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और अपनी बात खत्म करता हूं । धन्यवाद ।

श्री तुलसीदास राय चंदानी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, अभी मुख्य मंत्री जी ने बजट के संबंध में घोषणायें की थीं । गन्ने के बारे में उन्होंने कहा था कि 15 फरवरी तक 85 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को दे दिया जायगा । मैं अपने जिले गोण्डा के बारे में कहना चाहता हूं वहां पर नवाबगंज शुगर मिल है वहां 31 दिसम्बर तक का पैसा मिला है और करोड़ों रुपया बकाया है । पिछले साल का भी 3 करोड़ रुपया बकाया है जिसके बारे में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । हमारा जनपद गोण्डा नेपाल से मिला हुआ है और पूर्वांचल का सबसे बड़ा जिला है लेकिन शिक्षा के बारे में शासन ने कोई घोषणा नहीं की है । वहां 33 लाख की आबादी है लेकिन केवल 2 डिग्री कालेज हैं । वहां पर महिला डिग्री कालेज की मांग बराबर होती चली आयी है लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने अभी घोषणा की है कि 70 प्रतिशत बजट गांवों पर खर्च किया जायेगा । गांवों के विद्युतीकरण के बारे में पूरे प्रदेश में 1137 गावों को लिया जायगा । प्रदेश में 425 विधान सभा क्षेत्र हैं, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर 200–225 ग्राम सभायें न हों । अगर इस तरह से विद्युतीकरण किया जायगा तो एक विधान सभा क्षेत्र के 3 गांवों का एक वर्ष में विद्युतीकरण हो पायेगा । इस तरह से पूरे गांवों का विद्युतीकरण करने में 75 वर्ष का समय लग जायेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संबंध में अधिक धन देकर गांवों का विद्युतीकरण करवाया जाय । इसी तरह से सरकार बनने के बाद तमाम मंत्रियों ने और विधायकों ने हर जगह भाषणों में यह बात कही है कि हमारी सरकार वृद्धों को पेंशन देगी और यह भी कहा है कि विधवाओं को पेंशन दी जायगी । इस बजट के अनुसार पूरे प्रदेश में 1 लाख वृद्धों की पेंशन दी जायगी । इस हिसाब से अगर देखा जाय तो जो 425 विधान सभा क्षेत्र हैं, प्रत्येक में 230 वृद्धों को ही पेंशन दी जा सकेगी। इसी तरह से विधवाओं को पेंशन देने की बात कही है, 25 हजार विधवाओं को पेंशन दी जायगी इस हिसाब से एक विधान सभा क्षेत्र में केवल 58-59 विधवाओं को पेंशन मिल सकेगी । मैं सरकार का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गरीबों की सरकार कहने वाली, पिछड़ों की सरकार कहने वाली, दलितों की सरकार कहने वाली जो यह सरकार है, हमारा जनपद सड़कों के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है । मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि गोण्डा जनपद में प्राइमरी स्कूल भी बहुत कम हैं और विद्यालय भी बहुत कम हैं और सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि गोण्डा जनपद के पिछड़ेपन को देखते हुए वहां पर उद्योग लगाना बहुत आवश्यक है । गोण्डा जनपद में कोई उद्योग नहीं लगा है । वहां पर पुरानी 5 मिलें घिसी-पिटी हैं । हमारे गोण्डा जनपद को अभी तक उद्योग क्षेत्र नहीं घोषित किया गया है, इसके लिए वहां के व्यापारियों की वर्षों से मांग चली आ रही है । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार गोण्डा जनपद में उद्यो

लगाने की घोषणा करे । इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

[*] श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का जो आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में दलितों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए जो 70 प्रतिशत गांव की ओर देने की बात कही है, जिससे गांव का विकास होगा । माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे जनपद के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जनपद में दो-दो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, जब इनकी सरकार थी बी०जे०पी० की, लेकिन उस समय जनपद गोण्डा में कोई काम नहीं किया गया, जब कि हमारे मंत्री बी०जे०पी० के यह कहते थे कि गोण्डा को अमेठी, रायबरेली बना दिया जायगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि गोण्डा जनपद आज भी पिछड़ा है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ बात को रखा है और कुछ बात को इस तरीके से छोड़ रखा है कि अगर उस पर ध्यान दे दिया जायगा, तो प्रदेश का विकास होगा, जैसे कि विद्युत के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की बात नहीं कही है, जिससे हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र के दलित तबके के लोग हैं, बिजली से उपेक्षित हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि गांव का ज्यादातर सर्वे करा कर उन गांवों का विद्युतीकरण कराया जाय । इसी तरह से सिंचाई विभाग के द्वारा जो नलकूप हमारे क्षेत्र मनकापुर में हैं, वहां के जो छोटे किसान हैं, दलित किसान हैं, वहां के आपरेटर उनका शोषण करते हैं । बड़े किसानों पर कम पैसा सिंचाई का लगाते हैं और छोटे किसानों पर ज्यादा पैसा लगाते हैं, इसलिए इसकी जांच कराई जाय । मान्यवर, जहां तक गन्ने के मूल्यों के भुगतान की बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 31 दिसम्बर तक हमारे मनकापुर के गन्ना कृषकों का भुगतान नवाबगंज शुगर मिल के द्वारा किया गया, लेकिन जनवरी, फरवरी माह का गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिससे गन्ना कृषकों में काफी असंतोष है । मान्यवर, शिक्षा के मामले में प्राइमरी स्कूल में जो एक समान शिक्षा की बात कही गयी है, मैं कहना चाहूंगा कि समान पाठ्यक्रम रखा जाय । कोई पब्लिक स्कूल हो या कांवेन्ट स्कूल हो या साम्प्रदायिक स्कूल हो, उसे तोड़ा जाय और एक पाठ्यक्रम चलाया जाय, जिससे छोटे-छोटे परिवार के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके । मान्यवर, मनकापुर विकास क्षेत्र, मनकापुर में लड़कियों के लिए कोई हाई स्कूल नहीं हैं, जिससे लड़कियों का स्तर बहुत नीचा है । मैं कहना चाहता हूं कि समान शिक्षा की बात बजट भाषण में कही गयी है और कहा गया है कि हर विकास खण्ड में लड़कियों के लिये समान शिक्षा के लिये कन्या स्कूल दिया जायेगा । मान्यवर, हमारे क्षेत्र मनकापुर में लड़कियों के लिये कन्या हाई स्कूल दिया जाये । आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि दलितों पर मुकदमें चलाये जा रहे हैं, उन पर फर्जी मुकदमें चलाये जा रहे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है, इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि उन पर जो मुकदमें चलाये गये हैं, उनको वापस लिया जायें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

---

[*] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री चैन सुख भारती–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, यह जो बजट मान्नीय मुलायम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह प्रगतिशील और किसानों की तरक्कीवाला बजट है और पिछड़ों और दलितों को उन्नति देने वाला बजट है । मान्यवर, इस बजट में शिक्षा को काफी महत्व दिया गया है । हमारी सरकार ने तीन वर्षों के अन्दर प्रत्येक गांव में प्राइमरी पाठशाला, प्रत्येक ब्लाक में एक कन्या पाठशाला और प्रत्येक गांव पंचायत में एक जूनियर हाई स्कूल खोलने की बात कही है, जो प्रदेश की जनता के लिये बड़ी खुशी की बात है । इससे शिक्षा का लाभ उन लोगों के लिये मिलेगा, जो गांवों में दूर दराज रहते हैं, पिछड़े इलाकों में रहते हैं उनके बच्चे पढ़ लिखकर जब तैयार होंगे, तो जो अशिक्षा है वह दूर होगी, वह शिक्षित होंगे और अपनी तरक्की करेंगे । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 17 महीने 5 दिन में हमारे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी प्राइमरी पाठशाला या अन्य कोई विद्यालय नहीं खोला है और न जो जीर्ण-शीर्ण इमारतें थीं उनको ही मरम्मत करवाया है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल शिशु मन्दिरों को सरकारी जगहों पर स्थापित किया है और सरकारी जमीनों का कब्जा उनको दिया है । हमारी सरकार ने समान रूप से ध्यान दिया है ।

मान्यवर, तीन महीने के कार्यकाल में हमारी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के जो जीर्ण-शीर्ण भवन थे, उनकी मरम्मत करवा रही है । 10 नवीन विद्यालयों को स्वीकृत किया है, 4 नवीन पुलों को स्वीकार किया है और लगभग 5 हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण स्वीकार किया है । मान्यवर इन तीन महीनों की तरक्की को देखकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत दुख हुआ है । विकास को देखकर वह सोचती है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार अगर दो साल भी टिक गयी, तो वह हिलाये न हिल सकेगी, जिस प्रकार से बिहार में लालू यादव की सरकार हिलाये नहीं हिल रही है ।

मान्यवर, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र कोंच, जिला जालौन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । कस्बा नदी गांव के पास पहूजा नदी पर 5 वर्ष से पुल बन रहा है । पिछली सरकार ने यह काम बिल्कुल नहीं किया, उसके समय में यह काम बन्द हो गया था । इस पुल पर कर्मचारियों की तनख्वाह पुल पर लगने वाले मूल्य से ड्योढ़ी हो गयी है । इसलिये आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह पुल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ता है । मान्यवर, कोंच में कोई भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है । जबकि सम्पूर्ण क्षेत्र की आबादी 5 लाख से ऊपर है । इस सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में कोई भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, मुझे अभी तक मौका नहीं मिला है, मुझे मौका दे दें मैं अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं वर्ष 1994–95 का जो बजट सरकार के द्वारा पेश किया गया वह जनता को गुमराह करने वाला है । वर्ष 1994–95 में विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए और वृद्धावस्था के लिए जो पेंशन की धनराशि निश्चित की गयी है वह बहुत ही कम है । मेरा अनुरोध है कि उक्त राशि को बढ़ाया जाय । इसके अतिरिक्त हमारा विधान सभा क्षेत्र उतरौला जो तराई क्षेत्र से लगा हुआ है जनपद गोण्डा में है वह बहुत ही पिछड़ा हुआ है । उतरौला पचपेड़वा रोड पर पूर्व में पुल स्वीकृत हुआ था उसके लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं कराई गयी हैं । तुलसीपुर से अयोध्या बाया उतरौला जाने के लिए एक पिपराघाट का पुल है जिसकी स्वीकृति केन्द्र सरकार से हुई थी, पता नहीं क्यों सरकार ने इस पर धन का आवंटन नहीं किया ?

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत ऐसे गांव है जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है और प्राइमरी पाठशालाएं पेड़ के नीचे लग रहीं हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए बजट दे । मान्यवर, गांवों के विकास के लिए, जैसा कि इस सरकार का नारा है, 70 प्रतिशत वह लगाना चाहती है लेकिन अब भी 50 फीसदी ऐसे स्कूल हैं जो कि पेड़ों के नीचे चल रहे हैं । मेरा अनुरोध है कि इसके लिए और बजट दिया जाय । उतरौला सादुल्लानगर पर कुसमौरा का पुल 40 वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है उस पर भी सरकार सुविधा दे । इसके साथ ही मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री दिलीप कुमार वर्मा–

मान्यवर, आपने माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किये बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । मान्यवर, इस प्रेश में पहली बार गरीबों, मजदूरों की सरकार बनी है । माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गांवों के किसानों के लिए जो बजट पेश किया है वह सराहनीय है और उन्होंने जो यह घोषणा की है कि इस बजट का 70 फीसदी गांवों के किसानों पर खर्च किया जायेगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी थी जिसने इतना ध्यान दिया हो । मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने आरक्षण के ऊपर जो कानून बनाया है वह बहुत ही अच्छा है । जो भी अधिकारी जानबूझकर उसका उल्लंघन करेगा उसको सजा देने की व्यवस्था कानून के अन्तर्गत की गयी है । ऐसा पहली बार हुआ है । माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वर्ष 93–94 की अपेक्षा इस बार प्राथमिक शिक्षा पर 42 प्रतिशत अधिक बजट देने की व्यवस्था की है । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारा क्षेत्र महसी–बहराइच बहुत ही पिछड़ा हुआ है । मान्यवर, वहां के लोगों को तहसील कैसरगंज जाने के लिए कम से कम 90 कि० मी० दूरी तय करनी पड़ती है । मैं मांग करता हूं कि कम से कम महसी को तहसील बनाया जाय । मान्यवर, हमारी सरकार बिक्रीकर की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था को लागू करने जा रही है जिससे व्यापारियों को उत्पीड़न और इन्सपेक्टर राज की समाप्ति होगी । इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया । वैसे तो इस सरकार ने अपने बजट में कहा है कि वह 70 फीसदी ग्राम विकास पर व्यय करेगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो डंकल प्रस्ताव है वह किसान विरोधी है और कृषि विरोधी है ।

मान्यवर, इस डंकल प्रस्ताव के विरोध में इस सरकार ने अपनी कोई स्पष्ट नीति नहीं कही है । इस डंकल प्रस्ताव के कुचक्र में हमारा देश, प्रदेश फंस गया तो हमारे देश का किसान जो अपने खेत का मालिक है, मालिक न रहकर मजदूर रह जायेगा । मान्यवर, अभी तक भारतीय पेमेन्ट अधिनियम के तहत कुछ व्यवस्थायें थीं, जिसके अन्तर्गत किसी चीज का 5 से 7 वर्ष तक अवधि तक पेमेन्ट किया जा सकता था । लेकिन, अगर यह डंकल प्रस्ताव हमारे देश में लागू हो गया तो उसके अनुच्छेद 14 (1) के अन्तर्गत 20 वर्ष तक पेमेन्ट किया जा सकता है । अभी तक हमारे भारतीय पेमेन्ट अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी, जिसके अनुसार कृषि और कृषि उपकरण पर यह पेमेन्ट लागू नहीं किया जा सकता था । लेकिन, इस डंकल प्रस्ताव को अगर स्वीकार कर लिया गया थे उसमें बीज के लिये भी विदेश पर निर्भर रहना पड़ेगा । इसके लागू होने पर अनुसंधान जैसी चीजों पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा । खाद पर सबसिडी समाप्त हो जायेगी । मान्यवर, टमाटर का बीज जो अभी तक 250 रु० से 300 रु० किलो तक मिल जाता है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने पर इसका भाव 20 हजार रु० प्रति किलो तक हो जायेगा ।

मान्यवर, मेरी स्पष्ट मान्यता है कि शिक्षा एक ऐसा विषय है, जिसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिये । लेकिन, वर्तमान सपा,बसपा की सरकार ने शिक्षा के साथ आज खिलवाड़ किया है । प्रस्तुत बजट में इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में तो कुछ कहा है लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है । शायद इनकी सरकार को लगता है कि लोग ज्यादा शिक्षित हो जायेंगें तो भाजपाई हो जायेंगे । मान्यवर, हमारी सरकार ने नकल रोकने के लिये कानून बनाया था, इस तरह से प्रदेश के अन्दर न्याय चलाने की व्यवस्था की थी क्योंकि हम मेरिट और मेधा पर विश्वास रखते हैं । जो छात्र नहीं पढ़ते थे, नकल के माध्यम से पास हो जाया करते तो, हमने सबको न्याय दिलाने के लिये नकल विरोधी कानून लागू किया था । मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से लाये गये उस कानून को क्यों रद्द कर दिया गया ?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि यदि आप शिक्षा का विकास, सुधार और छात्रों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो शिक्षा की प्रगति के लिये जो सही कदम उठाये गये हों, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार द्वारा उठाये गये हों, उनको सम्मान करना चाहिये और उन्हें लागू रहने देना चाहिये ।

मान्यवर, हमारे देश के अन्दर साक्षरता का जो प्रतिशत है वह राष्ट्रीय स्तर पर 52 प्रतिशत है और हमारा प्रदेश इसमें बहुत पिछड़ा है जहां केवल 42 प्रतिशत है । स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर 40 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में यह 26 प्रतिशत है । यह तो मात्र आंकड़े हैं, वास्तविक स्थिति इससे कहीं खतरनाक होगी । इस बजट में शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । कम से कम 10 प्रतिशत शिक्षा के ऊपर बजट का व्यय किया जाय तभी हमारे प्रदेश के अन्दर शिक्षा में सुधार हो सकेगा । मान्यवर, एक तरफ प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, दूसरी तरफ इस बजट में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में सरकार ने कोई विशेष बात नहीं कही है, छात्रों के हित की कोई बात नहीं कही है ।

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है । मान्यवर, लोक सेवा आयोग की पी० सी० एस० परीक्षाओं के संबंध में छात्रों की पुरानी मांग है कि इसके लिये पद्धति लागू की जाये । साक्षात्कार में जाने वाले छात्रों को निःशुल्क बस सुविधा प्रदान की जाय । मान्यवर, रोजगार के क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं परन्तु उसमें भी अनेक कठिनाइयां हैं, नवयुवकों को 5-6 महीने तक आर्थिक सहायता नहीं उपलब्ध हो पाती है । इसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाय ।

मान्यवर, कहा गया कि शांति और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है । उत्तर प्रदेश में पिछले 100 दिनों में 2259 हत्यायें, 973 अपहरण, 456 लूट, 565 डकैती और 782 बलात्कार की घटनायें हुई हैं और इतना ही नहीं हर स्थानों पर यह घटनाएं हो रही है और सरकार इस विषय में नहीं सोच रही है । एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि उधर के एक माननीय सदस्य ने कहा था, 6 दिसम्बर की बात कही थी कि अयोध्या के अन्दर जो विवादित ढांचा था वह अक्रांता द्वारा बनाया गया । वह विवादित ढांचा ढहा दिया गया तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह हमारे लिये गौरव की बात है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, चूंकि यह प्रकरण न्यायालय में लम्बित है और इसे बजट भाषण में बाबरी मस्जिद कहा गया है अतः मैं यह अनुरोध करूंगा कि जब तक मामला निर्णित नहीं हो जाता है इसे विवादित ढांचा ही कहा जाये ।

श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसके समर्थन में कुछ बातें कहना चाहता हूं । अभी हमारे समक्ष हमारे इलाहाबाद के एक प्रतिनिधि जो प्रोफेसर भी हैं, और हमें लगता है वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं लेकिन जो यह बजट की कापी है शायद उन्होंने उसको नहीं देखा है और न ही पढ़ा है । मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसके पृष्ठ-10 पर देखें, उसमें लिखा हुआ है कि जो डंकल प्रस्ताव है हम उसका विरोध करते हैं और इसमें सभी राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर विचार कर लिया जाये । अगर वे पढ़े लिखे हों तो पढ़ लें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपनी बात कहें ।

श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

मान्यवर, जो हमारे पूर्व वक्ता इलाहाबाद के हैं, वे अध्यापक होने के नाते शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिये किया उसकी भी उन्हें जानकारी होगी । उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए ग्रामीण विद्यालयों के लिये जो कुछ किया इसके बारे में भी उनको पता है । अभी बजट भाषण में यह आया है कि ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के लिये 42 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है और गांव-गांव में स्कूल खोलने की योजनायें बनायी गयी हैं । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार जो थी उसमें ईंट के भट्ठों का भट्ठा बैठ गया था । कहीं भी एक भी ईंट नहीं बिकी थी । अगर ग्रामीण विकास योजनायें बनी होतीं तो कही भी किसी को एक भी ईंट नहीं मिलती । लेकिन हमारे समय में इसका ध्यान दिया गया है और ईंटें उपलब्ध करायी जा रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम लोग बोलते हैं तो यह लोग उठकर व्यवधान कर देते हैं मगर जब वे लोग बोलते हैं तो हम लोग शांतिपूर्वक सुनते हैं तो यह उचित बात नहीं है। जब इधर के लोग बोलें तो उन्हें भी ध्यानपूर्वक सुना जाये। जो नियम बनाये गये हैं उसके अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। इस बार का बजट सर्वांगीण विकास का बजट है। यह गरीबों का बजट है। जो लोग गांव में सुदूर रहा करते हैं, झुग्गी-झोपड़ी में रहा करते हैं, यह उन लोगों का बजट है। समाज में अन्तिम सीमा पर रहने वाले लोगों का बजट है। चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे स्कूलों का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे तकनीकी एजूकेशन का मामला हो, यह सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण बजट है। इस बजट में हर प्रकार के विकास की योजनायें रखी गयी हैं। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इस समय 5 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री मोहर सिंह–

मान्यवर, आपने इस बजट चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। मेरे क्षेत्र में 100 रोड ऐसी हैं, जो आजादी के बाद से अभी तक नहीं बनी हैं, जो आजादी के बाद से अभी तक नहीं बनी हैं। इन ऐसी सड़कों की लम्बाई लगभग 350 कि० मी० है। इन सड़कों का निर्माण इस बजट में होना चाहिये। मान्यवर, हरौड़ा विधान सभा क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है सहारनपुर-ज्ञानगढ़ पुरानी कलासिया रोड पर पाव धोई नदी के पुल का निर्माण होने से मेरे इस क्षेत्र का विकास होगा। मेरे क्षेत्र में 52 गांव ऐसे हैं, जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है, यह सभी क्षेत्र अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति बाहुल्य हैं। इसी प्रकार 24 मजरे ऐसे हैं, जिनको विद्युतीकरण के समय छोड़ दिया गया था, यह भी अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। इसी तरह 21 अनुसूचित जाति बस्तियां ऐसी हैं, जो विद्युतीकरण के समय इन ग्राम सभाओं में छोड़ दी गयी थीं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बजट में इन सबके लिये पर्याप्त धन का आवंटन करने की कृपा की जाय, जिससे मेरे अनुसूचित जाति सुरक्षित क्षेत्र का विकास हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग एक सूचना सुन लें।

ऐसा है, मैंने कल के लिये यह निश्चय कर रखा है, इस पर अधिकांश लोगों की भावनायें भी आ गयी हैं, इसलिये कल प्रश्न प्रहर नहीं होगा। नियम 56 और नियम 311 को भी बाद में लेना चाहूंगा क्योंकि उनके लिये सूचना जिलों से मंगानी पड़ती है, इसलिये 11 बजे चर्चा से ही शुरू करेंगे। नियम 56 और 311 देने वाले लोग ज्यादा देर तक बैठे रहें, तब तक सूचना भी आ जायेगी। कल सुबह चर्चा से ही शुरू करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचार आ जायें। अब मैं अगली मद लेता हूं।

(विपक्ष की ओर से कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

आप लोग अपने नाम दे दीजियेगा, पहले आप लोगों को ही बुलवा दूंगा।

श्री प्रेम प्रकाश–

मान्यवर, कल जब 11 बजे हाउस शुरू हो, उसके आधा घंटा बाद मुझे बोलने दे दीजियेगा। मैं आज अपना नाम वापस ले लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे यह कह रहा हूं कि कल बुलवा दूंगा और आप लोग अपने नाम दे दीजियेगा। कल पहले ही बुलवा दूंगा। मेरी जेब में नाम की चिट रहेगी।

आधे घण्टे बैठ जाइये और लोगों की जिज्ञासा पूरी हो जाये ।

* श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैंने सोचा था कि सरकार का बजट गरीबों, किसानों, मजदूरों का बजट होगा लेकिन जब बजट भाषण पढ़ा गया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि यह बजट न तो गरीबों से सम्बन्धित है, न किसानों से सम्बन्धित है, न मजदूरों से सम्बन्धित है । किसान का सबसे प्रमुख बाजार से आने जाने का जो साधन है वह सड़क है । भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में यह निर्णय लिया गया था कि जो सड़कें गांव से लिंक करती हैं, उनको बनाये जाने में सबसे पहले मान्यता दी जाये, लेकिन इस सरकार के आते ही मुख्य रूप से ऐसी सड़कें रोक दी गयी हैं जो दूर की हैं और सड़कों से लिंक कर रही थी । मान्यवर, जानबूझ कर इस सरकार ने ध्यान आकर्षित कर लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो ।

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में धाधूपुरा से बढ़ाने गांव तक जिला परिषद् से सड़क स्वीकृत हुई थी लेकिन इस सरकार ने उसे नहीं बनने दिया क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता का सम्बन्ध है । वह सड़क मात्र एक फर्लांग बन पायी थी, डामर डाल दिया गया था लेकिन मान्यवर, ठेकेदार को कह दिया गया कि अगर यह सड़क बनी, तो तुम्हारी ठेकेदारी भुला दूंगा। किसी भी तरीके से यह सड़क नहीं बननी चाहिए । मान्यवर, मैं ऐसे बजट का विशेष रूप से भर्त्सना करता हूं । मान्यवर, नगला सवला से समौगर गांव से विचपुरी से फतेहपुर सीकरी, नगरा कारे से नगला परमान नहर की पटरी तक सड़क बनाये जाने की आवश्यकता है और यह सड़कें बनायी जानी चाहिए । मान्यवर, यह कहा जाता है कि यह गरीबों, किसानों और मजदूरों की सरकार है, यह दलितों की सरकार है । लेकिन यह नहीं जानते कि किसान, दलित, मजदूर तब तक नहीं पनपेगा जब तक नहरों का पानी मुतवातिर टेल तक नहीं पहुंचेगा । मेरे क्षेत्र में कोई नहर ऐसी नहीं है जहां टेल तक पानी पहुंचती हो । लेकिन वहां के जो अधिशासी अभियन्ता हैं वह कहते हैं कि पानी टेल तक न पहुंच रही है । मैंने स्वयं रात के दो-दो बजे तक दौरा करके देखा है, अभियन्ता को भी जगाया है । लेकिन पानी टेल तक नहीं पहुंचा है । इसी प्रकार विद्युत की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आगरा–ग्वालियर रोड पर इटौरा, आगरा–शमशाबाद, बम्रौली अहीर और फतेहाबाद रोड पर विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत किये गये थे जिनको जानबूझकर इसलिये रोक दिया गया है कि यह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्वीकृत किये गये थे । मान्यवर, पशु चिकित्सालयों की भी बहुत ही दयनीय दशा है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

मान्यवर, मैं आगरा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आगरा ताजमहल के प्रदूषण को लेकर उपेक्षित हो रहा है । यह मजदूरों, किसानों, उद्योगपतियों और सारी जनता के लिये बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है । ताजमहल के नाम पर उद्योग-धन्धे चौपट हो रहे हैं । आगरा पिछड़ता चला जा रहा है । वह दिन दूर नहीं जब आगरा के किसान अपने हजारों पशुओं को लेकर ताजमहल के अन्दर घुसेंगे । बरौली अहीर ब्लाक के जो यमुना के किनारे वाले गांव हैं उनको विद्युत से और पानी से जोड़ा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाये । मान्यवर, ताजमहल की ओर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके नाम पर आगरा उपेक्षित हो रहा है, यदि आगरा की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं स्वयं किसानों के साथ तमाम पशुओं को लेकर ताजमहल के अन्दर जाऊंगा । इसके साथ ही आपने समय दिया, इसका मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं ।

श्री लाल जी यादव उर्फ जोगी–

आपने हमें बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, जो यह बजट पेश किया है वह बहुत ही सराहनीय और अच्छा बजट है । जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, इस सरकार ने इस तरह का बजट पेश करके एक सराहनीय कार्य किया है । मान्यवर, शिक्षा के विषय में भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा को उच्चीकृत करने के लिये बहुत ही ठोस कदम उठाये गये हैं, जो दलितों, शोषितों और पिछड़ों के लिये ज्यादा ही लाभप्रद होगा और विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया जायेगा । मान्यवर, गांव की एक समस्या रही है, अभी भी गांव में शौचालयों की व्यवस्था नहीं हो रही है, इस हेतु निःशुल्क ही व्यवस्था का प्राविधान किया गया है, यह भी एक सराहनीय और अच्छा कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं । व्यापारी वर्ग के लिये धारा 3/7 के अन्तर्गत जो उत्पीड़न होता था, उसे समाप्त कर दिया गया है । इस बजट के माध्यम से व्यापारी वर्ग को यह सहूलियत प्रदान की गयी है ।

मान्यवर, मैं बजट भाषण के माध्यम से इसका स्वागत करता हूं । हम देख रहे हैं कि किसानों और शिक्षा के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो बजट पेश किया है वह सराहनीय है और अनुकरणीय है । इसी के साथ मान्यवर, मैं अपने चुनाव क्षेत्र में गया था तो वहां के लोगों ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि यह जो प्राइवेट लाटरियां चल रही हैं, इस लाटरी से गरीबों का पैसा बेकार हो रहा है और लाटरी से उनका शोषण हो रहा है, इस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए । मान्यवर, प्रदेश में निजी लाटरियों और प्राधिकृत लाटरियों के माध्यम से आम जनता का शोषण हो रहा था । इस सरकार ने इसको समाप्त करने का निर्णय लेकर इस पर प्रतिबन्ध लगाया है, गरीबों को न्याय मिलेगा और सट्टेबाजी की प्रथा खत्म होगी । मान्यवर, ऊसर भूमि की भी एक जटिल समस्या थी, जो 1,57,250 हेक्टेयर भूमि को उपचारित करने का लक्ष्य रखा गया है, अपने आप में यह एक सराहनीय कदम है, इससे उपज बढ़ेगी, खर्च कम आयेगा, जमीन किसानों के हित के लिये होगी, किसान उस जमीन पर काम करेंगे और अच्छी पैदावार होगी । खलिहान दुर्घटना बीमा की योजना 1993 से लागू किया गया है, आगामी समय खलिहानों का ही समय आ रहा है, इस योजना को लागू करना किसानों के लिये बहुत ही उपयोगी है और यह कदम बहुत ही कारगर साबित होगा । इस बजट के माध्यम से किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही तैयार की गयी है जो बहुत ही उपयोगी है और किसानों, गांवों के हितों के लिये ही है । बिजली और पानी की व्यवस्था भी गांवों के लिये की गयी है इन सभी व्यवस्थाओं को बजट में सम्मिलित होना अच्छा मानते हैं । इसलिये हम और हमारे दल के सभी सदस्य इस बजट का समर्थन करते हैं और दलितों, शोषितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सरकार को बधाई देते हैं ।

श्री छोटे लाल –

आदरणीय महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, यह कहते हैं कि यह सरकार दलितों, शोषितों और पिछड़ों की बनी है, इनका ध्यान रखती है, मैं भी दलित वर्ग का हूं। इनका यह कहना बेकार हो गया है क्योंकि इस सरकार ने जो यह बजट पेश किया है उस बजट के अन्दर किसानों के हितों की कोई बात नहीं की है। मेरा विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद है। यह क्षेत्र ऐसा है जहां पर उटंग और यमुना नदियां पड़ती हैं, वहां पर नहर से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है, आज तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अभी मेरे क्षेत्र में 10-3-94 को धरना दिया गया, 13-3-94 को समापन कराया गया, इसके बाद आमरण अनशन पर बैठे, लेकिन पानी नहीं पहुंचा और न ही टेल तक पानी पहुंचाये जाने की व्यवस्था की जा रही है। वहां पर किसानों की ऐसी हालत हो गयी है कि मरने के काबिल हो गये हैं, झूठा आश्वासन दिया जाता है। वहां के मुख्य अभियन्ता ने बल दिया था कि टेल तक पानी पहुंचा दिया जायगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।

अब मैं सड़कों के बारे में बताना चाहता हूं कि आगरा में सड़कों पर पत्थर डाल दिये गये हैं, गिट्टी डाल दी गयी है, उन्हें ढांक दिया गया है, लेकिन न तो डामरीकरण किया गया और न ही लेपन कार्य किया गया, जिस तरह झांखर डाल दिये जाते हैं उसी तरह गिट्टी डाल दी गयी है जिससे आगरा की जनता को चलना भी मुश्किल हो रहा है, पत्थर को कुटाया तक नहीं गया है, आये दिन रास्ते में दुर्घटनायें होती रहती हैं, पत्थर पर निकलना दुश्वार हो रहा है। जब कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी या ट्रैक्टर निकालता है तो आये दिन उनके टायर पंचर होते रहते हैं और दुर्घटनायें होती रहती हैं। इसलिये उन सड़कों को पेंटिंग स्तर तक कराया जाय। पेयजल के लिये जो टंकियां बनायी गयी थी उनकी स्थिति बहुत ही खराब है और साथ ही नीचे स्तर के लोग जो जंगलों के किनारे रहते हैं, उनके लिये पेयजल हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, इसलिये मैं मांग करता हूं कि जो गरीब लोग जंगल के किनारे रहते हैं, उनके लिये पेयजल की व्यवस्था कराई जाय। आज पानी का भयानक संकट वहां पर है। 6-6 कि०मी० दूर यमुना से लोगों को पीने के लिये पानी लाना पड़ रहा है। अब यमुना नदी तो नाला बन गया है। गंदा पानी उसमें बहता है।

मान्यवर, विद्युत के बारे में कहना चाहता हूं। यहां पर कहा जाता है कि 16 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 6 बजे से बिजली चली जाती है और रात के 12 बजे आती है। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई नहीं हो पा रही है और स्कूलों में विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाय। यह भी कहा गया है कि हर ग्राम सभा को प्राइमरी स्कूल से जोड़ दिया जायेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 25 ग्राम सभाएं ऐसी हैं, जहां आज भी प्राइमरी स्कूल नहीं हैं, तो फिर आप कहां से इसे जोड़ देंगे। चिकित्सा के बारे में कहना चाहता हूं कि जो गरीब लोग जंगलों के किनारे रहते हैं, उनके लिये कोई हास्पिटल नहीं है और न ही उनके पशुओं के लिये कोई पशु अस्पताल है। 30 कि० मी० दूर पर अस्पताल है, उसके लिये भी सरकार ने अपने बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि अस्पतालों की व्यवस्था की जाय। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लालमणि प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे बजट सत्र पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह बजट गांवों के विकास का, दलितों, मजदूरों के उत्थान का बजट है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे गांव के विकास या प्रदेश के हर क्षेत्र में हो, सभी वर्ग के उत्थान के लिये यह बजट पेश किया है। बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि इस देश के मूल निवासियों अपने दिवालों पर लिख लो कि तुम इस देश के राजा-महराजा, यह धन और धरती तथा राजपाट तुम्हारा था और रहेगा। बाबा साहेब के सपने को साकार रूप देने का काम इस बजट में नजर आ रहा है। किसानों की खुशहाली, गांवों की तरक्की, गरीब, बेबश मजदूरों व मजलूमों की तरक्की के लिये माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, मुख्य मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि 70% धन गांव के विकास पर खर्च होगा। शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि दलित व गरीब समाज को आगे बढ़ाने के लिये माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने जो बजट दिया है, वह एक सराहनीय कदम है। गांवों में सबसे बड़ी समस्या लैट्रिन की थी। दलितों को बहुत ही कष्ट था, इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने गांवों में लेट्रिन की सुविधा प्राथमिकता के तौर पर मुहैय्या करवा कर एक सराहनीय कार्य किया है। यह भी एक प्रकार से सराहनीय कदम है। इसके अलावा जो फैक्ट्रियां बंद थी उनको खुलवाने के तरफ सरकार का ध्यान गया है। हमारे यहां,खलीलाबाद चीनी मिल जो बन्द थी उसके लिये भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि जल्द चालू होगी। पूरा आश्वासन दिया है।

इसके साथ में सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र हैसरबाजार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र जनपद बस्ती में विकास के लिये सरयू में पुल की आवश्यकता है जिससे बस्ती और फैजाबाद जुड़ जायेगा बिड़हर घाट पर पक्का पुल बनाया जाय। अभी तक वहां जो भी सड़कें बनी हैं वह अधूरी हैं उनको पूरा किया जाय। मेरे क्षेत्र में एक डिग्री कालेज खोला जाय। खलीलाबाद चीनी मिल को चलाया जाय जिससे किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके।

हमारे यहां कई मुख्य मंत्री गये इलेक्शन के समय वहां कह देते हैं कि मुखलिसपुर टूल टैक्स माफ कर दिया जायेगा लेकिन टूल टैक्स माफ नहीं किया गया है टूल टैक्स माफ करना अति आवश्यक है। मेरा विधान सभा क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ से ग्रस्त रहता है। बाढ़ से राहत के लिये वहां बाढ़ राहत कार्य किये जायं। बाढ़ पीड़ितों को स्थाई निवास की व्यवस्था की जाय। साथ ही साथ मान्यवर, मैं माननीय कांशी राम जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनकी सरकार ने साम्प्रदायिक शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जो लोग डा० भीमराव अम्बेडकर साहब की नीतियों पर विश्वास नहीं करते थे केवल कोरे नारे लगाते थे उनको करारा जवाब दिया है। वह लोग सही मायने में गांधीवादी विचारधारा से समाज में परिवर्तन नहीं करना चाहते थे इसीलिये आजादी के 46 वर्ष बाद भी मां बहिनों की इज्जत लूटी जाती रही है, 46 वर्षों की आजादी के बाद भी कमजोर लोगों पर अत्याचार होते रहे हैं। इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। समाज में नफरत पैदा करने का काम इन्होंने किया, समाज तोड़ने का काम किया, फिरकापरस्ती की भावना पैदा कर हिन्दू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ी को इन्हें देना पड़ेगा। वह इनको कभी माफ नहीं करेगी।

इन्होंने इन 46 वर्षों में देश को पीछे ढकेल दिया है। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री राम अधार यादव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह कुल मिलाकर संतुलित बजट है। इस बजट से समाज के हर वर्ग को निश्चित रूप से विकास का अवसर मिलेगा।

मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं महराजगंज में सड़कों का घोर अभाव है। वहां सड़कें नहीं के बराबर हैं।

वहां कारखानों के नाम पर एक मात्र जर्जर अवस्था में एक पुरानी चीनी मिल है। वैसे वह क्षेत्र उद्योग की दृष्टि से शून्य है। हमारे जनपद में मात्र तीन पुरानी चीनी मिल हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। उत्तर प्रदेश चीनी निगम के अन्तर्गत है वह भी निजी क्षेत्र में जा रही है। इसलिये मेरा क्षेत्र उद्योग में बहुत पिछड़ा है।

बिजली के नाम पर मेरे क्षेत्र में कम से कम 60, 65 गांव सभाएं ऐसी हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है और जिन गांवो में बिजली गयी भी है उनमें कुछ पुरवे ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। वहां सड़कों का बहुत अभाव है। मैं चाहूंगा कि इस बजट में विकास के कार्यों के लिये मेरे क्षेत्र की योजनाओं का कोई जिक्र नहीं है। हमारे क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हो, बिजली पहुंचाई जाय और उद्योग धन्धे लगाये जायं ताकि वहां के नौजवानों को रोटी रोजी मिल सके। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बजट पर कुछ कहने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रणत पाल सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी जो बजट भाषण पढ़ा गया है वह किसान विरोधी, जन विरोधी और मजदूर विरोधी बजट है। मान्यवर, इस बजट में किसान के लिये कोई खास व्यवस्था नहीं की गयी है जो कि उसके दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उनमें उसे कोई राहत नहीं दी गयी है।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र गोकुल है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि गोकुल बैराज निर्माण योजना अधूरी पड़ी है यदि उसे पूरा कर दिया जाये तो वहां की पेयजल की समस्या हल हो सकती है। लेकिन आज वहां की सामग्री चोरी हो रही है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

मान्यवर, मेरा यहां राया क्षेत्र में एक डिग्री कालेज और एक पालीटेकनिक बनवा दिया जाये तो इससे शिक्षा का स्तर उठ सकता है।

मान्यवर, मेरे यहां खारे पानी की समस्या है जिससे पीने के पानी की बहुत मुश्किल होती है, इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां पाताल-तोड़ कुएं बनवाये जायें तोपानी की समस्या हल हो सकती है।

यातायात की दृष्टि से मेरे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिये मेरी मांग है कि गोकुल, बलदेव जो तीर्थ स्थल हैं वहां यदि रोडवेज की बस चलवा दी जाये तो पर्यटकों को आने जाने में काफी सुविधा होगी और सरकार को राजस्व का लाभ होगा। मेरे क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था

लेकिन वहां आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है । बृज के राजा बल्देव में विराजमान हैं लेकिन पर्यटकों के लिये यातायात की कोई सुविधा नहीं है इसलिये यहां बस चलवा दी जाये तो अच्छा होगा और सरकार को लाभ होगा ।

मान्यवर, हमारे यहां विद्युत की बड़ी समस्या है । सरकार कहती है कि हम 16 घंटे बिजली दे रहे हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में 8 घंटे भी बिजली नहीं जा रही है और दो फेज में जो बिजली जाती है उससे किसान को कोई फायदा नहीं है, इसलिये इस ओर सरकार ध्यान दे और मेरे यहां बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करे ।

मान्यवर, सहकारिता क्षेत्र में जो किसानों के लिये खाद आती है उसमें कर्मचारियों द्वारा खाद बोरों से निकाल ली जाती है और इस तरह किसानों को प्रति बोरा 3 से 4 किलो कम खाद मिलती है । इसलिये इस तरफ ध्यान दिया जाए ।

मान्यवर, मेरे यहां राया क्षेत्र में मंडी नहीं है इसलिये वहां मंडी बनवाने की व्यवस्था की जाए ।

मान्यवर, बल्देव में एक पवित्र क्षीर सागर है जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है; इसलिये मांग है कि अतिरिक्त धन देकर उसका जीर्णोद्धार करवा दिया जाए तो कृपा होगी ।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे–

मान्यवर, मैंने मा० मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण को गम्भीरतापूर्वक पढ़ा । मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि यह जो अपने को दलितों, गरीबों, उजड़ों और मजदूरों की सरकार होने की दुहाई देती है उसकी कोई झलक इस बजट में प्रतीत नहीं होती है कि यह सरकार दलितों की है । मान्यवर, यह बजट गरीबों, दलितों और मजदूरों के लिये केवल ख्यालीपुलाव है और एक तरह से मीठा जहर है । मान्यवर, इसमें इनकी एक बड़ी कुटिल चाल है । यह बजट गरीबों के लिये किसानों के लिये और दलितों के लिये एक शुगर कोटेड कुनैन की गोली के समान है, जो देखने में ऊपर से मीठी होती है किन्तु अन्दर से कड़ुवाहट भरी होती है । यह बजट भाषण गरीब जनता को बहलाने के लिये लाली पाप की तरह पकड़ा दिया गया है, जो देखने में बड़ा आकर्षक है, लेकिन धरातल पर उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। मैं जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र वीरापुर से चुनकर आया हूं । मैं वहां की साक्षरता के बारे में कहना चाहता हूं । जहां अपने प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता 42 प्रतिशत है, वहां पर साक्षरता 21 प्रतिशत ही है, और महिलाओं की साक्षरता में जहां प्रदेश में यह 26 प्रतिशत है, हमारे यहां यह मात्र 6 प्रतिशत महिलाओं की साक्षरता है । हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर कोई भी कन्या इंटरमीडिएट कालेज और कन्या हाईस्कूल नहीं है, कोई डिग्री कालेज भी नहीं है । वीरापुर विधान सभा क्षेत्र के हृदय को चीरती हुई सई नदी वहां बहती है । वीरापुर क्षेत्र के निवासियों को अपने ही क्षेत्र में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिये, नाव द्वारा जाना पड़ता है । उस नदी पर कोई पुल नहीं है । उस पर एक पुल का निर्माण अवश्य कराया जाए ।

सिंचाई के संबंध में कहना चाहता हूं, हमारे यहां गौरा ब्लाक है । जिसमें लाठो ड्रेन, कुरोहटा ड्रेन, जगतपुर ड्रेन, धरी ड्रेन, कोसिया ड्रेन और कन्धारी ड्रेन आदि तमाम ड्रेनें पड़ती हैं, किन्तु वे सभी पट गयी हैं, जिसके कारण किसानों के लिये उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है । उसके कारण से वहां पर किसानों की भूमि जलमग्न हो गयी है और साथ ही ऊसर हो गयी है, वह कृषि योग्य नहीं रह गयी

है। अतः उक्त ड्रेनों की खुदाई और सफाई कराये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। सरकार इस कार्य को शीघ्र कराये। हमारे यहां अति प्राचीन दो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं – बाबा वेलखर नाथ धाम और माता बासही देवी धाम। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन धामों का सौन्दर्यीकरण हो, और उन धामों से जुड़ी सड़क लक्षीपुर-चौहरजन मार्ग एवं दीवानगंज-बेलखरनाथ धाम मार्ग तीर्थयात्रियों और जनता के लिये पक्का बनवाया जाए।

साक्षरता की दृष्टि से हमारे यहां अक इण्टरमीडिएट कलेज कन्याओं के लिये और एक डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ मैं अपने नेता प्रतिपक्ष की बात का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रभान मौर्य–

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आदरणीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया।

मोहब्बत के लिये कुछ खास दिल मखसूस होते हैं;-

यह वह नगमा है, जो हर साज फरमाया नहीं जाता ।

पूज्य महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गयी थी, उसमें इस देश के किसानों-मजदूरों, शोषितों और मजलूमों ने और उनके परिवारों ने पहली पंक्ति में खड़े होकर अपनी गर्दनें कटाई थीं, अपनी मां और बहिनों के मांगों के सिन्दूर मिटाये थे। इस आजादी की लड़ाई के बाद, देश पर हुए विदेशी आक्रमणों के समय, चाहे पाकिस्तान का युद्ध रहा हो, चीन का आक्रमण रहा हो या फिर बंगलादेश के साथ हमारी लड़ाई रही हो, सभी युद्धों में इस देश के दलितों और मजलूमों और शोषितों ने पहली पंक्ति में खड़े होकर हमेशा ही अपनी गर्दनें कटाई मां और बहिनों के मांगों के सिन्दूर मिटाया। इस भावना के साथ आजादी के बाद इस देश का शोषित, सर्वहारा वर्ग जो इस देश का असली मालिक है, भारत की रीढ़ की हड्डी है, आशा थी कि उसे सम्मान मिलेगा, सत्ता में भागीदारी मिलेगी। लेकिन अफसोस है कि 40–45 साल के लम्बे अर्से की आजादी के बाद भी इस देश का जो असली मालिक था, सर्वहारा था, शोषित था और मजलूम था, उसे न सम्मान मिला, न न्याय मिला। उसे सत्ता में भागीदारी भी नहीं मिली। पर मान्यिवर, आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव, जो शोषितों के नेता हैं, ऐसे समय में जब कुछ तत्वों ने राम-रहीम के नाम पर इस देश को बांटने की कोशिश की, भारत-माता के दिल को तोड़ने का कुचक्र रचा और देश को विघटन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, तो उन्होंने अपनी समाजवादी नीतियों और सिद्धान्तों के आधार पर, इस देश की जनता के सामने अपने उसूल और सिद्धान्त रखे। उन्होंने कहा कि यह देश आदरणीय लोहिया जी, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह की नीतियों के आधार पर ही चल सकता है और इस विचार को लेकर उन्होंने प्रदेश की जनता के सामने वायदा किया था। उन वादों के आधार पर जनता ने उन्हें बहुमत दिया और आज उनकी सरकार बनी है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में उनकी नीतियां सही रूप से परिलक्षित और प्रतिबिम्बित होती दिखाई देती हैं। किसानों, गरीबों दलितों के प्रति समर्पित हैं। इस देश के किसानों और मजदूरों के लिये, शोषित सर्वहारा वर्ग के सम्मान के लिये, उनको सत्ता में भागीदारी देने के लिये उन्होंने अपने बजट में 70 प्रतिशत का प्राविधान किया है।

ईमानदारी से सभी वर्ग के लोगों को सम्मान और खुशहाली देने की चाह है उनमें और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की जनता उनकी नीतियों पर विश्वास कर रही है और बजट के माध्यम से सरकार उन नीतियों पर अमल कर रही है। आज पूरे प्रदेश की जनता में, छात्रों में, किसानों में हर वर्ग के लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान की भावना बढ़ी है। मान्यवर, यह बजट पूरी तरह से इस प्रदेश की जन भावनाओं के अनुरूप है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं, उसका स्वागत करता हूं। जय हिन्द,, जय भीम, जय भारत।

श्री सत्य प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, सम्भल विधान सभा क्षेत्र डार्क एरिया घोषित है। वहां पर कोई भी ट्यूबवेल नहीं लगा सकता है। इसके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। वह आठ लाख की आबादी का जिला प्रस्तावित है वहां पर मात्र 10 बसें मुरादाबाद के लिये लगी हैं जबकि प्राइवेट बसें 40–50 की मात्रा में चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि या तो रोडवेज की बसें वहां से हटा ली जायं या प्राइवेट बसें पूरी तरह से लगायी जाय अन्यथा वहां की जनता एक दिन युद्ध की स्थिति में आ जायेगी। सम्भल अति सम्वेदनशील क्षेत्र है। वहां पर पानी की किल्लत है, बिजली की जबरदस्त किल्लत है। वहां पर कोई भी ट्यूबवेल नहीं है और न ही वहां पर कोई ट्यूबवेल लगाया जा रहा है। सम्बल में 11 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं। वहां पर एक मात्र डिग्री कालेज है और इण्टरमीडिएट कालेज कुल तीन हैं। बिना वित्त के मान्यता स्कूलों को नहीं मिल पा रही है। एक भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि शिक्षा के विषय में भी सरकार को कुछ कार्य करने चाहिए। जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है, वह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है। जहां पर आप अनुसूचित और अल्पसंख्यकों के समर्थन की बात करते हैं, वहां पर आपको इस क्षेत्र के बारे में भी विचार करना चाहिए। वहां पर पानी, बिजली और शिक्षा, इन तीनों विषयों पर जोर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि सम्बल का विकास आगे बढ़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नहीं अब मैं किसी को नहीं सुनूंगा। आगे की मद लेता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम–51 के अन्तर्गत आज कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री भैरों प्रसाद मिश्र की बांदा जनपद की तहसील बबेरू में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की मांग के संबंध में है। यह सूचना वक्तव्य के लिये स्वीकार की जाती है। दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है यह सत्र 1993-94 की बी० टी० सी० प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस सूचना को भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है। तीसरी सूचना

श्री मातवर सिंह काण्डारी जी की है । इन्होंने टिहरी गढ़वाल के विद्या निकेतन जू० हा० स्कूल, मुनीकी रेती के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को दो वर्ष से वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है । इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और जितनी सूचनायें हैं उनको निरस्त किया जाता है ।

(व्यवधान)

जिला गाजियाबाद में आवासीय आबादी वाले क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा पशुओं को अनधिकृत रूप से काटे जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सन्त बक्श रावत)–

[मा० सदस्य श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा विधान सभा में दिनांक 7-3-94 को नियम 51 के अन्तर्गत निम्न सूचना दी गयी है :—

"गाजियाबाद नगर के बिल्कुल मध्य में सबसे पुरानी पूर्णतः आवासीय आबादी मोहल्ला कस्सावान अन्तर्गत थाना क्षेत्र कोतवाली गाजियाबाद में कुछ व्यक्तियों द्वारा पशुओं को अनधिकृत रूप से काटा जा रहा है । पशुओं के काटने से खून नालियों के द्वारा सारे मोहल्ले में होकर बहता है । कुत्ते मांस के चिथड़े उठाकर ले जाते हैं और उनके घरों के सामने डाल देते हैं, जिससे आस पास के मोहल्लों के निवासियों का भी रहना दूभर हो जाता है । यह पूर्णतः आवासीय बस्ती है तथा दोनों सम्प्रदाय के लोग रहते हैं । जिला प्रशासन व सिटी बोर्ड अल्पसंख्यक के नाम पर कार्यवाही करने से कतराते हैं । मोहल्ले में खून बहने व मांस के चिथड़े फैलने से तनाव उत्पन्न हो जाता है । कभी भी कोई गम्भीर घटना हो सकती है ।"

2–उक्त के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की सूचना के अनुसार गाजियाबाद नगरपालिका सीमा क्षेत्र के थाना कोतवाली के अन्तर्गत मोहल्ला कस्सावान में 17 व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से बड़े जानवरों का बध चोरी छिपे रात्रि के समय अपने घरों में किया जाता है । मुस्लिम आबादी के बीच बड़े जानवरों के मांस की दुकान भी खुली हुई है । उक्त 17 व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 8-1-92 को वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, नगरपालिका, गाजियाबाद द्वारा नोटिस दिया गया, जिसमें यह कहा गया था कि नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर यदि जानवरों का अवैध वध बन्द न किया गया तो उनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही की जायेगी ।

3–उपरोक्त में से कुछ व्यक्तियों द्वारा उक्त कार्य बन्द रखा गया परन्तु बाद में व पुनः चोरी छुपे अवैध वध करने लगे । इसके लिये थाना कोतवाली, जिला गाजियाबाद में उक्त 17 व्यक्तियों के विरुद्ध

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दिनांक 17-11-92 को सूचना दी गयी कि उक्त 17 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जाय जिससे कि बस्ती के बीच जानवरों का वध बन्द हो सके व निवासियों के जन स्वास्थ्य को खतरा न बने ।

4–वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगरपालिका, गाजियाबाद की ओर से दिनांक 24-11-92 को पुनः नोटिस जारी की गयी और यह कहा गया कि उनके द्वारा दी गयी नोटिस का पालन न करने पर उनके विरुद्ध निरन्तर अपराधिक प्रवृत्ति अपनाने के अभियोग में कानूनी कार्यवाही की जायेगी । जिसके हर्जे खर्चे के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे । उसी उक्त 17 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली, गाजियाबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट नगरपालिका अधिनियम की धारा–237 के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी ।

5–उक्त 17 व्यक्तियों के विरुद्ध अपर मुख्य दण्ड अधिकारी के न्यायालय में नवम्बर, 1992 में अपराधिक मामला दर्ज किया गया है जो अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।]

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, गाजियाबाद नगर के बिल्कुल मध्य में सबसे पुरानी आवासीय आबादी मोहल्ला कस्सावान थाना क्षेत्र कोतवाली, गाजियाबाद में कुछ व्यक्तियों द्वारा पशुओं को अनधिकृत रूप से काटा जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने पढ़ा मान लिया । कैसे पूछा जाएगा ? अभी तो कापी मिली है । वक्तव्य के आधे घंटे पहले कापी मिल जाये आप ऐसी व्यवस्था कर दें । ताकि समय बच जाए । ऐसी व्यवस्था कल से कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी की बात सही है वक्तव्य के आधे घंटे पहले प्रतियां वितरित हो जायं भविष्य में इसका ध्यान रखा जाए ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि चोरी छिपे रात्रि में अपने घरों में जानवरों का वध किया जाता है । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है जन स्वास्थ्य को इससे खतरा पैदा हो गया है । उन्होंने जो कार्यवाही की है वह 24-11-92 की कार्यवाही का हवाला दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप स्पष्टीकरण पूछें ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

वर्तमान में पशुओं को चोरी छिपे न काटा जाय इसके लिये क्या कार्यवाही सरकार ने की है वह बताएं ? न्यायालय में आपराधिक मुकदमें के संबंध की जो बात है वह आपराधिक मुकदमें अपराध के संबंध में है । पशु न काटे जाएं इसके बारे में मंत्री जी बतायें ?

श्री सन्त बक्श रावत–

मान्यवर, जिन 17 व्यक्तियों के विरुद्ध अपर मुख्य दण्ड अधिकारी के न्यायालय में नवम्बर, 1992 में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है वह अभी न्यायालय में लम्बित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

17 लोगों के खिलाफ प्राग्दर्शन में सरकार ने एक वाद न्यायालय में मुख्य दण्ड अधिकारी के पास प्रस्तुत कर दिया । प्राग्दर्शन में अपराध था मानते हैं, तो आप द्वारा उनको उस काम से निरुद्ध न करने के क्या कारण हैं ? आपने समझ लिया गलत है तो तत्काल उनको वहां से न हटाने के क्या कारण हैं ?

श्री सन्त बक्श रावत–

जिला प्रशासन द्वारा कई बार यह प्रयास किये गये कि उन्हें इस कार्य से रोका जाए । लेकिन चोरी छिपे उन्होंने कार्य शुरू कर दिया इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है यह मुकदमा विचाराधीन है ।

(मद संख्या–14 पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी सभी माननीय सदस्य बैठे हैं कोई जल्दी नहीं है प्रश्न का उत्तर नहीं आयेगा तो आप ऐसा करें जितनी सूचनायें आयें उनको वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लें । सरकार स्वीकार करती है कि अपराधी हैं इसीलिये पिछली सरकार में कोर्ट में चला गया उसके बाद आज भी वही काम हो रहा है । तो सरकार द्वारा उन्हें वहां से हटाने का प्रभावी काम क्या किया जा रहा है ? यह वहां से नहीं हटा पा रहे हैं, इस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री सन्त बक्श रावत–

हमारे गुप्ता जी पुराने और विद्वान सदस्य हैं । मैं भी उनके संज्ञान में यह बताना चाहता हूं यह उन्हीं के शासनकाल में मुकदमें दर्ज किये गये थे । यह उन्होंने अच्छा काम किया था । मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि हम लोगों का मन भी बिल्कुल साफ है । मुकदमें का फैसला आ जायेगा, उसका हम पालन करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सरकार की नीयत साफ नहीं है । जानबूझकर गलत काम करती है । पशुओं का वध हो रहा है । सरकार की ओर से कोई प्रभावी कार्यवाही करने का निर्णय नहीं लिया गया है । इसलिये सरकार की इस नीति के विरोध में हम और और हमारी पार्टी सदनका बहिष्कार करती है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

प्रदेश के समस्त राजकीय अस्पतालों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अनिश्चित कालीन हड़ताल के संबंध में नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में.....

श्री अध्यक्ष–

(इसको पढ़ा हुआ माना जाता है ।)

(सदन की अनुमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बलराम यादव–

[कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 3 मार्च, 1994 से हड़ताल की जा रही थी जो दिनांक 14-3-94 को कर्मचारी संघ से समझौते के पश्चात् वापस ले ली गयी है । उनकी मुख्य मांग थी कि 16 वर्ष की सेवा अवधि पर रु० 950–1500 का प्रोन्नत वेतनमान दिया जाय । प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये 16 वर्ष की सेवा अवधि पर प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से दिये जाने हेतु वित्त विभाग का दिनांक 3 जून, 1989 का सामान्य शासनादेश है, जिसके अनुसार उन्हें रु० 775–1050 का प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य है । अतः उक्त शासनादेश के विपरीत रु० 950–1500 का वेतनमान दिया जाना सम्भव नहीं हुआ ।

2–हड़ताल से पूर्व शासन के अधिकारियों तथा संघ के पदाधिकारियों के मध्य हुई वार्ताओं में संघ की अधिकांश मांगें पूरी कर दी गयी थी ।

3–हड़ताल की अवधि में विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सीय सेवा को बाधित न होने देने हेतु प्रयास किये गये थे । मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं मण्डलीय अपर निदेशकों को टेलेक्स दिनांक 5-3-94 द्वारा दैनिक वेतन पर व्यवस्था कर आकस्मिक सेवाओं को जारी रखने के निर्देश दिये गये थे ताकि आम-जनता को आकस्मिक उपचार मिलता रहे ।

4–दिनांक 14-3-94 को हुए समझौते के अनुसार पूर्व निर्णय में संशोधन कर गरम व ठंडी वर्दी देने तथा हेड वार्ड ब्वाय, स्वीपर आदि के पदों के सृजन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । समझौते के अनुसार कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायेगी । मुख्य मांग प्रोन्नति वेतनमान रु० 950–1500 के संबंध में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की माननीय मुख्य मंत्री जी से वार्ता कराये जाने का भी आश्वासन दिया गया है ।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
18 मार्च, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

परिशिष्ट 'क'

(देखिए अता० प्र० सं० 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

लखनऊ विद्युत प्रदेश उपक्रम (लेसू) लखनऊ में दिनांक 1-1-94 को कार्यरत भूतपूर्व लाइसेंसी से अधिग्रहीत कर्मचारियों के पदों की सूची ।

क्रम संख्या	पद का नाम
1	सहायक कार्यालय अधीक्षक
2	वाणिज्य सहायक
3	मशीन आपरेटर
4	पन्च एण्ड वेरीफायर आपरेटर
5	कैशियर
6	क्लर्क
7	प्यून
8	स्वीपर
9	चौकीदोर
10	मेन्स फोरमैन
11	मीटर इन्सपेक्टर
12	मेन्स असिस्टेन्ट
13	ज्वाइन्टर लाइनमैन
14	लाइन मैन
15	सब-स्टेशन अटेन्डेन्ट
16	मीटर रीडर
17	मीटर रीटर/चेंजर
18	जनरल अटेन्डेन्ट
19	टरबाइन अटेन्डेट
20	फिटर
21	मेन्शन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	पद का नाम
22	फ्यूज़मैन
23	कुली
24	ड्राइवर
25	मीटर फिक्सर/चेंजर
26	टेलीफोन आपरेटर
27	मीटर टेस्टर/रिपेयर
28	बेल्दार/वितरण इकाई
29	बेल्दार पावर हाउस
30	कन्वेयर अटेन्डेन्ट
31	ब्वायलर अटेन्डेन्ट (प्रथम श्रेणी)
32	फायरमैन
33	हैमर मैन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए ता० प्र० सं० 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

संलग्नक "क"

बिन्दु	स्थिति
(1) जांच के लिये परिषद् द्वारा अधिकृत वाणिज्य अनुभाग/रेड रेवेन्यू मानिटरिंग यूनिट के कौन-कौन अधिकारी गये थे ? उनके पदनाम व तैनाती स्थान क्या हैं ?	जांच हेतु श्री पी० एन० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता (रेड) तथा श्री ए० श्री निवासा, सहायक अभियन्ता (रेड) गये थे, उक्त दोनों अधिकारी रेड रेवेन्यू मानीटरिंग यूनिट शक्ति भवन, लखनऊ में तैनात थे ।
(2) अधिकारियों द्वारा जांच बिन्दु क्या तैयार किये गये थे ?	श्री नन्द लाल जायसवाल, प्रान्तीय मंत्री, उ० प्र० वि० मजदूर संघ के पत्र संख्या : 555/उ० प्र० वि० म० सं०/शिविर, दिनांक 20-8-91 द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र में उठाये गये बिन्दु ही जांच बिन्दु थे ।
(3) ट्राइवेक्टर मीटर/एम० डी० आई० को मद्रास भेजने का सर्वप्रथम कब निर्णय लिया गया और कौन-कौन अधिकारी और कब-कब मद्रास गये और उन पर कितना-कितना व्यय हुआ साथ ही परीक्षण में क्या रिपोर्ट प्राप्त हुयी ।	ट्राइवेक्टर मीटर को मद्रास भेजने का निर्णय सर्वप्रथम दिनांक 30-3-91 को लिया गया । श्री सुशील कुमार, वरिष्ठ सहायक अभियंता (राजस्व) विद्युत उत्पादन खंण्ड, पिपरी और श्री डी० एन० सिंह, सहायक अभियंता (राजस्व) जल विद्युत संयत्र खण्ड, ओबरा एक बार मार्च, 1992 में मद्रास भेजे गये थे । दोनों पर लगभग 11,500 रु० खर्च हुआ । टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित त्रुटि पायी गयी :– (1) के० डब्ल्यू एम० डी० 2.75% तेज (2) के० वी० ए० एम० डी० 7.3% तेज (3) के० डब्ल्यू यूनिट पावर फैक्टर 100% लोड पर 1.6% तेज, 10% लोड पर 1.9% तेज, 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर 100% लोड पर 1.35% तेज पाया गया ।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

(4) ट्राइवेक्टर मीटर का क्या उपयोग है ? यदि एम० डी० आई० मीटर लगा है तो ट्राइवेक्टर मीटर क्यों लगाया गया है ?

एम० डी० आई० मीटर, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गयी बिजली के औसत के आधार पर बिल बनाने के लिये लगे हैं लेकिन इनसे पावर फैक्टर नहीं नापा जा सकता है । अतः मेसर्स हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को विद्युत आपूर्ति के अन्तर्गत दिनांक 24-2-88 को हुए अनुबन्ध के अनुसार उपभोक्ता के फीडर पर पावर फैक्टर की रिकार्डिंग के लिये ट्राइवेक्टर मीटर लगा हुआ है ।

(5) दिनांक 18-12-90 को किस अधिकारी द्वारा रीडिंग ली गयी थी । क्या वह रीडिंग लेने के लिये अधिकृत था तथा उसके द्वारा तीनों मीटरों का औसत रीडिंग क्या है ? फीडर लागबुक एवं अवर अभियंता लागबुक में दर्ज तीनों मीटरों की औसत रीडिंग क्या है ? ट्राइवेक्डर मीटर की रीडिंग क्या है ?

दिनांक 18-12-90 को श्री कमला नारायण, सहायक अभियन्ता (परि०) द्वारा रीडिंग ली गयी थी इनको रीडिंग लेने के लिये अधिकृत किया गया था । उनके द्वारा तीनों मीटरों की औसत रीडिंग 188 मे० वा० ली गयी । लागबुक में दर्ज तीनों मीटरों की औसत रीडिंग 193.3 मे० वा० अवर अभियंता लागबुक में दर्ज तीनों मीटरों की औसत रीडिंग 193.0मे० वा० और ड्राइवेक्टर मीटर की रीडिंग 193.5 मे० वा० थी ।

(6) क्या संयुक्त रीडिंग निर्धारित समय प्रत्येक मंगलवार को 10.00 बजे ली जा रही है यदि हां तो किस अधिकारी द्वारा ली जाती है । संघ के पत्र संख्या: 261290 दिनांक 26-12-90, 2191 दिनांक 2-1-91 एवं 3191 दिनांक 2-1-91 के पत्र में अधिशासी अभियंता द्वारा क्या उत्तर दिया गया ?

संयुक्त मीटर रीडिंग प्रत्येक मंगलवार को निर्धारित समय 10.00 बजे अधिशासी अभियंता के स्तर के अधिकारी द्वारा ली जाती है । क्योंकि इस मामले की जांच प्रारम्भ हो गयी थी अतः संघ के पत्रों का उत्तर नहीं दिया गया ।

(7) बिन्दु संख्या : 10 का परिचालन विवरण पेज 137 की सत्यापित प्रतिलिपि को उपलब्ध कराये तथा अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता ने क्या टिप्पणी की है ?

यह परिषद् में उपलब्ध है ।

(8) अनुबंध के अनुसार उपभोक्ता से रुपये 32,77,775.00 पेनाल्टी वसूल की गयी, उसका विवरण दें।

दिनांक 18-12-90 को उपभोक्ता ने कुल विद्युत भार 188000 कि० वा० का उपभोग किया। उपभोक्ता का वर्तमान में स्वीकृत विद्युत भार – 70000 कि० वा० है। इस तरह उपभोक्ता ने 118000 कि० वा० का अतिरिक्त विद्युत भार का उपयोग किया। इस अतिरिक्त डिमांड चार्ज (पेनाल्टी) अनुबन्ध के अनुसार 0.9 पावर फैक्टर के आधर पर 25 रु०/के० वी० ए० प्रति सप्ताह की दर से रु० 3277775.00 होती है जिसकी वसूली हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सारणी 'ग'

(देखिए अता० प्र० सं० 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

8/89	2,345	
9/89	2,514	
10/89	1,422	
11/89	3,879	
12/89	3,363	
1/90	3,455	
2/90	4,711	
3/90	5,816	
4/90	2,563	
5/90	5,221	
6/90	2,902	
7/90	2,954	
8/90	2,886	
9/90	3,088	
10/90	2,643	
11/90	3,908	
12/90	4,351	
1/91	4,224	
2/91	1,622	
3/91	2,559	
4/91	2,621	
5/91	2,690	
6/91	3,203	
7/91	3,306	
8/91	3,150	
9/91	1,976	
10/91	2,840	
11/91	3,019	
12/91	3,618	
कुल	92,846	कि० मी०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'घ'

(देखिए अता० प्र० सं०-34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

अवशेष कार्य

क्रमांक	कार्य-नाम	अनुमानित लागत-करोड़ रु० में	दिसम्बर, 93 तक कार्यों पर हुआ व्यय	अवशेष व्यय जो होना है	कार्यों के पूरा होने की अनुमानित तिथि	कार्य पूरा न होने का कारण
1.	आवासीय एवं अनावासीय भवन	33.90	20.7	13.20	95–96	समयानुसार धन उपलब्ध होने के कारण एवं
2	राख निस्तारण बंधा राख पाइप का निर्माण	28.95	2.6	26.35	98–99	ग्राम वासियों द्वारा भूमि संबंधी मुकदमें के कारण।
3	एस०जी०आर० तथा अन्य उपकरण लोको, वैगन, इत्यादि	68.92	33.00	35.92	95–96	समयानुसार धन उपलब्ध न होने के कारण तथा एम०जी०आर० के रेखांकन में एक स्थान पर पुर्नवासित ग्रामीणों के मकान आने के कारण।
4	विद्युतीकरण रोड नाली विभाग, कन्स-ट्रक्शन पावर आदि विविध कार्य।	8.23	3.70	4.53	95–96	समयानुसार धन उपलब्ध न होने के कारण।
	कुल योग	140.00	60.00	80.00		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अना० प्र० सं० 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम जिनमें पोल खुले हैं
1	नौगढ़	1-रामगढ़
2	जोगिया	2-लखनपारा
		3-सिरसिया मिश्र
		4-नादेपुर
		5-जोकीदारी
3	बर्डपुर	6-मरवटिया कुर्मी
		7-बर्डपुर नं० 1 का टोला "अलीगढ़ वा"
		8-अहिरौली
4	बढ़नी	9-उनरोला
		10-राजेदेइया
5	भनवापुर	11-राहदेइया
6	खुनियांव	12-भगवतपुर
7	मिठवल	13-लोहरौली
8	सोंथा	14-ग्राम लोहरसन का टोला "गुलजार दाग"
9	डुमरियागंज	15-भवनीगंज उर्फ रठेन।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता० प्र० सं० 115 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री भगवती प्रसाद शुक्ला द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर में उल्लिखित चोरी गए सामानों की सूची

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुलग्नक "अ"

दिनांक 28-9-92 के बाद तालकटोरा विद्युत गृह में चोरी गये सामान की सूची :-

क्र०सं०	दिनांक	चोरी गये सामानों का विवरण	
1	15/16-4-93	ब्वायलर स्ट्रोकर लुब्रिकेशन पाइप	लगभग 3 किलो
2	17/18-4-93	ब्वायलर स्ट्रोकर लुब्रिकेशन पाइप	लगभग 10 किलो
3	14/15-9-93	(1) निहाई बड़ी वजन लगभग 100 कि०ग्राम–1 नग	
		(2) निहाई छोटी वजन लगभग 50 कि० ग्राम–1 नग	
		(3) कास्ट आयरन ठिया लगभग 80 कि० ग्राम 1 नग	

अनुलग्नक–ब

सन् 1982 से बन्द ऐशबाग पावर हाउस में चोरी गये सामान की सूची

क्रमांक	दिनांक	चोरी गये सामान का विवरण	
1-	17-5-90	1-मशीन नं० 5 की 1/4 हार्स पावर की मोटर	1 अदद
		2-मशीन नं० 5 के प्रेसर गेज	2 अदद
		3-मशीन नं० 6 के प्रेसर गेज	2 अदद
		4-मशीन नं० 6 की 1/4 हार्स पवर की मोटर	1 अदद
		5-ब्वायलर नं० 1 के एंगिल वाल्वस	2 अदद
		6-ब्वायलर नं० 1 केन्सो डाऊन वाल्व	3 अदद
		7-ब्वायलर नं० 1 फीड चेक वाल्व	3 अदद
		8-ब्वायलर नं० 2 के एंगिल वाल्व	2 अदद
		9-ब्वायलर नं० 2 के फीड चेक वाल्व	3 अदद
		10-ब्वायलर नं० 2 के कनो डाऊन वाल्व	1 अदद
		11-ब्वायलर नं० 3 के एंगिल वाल्व	2 अदद
		12-ब्वायलर नं० 3 के फीड चेक वाल्व	3 अदद
		13-ब्वायलर नं० 4 के फीड चेक वाल्व	3 अदद
		14-गेज ग्लास फिटिंग चोरी ब्वायलरों की	8 अदद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	15-ब्वायलर नं० 7 के सेफ्टी वाल्व	2 अदद
	16-ब्वायलर नं० 5, 6 एवं 7 की गेज ग्लास फिटिंग	6 अदद
	17-ब्वायलर नं० 5, 6 एवं 7 के लुब्रीकेटरस्	12 अदद
	18-ब्वायलर नं० 7 के ए०सी०वी० ब्लो डाउन वाल्व	2 अदद
	19-इंजन रूम में लगी क्रेन की जंजीरें	2 अदद
	20-स्टे पाण्ड नं० 1, 2 व 3 में लगे डिस्चार्ज वाल्वस् स्पिंडल	30 अदद
	21-स्टेपाण्ड में लगे डिस्चार्ज वाल्व	3 अदद
	22-पम्प रूप में लगे पम्प नं० 1, 2, 3 व 4 के डिस्चार्ज वाल्वस् स्पिंडल	6 अदद
	23-इंजन रूम में लगे सम पम्प का डिस्चार्ज वाल्व	1 अदद
	24-पम्प रूम में लगी क्रेन की जंजीरें	2 अदद
	25-पम्प रूम के ऊपर रखे मोटर, जो कि खराब थे उसमें से एक की लगभग 25 1/2 कि०ग्रा० तार निकाली गयी।	
	26-ब्वायलर हाऊस में लगे मोटरों के स्विच	4 अदद
	27-पम्प रूम में लगे सम पम्प का स्टारटर	1 अदद
	28-पम्प रूप में लगे चारों मोटरों के केबिल-लगभग–	100 मीटर
	29-ब्वायलर नं० 3 व 4 में लगे मोटरों के स्टारटर	4 अदद
2- 5-8-90	1-लगभग 30-35 कि० ग्रा० लोहा	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(दिखिए अता० प्र० सं० 130 का उत्तर पीछे पृष्ठ 93 पर)

ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख श्रेणी उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरें

घरेलू (पंखा व बत्ती)

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 15000 तक आबादी वाली ग्रामीण क्षेत्र जहां ग्रामीण शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है, दरें निम्नवत् है :–

एल० एम० वी०–1 घरेलू बत्ती पंखा एवं पावर	विद्युत दर/माह	न्यूनतम उपभोग प्रतिमाह
1– 1 कि०वा० भार तक	नियत दर रु० 27/- समय से भुगतान करने पर रु० 2.00 छूट मापित विद्युत आपूर्ति पर	(क) रु० 40/- 1 कि० वा० के लिये +रु० 20/- प्रति कि०वा०–या अंश पर।
2– 1 कि०वा० से अधिक 2 कि०वा० तक	नियम दर रु० 37/- प्रति माह। समय से भुगतान करने पर रु० 2.00 की छूट।	(ख) वातानुकूलित यंत्र का रु० 100/- अतिरिक्त (विन्डो टाइप के लिये)
3– 2 कि०वा० भार से अधिक	110 पैसे/यूनिट। समय से भुगतान पर 10 पै/यूनिट छूट।	तथा रु० 100/- प्रति कि० वा० (सैंट्रल ए०सी० के लिये)

एल०एम०वी०–2
अघरेलू (बत्ती, पंखा व पावर)

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 15000 तक आबादी तक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र जहां शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है, दरें निम्नवत् हैं :–

1– 1 कि०वा० भार तक	नियत दर रु० 30/-मापित विद्युत आपूर्ति पर + समय से भुगतान पर छूट रु० 2/-	न्यूनतम उपभोग (क) रु० 70/-प्रति कि०वा० या उसके अंश पर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2- 1 कि०वा० से अधिक एवं 2 कि०वा० तक	नियत दर रु० 42/- प्रतिमाह । समय से भुगतान पर छूट रु० 2/-	(ख) वातानुकूलित संयंत्र के लिये रु० 150/- अतिरिक्त (प्रति विण्डो टाइप के लिये) तथा रु० 150/- प्रति कि० वा० सेन्ट्रल ए०सी० के लिये ।
3- 2 कि०वा० भार से अधिक	150 पैसे/यूनिट । समय से भुगतान पर टूट 10 पैसे/ यूनिट ।	

एल०एम०वी० 4 (जनता सर्विस कनेक्शन एवं कुटीर ज्योति कनेक्शन)

1-एक बिन्दु प्रकाश तथा कुटीर ज्योति कनेक्शन के लिये	रु० 7.50
2-दो बिन्दु प्रकाश के लिये	रु० 10.00
3-तीन बिन्दु प्रकाश के लिये	रु० 12.50

एल०एम०वी० 5 (निजी नलकूप एवं पम्पसेट)

नियत दर रु० 30/- प्रति अश्व शक्ति प्रति माह एवं सम्बद्ध प्रकाश के लिये रु० 15/- प्रति कनेक्शन ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ज"

(देखिये अता० प्र० सं० 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 97 पर)

अनुलग्नक–"क"

हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, कासिमपुर (अलीगढ़)

भूमि विस्थापित व्यक्तियों अथवा इनके परिवार के सदस्यों की सूची, जिन्हें परिषद के अधीन नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है :–

क्र०सं०	व्यक्ति का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति पद	कार्यस्थल
1	2	3	4	5
	सर्वश्री	सर्वश्री		
1	प्रेम पाल सिंह	हरिया (भू स्वामी)	चतुर्थ श्रेणी	बरेली जोन
2	मोती सिंह	बल्देव सिंह (भू स्वामी)	चतुर्थ श्रेणी	बरेली जोन
3	ब्रह्मचारी (भूस्वामी)	भवानी	चतुर्थ श्रेणी	बरेली जोन
4	सुरेश चन्द्र	कुंवर सैन (भू स्वामी)	चतुर्थ श्रेणी	वि०प० एवं परि मण्डल, आगरा।
5	देवराज	चिन्ना (भू स्वामी)	चतुर्थ श्रेणी	वि०प० एवं परि मण्डल, आगरा।
6	मनवीर सिंह	खचैरा (भू स्वामी)	चतुर्थ श्रेणी	वि० वि० खण्ड बरेली जोन।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुलग्नक–"ख"

हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, कासिमपुर (अलीगढ़)

अनुसूचित जाति के शेष उन भूमि विस्थापितों का विवरण जिन्हें सेवायोजन दिया जाना शेष है :–

क्र०सं०	भूमि विस्थापितों का नाम के नाम सहित	उस सदस्य का नाम, जिन्हें सेवायोजन दिये जाने के लिये आवेदन प्राप्त हुये हैं	
	सर्वश्री		
1	किशन लाल पुत्र श्री बुद्धसैन	--	(नगौला, अलीगढ़)
2	चेतराम पुत्र श्री पूरन मल	श्री लोकमन पुत्र श्री चेतराम	(नगौला–अलीगढ़)
3	भगत सिंह पुत्र श्री रेवती	स्वयं	(नगौला–अलीगढ़)
4	लाल सिंह पुत्र श्री ब्रह्मजीत	श्री राम खिलाड़ी पुत्र श्री लाल सिंह	(नगौला–अलीगढ़)
5	सुखराम पुत्र रूपराम		(नगौला–अलीगढ़)
6	करन सिंह पुत्र श्री गिरि राधेश्याम प्रसाद	(स्वयं) दोनों ने सेवायोजन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, परन्तु संयुक्त परिवार में से एक को ही नियुक्ति नियमानुसार रिक्त पद की उपलब्धता पर विचारित करना सम्भव हो सकेगा।	(सुमेरा–अलीगढ़)
7	इतवारी पुत्र फौजी		
8	चन्द्रजीत पुत्र केवल	स्वयं	(सुमेरा–अलीगढ़)
9	ताराचन्द्र पुत्र बिहारी लाल	स्वयं	(सुमेरा–अलीगढ़)
10	भंवर सिंह पुत्र नत्थू सिंह	श्री दयाराम सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह	(सुमेरा–अलीगढ़)
11	भोजराज पुत्र नत्थू	श्री फकीर चन्द्र पुत्र श्री भोजराज	सुमेरा–अलीगढ़)
12	राजवीर पुत्र यादराम	श्री शिव कुमार पुत्र श्री राजवीर	(सुमेरा–अलीगढ़)
13	लेखराज पुत्र चैना	श्री महेश पुत्र श्री छोटेलाल	(भूस्वामी के पौत्र) (सुमेरा–अलीगढ़)

पी० एस० यू० पी–एल० 87 विधान सभा (134) 1994 813(डी०टी०पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा